वार्षिक रिपोर्ट
2006-2007

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

विषय सूची

एनएचपीसी

निगम का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य - 2

निदेशक मण्डल - 5

कारपोरेट रूपरेखा - 6

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष) - 8

अध्यक्षीय सम्बोधन - 11

निदेशकों की रिपोर्ट - 17

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - 38

वार्षिक लेखे - 44

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट - 79

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - 86

वार्षिक लेखे - 92

समेकित वित्तीय विवरण -129

निगम का
दृष्टिकोण

जल विद्युत तथा जल संसाधनों का पर्यावरण के प्रति पूर्णतः सचेत रहते हुए सतत विकास करने वाला विश्व स्तरीय, बहुविध एवं अंतरर्राष्ट्रीय संगठन बनना ।

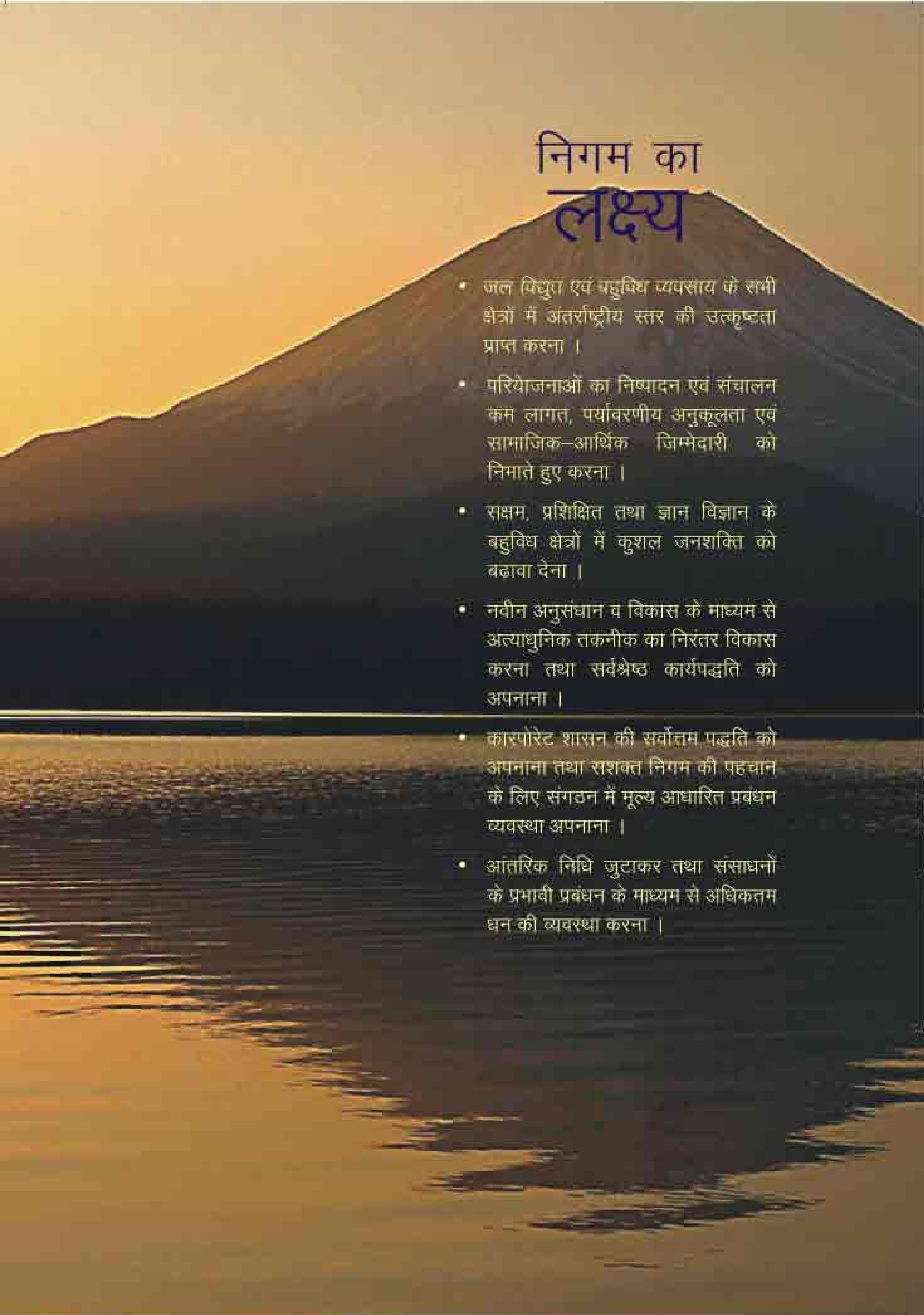

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं बहुविध व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना ।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत, पर्यावरणीय अनुकूलता एवं सामाजिक–आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए करना ।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना ।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाना ।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना ।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना ।

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल

07.08.2007 को

श्री एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. चतुर्वेदी
निदेशक (कार्मिक)

श्री एस.पी. सेन
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के. डोडेजा
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री गुरुदयाल सिंह
सदस्य (हाइड्रो), सीईए

श्री अनिल कुमार कुट्टी
संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय

श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

मैसर्स जी.एस.ए. एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स, 8/28,
डब्ल्यूइए अब्दुल अजीज मार्ग,
करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स ओ.पी. गर्ग एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स, 40ए/डी,
गांधी नगर, जम्मू-180004

मैसर्स के.के. घई एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स, 806, हेमकुन्ट हाउस,
6, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली- 110008

मैसर्स के.सी. भट्टाचार्जी एण्ड पॉल
चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स, 2, चर्च लेन,
तीसरा तल, कमरा नं: 304बी,
कोलकाता - 700 001

मैसर्स एन.सरकार एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउटेन्ट्स, 21,
प्रफुल्ला सरकार स्ट्रीट, कोलकाता - 700 072

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जे. एण्ड के. बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.
ड्यूश बैंक लि.
यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ भूटान
केनरा बैंक
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आई.डी.बी.आई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : **एनएचपीसी, ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003**

dkjikjV :ij[kk

foÙkh;		2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
बिक्री	**	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09
विविध आय	@	433.38	359.55	393.80	551.69
ब्याज, मूल्य ह्रास एवं कर पूर्व लाभ	$	1610.04	1454.71	1438.86	1477.37
ब्याज एवं मूल्य ह्रास के बाद लाभ		1087.74	812.16	777.53	643.48
ब्याज, मूल्य ह्रास और कर लाभांश के बाद लाभ		924.80	742.75	684.58	621.38
लाभांश		278.00	223.00	140.00	120.00
आरक्षित एवं अधिशेष (संचयी)		5367.05	4709.89	4168.49	3594.27
dkjikj'ku d LokfeRo e D;k g					
सकल नियत परिसंपत्तियां		12943.64	12755.52	10876.28	10342.71
मूल्य ह्रास		2850.92	2527.83	2148.20	1882.95
'k) fu;r ifjlifÙk;k		**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**	**8459.76**
चालू पूंजीगत कार्य		11399.92	8844.19	8787.19	6975.83
निर्माण भंडार एवं अग्रिम		856.43	778.95	770.14	805.55
निवेश		3322.75	3832.81	3769.43	3660.87
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		-345.60	-225.34	138.69	107.76
बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		25.80	24.55	1.18	0.71
		25352.02	**23482.85**	**22194.71**	**20010.48**
dkjikj'ku d LokfeRo e g					
शुद्ध मूल्य					
– अंशपूंजी		11207.04	10576.09	9933.27	8629.03
– आरक्षित		5367.05	4709.89	4168.49	3594.27
मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम के कारण		1245.98	1030.18	1071.15	939.40
अग्रिम प्राप्त आय					
उधार		7531.95	7166.69	7021.80	6847.78
		25352.02	**23482.85**	**22194.71**	**20010.48**
ipkyu dk;l fu"iknu		**2006-2007**	**2005-2006**	**2004-2005**	**2003-2004**
उत्पादन (मि.यू.)		13049	12567	11286	11046
मशीन उपलब्धता (प्रतिशत)		94.11	98.16	95.30	96.82
बिक्री (करोड़ रु.)		1754.12	1614.11	1449.98	1276.09
जनशक्ति (संख्या)		12768	13118	13470	13648

** बिक्री प्रभार समायोजन और मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात शुद्ध है

@ संविदाओं के प्रति प्राप्ति शामिल है

$ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात्

(करोड़ रुपये)

2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98
1172.23	1221.00	1179.90	1075.70	1194.40	993.00
302.96	330.40	575.70	202.60	39.10	4.40
1153.39	1183.50	1209.70	1070.70	999.20	849.10
555.00	513.10	484.20	401.20	305.30	299.40
510.50	470.90	443.40	401.20	305.30	299.40
75.00	50.00	30.00	15.00	15.00	15.00
3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10	948.60
8280.95	8113.50	7892.70	7752.70	7090.40	6903.60
1672.19	1526.70	1280.10	1029.00	811.10	598.60
6608.76	**6586.80**	**6612.60**	**6723.70**	**6279.30**	**6305.00**
7078.00	5218.30	3710.80	2768.60	2576.00	2073.10
621.74	525.50	613.00	511.50	322.80	332.00
2415.66	1965.00	679.90	0.00	0.00	0.00
1889.77	1512.20	1864.20	2100.90	1471.80	1252.50
1.20	2.00	9.80	1.90	0.40	1.70
18615.13	**15809.80**	**13490.30**	**12106.60**	**10650.30**	**9964.30**
7240.61	6345.70	5188.20	4446.20	3825.00	3393.00
3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10	948.60
801.06	648.40	519.90	386.10	245.50	130.50
7507.76	6217.20	5643.10	5583.70	5307.70	5492.20
18615.13	**15809.80**	**13490.30**	**12106.60**	**10650.30**	**9964.30**
2002-2003	**2001-2002**	**2000-2001**	**1999-2000**	**1998-1999**	**1997-1998**
9863	8912	8774	8691	9917	8816
96.62	96.86	92.09	91.05	88.39	83.00
1172.23	1221.00	1179.90	1075.70	1194.40	993.00
13017	13054	11850	12150	11860	11799

egRoi.kZ foÙkh; vkdMk dk lkj ¼10 o"kZ½

	foÙkh;		2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
क	ऊर्जा की बिक्री	$	1969.93	1661.99	1581.73	1414.43
ख	मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम		215.81	47.88	131.75	138.34
ग	अन्य आय	#	433.38	359.55	393.80	551.69
	(निर्माण व परामर्श शुल्क की प्राप्ति सहित)					
?k	**dqy vk; ¼d½ & ¼[k½ $¼x½**		**2187.50**	**1973.66**	**1843.78**	**1827.78**
ङ	उत्पादन एवं अन्य व्यय		577.46	518.95	404.92	350.41
	(संविदा एवं परामर्शी व्यय शामिल है)					
p	**ldy ekftZu ¼?k½ & ¼³½**		**1610.04**	**1454.71**	**1438.86**	**1477.37**
छ	मूल्य ह्रास		290.55	269.57	248.97	208.14
t	**ldy ykHk ¼p½ & ¼N½**		**1319.49**	**1185.14**	**1189.89**	**1269.23**
झ	ब्याज एवं वित्त प्रभार		231.75	372.98	412.36	625.75
´	**'kq) ykHk ¼t½ & ¼>½**		**1087.74**	**812.16**	**777.53**	**643.48**
ट	कर		162.94	69.41	92.95	22.10
B	**dj i'pkr 'kq) ykHk ¼´½ & ¼V½**		**924.80**	**742.75**	**684.58**	**621.38**
M	**lftr vkrfjd lalk/ku ¼N½ $ ¼B½ $ ¼[k½**		**1431.16**	**1060.20**	**1065.30**	**967.86**
ढ	प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
ण	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	**	11207.04	10576.09	9933.27	8629.03
त	आरक्षित एवं अधिशेष		5367.05	4709.89	4168.49	3594.27
थ	ऋण निधि		7531.95	7166.69	7021.80	6847.78
द	मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम प्राप्त आय (ककघ)		1245.98	1030.18	1071.15	939.40
ध	सकल नियत परिसंपत्तियां		12943.64	12755.52	10876.28	10342.71
न	मूल्य ह्रास		2850.92	2527.83	2148.20	1882.95
i	**'kq) fu;r ifjlaifÙk;ka ¼/k½ & ¼u½**		**10092.72**	**10227.69**	**8728.08**	**8459.76**
फ	चालू पूंजीगत कार्य		11399.92	8844.19	8787.19	6975.83
ब	निर्माण भंडार एवं अग्रिम		856.43	778.95	770.14	805.55
भ	निवेश		3322.75	3832.81	3769.43	3660.87
म	कार्यकारी पूंजी		-345.60	-225.34	138.69	107.76
य	बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		25.80	24.55	1.18	0.71
dd	**ldy fu;ftr iwath ¼i½$¼Q½$¼c½$¼Hk½$¼e½**		**25326.22**	**23458.30**	**22193.53**	**20009.77**
d[k	**'kq) ewY; ¼.k½$¼r½&¼;½**		**16548.29**	**15261.43**	**14100.58**	**12222.59**
कग	पावर स्टेशनों में उपभोग हेतु मांग सूची		6.56	12.02	7.73	2.67
d?k	**ewY;o/kZu ¼d½ & ¼[k½ & ¼dx½**		**1747.56**	**1602.09**	**1442.25**	**1273.42**

$ प्रभार समायोजन, व्हीलिंग प्रभार और संदेहास्पद
ऋणों हेतु प्रावधान सहित

** अंश जमा और इक्विटी में समंजनीय
भारत सरकार की निधि शामिल है।

संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं।

	vuqikr	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
1	नियोजित सकल पूंजी पर आय (ज)/(कक)	5.21%	5.05%	5.36%	6.34%
2	शुद्ध मूल्य पर आय (ठ)/(कख)	5.59%	4.87%	4.85%	5.08%
3	नियोजित सकल पूंजी में शुद्ध बिक्री (क)–(ख)/(कक)	6.93%	6.88%	6.53%	6.38%
4	शुद्ध बिक्री में मूल्यवर्धन (कघ)/(क)–(ख)	99.63%	99.26%	99.47%	99.79%
5	इक्विटी में ऋण का अनुपात (थ)/(ण)+(त)+(द)	0.42	0.44	0.46	0.52
6	शुद्ध बिक्री में शुद्ध लाभ (ठ)/(क) –(ख)	52.72%	46.02%	47.21%	48.69%

(करोड़ रुपये)

2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98
1324.86	1349.60	1313.70	1216.30	1309.40	1123.50
152.63	128.60	133.80	140.60	115.00	130.50
302.96	330.40	575.70	202.60	39.10	4.40
1475.19	**1551.40**	**1755.60**	**1278.30**	**1233.50**	**997.40**
321.80	367.90	545.90	207.60	234.30	148.30
1153.39	**1183.50**	**1209.70**	**1070.70**	**999.20**	**849.10**
140.36	231.60	238.70	219.80	215.20	114.00
1013.03	**951.90**	**971.00**	**850.90**	**784.00**	**735.10**
458.03	438.80	486.80	449.70	478.70	435.70
555.00	**513.10**	**484.20**	**401.20**	**305.30**	**299.40**
44.50	42.20	40.80	0.00	0.00	0.00
510.50	**470.90**	**443.40**	**401.20**	**305.30**	**299.40**
803.49	**831.10**	**815.90**	**761.60**	**635.50**	**543.90**
10000.00	7000.00	7000.00	5000.00	5000.00	3500.00
7240.61	6345.70	5188.20	4446.20	3825.00	3393.00
3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10	948.60
7507.76	6217.20	5643.10	5583.70	5307.70	5492.20
801.06	648.40	519.90	386.10	245.50	130.50
8280.95	8113.50	7892.70	7752.70	7090.40	6903.60
1672.19	1526.70	1280.10	1029.00	811.10	598.60
6608.76	**6586.80**	**6612.60**	**6723.70**	**6279.30**	**6305.00**
7078.00	5218.30	3710.80	2768.60	2576.00	2073.10
621.74	525.50	613.00	511.50	322.80	332.00
2415.66	1965.00	679.90	0.00	0.00	0.00
1889.77	1512.20	1864.20	2100.90	1471.80	1252.50
1.20	2.00	9.80	1.90	0.40	1.70
18613.93	**15807.80**	**13480.50**	**12104.70**	**10649.90**	**9962.60**
10305.11	**8942.20**	**7317.50**	**6134.90**	**5096.70**	**4339.90**
2.65	6.90	7.10	6.00	13.30	6.00
1169.58	**1214.10**	**1172.80**	**1069.70**	**1181.10**	**987.00**

2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98
5.44%	6.02%	7.20%	7.03%	7.36%	7.38%
4.95%	5.27%	6.06%	6.54%	5.99%	6.90%
6.30%	7.72%	8.75%	8.89%	11.22%	9.97%
99.77%	99.43%	99.40%	99.44%	98.89%	99.40%
0.68	0.65	0.72	0.86	0.99	1.23
43.55%	38.57%	37.58%	37.30%	25.56%	30.15%

पूर्व तथा वर्तमान...
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा निदेशकगण

खड़े हुए (बांए से दाएं) श्री एस.पी. सेन, निदेशक (तकनीकी) श्री एन. विश्वनाथन, पूर्व निदेशक (तकनीकी), श्री एस.सी. सेन, पूर्व निदेशक (तकनीकी), श्री एस.के. डोडेजा, निदेशक (परियोजनाएं), श्री ओ.पी. सारभाई, पूर्व निदेशक (कार्मिक), श्री ए.आई. बुनेट, पूर्व निदेशक (कार्मिक), श्री आर.के.शर्मा, पूर्व निदेशक (तकनीकी), श्री के.के. वोहरा, पूर्व निदेशक (वित्त), श्री घनश्याम दास, पूर्व निदेशक (वित्त), श्री एस.के. चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक)
बैठे हुए (बांए से दाएं) श्री बी.आर. ओबराय, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री के.के. कश्यप, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री पी.एम. बेलिअप्पा, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री एम.ए. हाई, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री अजय दुआ, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री जी.पी. सिंह, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, श्री ए.के. गंगोपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अध्यक्षीय सम्बोधन

अध्यक्षीय सम्बोधन

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके निगम की 31वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित लेखे शामिल हैं, पहले से ही आपके पास विचार तथा अंगीकरण के लिए हैं। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा गया समझता हूँ।

आपका निगम विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत मुहैया करवाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और वर्ष के दौरान प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दोनों मंचों पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन प्राप्त किया। सर्वप्रथम, आपके निगम ने जम्मू एवं कश्मीर में कई बाधाओं जैसे आतंकवादी गतिविधियां, फ्रेंच संघ के समझौते से पीछे हटने के कारण ठेकेदार का बदला जाना, निष्पादन के दौरान सामने आई गंभीर भू–वैज्ञानिक बाधाएं आदि से निपटते हुए दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मैगावाट) का संचालन किया है। आप यह मानेंगे कि यह सभी एनएचपीसी कर्मचारियों द्वारा एक दल के रूप में किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम है। इस परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन 7 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ हुआ।

प्रचालनात्मक रूप से, निगम ने पिछले वर्षों के दौरान के कार्य निष्पादन में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा है। निगम ने वर्ष 2006–07 के दौरान 13048.76 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जोकि पिछले वर्ष के दौरान किए गए उत्पादन से 3.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अधिकांश विद्युत स्टेशनों ने अपने उत्पादन लक्ष्यों से अधिक उत्पादन किया है और 94.1 प्रतिशत का क्षमता सूचकांक प्राप्त किया है।

निगम ने वर्ष के दौरान 1962.76 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 924.80 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक निवल लाभ अर्जित किया है। आपके निदेशकों ने पिछले वर्ष घोषित किए गए 223 करोड़ रुपये के कुल लाभांश की तुलना में 72 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभाश सहित 278 करोड़ रुपये के लाभांश की संस्तुति की है। घोषित किया गया लाभांश निगम के निवल लाभ का 30 प्रतिशत है। यह अभी तक घोषित किया गया सबसे अधिक लाभाश है।

वर्ष के दौरान आपके निगम ने लाभग्राहियों को बेची गई ऊर्जा के एवज में 1644.80 करोड़ रुपये के मूलधन को प्राप्त किया। बिक्री उगाहियों का वसूलीकरण बिलिंग का 100 प्रतिशत था जोकि विद्युत मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए 97 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। निगम को प्राप्त हुए बॉण्ड पर ब्याज तथा अन्य आय और बकाया देयों के प्रतिभूतिकरण के प्रति राज्य सरकार के ऋण से भी 234.09 करोड़ रुपये की आय हुई है।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति संतोषजनक है। तीस्ता–V जल विद्युत परियोजना (510 मैगावाट) पूर्णता के निकट है और इसे जनवरी, 2008 के दौरान प्रारम्भ किया जाना प्रत्याशित है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि तीस्ता लो डैम–III तथा IV और पार्बती–II में कार्यों की प्रगति क्रमशः पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा और एचआरटी में टीबीएम के आंशिक रूप से दब

श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री अनिल राजदान, सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए

जाने के कारण प्रभावित हुई है। जम्मू एवं कश्मीर में किशनगंगा जल विद्युत परियोजना (330 मेगावाट) को सीसीईए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और परियोजना में निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होंगे।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि स्वामित्व आधार पर तवांग–I तथा II परियोजनाएं (1500 मेगावाट) और दिबांग जल विद्युत परियोजना (3000 मेगावाट) के निष्पादन हेतु 24.06.2007 को अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ आपके निगम की व्यापार विकास योजनाओं को काफी बल मिला है। यह जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए निगम की क्षमता पर राज्यों द्वारा जताए गए विश्वास को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम आधार पर जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अन्य राज्यों के साथ विचार–विमर्श प्रक्रियाधीन है।

मुझे यह सूचित करते हुए भी बेहद हर्ष हो रहा है कि माननीय विद्युत मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे ने 16.12.2006 को मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (66 मेगावाट) की आधारशिला रखी थी जिसे एनएचपीसी द्वारा राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में निष्पादित किया जाना है। उक्त परियोजना के संबंध में पीआईबी स्वीकृति पहले ही 23.11.2006 को प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड में कोटली भेल–1ए (195 मेगावाट), कोटली भेल–1बी (320 मेगावाट), तथा कोटली भेल–II (530 मेगावाट) को भी सीसीईए द्वारा विचार किए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। भूटान में जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार तथा भूटान सरकार के मध्य एक अम्ब्रेला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। यह आपके निगम द्वारा भूटान में परियोजनाओं के विकास को सुगम बनाएगा। आपका निगम पहले ही भूटान में मांदेचू जल विद्युत परियोजना (672 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अन्वेषण कार्य निष्पादित कर रहा है। अन्य परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है।

भारत सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम से 2009 तक "सभी गांवों को विद्युत" और 2012 तक "सभी के लिए विद्युत" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को अधिकतम प्राथमिकता दे रही है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एनएचपीसी को 5 राज्यों अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सौंपा गया है। आपका निगम बिहार राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत

श्री एस.के. गर्ग अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री महोदय की उपस्थिति में श्रीमती सोनिया गांधी, माननीया अध्यक्ष, यू.पी.ए. के साथ चर्चा करते हुए

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के माननीय प्रधान मंत्री से सराहनीय निष्पादन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करते हुए

ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आपका निगम पश्चिम बंगाल सरकार के लिए टीएलडीपी–III तथा IV की विद्युत निकासी प्रणाली के निर्माण कार्य को भी निष्पादित कर रहा है।

सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए आपका निगम तवांग, अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड कॉमर्स का निर्माण करने जा रहा है जिसकी आधारशिला यूपीए की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा रखी गई है। यह सार्वभौम रूप से माना जाता है कि किसी भी विकासात्मक परियोजना को तब तक पूरा नही माना जा सकता जब तक कि परियोजना के आस–पास के क्षेत्र इस विकास का लाभ न उठाएं। एक कारपोरेट नागरिक के रूप में आपका निगम अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से भली–भाँति परिचित है और इसने अपनी परियोजनाओं के निकट वाले क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य प्रारम्भ करने के लिए एक व्यापक नीतिगत दिशा–निर्देश बनाए हैं। आपके निगम द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में सामुदायिक विकास की पहल यथा हर्बल पार्क का निर्माण, वनीकरण, जलग्राह्य क्षेत्र उपचार (सीएटी), मछली पालन का प्रबधन, चिकित्सा/टीकाकरण शिविरों का आयोजन, शिक्षा सुविधा, परिधीय विकास, खेल–कूद/मेले आयोजित करना आदि शामिल हैं।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि आपके निगम को इसकी उपलब्धियों हेतु विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त हुए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने दिनांक 21.03.2007 को उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए एनएचपीसी को चमेरा–I पावर स्टेशन (वर्ष 2005–06 हेतु कांस्य) और एनएचडीसी को इंदिरा सागर परियोजना के लिए (वर्ष 2004–05 हेतु क्रमशः यूनिट 7 तथा 5 के लिए स्वर्ण तथा रजत) राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा। निगम को इसके पर्यावरण प्रबंधन हेतु मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित "अच्छे हरित शासन हेतु सृष्टि जी–क्यूब पुरस्कार, 2006" से नवाजा गया है। निगम को मैसर्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस, चंडीगढ़ द्वारा आईएसआई 18001:2000 के अनुसार तीन वर्ष हेतु इसके निगम मुख्यालय के लिए व्यावसायिक वातावरण तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) प्रमाणपत्र दिया गया है। आपके निगम को इसकी प्रचालनात्मक तथा वित्तीय सुदृढ़ता हेतु 18.05.2007 को इंटरप्राइज एक्सेलेंस अवार्ड 2005–06 (स्वर्ण शील्ड)" से सम्मानित किया गया है।

540 मेगावाट चमेरा पावर स्टेशन-I (हिमाचल प्रदेश) — बांध

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके निगम को 8 मार्च,2007 को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005–06 तथा 2004–05 हेतु

श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी व एनएचडीसी, श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री महोदय को 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना मॉडल की जानकारी देते हुए

"एमओयू उत्कृष्टता" प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने आपके निगम को इनीशियल पब्लिक ऑफर के माध्यम से बाजार में शेयर जारी करके निधियां जुटाने के लिए अपनी सहमति दी है। इनीशियल पब्लिक ऑफर इश्यु से पूर्व प्रदत्त पूंजी के 15% का होगा जिसमें भारत सरकार की धारिता के 5% की बिक्री भी शामिल है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को सेबी के पास दर्ज करवा दिया गया है और इश्यु के शीघ्र ही बाजार में आने की संभावना है।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी संयुक्त उद्यम कम्पनी 'नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड' भी हमारे मूल्यों को अपनाती है। एनएचडीसी द्वारा इन्दिरा सागर परियोजना को शीघ्रता से संचालित किया गया और इस परियोजना ने अब तक तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर 2573.45 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया तथा यह विद्युत की कमी वाले मध्य प्रदेश के लिए भारी बचत में परिणत हुई है। इस परियोजना को अनुमानित लागत से कम लागत पर पूर्ण किया गया था जोकि इस ख्याति को प्राप्त करने वाली दुर्लभ परियोजनाओं में से एक है। ओंकारेश्वर परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है और इसकी पहली यूनिट को 21.07.2007 को संचालित किया गया है। अन्य यूनिटों को अक्तूबर, 2007 में संचालित किए जाने की संभावना है जोकि फरवरी, 2008 की इसकी निर्धारित तिथि से काफी पहले है। पूर्ण होने पर यह परियोजना वार्षिक 1166 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी।

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि एनएचडीसी ने 27.04.2007 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ नर्मदा बेसिन में तीन नई परियोजनाओं यथा 60 मेगावाट की बाउरस, 45 मेगावाट की होशंगाबाद और 55 मेगावाट की हंडिया के क्रियान्वयन हेतु समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने 27.04.07 को मध्य प्रदेश सरकार के साथ आईएसपी तथा ओएसपी दोनों के लिए विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, संयुक्त आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अन्य राज्यों के साथ भी विचार–विमर्श प्रक्रियाधीन है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम को जम्मू एवं कश्मीर में उधमपुर–श्रीनगर – बारामुला रेल लिंक परियोजना, पोर्ट माउट, पोर्ट ब्लेयर में भारतीय रिजर्व बटालियन हेतु कार्यालय परिसर के विकास, पुलिस विभाग हेतु पोर्टब्लेयर में आधारभूत ढांचे के विकास, मैसर्स बीएचईएल के साथ संयुक्त रूप से तजाकिस्तान में वारजोब–I जल विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार एवं अपरेटिंग का कार्य और पश्चिम बंगाल में दुर्गादुआनी टाइडल पावर परियोजना (3.65 मेगावाट) के क्रियान्वयन का कार्य भी परामर्शी कार्य के तौर पर प्राप्त हुआ है। निगम को वर्ष के दौरान 23.76 करोड़ रुपये के परामर्शी कार्य प्राप्त हुए हैं।

520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजना (मध्य प्रदेश) – इनटेक गेट का दृश्य

मानव संसाधन किसी भी निगम की सबसे बड़ी परिसंपत्ति है और कम्पनी के समग्र उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतिभा का उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की प्रतिभा को उभारने के लिए कई नई योजनाएं/नीतियां प्रारम्भ की गई हैं। यह सूचित करना गर्व का विषय है कि निगम में औद्योगिक संबंधों का वातावरण सौहाद्रपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहा और वर्ष के दौरान किसी भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई। आपका निगम कार्यालयीन व्यवहार में राजभाषा के उपयोग को अत्यधिक महत्व देता है और अनेक नवीन योजनाओं के माध्यम से इसके प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, श्री दोरजी खांडू, माननीय मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश को राज्य में चालू की जाने वाली एनएचपीसी की परियोजनाओं से निःशुल्क बिजली के मूल्य हेतु 225 करोड़ रुपये का चैक भेंट करते हुए

मैं इस अवसर का उपयोग विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग द्वारा दी गई सहायता तथा सहयोग हेतु उन्हें धन्यवाद देने के लिए करता हूँ। मैं निगम को दिए गए सहयोग तथा मार्ग-दर्शन हेतु वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग आदि और विद्युत बोर्डों/निगमों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों को उनके द्वारा एनएचपीसी के प्रति भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने और उनकी सतत वित्तीय सहायता हेतु हार्दिक धन्यवाद भी प्रकट करना चाहूंगा।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी तथा श्री एस.के. चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक), एनएचपीसी व्याख्यान माला में श्री तजेन्द्र खन्ना, महामहिम उप राज्यपाल, दिल्ली के साथ

मैं, बोर्ड के सभी निदेशकों की ओर से, अपने कार्मिकों को वर्ष के दौरान संपूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता, सहयोग और उत्कृष्ट चहुमुखी कार्य-निष्पादन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

एस.के.गर्ग

(एस.के.गर्ग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 07.08.2007

स्थान : फरीदाबाद

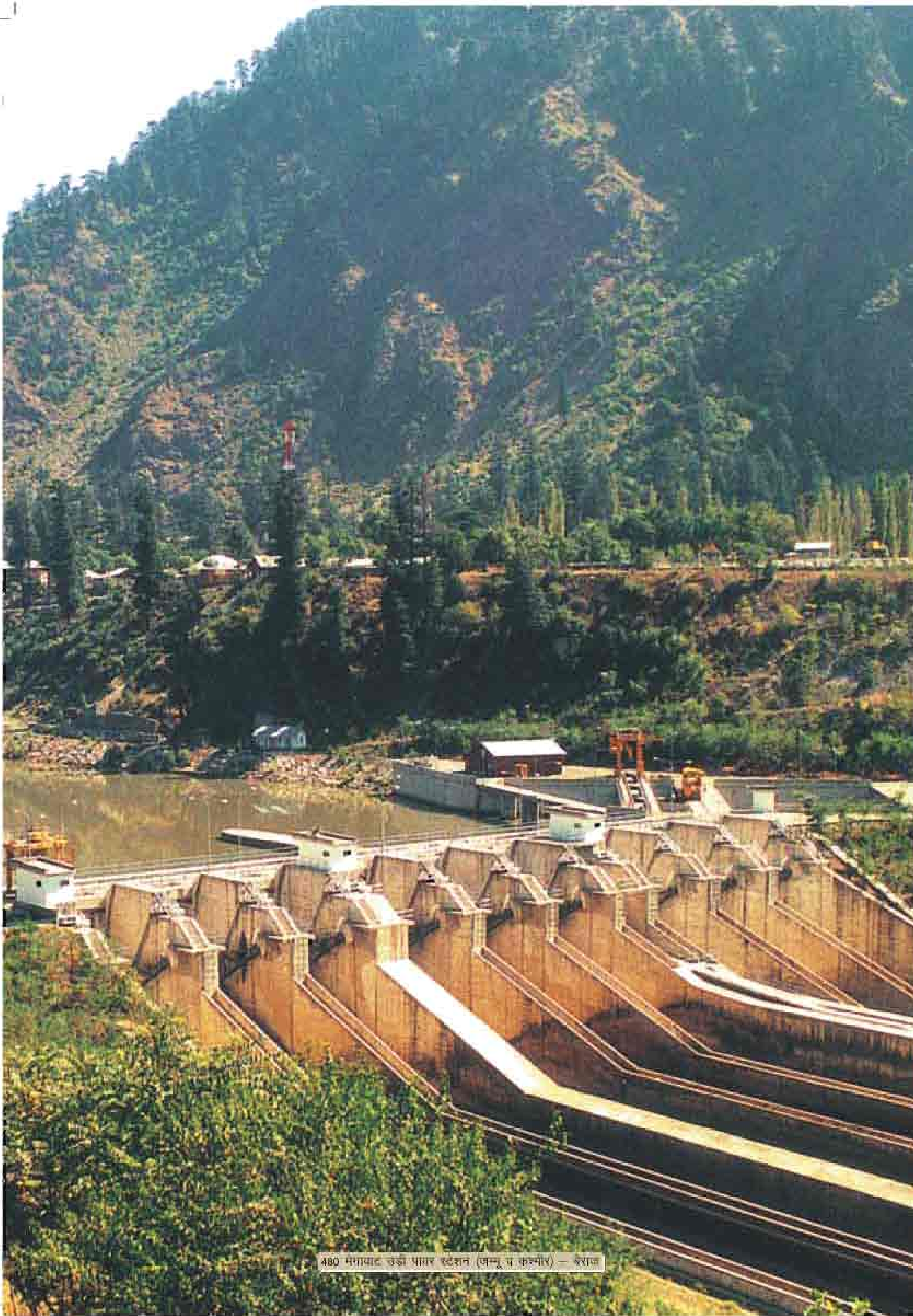

480 मेगावाट उड़ी पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) — बैराज

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके निगम की कार्य–निष्पादन पर 31वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखा परीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखे की समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय कार्य–निष्पादन

निगम का वित्तिय कार्य – निष्पादन निरन्तर एक विकास की प्रवृति दर्शाता है। वर्ष के दौरान निगम का कुल बिक्री कारोबार पिछले वर्ष के 1713.79 करोड़ रुपये की तुलना में 1962.76 करोड़ रुपये हो गया। कर पश्चात शुद्ध लाभ 742.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 924.80 करोड़ रुपये हो गया जो 24.51% की वृद्धि दर्शाता है। बिक्री आय की वसूली 100% थी जोकि विद्युत मत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन में उत्कृष्ट आकलन के लिए निर्धारित किए गए 97% लक्ष्य से अधिक थी। एनएचपीसी ने वर्ष 2006–07 के दौरान यू आई प्रभारों के द्वारा 55.59 करोड़ रुपये अर्जित किए। निगम ने बकाया देयों की प्रतिभूतिकरण के प्रति पहले से जारी किए गए बॉण्ड पर ब्याज के रूप में आय तथा ग्राहकों से बकाया के निपटान से 234.09 करोड़ रुपये तथा बिलम्ब भुगतान प्रभार से 7.92 करोड़ रुपये अर्जित किए ।

31 मार्च, 2007 को वित्तीय कार्य – निष्पादन का सार निम्नानुसार है:

सारणी 1

वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रुपये)

विवरण	2006-2007	2005-2006
विद्युत की बिक्री	1962.76	1713.79
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पूर्व लाभ	1610.04	1373.55
मूल्यह्रास	290.55	269.57
मूल्यह्रास के पश्चात तथा ब्याज व कर पूर्व लाभ	1319.49	1103.98
ब्याज लागत	231.75	291.82
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	1087.74	812.16
कर	162.94	69.41
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	924.80	742.75
पहले के वर्षों के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	2829.74	2369.02
बॉण्ड शोधन आरक्षित राशि से वापसी	83.75	-
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	3838.29	3111.77
विनियोजन		
अंतरिम लाभांश	72.00	64.00
प्रस्तावित अन्तिम लाभांश	206.00	159.00
निगमित लाभांश कर	45.11	31.28
सामान्य आरक्षित राशि के लाभ से विनियोजन	2800.00	-
बॉण्ड शोधन आरक्षित राशि का हस्तांतरण	-	27.75
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित शेष लाभ	715.18	2829.74

2. विद्युत उत्पादन

जम्मू व कश्मीर में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के चालू होने के कारण वर्ष के दौरान निगम में 390 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है। इस परियोजना द्वारा 7 अप्रैल, 2007 से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन प्रारम्भ किया गया तथा विद्युत आपूर्ति की भारी कमी वाली उत्तरी ग्रिड को इस पावर स्टेशन के द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

वर्ष 2005–06 के दौरान 12567.15 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में रिपोर्ट के वर्ष के दौरान कुल उत्पादन 13048.76 मिलियन यूनिट था और यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.83% वृद्धि दर्शाता है। समझौता ज्ञापन में "अच्छी रेटिंग" के लिए 92% लक्ष्य की तुलना में 94.13% क्षमता सूचकांक के रूप में मशीन की उपलब्धता आंकी गई।

पावर स्टेशन वार वार्षिक विद्युत उत्पादन

सारणी 2

पावर स्टेशन	लक्षित उत्पादन (एम यू) 2006–07	वास्तविक उत्पादन (एम यू) 2006–07	वास्तविक उत्पादन (एम यू) 2005–06	लक्षित सीआई(%) 2006–07	वास्तविक सीआई (%) 2006–07
बैरास्यूल 180 मेगावाट	708.70	698.37	790.99	88.23	94.22
लोकतक 90 मेगावाट	425.60	475.43	586.11	82.56	91.80
सलाल 690 मेगावाट	2927.90	3462.54	3480.86	95.14	97.90
टनकपुर 94.20 मेगावाट	429.40	455.20	483.25	95.14	99.91
चमेरा–I 540 मेगावाट	1526.65	2365.67	2343.17	90.89	95.62
उड़ी 480 मेगावाट	2457.65	2818.09	2724.82	96.20	98.78
रंगित 60 मेगावाट	322.05	201.10	352.04	89.82	62.58
चमेरा–II 300 मेगावाट	1382.25	1431.59	1490.46	89.82	95.89
धौलीगंगा 280 मेगावाट	1078.25	1094.00	315.46	89.09	77.58
दुलहस्ती *390 मेगावाट	1234.05	46.77	—	90.16	—
तीस्ता–V 510 मेगावाट	47.50	—	—	77.60	—
कुल	**12540**	**13048.76**	**12567.15**	**92.0**	**94.13**

***इनफर्म पावर**

नोट : संबंधित आरपीसी के द्वारा प्रमाणित होने पर वर्ष 2006–07 के लिए सीआई (%) आंकड़े अनंतिम हैं।

भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में "अच्छी" रेटिंग हेतु लक्ष्य।

3. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2006–07 के लिए 278 करोड़ रुपये 72 करोड़ रुपये (लाभांश कर को छोड़कर) अंतरिम लाभांश सहित के एक मुश्त लाभांश की संस्तुति की है जोकि निगम के निवल लाभ का लगभग 30 प्रतिशत है।

श्री एस.के.गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, विद्युत मंत्रालय तथा एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 72 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश का चैक श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री को भेंट करते हुए

4. पूंजीगत ढांचा

निगम ने वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 982.93 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी किए तथा 31 मार्च, 2007 को निगम की कुल प्रदत्त पूंजी 11,198.21 करोड़ रुपये हो गई है। इस राशि में पूंजी कटौती के संबंध में 24.55 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जोकि कंपनी मामला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के द्वारा इस आदेश की पुष्टि की गई ।

5. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति / निर्माणाधीन परियोजनाओं की अवस्थिति

तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण–V (510 मेगावाट), सिक्किम

परियोजना संबंधी अधिकांश कार्यों को पूरा कर लिया गया है। डैम में कंकरीट लगाने का कार्य तथा इनटेक स्ट्रक्चर पूरे कर लिए गए हैं। रेडियल गेट तथा इनटेक गेट स्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। डिसिल्टिंग चैम्बर, सर्जशाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट तथा पावर हाउस संबंधी सिविल कार्य पूरे कर लिए गए हैं। फेस–VIII में छोड़कर, अधिकांश एचआरटी के उत्खनन का कार्य व ओवर्ट लाइनिंग पूरे कर लिए गए हैं। सभी तीन इकाइयों को पूरा कर लिया गया है तथा आग्जिलियेरि, निर्माण / जाँच के तहत् हैं। परियोजना जनवरी 2008 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

510 मेगावाट तीस्ता चरण-V परियोजना (सिक्किम) – बांध

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण–II (800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

कार्यस्थल पर निर्माण कार्य तीव्र गति से सम्पादित की जा रही हैं। बांध का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है तथा कंकरीट लगाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य सभी मुख्य सिविल कार्य प्रगति पर हैं। स्लश में टीबीएम के आंशिक रूप से दब जाने व विद्युत गृह में अपर्याप्त ढलान के कारण भी कार्य की प्रगति बाधित हुई है। टीबीएम के सितम्बर 2007 में पुनः संचालित होने की आशा है। परियोजना संचालन की प्रत्याशित तिथि दिसम्बर 2010 है।

सुबानसिरि (लोअर) जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

अपवर्तन टनल में मुख का उपरी उत्खनन कार्य पूरा किया जा चुका है और कंकरीट लगाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं तथा नदी के अपवर्तन का कार्य अक्टूबर / नवम्बर 2007 में किए जाने की सम्भावना है। परियोजना जनवरी 2012 में पूर्ण होने की आशा है।

120 मेगावाट सेवा-II जल विद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर) – निर्माणाधीन पावर हाउस

सेवा जल विद्युत परियोजना चरण–II (120 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर

बांध एवं विद्युत गृह के उत्खनन का कार्य पूरा हो गया है तथा कंकरीट लगाने का कार्य प्रगति पर है। ई एण्ड एम तथा एचएम के साथ अन्य कार्य प्रगति पर हैं। इकाई-I के जेनरेटर के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। परियोजना दिसम्बर 2008 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

तीस्ता लो डैम परियोजना चरण–III (132 मेगावाट), पश्चिम बंगाल

वर्तमान में बैराज ब्लॉक–3 से 7, विद्युत गृह, सेलुलर वाल, इनटेक आदि के कार्य पूरे कर लिए गए हैं तथा कंकरीट करने का कार्य प्रगति पर है। ई एण्ड एम कार्यों में, सभी इकाइयों में ड्राफ्ट ट्यूब सेगमेन्ट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा कंकरीट करने की दूसरी अवस्था प्रगति पर है। बराज पीअरों में एचएम कार्यों में पहली अवस्था अन्त: स्थापित कल–पूर्जे स्थापन के तहत है। परियोजना सितम्बर, 2008 में पूर्ण होने की संभावना है।

उड़ी जल विद्युत परियोजना चरण–II (240 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर

नदी का अपवर्तन जनवरी, 2007 में किया गया। मुख्य सिविल कार्य प्रगति पर हैं। ई एण्ड एम पैकेज का कार्य मेसर्स एलस्टॉम को दिसम्बर, 2006 में अवार्ड किया गया था। एचएम पैकेज का कार्य मेसर्स ओम मैटल्स – एसपीएमएल (जेवी) को दिनांक 09.05.2007 को अवार्ड किया गया है। अक्टूबर, 2005 में भूकम्प के झटके तथा भारी वर्षा एवं बाढ़ के दौरान मार्च, 2007 में कॉफर बांध के बह जाने के कारण भी प्रारम्भ में कार्य प्रभावित हुआ। परियोजना के मार्च, 2010 में चालू होने की संभावना है।

240 मेगावाट उड़ी-II जल विद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर) – बैंट पोर्टल पर बूमर

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण–III (231 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

नदी का दिनांक 05.03.2007 को अपवर्तन किया गया था। सिविल कार्य प्रगति पर हैं। ई एण्ड एम कार्यों के लिए, मेसर्स एलस्टॉम को जनवरी, 2007 में संविदा अवार्ड किया गया है। परियोजना अगस्त, 2010 में चालू होने की संभावना है।

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण–III (520 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

नदी का अपवर्तन दिनांक 14.03.2007 को किया गया। महत्त्वपूर्ण सिविल कार्य प्रगति पर हैं। इलैक्ट्रो – मैकेनिकल कार्यों के पैकेज के लिए मेसर्स बीएचइएल को दिसम्बर, 2006 में संविदा अवार्ड किया गया है तथा परियोजना नवम्बर, 2010 तक पूर्ण होने की संभावना है।

तीस्ता लो डैम परियोजना चरण–IV (160 मेगावाट), पश्चिम बंगाल

अपवर्तन कार्य की पहली अवस्था पूरी कर ली गई है तथा नदी का अपवर्तन दिनांक 30.01.2007 को पूरा कर लिया गया है। बांध विद्युत गृह तथा सेलुलर वाल के लिए उत्खनन का कार्य प्रगति पर है। ई एंड एम तथा एचएम के कार्यों को क्रमश: दिनांक 9 मई तथा 10 मई, 2007 को अवार्ड कर दिया गया है। परियोजना मई, 2010 तक पूर्ण होने की संभावना है।

निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना (45 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर

दिसम्बर 2005 के मूल्य स्तर पर 7.34 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रभार तथा आईडीसी को शामिल करते हुए 611.01 करोड़ रुपये की लागत पर 48 महीने के अन्तर्गत अर्थात अगस्त, 2010 तक परियोजना निष्पादन कार्य के लिए दिनांक 24.08.06 को सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। मुख्य सिविल कार्यों को पहले ही अवार्ड किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। सीसीइए के अनुमोदन के अनुसार परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि अगस्त, 2010 है।

चुटक जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर

दिसम्बर, 2005 के मूल्य स्तर पर 3.69 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभार तथा आईडीसी को शामिल करते हुए 621.26 करोड़ रुपये की लागत पर 54 महीने अर्थात फरवरी, 2011 तक परियोजना के निष्पादन के लिए सीसीईए द्वारा दिनांक 24.08.2006 को अनुमोदन प्राप्त हो गया था। मुख्य सिविल कार्यों को अवार्ड किया जा चुका है तथा सभी कार्य प्रगति पर है।

6. नई योजनाएं

क. सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाएं

1. **किशनगंगा (330 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर**

तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन (टीइए), सुरक्षा, पर्यावरण तथा वन स्वीकृति प्राप्त हो गई हैं। परियोजना को सिंधु जल सन्धि की दृष्टिकोण से मंजूरी प्राप्त हो गई है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.07.2007 के द्वारा सीसीइए का अनुमोदन सूचित किया गया है।

2. **कोटली भेल I-A (195 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के बीच परियोजना के कार्यान्वयन समझौते पर दिनांक 08.06.2006 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तकनीकी आर्थिक मंजूरी, सुरक्षा स्वीकृति तथा पर्यावरण स्वीकृति उपलब्ध है। राज्य सरकार को परियोजना का वन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे पर्यावरण व वन मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा अभी अग्रसारित किया जाना है। पीआईबी ने दिनांक 07.02.2007 को आयोजित अपनी बैठक में सीसीईए के विचार के लिए परियोजना की संस्तुति की है। विद्युत मंत्रालय को सीसीईए प्रारूप दिनांक 18.04.2007 को प्रस्तुत कर दिया गया है। औपचारिक रूप से सुरक्षा स्वीकृति की प्रतिक्षा है।

3. **कोटली भेल 1–बी (320 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

195 मेगावाट कोटली भेल-1A जल विद्युत परियोजना (उत्तराखण्ड) — सुरंग कार्य प्रगति पर

एनएचपीसी तथा उत्तराखण्ड सरकार के बीच परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौता पर दिनांक 08.6.2006 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना के लिए तकनीकी आर्थिक मंजूरी (टीइसी) तथा सुरक्षा स्वीकृति उपलब्ध है। पर्यावरण मंजूरी प्रस्ताव ईआईए तथा ईएमपी रिपोर्ट/लोक सुनवाई रिपोर्ट के साथ पर्यावरण तथा वन मंत्रालय को दिनांक 14.02.2007 को प्रस्तुत कर दिया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दक्ष मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा दिनांक 22.03.2007 को विचार–विमर्श किया गया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार पौड़ी जिला में दिनांक 02.06.2007 को लोक सुनवाई आयोजित की गई। कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट, पर्यावरण व वन मंत्रालय को भेज दी गई है। वन प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है जिसे पर्यावरण व वन मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा अभी अग्रसारित किया जाना है। पीआईबी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संस्तुति कर दी गई है। विद्युत मंत्रालय को सीसीईए नोट का प्रारूप दिनांक 19.04.2007 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. **कोटली भेल–II (530 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

एनएचपीसी तथा उत्तराखण्ड सरकार के बीच परियोजना के लिए कार्यान्वयन समझौता पर दिनांक 08.06.2006 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तकनीकी आर्थिक मंजूरी तथा सुरक्षा मंजूरी इस परियोजना के लिए प्राप्त कर ली गई हैं। ईआईए तथा ईएमपी अध्ययनों को दिनांक 10.11.2005 के पत्र द्वारा अवार्ड कर दिया गया है तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दी गई है। ईआईए तथा ईएमपी रिपोर्टों की प्रति तथा एक्सक्यूटिव समरी दिनांक 14.05.2007 को जनता के परामर्श की क्रिया विधि को आरम्भ करने हेतु पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में प्रस्तुत कर दी गई हैं।

1000 मेगावाट पकल दुल जल विद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर) – बांध स्थल पर ड्रिलिंग

तदनुसार दिनांक 27.06.2007 व 28.07.2007 को लोक सुनवाई आयोजित की गई। पर्यावरण मंजूरी के लिए ईआईए, ईएमपी तथा लोक सुनवाई की कार्रवाई के साथ दिनांक 29.06.2007 के पत्र के द्वारा प्रस्ताव पर्यावरण व वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। वन प्रस्ताव, राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे पर्यावरण व वन मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा अभी अग्रसारित किया जाना है। पीआईबी द्वारा दिनांक 15.05.2007 को आयोजित बैठक में सीसीईए को परियोजना के अनुमोदन के लिए संस्तुति की गई है।

5. **पकलदुल (1000 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर**

तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन (टीईए) उपलब्ध है। सिन्धु जल संधि दृष्टिकोण से परियोजना को मंजूरी प्राप्त है। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा किश्तवार हाई एल्टीट्यूड नैशनल पार्क (केएचएएनपी) से बाहर के वन क्षेत्र के लिए वन मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केएचएएनपी के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र का विआरक्षण एनबीडब्ल्यूएल के विचार के तहत है। विद्युत मंत्रालय को पीआईबी ज्ञापन का प्रारूप, दिनांक 02.11.2006 को सौंपा गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू व कश्मीर के लिए पुनः निर्माण योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 08.11.2006 को आयोजित की गई बैठक में, एनएचपीसी से राज्य सैक्टर को इस परियोजना के स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार के निवेदन पर योजना आयोग ने सहमति जताई। विद्युत मंत्रालय के समक्ष एनएचपीसी ने अपनी टिप्पणी को रखा कि राज्य सैक्टर को, इस परियोजना का पूर्ण रूप से स्थानांतरण किया जाना परियोजना तथा हाइड्रो सैक्टर के पक्ष में नहीं है। विद्युत मंत्रालय के निर्देश की प्रतिक्षा है।

6. **लोकताक डाउन स्ट्रीम (66 मेगावाट), मणिपुर**

विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकार की सहमति पर मालिकाना हक के आधार पर एनएचपीसी को परियोजना निष्पादन का कार्य सौंपा तथा परियोजना कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय के पत्र दिनांक 30.12.99 के द्वारा सीसीईए का अनुमोदन सूचित किया गया था। उस क्षेत्र में अधिभावी प्रतिकूल कानून व व्यवस्था के कारण परियोजना निर्माण का कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका। विद्युत मंत्रालय में माननीय मुख्य मंत्री, मणिपुर तथा सचिव (विद्युत) भारत सरकार के बीच दिनांक 07.10.2006 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य द्वारा एनएचपीसी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में परियोजना को लिया जा सकता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एनएचपीसी के द्वारा परियोजना का एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सीईए द्वारा संशोधित प्रस्ताव पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा सैधान्तिक रूप से परियोजना को वन तथा पूर्व–निर्माण क्रिया विधि की स्वीकृति प्रदान की गई है। पीआईबी ने दिनांक 23.11.2006 को आयोजित बैठक में परियोजना की संस्तुति की है। पीआईबी के द्वारा संस्तुति के आधार पर संयुक्त उद्यम के लिए समझौता ज्ञापन प्रारुप को रूपांतरित किया गया है। मणिपुर सरकार को उसकी टिप्पणी/सहमति के लिए दिनांक 08.02.2007 को संशोधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की एक प्रति भेजी गई है। मणिपुर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना अन्तिम

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री 66 मेगावाट की लोकताक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना का तमेंगलोंग जिला थांगल (लोंगबेंग), मणिपुर में शिलान्यास करते हुए

ख. टीईसी / डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएः

7. दिबांग (3000 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

एनएचपीसी के द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा सीईए को तकनीकी–आर्थिक मंजूरी प्रदान करने के लिए दिनांक 29.12.2005 को सौंपी गई। एनएचपीसी तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच मालिकाना आधार पर परियोजना कार्यान्वयन के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन पर दिनांक 24.06.2007 को हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 21.09.2006 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अमान्य समझा जाय। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ईआईए व ईएमपी रिपोर्ट दिनांक 13.02.2007 को प्रस्तुत की गई हैं।

8. लखवार व्यासी (420 मेगावाट) / व्यासी (120 मेगावाट), उत्तराखण्ड

लखवार व्यासी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सी डब्ल्यू सी को प्रस्तुत कर दी गई है। परामर्शदाता के द्वारा लखवार व्यासी परियोजना का ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2007 को प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में क्रमशः जल तथा सिंचाई घटकों के लागत की साझेदारी पर दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश आदि की सहमति एक बाधा है। विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उपरोक्त मामले के समाधान के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं। इसी अनुक्रम में विद्युत मंत्रालय ने एनएचपीसी को स्वयं के आधार पर व्यासी परियोजना (120 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच करने का सुझाव दिया है। एनएचपीसी द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई व केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिनांक 02.08.2006 को प्रस्तुत कर दी गई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की वित्तीय सहमति प्रतीक्षित है। जनता द्वारा सुझाव लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु पर्यावरण व वन मंत्रालय को दिनांक 26.02.2007 को पर्यावरण प्रभाव आकलन (इआइए) / पर्यावरण प्रबंधन योजना (इएमपी) रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उत्तराखण्ड सरकार को कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर हेतु निवेदन किया गया है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ निरन्तर संपर्क बनाए रखा गया है।

420 मेगावाट लखवार व्यासी जल विद्युत परियोजना (उत्तराखण्ड) – बांध स्थल

9. बाव–II (20 मेगावाट), महाराष्ट्र

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंप दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना को अव्यवहार्य मान कर उसे लौटा दिया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसइडीसीएल) ने सूचित किया कि वह परियोजना से विद्युत क्रय करने में असमर्थ है। बाद में, एमएसइडीसीएल ने एनएचपीसी को सूचित किया कि एनएचपीसी तथा एमएसइडीसीएल के बीच हस्ताक्षरित पीपीए को रद्द समझा जाए। एनएचपीसी निदेशक मंडल ने दिनांक 01.05.2007 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि जैसा कि महाराष्ट्र सरकार विद्युत क्रय करने के लिए इच्छुक नहीं है अतः परियोजना को बन्द कर दिया जाए।

10. तीस्ता–IV (495 मेगावाट), सिक्किम

एनएचपीसी तथा सिक्किम सरकार के बीच परियोजना के कार्यान्वयन करार पर दिनांक 01.03.2006 को हस्ताक्षर किए गए। पर्यावरण व वन मंत्रालय ने परियोजना के कार्यस्थल की मंजूरी चरण–I व II को दी है। ईआईए / ईएमपी अध्ययनों को अवार्ड कर दिया गया है। एफआर / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

11. बरसर (1020 मेगावाट), जम्मू व कश्मीर

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान कर दी गई है। परियोजना को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण–II के लिए भी स्थल स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने किश्तवार हाई आल्टीट्यूड नैशनल पार्क (केएचएएनपी) के बाहर के क्षेत्र हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना के लिए केएचएएनपी के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र के विअधिसूचना / अपवर्तन के प्रस्ताव पर एनबीडब्लूएल की स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। समिति द्वारा वन्य जीवन पर परियोजना के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन की संस्तुति की गई है। परियोजना के लिए इआइए व इएमपी अध्ययनों को अवार्ड कर दिया गया है। परियोजना विपरित कानून व व्यवस्था, केएचएएनपी के अन्तर्गत आने वाले वन्य भूमि का विआरक्षण जैसे कई बाधाओं का सामना कर रही है। जम्मू व कश्मीर विकास पर टास्क फोर्स ने जम्मू व कश्मीर सरकार को परियोजना के स्थानान्तरण के लिए संस्तुति की है। एनएचपीसी द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना को एनएचपीसी तथा जम्मू व कश्मीर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में विकासित किया जा सकता है।

12. **चुंगर चल (240 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

उत्तराखण्ड सरकार व एनएचपीसी के बीच परियोजना के कार्यान्वयन करार पर दिनांक 21.11.05 को हस्ताक्षर किए गए हैं। पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा, परियोजना के अस्कॉट मस्क डियर सैंक्चुअरी में आने की स्थिति में, एनबीडब्ल्यूएल द्वारा मंजूरी पर, परियोजना के कार्य स्थल की मंजूरी चरण–I को प्रदान की गई है। ईआइए/ईएमपी अध्ययनों को अवार्ड कर दिया गया है। एनबीडब्ल्यूएल/भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया जाएगा।

13. **गरबा तवाघाट (630 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

उत्तराखण्ड सरकार तथा एनएचपीसी के बीच दिनांक 21.11.2005 को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के द्वारा परियोजना प्रभावित है अतः विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य रुका हुआ है। चूँकि परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नेपाल से संबद्ध है, अतः मामला जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लिया गया था जिसने इस परियोजना के सर्वेक्षण/अन्वेषण कार्य करने हेतु एमइए के माध्यम से नेपाल सरकार के साथ चर्चा करने के लिए भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी लेने के लिए सुझाव दिया। विद्युत मंत्रालय/भारत के राजदूतावास से उत्तर की प्रतीक्षा है।

14. **खरटोली लुमटी तुली (55 मेगावाट), उत्तराखण्ड**

उत्तराखण्ड सरकार व एनएचपीसी के बीच परियोजना के कार्यान्वयन समझौता पर दिनांक 21.11.2005 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से प्रभावित है अतः विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य रुका हुआ है।

15. **लाचेन (210 मेगावाट), सिक्किम**

सिक्किम सरकार तथा एनएचपीसी के बीच परियोजना के लिए कार्यान्वयन करार पर दिनांक 01.03.2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा परियोजना के कार्य स्थल की मंजूरी चरण–I को दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 16.01.2007 के द्वारा परियोजना के क्रिया कलापों के तहत् चरण–I के कार्य किए जाने हेतु 300 लाख रुपये की राशि की संस्तुति की है।

16. **तवांग–I (750 मेगावाट) व तवांग–II (750 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अरूणाचल प्रदेश सरकार व एनएचपीसी के बीच करार ज्ञापन (एमओए) पर दिनांक 24.06.2007 को हस्ताक्षर किए गए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित कार्य–स्थल पर पूर्वनिर्माण क्रिया कलापों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। वाणिज्यिक रूप से व्यावहार्यता स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को एनएचपीसी ने दोनों परियोजनाओं की पीएफआर को प्रस्तुत किया है।

17. **सुबानसिरी मिडिल (1600 मेगावाट) व सुबानसिरि अपर (2000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एनएचपीसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा आवश्यक बुनियादी कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए परामर्श दिया था। पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा कार्यस्थल की मंजूरी चरण–II की अनुपलब्धता के कारण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण व अन्वेषण कार्य रोक दिया गया है। लोअर सुबानसिरि परियोजना के मामले में आईबीडब्ल्यूएल (अब एनबीडब्ल्यूएल) की "भविष्य में सुबानसिरी नदी के अपस्ट्रीम पर किसी बाँध का निर्माण नहीं किया जाएगा" संस्तुति के आधार पर कार्यस्थल की मंजूरी चरण–II का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। स्टैंडिंग कमिटी की शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सुबानसिरी

टनल बोरिंग मशीन (टी.बी.एम.)

लोअर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार ने इस फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन पेश किया। उसकी सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन सारे विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थाई समिति के विचार हेतु पेश

किया जाय तथा न्यायालय उनके सुझाव के अनुसार ही इस पर विचार करेगी। यह मामला अभी एनबीडब्ल्यूएल की स्टैंडिग कमिटी के समक्ष विचाराधीन है।

18. **सियांग लोअर (1600 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना की वाणिज्यिक व्यावहार्यता प्रदान की गई है। पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा नए कार्यस्थल के लिए कार्यस्थल की मंजूरी चरण–II प्रदान की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एस व आई कार्य तथा बुनियादी कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। जबकि अरूणाचल प्रदेश सरकार ने मेसर्स जे पी एसोशियट के साथ दिनांक 22.02.2006 को परियोजना निष्पादन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इस मामले को देखते हुए विद्युत मंत्रालय को, एनएचपीसी ने मामले की जाँच व सुझाव देने हेतु निवेदन किया है कि वैध स्तर पर एनएचपीसी के मद को कोर्ट में ले जाना उचित होगा।

19. **सियोम (1000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी आर्थिक मजूरी प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी गई है। जबकि अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना निष्पादन के लिए दिनांक 22.02.2006 को मेसर्स रिलायंस इनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनएचपीसी ने मामले की जाँच करने व सुझाव के लिए निवेदन किया है कि एनएचपीसी के मद को कोर्ट में ले जाना उचित होगा।

ग. **एफआर तैयार किए जाने की तहत परियोजनाएं**

20. **सियांग अपर व सियांग इन्टरमीडिएट, अरूणाचल प्रदेश**

सियांग अपर/सियांग इन्टरमीडिएट परियोजना के कार्यस्थल की मंजूरी चरण–I प्राप्त कर ली गई। माननीय मुख्यमंत्री, अरूणाचल प्रदेश सरकार तथा माननीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार के बीच जुलाई, 06 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार एक से अधिक व्यवसायिक एजेन्सी के द्वारा जल–संभाव्य के इष्टतम उपयोग का निर्धारण व डूबक्षेत्र, संशोधित नक्शे का अध्ययन करेगी तथा पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट छः महीने के अन्दर तैयार करेगी।

1000 मेगावाट की सियांग मिडिल (सियोम) जल विद्युत परियोजना (अरूणाचल प्रदेश) – बांध स्थल

7. **परामर्शी सेवाएं**

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के दौरान 23.76 करोड़ रूपये के परामर्शी कार्य तथा कुल 7.74 करोड़ रुपये भुगतान प्राप्त हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 में 31 मई 07 तक के लिए 20.47 करोड़ रुपये के परामर्शी कार्य तथा 26.51 करोड़ रुपये की राशि भुगतान के रूप प्राप्त किए गए हैं। मुख्य परामर्शी कार्यों के साथ मांदेचू जल विद्युत परियोजना, भूटान की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जाना, जम्मू व कश्मीर में उद्यमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक परियोजना के लिए कार्य, पोर्ट माउट, पोर्टब्लेयर पर भारतीय रिजर्व बटालियन हेतु एक कार्यालय परिसर का विकास, पुलिस विभाग अण्डमान निकोबार द्विप समूह के लिए पोर्ट ब्लेयर में बुनियादी कार्यों के विकास, मेसर्स बीएचईएल के साथ संयुक्त रूप से तजाकिस्तान में वारजोब–I जल विद्युत संयत्र के पुनरूद्धार आधुनीकीरण एवं उन्नयन का कार्य और पश्चिम बंगाल में दुर्गादुआनी टाइडल पावर प्रोजेक्ट (3.65 मेगावाट) के कार्यान्वयन का कार्य भी प्राप्त हुआ। निगम द्वारा भारत तथा विदेश में जल विद्युत के क्षेत्र में बाहरी एजेंसियों को संयुक्त रूप से परामर्शी सेवाएं मुहैया कराने के लिए मॉण्टगोमैरी वाटसन हार्जा अमेरिका इंक इन्टरनैशनल एनर्जी व वाटर रिसोर्सेस ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। एनएचपीसी एक परामर्शदाता के रूप में विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), आफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (एएफडीबी) तथा कुवैत फण्ड फॉर अरब इकोनॉमिक डेवलपमेंट (केएफएईडी), कुवैत के साथ भी पंजीकृत है।

8. **ग्रामीण सड़क परियोजना**

पीएमजीएसवाई के अधीन बिहार में एनएचपीसी द्वारा सड़क का निर्माण

एनएचपीसी ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़को के निर्माण का कार्य लिया है। दिनांक 31.03.2007 के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 526.70 करोड़ रुपये की लागत पर 1211 किलोमीटरों की 193 सड़कों को मंजूरी दी जा चुकी है। 70.66 किलोमीटर लम्बाई की अंश कार्य पूरे किए जाने के अतिरिक्त 152.34 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाली 25 सड़को के निर्माण का कार्य पूरा किया गया है। आकलित मूल्य 315.22 करोड़ रुपये राशि को 762 किलोमीटर कुल लम्बाई वाली 117 सड़कों के कार्य लिए गए हैं। कुल मूल्य 141.21 करोड़ रुपये की लागत पर 289 किलोमीटरों की 50 सड़कों के कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

9. **पारेषण कार्य**

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के डिपॉजिट कार्य के रूप में टीएलडीपी–III व IV जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत पोषण पद्धति के लिए निर्माण का कार्य आपके निगम को सौंपा गया है । पैकेज–1 के कार्य निष्पादन के लिए मैसर्स एल एंड टी को अवार्ड किया गया है । पैकेज–2 के निष्पादन के लिए अवार्ड दिये जाने की क्रियाविधि अग्रिम अवस्था में है ।

एनएचपीसी की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संबंधित पारेषण पद्धति हेतु ध्यान रखा जा रहा है तथा समय पर विश्वसनीय पारेषण पद्धति से संबंधित निर्माण कार्य के लिए संबंधित एंजेंसी से समन्वय किया गया है ।

10. **ग्रामीण विद्युतीकरण(आर.ई.) परियोजनाएं**

ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एनएचपीसी के द्वारा अपने परियोजना प्रबंध विशेषता के साथ योगदान दिया जा रहा है ।

एनएचपीसी द्वारा संबंधित राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं पर कार्यान्वयन के लिए रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन तथा पाँच राज्य सरकारों (नामतः पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा जम्मू व कश्मीर) के साथ चतुष्पक्षीय एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

एनएचपीसी को उन राज्यों में आकलित मूल्य लगभग 2420 करोड़ रुपये के उपरोक्त कार्य के लिए 27 जिले आवंटित किए गए हैं । 655 करोड़ रुपये की बारह परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। एनएचपीसी के द्वारा 825 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा वर्ष 2006–07 के दौरान बी.पी.एल. घरों को 7558 सर्विस कनेक्शन दिया जा चुका है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 3000 गाँवों के विद्युतीकरण तथा बी.पी.एल. घरों को 2.60 लाख सर्विस कनेक्शन दिए जाने की योजना है ।

11. **सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार**

निगम ने सभी कार्यस्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार की ठोस प्रगति की है। इस पद्धति से निगम ने सभी क्षेत्र जैसे – निर्माणाधीन परियोजना प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, वित्त, मानव संसाधन, वाणिज्यिक तथा मटेरियल प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। एनएचपीसी ने निगम मुख्यालय, पावर स्टेशन, परियोजनाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य कार्यों के प्रचालनों

को जोड़ने के लिए संस्थान में इ.आर.पी. सोल्यूशन कार्यान्वियन को प्रारम्भ किया है । कार्य तथा तकनीकी आवश्यकता का पता लगाने के उपरांत, एनएचपीसी अब इ.आर.पी. प्राप्त करने की अग्रिम अवस्था की ओर बढ़ रही है । इसका प्रचालन अगस्त, 07 से शुरू होगा तथा संस्थान में इसके कार्यान्वियन से बेहतर निष्पादन, उत्पादकता तथा लाभ प्रदान होगा।

उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार का आधुनिकीकरण इ.आर.पी के सहयोग के लिए किया जा रहा है । इआरपी के आवश्यकतानुसार निगम स्तर पर क्रिया–विधि, स्टोरेज तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उपक्रम स्तर पर डाटा सेन्टर विकसित किया जा रहा है।

12. मानव संसाधन विकास

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे बहूमूल्य संपत्ति होते हैं और उनके मध्य सृजनात्मकता, नूतन पहल और कार्य निष्पादन श्रेष्ठता को विकसित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण आवश्यक है । निगम, कर्मचारियों की क्षमता वर्धन को ध्यान में रखते हुए, एनएचपीसी, प्रशिक्षित तथा विभिन्न अनुशासनिक प्रधान उत्कृष्ट सक्षम कर्मचारियों के विकास के लिए प्रयास कर रही है जिससे उनके द्वारा चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा किया जा सके । कर्मचारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य के साथ एनएचपीसी ने प्रथम बार प्रमुख शैक्षिक संस्थान जैसे– आई.आई.एम. अहमदाबाद, आई.आई.टी. रुड़की, एम.डी.आई.–गुड़गांव, आई.आई.एम. दिल्ली, आई.एम.टी. गाजियाबाद आदि से नीतिपरक गठबन्धन में प्रवेश किया है । हमने वर्ष 2006–07 में 686 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किए जिनमें विभिन्न स्तरों के 9323 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त विभिन्न मानव संसाधन हस्तक्षेप जैसे निगम के स्वरुप का सर्वेक्षण, कर्मचारियों की संतुष्टि स्तर को न्याय तथा निष्पादन क्षमता को उन्नत बनाने के लिए कर्मचारियों की क्षमता मापन प्रयोग भी किए गए ।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद में आयोजित वित्त प्रमुखों की 7वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए

13. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष रूप में ध्यान दिया गया है । भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नौकरी में आरक्षण प्रदान किया गया है। निगम में विकलांग व्यक्तियों के नौकरी और पुनर्वास तथा निगम में उनके सुविधानुसार कार्य–स्थल हेतु सुझाव व राष्ट्रीय नीति की संस्तुति के कार्यान्वयन के प्रति आश्वस्त होने के लिए एक समिति गठित की गई है।

14. महिला कर्मचारी

कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के, सैक्सुअल हरास्मेंट के बारे में दी गई मार्गदर्शी निर्देश में निर्धारण के अनुसार शिकायत देखने के लिए शिकायत समिति बनाई गई है। समिति में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं तथा महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। महिला कर्मचारी के लिए प्रसूता छुट्टी, बच्चे की देखभाल की छुट्टी का प्रावधान है। निगम के मुख्यालय में महिला कर्मचारियों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कार्यालयावधि के दौरान क्रेच की व्यवस्था की गई है।

15. औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारी कल्याण

कर्मचारी तथा नियोक्ता के मध्य औद्योगिक संबंध सौहाद्रपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहे। हड़ताल/तालाबंदी के कारण किसी श्रम दिवसों की हानि नहीं हुई। कर्मचारी कल्याण क्रिया–कलापों पर विशेष ध्यान दिया गया। कर्मचारियों को उनके कार्य–स्थिति, कल्याण आदि से संबंधित क्षेत्रों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया।

16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण

निगम, सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय–समय पर कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुदेशों का पालन करता है।

17. सतर्कता क्रियाकलाप

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, सतर्कता बुकलेट 'चेतना' का विमोचन करते हुए, इनके साथ हैं – श्री ए.के. चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक), श्री एस.के. डोडेजा, निदेशक (परियोजनाएं) तथा श्री विजय राघव पन्त, मुख्य सतर्कता अधिकारी

एनएचपीसी का सतर्कता विभाग विभिन्न प्रतिक्रिया विधियों के तथा निगम द्वारा जारी निर्देशों, भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों का पालन करते हुए तन्त्र में पारदर्शिता लाने तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। निगम की क्रिया–कलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखते हुए शेयर होल्डरों के हित की रक्षा तथा संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। एनएचपीसी का सतर्कता विभाग जिम्मेदारियों तथा लेखादेयता की पारदर्शी पद्धति मन में बिठाने की दृष्टिकोण के साथ इसके आन्तरिक क्रिया–विधि को मानकीकृत तथा प्रलेख प्रमाणीकृत किया है तथा सतर्कता क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण आइ.एस.ओ. 9001:2000 प्राप्त किया।

18. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

निगम में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करते हुए कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। सरकार के निर्देशों के अनुपालन में निगम मुख्यालय के साथ–साथ इसकी परियोजनाओं/सभी कार्यालयों में 1 से 14 सितम्बर, 2006 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान अनेक प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों एवं पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया तथा प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर हिंदी पत्रिका "राजभाषा ज्योति" का भी प्रकाशन किया गया ।

निगम में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए निगम के विभागों/परियोजनाओं/कार्यालयों का आंतरिक राजभाषा निरीक्षण किया गया। हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं आशुलिपिक प्रशिक्षण की कक्षाएं भी चलाई गई। निगम मुख्यालय में आशुलिपिकों के लिए 10–दिवसीय आशुलिपि रिफैशर कोर्स का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निगम

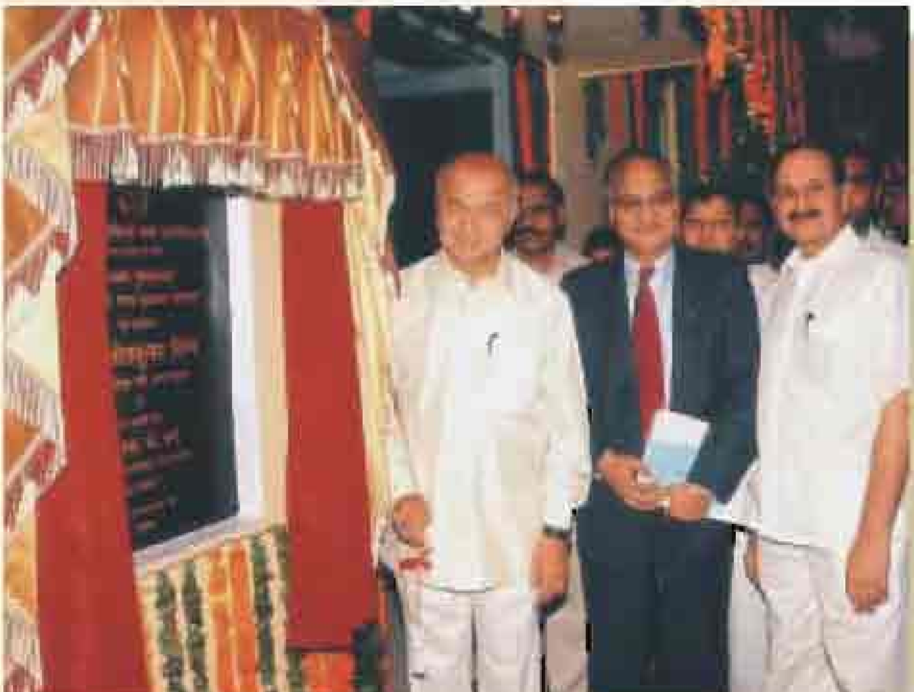

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, फरीदाबाद में राजभाषा पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए

मुख्यालय मे राजभाषा डेस्क की स्थापना की गई। निगम मे प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को हिंदी दिवस भी मनाया गया। निगम में "हिंदी पुस्तक पठन योजना" लागू की गई तथा नव निर्मित राजभाषा पुस्तकालय का श्री सुशीलकुमार शिन्दे, केंद्रीय विद्युत मंत्री के कर–कमलो द्वारा उद्‌घाटन किया गया।

19. कॉरपोरेट संचार

कॉरपोरेट संचार विभाग किसी संगठन की छवि को संप्रेषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । एनएचपीसी की उपलब्धियों को प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से समूचे देश में उचित रुप से प्रचारित किया गया। निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया गया। एनएचपीसी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया इलैक्ट्रिसिटी–2006, मुम्बई मे पावर इंडिया–2006, दिल्ली मे आईआइटीएफ–2006, कोलकला मे भारत क्रान्ति उत्सव, इटानगर में आयोजित अरुणाचल प्रदेश के स्टेटहुड दिवस उत्सव आदि कुछ प्रमुख प्रदर्शनियों मे भाग लेकर अपनी उपलब्धियों व क्षमता का प्रर्दशन किया। अरुणाचल प्रदेश के स्टेटहुड दिवस के आयोजन पर राज्य सरकार के विभागों द्वारा लगाए गए स्टाल तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विद्युत उपकमों के द्वारा लगाए गए सभी स्टाल के बीच एनएचपीसी पैवेलियन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त एनएचपीसी ने हैनोवर, जर्मनी में आयोजित दुनिया की सबसे बडी औद्योगिक मेला–हैनोवर मेला में भी भाग लिया । मेले में विद्युत मंत्रालय के पैवेलियन का एनएचपीसी एक पार्ट था । कारपोरेट संचार विभाग द्वारा एनएचपीसी के विभिन्न क्षेत्रों के विकास की सूचना कर्मचारियों तक पहुँचाने के दृष्टिकोण से सीएमडी की कलम से शीर्षक वाली मासिक विज्ञप्ति तथा एनएचपीसी न्यूज की नियमित तथा समय पर प्रसार व्यवस्था करके आंतरिक संचार का सही प्रबंध किया गया।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी आई.आई.टी.एफ.–2006 के दौरान एनएचपीसी पैविलियन का उद्घाटन करते हुए

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण वर्ष 2006 को मनाने के एक भाग के रूप में एनएचपीसी ने पाँच राज्यों नामतः जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का संयोजन किया। एनएचपीसी ने विभिन्न सांस्कृतिक तथा खेल से संबधित क्रिया कलापों में नियमित रूप से भाग लिया । एनएचपीसी की टीम को पीजीसीआईएल आडोटोरियम, गुड़गांव में ओयोजित पीएससीबी सांस्कृतिक–मिलन में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। एनएचपीसी के द्वारा टनकपुर पावर स्टेशन में पावर स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ग्यारहवीं इन्टर सीपीएसयू वॉलीबाल टूर्नामेंट आयोजित की गई।

11वीं अन्तर–पीएसयू वॉलीबाल प्रतियोगिता के दौरान टनकपुर पावर स्टेशन में एनएचपीसी वॉलीबाल टीम के साथ एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण

20. पुरस्कार व सम्मान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके निगम को उसकी उपलब्धियों के लिए विभिन्न पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं। माननीय वाणिज्य मंत्री श्री कमलनाथ के द्वारा आपके निगम को इसके पर्यावरण प्रबंधन के लिए अच्छे हरित शासन हेतु – सृष्टि जी–क्यूब अवार्ड 2006 से सम्मानित किया गया है।

आपके निगम को इसकी वित्तीय तथा संचालनात्मक क्षमता जोकि पांच के परिपेक्ष्य नामतः वित्तीय क्षमता / उपलब्धि, आन्तरिक क्रिया–विधि, नवीनीकरण व गहन अध्ययन, विकास तथा अभिवृद्धि नीति व ग्राहक की संतुष्टि के तहत् इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग (आई.आई.आई.ई.) मुम्बई के द्वारा "इन्टरप्राइज एक्सेलेंस अवार्ड 2005–06" सम्मान भी प्रदान किया गया है।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी, मुम्बई में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन पावर इंडिया 2006 के अवसर पर डॉ. कीरित पारिख (सदस्य–ऊर्जा, योजना आयोग), अध्यक्ष एपेक्स एडवाइजरी काउंसिल, पावर इंडिया 2006 से चमेरा चरण–II पावर स्टेशन की शीघ्रतापूर्वक संचालन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवार्ड प्राप्त करते हुए

निगम मुख्यालय को तीन वर्षों के लिए, मैसर्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड चण्डीगढ द्वारा आई.एस. 18001:2000 के अनुसार ऑक्यूपेशनल हेल्थ तथा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (ओ.एच.एस.एम.एस.) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

आपके निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री एस.के.गर्ग को मुम्बई में आयोजित इंडिया टेक फाउंडेशन की 9वीं वार्षिक आम बैठक में इंडिया–टेक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है।

21. सामाजिक दायित्व

निगम की सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) और नैतिक व्यवहार के प्रति एनएचपीसी ने अपनी सतत प्रतिबद्धता के प्रति आंतरिक तथा बाहरी शेयर होल्डरों और समग्र समाज के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान दिया है। सी.एस.आर. पहलू निगम के लक्ष्य कथन में भी प्रतिध्वनित होता है जो "परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत, पर्यावरणीय अनुकूलता एवं सामाजिक –आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए करना" है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पावर–स्टेशनों पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व–सामुदायिक विकास (सी.एस.आर–सी.डी.) पहल नामक एक योजना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है तथा वर्ष 2006–2007 के लिए पावर स्टेशनों के लिए 2.05 करोड रुपये मंजूर किए गए हैं। पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति के तहत् एनएचपीसी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में विभिन्न सामुदायिक–विकास पहल किए जाने के प्रयोजन के लिए निधि का नियतिकरण भी किया है।

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, निदेशकगण और वरिष्ठ अधिकारी व उनके परिवार के सदस्य–एनएचपीसी आवासीय कालोनी, फरीदाबाद में वसंत मेले के अवसर पर

एनएचपीसी ने पावर स्टेशनों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के आस–पास रहने वाले समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बाध्य परिधीय विकास, खेल व सास्कृति कार्यक्रम आदि के क्षेत्र में सी.एस.आर.–सी.डी. के अंतर्गत पहल की है। इसमें विभिन्न अन्य पहलें अर्थात् औषधि के तहत् हर्बल पार्क का निर्माण, तितलियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण जिनमें उनके ब्रीड का संरक्षण व पुनर्स्थापन व भोजन की आदतों को ध्यान में रखा जाता है। एनएचपीसी के विभिन्न कार्यस्थलों पर शीतोष्ण व उष्ण वनस्पति के जैवकीय संरक्षण के प्रतिरक्षण के लिए जीव वनस्पति रक्षा गृह, वृहत स्तर पर वनीकरण, जलग्राहय क्षेत्र उपचार (सी.ए.टी.), मछली

प्रबंधन, ग्रामीण युवक एवं महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, मेडिकल कैम्प, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, क्षेत्रीय पर्यटन का विकास आदि कार्य भी किए जा रहे हैं।

हाल ही में सुदूर क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के क्रम में निगम, तवांग अरुणाचल प्रदेश में साइंस, टैक्नोलॉजी, आर्ट्स व कामर्स महाविद्यालय का निर्माण करने जा रहा है जिसकी आधारशिला यू.पी.ए की माननीया अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा रखी गई थी। एनएचपीसी को दृढ़ विश्वास है कि जब तक आस–पास रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर न कर लिया जाए, एक बेहतर कल लाने का विचार निरर्थक लगेगा। इसलिए एनएचपीसी अपने कार्य–स्थल के आसपास सामाजिक उत्थान के लिए भी जिम्मेदार रहती है।

22. सहायक निगम

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। इसकी दो परियोजनाएं हैं नामतः इन्दिरा सागर परियोजना (1000 मेगावाट) तथा ऑकारेश्वर परियोजना (520 मेगावाट)।

इंदिरा सागर परियोजना (1000 मेगावाट)

इंदिरा सागर परियोजना ने अब तक 2573.45 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया और मध्य प्रदेश राज्य को सस्ती दर पर विद्युत मुहैया कराई जो राज्य को बचत में परिणत हुआ। वर्ष 2000 सितम्बर माह के मूल्य स्तर पर 3527.54 करोड़ रुपये की आकलित मूल्य की तुलना में परियोजना कम लागत पर तैयार हुई थी, उसके द्वारा इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए परियोजना को दुर्लभ परियोजना के रुप में ख्याति प्राप्त हुई।

ओंकारेश्वर परियोजना (520 मेगावाट)

65 मेगावाट प्रत्येक की 8 इकाइयों के साथ 520 मेगावाट ओंकारेश्वर परियोजना को वर्ष में 1166 मिलियन यूनिट का उत्पादन करने के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ने एनएचपीसी द्वारा फरवरी,2008 तक परियोजना के निष्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है तथापि परियोजना स्थल पर कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से आगे है। मार्च, 2006 माह में 1.294 लाख घनमीटर का अधिकतम कंकरिटिंग का रिकार्ड दर्ज किया गया। यह आशा है कि परियोजना 4 वर्ष से भी कम समय में अर्थात् अक्तूबर, 2007 तक पूरी हो जाएगी तथा इसकी पहली इकाई दिनांक 21.07.07 को सिंक्रोनाइज की गई है।

1000 मेगावाट का इंदिरा सागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश) – बांध

एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच आइ.एस.पी. व ओ.एस.पी. दोनों के लिए विद्युत विक्रय समझौता (पी.पी.ए.) पर तथा नर्मदा बेसिन में तीन नई परियोजनाएं अर्थात् 60 मेगावाट बउरस, 45 मेगावाट होशंगाबाद तथा 55 मेगावाट हंडिया, के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 27.04.2007 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

23. निगमित अभिशासन

हमारा निगम इस बात पर दृढ़ विश्वास करता है कि अच्छा निगमित शासन व्यवहार एक श्रेष्ठ निगम बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह उद्यम समग्र रूप से देश के लिए सम्पत्ति के सृजन हेतु प्रचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली विकसित करने और व्यापार उद्यम की दक्षता में सुधार करने पर बल देता है। लेखा परीक्षा समिति सभी वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पूर्व नियमित रुप से उसकी समीक्षा करती है तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मॉनिटरिंग करती है। निगम के लेखे को बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड में लिए जाने के पश्चात नियमित रुप से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता रहा है। इन्हें समग्र जनता की जानकारी के लिए संचार के अन्य साधनों के साथ–साथ निगम की वैबसाइट पर भी डाला जाता है। निगम कानूनी प्रावधानों, नियामक प्राधिकरणों के दिशा–निर्देशों और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज(एन.एस.ई.) के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण करार के प्रावधानों के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान देता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूंजीगत बाजार से संबंधित किसी मामले में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज/भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है और न किसी प्रकार की आलोचना की गई है।

24. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना अधिकार अधिनियम प्रावधानों के अनुपालन में निगम में अपनी वैबसाइट पर विभिन्न दस्तावेजों/रिकॉर्डों को रखा गया तथा कम्पनी सचिव को निगम का जन सूचना–अधिकारी (पी.आइ.ओ.) नियुक्त किया गया । सूचना पर समूचे राष्ट्र की पहुँच को समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक पावर स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/इकाई हेतु भी सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

25. ऊर्जा संरक्षण, प्राद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

सूचना इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध–1 के रुप में संलग्न है।

26. कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना अनुबंध–II के रूप में संलग्न है।

27. लेखा परीक्षक

वर्ष 2006–2007 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मेसर्स जी.एस.ए. एवं एसोसिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स सरकार व को0 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, कोलकाता, के.सी. भट्टाचार्जी व पौल चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, कोलकाता, के.के.घई व को0 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली तथा मैसर्स ओ.पी.गर्ग व को., जम्मू को निगम के शाखा लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया था।

वर्ष 2006–2007 के लिए, मैसर्स रामनाथ अय्यर व को0, कॉस्ट एकाउन्टेंट्स चमेरा–II तथा बैरास्यूल पावर स्टेशन के लिए, मैसर्स चन्द्रा वाधवा व को0, नई दिल्ली, सलाल व चमेरा–1 पावर स्टेशन के लिए, मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति व को0, हैदराबाद टनकपुर व धौलीगंगा पावर स्टेशन के लिए, मैसर्स मनी व को0, कोलकाता, रंगित व लोकताक पावर स्टेशन के लिए तथा किशन एस.बर्क, फरीदाबाद उड़ी व दुलहस्ती के लिए निगम के कॉस्ट ऑडिटर्स के रुप में नियुक्त किए गए हैं। केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर वर्ष 2007–08 के लिए भी उक्त लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है।

28. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके उत्तर अनुबंध–III में दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां शून्य जारी किए गए हैं जो अनुबंध–IV के रूप में संलग्न है। उन पर आडिटर रिपोर्ट तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ निगम से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण अनुबंध–V पर सलग्न है।

29. इनिशियल पब्लिक ऑफर

भारत सरकार द्वारा एनएचपीसी को इनिशियल पब्लिक आफर के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई है । इनशियल पब्लिक आफर पूर्व में जारी प्रदत्त पूजी का 15 प्रतिशत होगा जिसमें सरकार पक्ष के 5 प्रतिशत की बिक्री भी शामिल होगी। आपके निगम ने सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है।

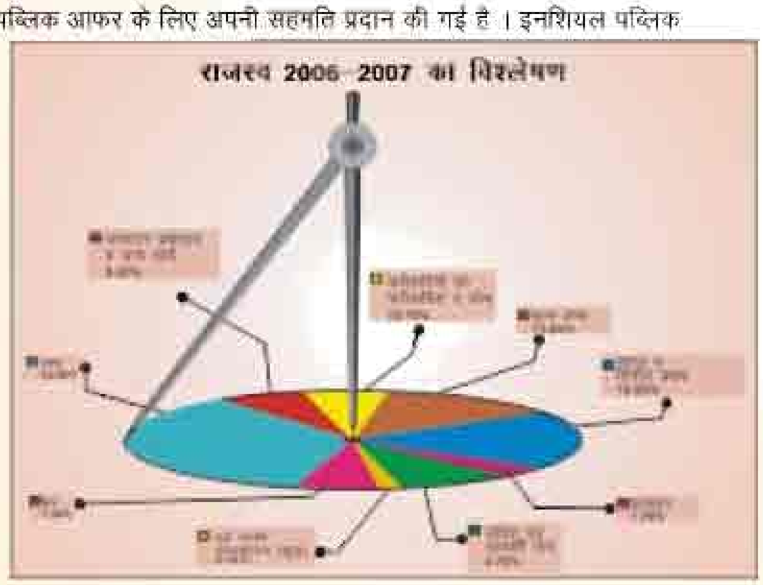

30. सहायक निगम के लेखे

हमारी कंपनी की एक सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ इसके वार्षिक लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अन्तर्गत विवरण सहित संलग्न हैं।

31. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के अन्तर्गत यथाअपेक्षित, निदेशकगण निम्नलिखित बात की पुष्टि करते हैं :

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में मैटेरियल डिपार्चर संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखाकरण मान अपनाए गए हैं ।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं।

(iii) निदेशकों ने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार समुचित लेखाकरण रिकॉर्डों के रख–रखाव का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे अनवरत संबद्ध आधार पर तैयार किए हैं।

32. निदेशक मंडल

श्री एस.के.गर्ग ने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार को सम्हाला तथा दिनाक 23.01.2007 से प्रभावी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। श्री एस.के.डोडेजा ने दिनांक 02.09.2006 से निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में कार्यभार सम्भाला है।

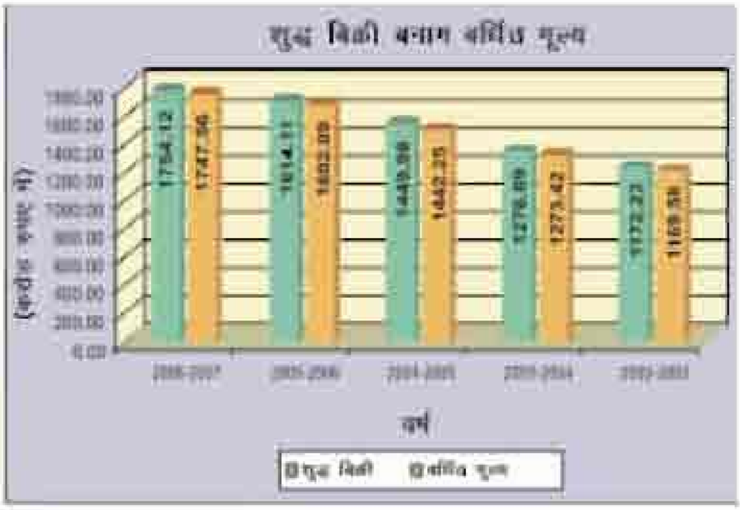

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार विशेषकर विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग के साथ–साथ राज्य सरकारों तथा क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों / कंपनियों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों / वित्तीय संस्थाओं तथा साथ ही भारतीय निवेशकों का भी निगम में निरन्तर सहायता देने, उस पर अपना भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल विद्युत लेने वाले लाभउपभोक्ता राज्यों तथा परामर्शी कार्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयास हेतु विशेष आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभारी है। इसके साथ ही निदेशक मंडल एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है जिनके उत्साह, समर्पण तथा सहयोग से संतोषजनक कार्य निष्पादन की प्राप्ति संभव हुई है। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना श्रेष्ठ योगदान देना जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(एस.के.गर्ग)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 03.08.2007

स्थान : फरीदाबाद

अनुबंध–1

dEiuh ¼fun'kd eMy dh fjiksVZ esa C;kSjksa dk izdVhdj.k½ fu;ekoyh] 1988 ds vuqlkj ÅtkZ laj{k.k] izkS|ksfxdh lekos'k vkSj fons'kh eqnzk vtZu ij fun'kdksa dh fjiksVZ dk vuqca/k

d- ÅtkZ laj{k.k

¼d½ fd, x, ÅtkZ mik;%&

कार्य निष्पादन के आकलन तथा इसे इष्टतम करने के उद्देश्य से टनकपुर तथा लोकताक पावर स्टेशनों की ऊर्जा संपरीक्षा की गई थीं। सीपीआरआई द्वारा दिए गए सुझावों की संस्तुति यथासमय एक चरणबद्ध रुप में ऊर्जा संरक्षण में सुधार हेतु कार्यान्वित किया जाएगा।

¼[k½ ÅtkZ ds miHkksx esa deh djus gsrq fØ;kfUor fd, tk jgs vfrfjDr fuos'k rFkk izLrko] ;fn dksbZ gksA

(i) फील्ड परीक्षणों के उत्साहजनक परिणामों के आधार पर एनएचपीसी के पावर स्टेशनों में स्थित वाहन, उपकरणों में निवेश विवरण के लेखे में उपयोग को (कार्यावधि) रखते हुए ईंधन बचत तकनीक फिच फ्यूल कैटलिस्ट के उपयोग की सिफारिश की है।

(ii) बैरास्यूल व सलाल पावर स्टेशनों का ऊर्जा संपरीक्षा क्रमशः वित्तीय वर्ष 2004–05 व 2005–06 में की गई। टनकपुर तथा लोकताक पावर स्टेशनों की ऊर्जा संपरीक्षा वित्तीय वर्ष 2006–07 में की गई। ऊर्जा संरक्षण के लिए सीपीआरआई के द्वारा सुझाई गई संस्तुतियों को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जाएगा ।

(iii) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान रंगीत व चमेरा–1 पावर स्टेशनों की ऊर्जा संपरीक्षा की जाएगी।

¼x½ mi;qZDr ¼d½ rFkk ¼[k½ esa mfYyf[kr mik;ksa ds iHkko ls ÅtkZ miHkksx esa deh vkSj oLrqvksa dh mRiknu ykxr ij ifj.kkeLo:i iHkko

(i) कमतर कार्य–निष्पादन करने वाले औजारों/उपकरणों को ऊर्जा दक्षता से एक चरणबद्ध रुप में स्थापित किया जाएगा।

(ii) फिच फ्यूल कैटलिस्ट एक पूर्वदहन, उत्सर्जन कम करने वाला तथा ईंधन किफ़ायती सुधार तकनीक है। इसके द्वारा इंजन की शक्ति में बढ़ोत्तरी, हानिकारक उत्सर्जन में कमी तथा अनुरक्षण व परिचालन लागत में कमी होती है।

(iii) चरण–II फरीदाबाद कार्यालय तथा कोटलीबहल परियोजना का टाउनशिप/बिल्डिंग भारत सरकार के ऊर्जा दक्ष कोड के अनुसार होना है।

¼[k½ izkS|ksfxdh lekos'ku

(घ) तकनीकी समावेशन हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न फार्म–बी में दिया गया है।

¼x½ fons'kh eqnk vtZu rFkk O;;

¼p½ fu;kZr ls lacf/kr fØ;kdyki] fu;kZr c<+kus ds fy, dh xbZ igy] mRikn rFkk lsokvksa gsrq u, cktkjksa dk fodkl] vkSj fu;kZr

योजनाएं एनएचपीसी की निर्यात योजना नहीं हैं।

¼N½ dqy fons'kh eqnk iz;qDr rFkk vftZr

(करोड़ रुपये)

	fooj.k	2006&07	2005&06
1.*	सी.आई.एफ. आधार पर आकलित आयातितों का मूल्य		
	i. पूंजीमाल	83.77	-
	ii. अतिरिक्त पुर्जे	1.18	2.27
2.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i. जानकारिया	2.36	1.19
	ii. ब्याज	112.38	108.47
	iii. अन्य विविध	162.36	335.24
3.*	प्रचालन इकाइयों में उपभोग किए गए कलपुर्जो तथा घटकों का मूल्य		
	i. आयातित	3.52 (40.70%)	5.12(35%)
	ii. देशीय	5.13 (59.30%)	9.54(65%)
4.**	विदशी मुद्रा में आय		
	i. ब्याज आय	-	-
	ii. अन्य	-	-
	*प्रोद्भूत आधार		
	**नकद आधार		

Qke' ch

1- fof'k"V {k=] ftuesa fuxe }kjk vuql/kku ,o fodkl ¼vkj ,.M Mh½ fd;k tk jgk g

- टनकपुर व लोकताक पावर स्टेशन की ऊर्जा संपरीक्षा
- एन.एच.पी.सी. को परियोजनाओं हेतु सीडीएम लाभ।
- ईंधन बचाने वाली प्रौद्योगिकी–परियोजनाओं पर परीक्षण किए गए हैं।
- भू–तापीय ऊर्जा के विकास पर अध्ययन।
- नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना अर्थात्–एनएचपीसी की परियोजनाओं/संस्थापनाओं पर सौर ऊर्जा।
- तीस्ता नदी का पारिस्थितिक अध्ययन।
- आई.टी.आर.सी.ई.एस., चीन तथा एनएचपीसी के बीच सहयोग/समन्वय।
- हाइड्रो जेनरेटर के टरबाइन के लिए सिल्ट अवरोधक तत्व का विकास–राष्ट्रीय, अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- टाइडल पावर स्टेशन के लिए उचित टरबाइन–जेनरेटर इकाइयों के चयन हेतु तकनीकी आर्थिक अध्ययन।
- मापक जाँच उपकरणों का निर्धारण।
- अनुरक्षण व परिचालन यन्त्रों/उपकरणों/कल–पूर्जों के आयात विकल्प।
- कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डॉयनेमिक साफ्टवेयर प्रयोगशाला।

2- mi;Dr vuql/kku ,o fodkl d ifj.kkeLo:i ikIr fd, x, ykHk

- मूल्यांकन व इष्टतम के दृष्टिकोण से टनकपुर व लोकताक पावर स्टेशन के सभी विद्युत–यांत्रिक कलपूर्जों/उपकरणों की ऊर्जा संपरीक्षा की गई है। सी.पी.आर.आई. बंगलौर के द्वारा दोनों पावर स्टेशनों की ऊर्जा संपरीक्षा पूरी की गई है। सी.पी.आर.आई. के द्वारा दोनों पावर स्टेशनों के लिए अन्तिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। सी.पी.आर.आई. द्वारा दिए गए सुझावों की संस्तुति यथासमय एक चरणबद्ध रुप में ऊर्जा संरक्षण में सुधार हेतु क्रियान्वित किया जाएगा।
- एनएचपीसी स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.) परियोजना के तौर पर जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में सक्रिय रुप से नियोजित है। सी.डी.एम. के तहत एनएचपीसी की परियोजनाएं/पावर स्टेशन के विकास हेतु हित की घोषणा के लिए संविदा दस्तावेजों तथा सी.डी.एम. परियोजनाओं के द्वारा उत्पादित प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सी.ई.आर.एस.) की 31 दिसम्बर, 2012 तक बिक्री तैयार कर ली गई है। सी.डी.एम. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पन्द्रह परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट आइडिया नोट्स (पी.आई.एन.एस.) तैयार कर लिए गए हैं। निम्मो बाजगो तथा चुतक जल विद्युत परियोजनाएं मैसर्स एम.जी. एम. इन्टरनैशनल/आई.डी.बी.आई. को दिनांक 06.02.2007 से प्रदान किए गए हैं।
- तीस्ता नदी पर तीस्ता चरण–V जल विद्युत परियोजना तथा तीस्ता चरण–V जलाशय के पारिस्थितिक अध्ययन के लिए एन.ई.ई.आर.आई नागपुर को प्रदान किए गए है। एन.ई.ई.आर.आई के द्वारा आवश्यक पारिस्थितिक अध्ययन के साथ–साथ लिटरेचर अध्ययन तथा कार्य–क्षेत्र के निरीक्षण भी पूरे किए गए। यू.एन.एफ.सी.सी. के सीडीएम मीथ पैनस 19वीं बैठक रिपोर्ट व यू.एन.ई.एस.सी.ओ. कार्यशाला रिपोर्ट के प्रेक्षण को समाविष्ट करते हुए एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर के द्वारा अंतिम रिपोर्ट पूरी की गई। चरण–II के अध्ययन इसके उपरांत सम्पादित किए जाएंगे।
- आई.आर.टी.सी.ई.एस चीन तथा एनएचपीसी के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर दिनांक 28.11.2006 को हस्ताक्षर किए गए हैं। आई.आरटी सीईएस, चीन तथ आई.डब्ल्यू.एच.आर. के द्वारा कुछ अनुसंधान के क्षेत्र तथा जल विद्युत परियोजना संबंधित परियोजनाओं की पहचान की गई है जिसे अनुसंधान एवं विकास तथा डिजाइन डिविजन द्वारा चयन किया जा रहा है ताकि एनएचपीसी की परियोजनाओं के समक्ष आ रहीं समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तम विकल्प प्राप्त किया जा सके।
- अनुसंधान एवं विकास पर भारत सरकार की स्थाई समिति ने जल के अन्दर के घटकों के कार्य क्षमता की अवधि को बढ़ाने हेतु गाद अवरोधक पदार्थ के विकास करने के लिए नैशनल मैटेलरजिकल लैबरेटरी, जमशेदपुर (एन.एम.एल.) मुख्य एजेंसी तथा एन.एच.पी.सी. व सी.पी.आर.आई, बंगलौर साझेदार एजेंसी हैं, के रूप में कार्य प्रस्ताव को अनुमोदित किया। परियोजना की क्रमवार प्रगति की देख–रेख के लिए एक परियोजना पुनरीक्षण समिति (पी.आर.सी.) गठित की गई। परियोजना पुनरीक्षण समिति द्वारा i) साझेदार एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, ii) खर्च होने वाली राशि की व्यवस्था, तथा iii) परियोजना की समयावधि आदि सुनिश्चित करने हेतु सी.पी.आर.आई., बंगलौर में दिनांक 09.03.2007 को पहली बैठक आयोजित की गई।
- एम.एन.आर.ई. ने दिनांक 06.09.2006 को पश्चिम बंगाल में टाइडल पावर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सम्भावना की खोज हेतु एनएचपीसी से निवेदन किया है। डब्ल्यू.बी.आर.ई.डी.ए. के साथ एम.एन.आर.ई. में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि एम.एन.आर.ई. परियोजना के निष्पादन के लिए मूल रुप से अपना अनुमोदन देगा व एनएचपीसी के द्वारा, डब्ल्यू.बी.आर.इ.डी.ए. के साथ समझौता ज्ञापन में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने व टाइडल प्रोजेक्ट का निष्पादन करने का कार्य, प्रारम्भ किया जाएगा। एनएचपीसी व डब्ल्यू.बी.आर.ई.डी.ए. के बीच समझौता ज्ञापन पर दिनांक 28.02.2007 को हस्ताक्षर किए गए। विदेशी परामर्शदाता की सेवाएं लेने के प्रस्ताव अभी प्रक्रियाधीन हैं।

3- o"k 2007&2008 d fy, Hkfo"; dh dkjokbl ;ktuk

उपर्युक्त वर्णित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के वर्ष 2007–2008 में भी जारी रहने की संभावना हो

- अनुसंधान एवं विकास स्थाई समिति द्वारा हाइड्रोजेनरेटर के टरबाइन के लिए गाद प्रतिरोधी पदार्थ के विकास पर राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास योजना को अनुमोदित किया गया है। एनएचपीसी का शेयर सी.पी.आर.आई. को दे दिया गया है। एन.एम.एल. परियोजना अन्वेषण के लिए नोडल एजेंसी है। इसके पूर्ण होने की अवधि तीन वर्ष है।
- एनएचपीसी आवासीय कॉलोनी फरीदाबाद में स्ट्रीट लाइट के लिए आधुनिक ऊर्जा स्त्रोत अर्थात् सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए प्रेरित करना।
- रंगित व चमेरा–I पावर स्टेशनों का ऊर्जा संपरीक्षण।
- टाइडल पावर स्टेशनों के लिए उचित टरबाइन जेनरेटर इकाइयों के चयन के लिए तकनीकी–आर्थिक अध्ययन।
- हाइड्रोप्रोजेक्ट के द्वारा डाउनस्ट्रीम में जल छोड़ने हेतु प्रारम्भिक अध्ययन।

4- vulU/kku ,o fodkl ij 0;;

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कुल – 21,72,908 लाख रुपये व्यय किया गया है।

ik|kfxdh lekos'ku] vudyu o uohu ifjorlu

1. **ik|kfxdh lekos'ku] vudyu o uohu ifjorlu d lc/k e fd, x, i;kl dk lf{klr mYy[k%** पानी के नीचे रहने वाले टरबाइन के हिस्सों को मिट्टी के कटाव से बचाने व उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हार्ड कोटिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले संगठनों के सहयोग से अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन/परीक्षण किए गए तथा संभावित समाधान के तौर पर थर्मल स्प्रे तकनीक की पहचान की गई।
2. उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात का विकल्प आदि अनेक लाभ हुए जो निम्नवत हैं :

   हार्डकोटिंग एक चालू प्रक्रिया है और हाइड्रो टरबाइन के पानी के नीचे के अवयवों के लिए उपयोगी कोटिंग सामग्री का अंतिम निर्णय होने के बाद ही लाभ प्राप्त होंगे। एचवीओएफ प्रक्रिया सहित टंगस्टन कारबाइड कोबाल्ट कोटिंग से उत्साहजनक परिणाम मिलने की संभावना है।
3. विगत पांच वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी :

   क) एनएचपीसी को देश में जियोथर्मल पावर के विकास के लिए एमएनआरई द्वारा नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। भारत में जियोथर्मल के विविध क्षेत्रों में रैंकिंग अध्ययन एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता द्वारा पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। एक बार एमएनआरई या एमओपी द्वारा इस क्षेत्र में मंजूरी दिए जाने व पुगा/तत्तापानी में एनएचपीसी को जियोथर्मल परियोजना लगाने का कार्य सौंपने के साथ ही इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का कार्य किया जाएगा।

   ख) सौर ऊर्जा का पर्यावरण के अनुकूल प्रयोग बढ़ाने के लिए दूरगामी क्षेत्रों, जहां ग्रिड पावर की अपनी सीमाएं हैं या वह उपलब्ध नहीं है या उसकी पूर्ति डीजी सैट के माध्यम से की जाती है, के लिए सोलर हीटिंग व सोलर लाइटिंग उपस्करों के संबंध में विचार किया जा रहा है। एनएचपीसी की निम्मो–बाज़गो जल विद्युत परियोजना के लिए 25 केडब्ल्यूपी सोलर पावर प्लांट व स्टैंड अलोन स्ट्रीट लाइट्स वाली एक प्रायोगिक परियोजना के लिए अन्वेषण कार्य आर एण्ड डी विभाग द्वारा आरंभ किए गए, जिससे प्रदूषण रहित (ग्रीन पावर) बिजली को बढ़ावा मिले। 20 स्टैंड अलोन स्ट्रीट लाइटें व 25 केडब्ल्यूपी सोलर पावर प्लांट का कार्य 17 जनवरी, 2007 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। एनएचपीसी की परियोजनाओं में सोलर पावर को उपयोग में लाने के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। एमएनआरई ने एनएचपीसी से पश्चिम बंगाल में टाइडल पावर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए संभावनओं की जांच करने का अनुरोध किया है। एनएचपीसी व डब्ल्यूबीआरईडीए के बीच 3.65 मेगावाट की दुर्गादुआनी मिनी टाइडल पावर प्रोजेक्ट, सुंदरवन की डीपीआर को अद्यतन करने के लिए परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

dEiuh ¼deZpkfj;ksa dk C;kSjk½ fu;ekoyh] 1975 ds lkFk ifBr dEiuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 217 ¼2,½ ds vUrxZr vis{kr lwpuk

क) वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारियों के विवरण जिन्होंने प्रतिवर्ष 24,00,000 रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किए:

- शून्य -

ख) वित्तीय वर्ष के दौरान अंशकालिक नियोजित कर्मचारियों के विवरण जिनके पारिश्रमिक प्रतिमाह 2,00,000/– रुपये से कम नहीं थे।

Ø- l-	uke o inuke	ikfjJfed ¼#i;s½	dk;Z dk izdkj	vgZrk o vuqHko	,u-,p-ih-lh esa dk;Z izkjEHk djus dh rkjh[k	mez o"kZ	vfUre dk;Z&LFky
1.	श्री एन.के. चौधरी कार्यपालक निदेशक	24,48,815/-	नियमित	ए.एम.आई.ई एल.एल.बी., एम.आई.ई.,	15.07.1981	60 वर्ष	एन.बी.सी.सी
2.	श्री ए.के.सूद कार्यपालक निदेशक	28,03,252/-	नियमित	बी.एस.सी. एम.टेक	02.11.1982	$59^{1/2}$ वर्ष	जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
3.	श्री सुभाष कपूर कार्यपालक निदेशक	24,59,068/-	नियमित	सी.ए.	05.11.1988	60 वर्ष	सब–इलैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	श्री के.हरिहरन, मुख्य अभियंता	41,52,767/-	नियमित	बी.टेक, पी.जी. डिप्लोमा इन मेनेजमेंट	20.02.1985	46 वर्ष	सिम्पलेक्स कोन पाइल्स प्राइवेट लि.
5.	श्री सी.पी. ग्रोवर उप प्रबंधक	27,60,373/-	नियमित	आईसीडब्ल्यूए एस.ए.ई. एम.कॉम.	09.04.1979	50 वर्ष	आरनॉल्ड हेनेमान पब्लिशर्स प्राईवेट लि.
6.	स्व. श्री चेतराम राजमिस्त्री	9,26,923/-	नियमित	32 वर्ष	23.01.1974	55 वर्ष निधन 28.06.06 को	-

u'kuy gkbMkbyfDVd ikoj dkjikj'ku fyfeVM d InL;k d fy, y[kkijh{kdk dh fjikV

y[kkijh{kdk dh fVIif.k;k	icU/ku dk mRrj
हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2007 के संलग्न तुलनपत्र और लाभ–हानि लेखे तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह विवरण का लेखापरीक्षण किया। इनमें इनके विवरण शामिल किये गये हैं: (1) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित एक क्षेत्रीय कार्यालय; (2) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 06 क्षेत्रीय कार्यालय (3) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 5 अन्य कार्यालय तथा कार्पोरेट कार्यालय; (4) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित एक अन्य कार्यालय। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व है कि हम खुद के द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।	
. हमने लेखा परीक्षण भारत में आम तौर पर मान्य लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार किया। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गयी है। लेखापरीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गयी राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग किये गये लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ–साथ प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है।	
जैसा कि भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के उपखंड (4क) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 और कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) संशोधित आदेश, 2004 (जिसे यहां इसके बाद आदेश कहा जाएगा) में अपेक्षित है, हम अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।	
4. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की संशोधित धारा 33 के अनुसार स्वतंत्र निदशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से न्यून नहीं होनी चाहिए, जिसके अनुपालन की आवश्यकता है।	निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और इसकी प्रक्रिया जारी है।

5- diuh u 57-34 djkM #i;s dh Lo;a chek fuf/k cuk;h g vkj bl ykHk&gkfu fofu;kx [kkr e Mkyu dh ctk; ykHk vkj gkfu [kkr Hkkfjr fd;k gA bl l diuh d 'k) eukQ e bruh gh jkf'k de djd fn[kkb x;h gA

6-¼d½ lckufljh ¼e/; vkj Åijh½ rFkk flvkx ¼fupyh½ e/; vkj Åijh½ ifj;kstukvk e fuek.k dk;s nkyr@jkT; ljdkj d gLr{ki@tu vkanksyu vkfn dh otg l yfEcr g, 1 l 3 lky rd dk yEck vjlk chr pdk gA diuh dk bu ifj;kstukvk e jktLo [kp mBkuk iM jgk gA o"k d nkjku ;g [kp 13-58 djkM #i;s Fkk vkj 31-03-06 rd bl rjg dk [kp 19-77 djkM #i;s gk x;k FkkA lkekU; :i l Lohdk;Z y[kkdu fl)kUrk d vuqlkj bl rjg d vlkekU; [kp@gkfu;k dk jktLo [kkr e Hkkfjr fd;k tkrk g vkj bl dfiVykbt ugh fd;k tkrk gA gekjh jk; e bl rjg d [kp l ifj;kstuk eY; e dkbl c<krjh ugh gkrh blfy, bl jktLo d vrxr Mkyk tkuk pkfg,A rnuqlkj gekjh jk; e pkyw iathxr dk;Z dk 33-35 djkM #i;s rFkk pkyw o"k d eukQ dk 13-58 djkM #i;s vf/kd vkdk x;k gA vkjf{kr jkf'k vkj vf/k'k"k dk Hkh 19-77 djkM #i;s vf/kd vkdk x;k gA ¼[k½ pkyw iathxr dk;Z e lcufljh ¼e/; vkj Åijh½ rFkk flvkx ¼fupyh½ e/; vkj Åijh½ ifj;kstukvk e vnkyr@jkT; ljdkj d gLr{ki vkj tu vkanksyu d dkj.k fuyfcr xfrfof/k;k d nkjku lo{k.k vkj vUos"k.k dk;Z ij gvk 2-37 djkM #i;s dk [kp Hkh 'kkfey gA blds iHkko dk vkdyu dj ikuk lEHko ugh gA

4. इसके अलावा ऊपर पैराग्राफ 3 पर अपनी टिप्पणी में हम इतना और जोड़ते हैं कि :

(i) हमने सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ii) लेखापरीक्षकों को काम का आबंटन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली के एनएचपीसी को संबोधित पत्र सं. सीए.VI/सीओवाय/सेंट्रल गवर्नमेंट एनएचपीसी (5)/115 दिनांक 03.07.2006 के अनुसार किया गया है।

(iii) हमारी राय में लेखों की जांच से ऐसा लगता है कि कानून के अनुसार जिस तरह के लेखे रखे जाने हैं वे कंपनी द्वारा समुचित तरीके से रखे जा रहे हैं। क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों

कंपनी 1997–98 से लगातार इसी तरह से लेखांकन कर रही है।

इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य भारत सरकार द्वारा भारतीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू किया गया। हमने इस कार्य के लिए लाभांश भी दिया है। यह अधिसूचना अब तक वापस नहीं ली गयी है। कंपनी जब किसी परियोजना को छोड़ने का फैसला करती है तो इस तरह की परियोजनाओं के खर्च को लाभ–हानि लेखे में डालने की परिपाटी को लगातार अपनाती आयी है। चूंकि सक्षम अधिकारी ने इन परियोजनाओं को छोड़ने का फैसला नहीं किया है इसलिए सर्वेक्षण और अन्वेषण सहित आनुषंगिक खर्चों को चालू पूंजी कार्यों में दिखाया जा रहा है। लेकिन कंपनी 2007–08 में इस मुद्दे पर उपयुक्त लेखांकन नीति तैयार करेगी।

की रिपोर्ट(टें) हमें अग्रेषित की गयी हैं और उनपर उचित कार्रवाई की गयी है।

(iv) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों और क्षेत्रों से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।

(v) हमारी राय में इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3सी) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(vi) वित्त मंत्रालय के कंपनी कार्य विभाग ने अपनी अधिसूचना सं. एफ. सं. 8/5/2001–सीएल. V दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के जरिए अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

(vii) केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 ए के तहत देय उप कर की राशि निर्धारित नहीं की है।

(viii) उपर्युक्त पैराग्राफ 5 और 6 (क) और (ख) में उल्लिखित हमारे प्रेक्षणों के अधीन जहां तक प्रभाव का अध्ययन सुनिश्चित किया जा सका है, इसका समग्र प्रभाव वर्ष के दौरान लाभ को 43.75 करोड़ रुपये कम दिखाने और निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों तथा आरक्षित और अधिशेष को क्रमशः 33.35 और 19.77 करोड़ रुपये बढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति देखी गयी है। हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गयी सफाई के अनुसार उक्त लेखे और उनके साथ दी गयी टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वांछित सूचनाएं प्राप्त होती हैं और इनसे भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है।

उपर्युक्तानुसार

क) तुलनपत्र से 31 मार्च, 2007 को कंपनी के मामलों की स्थिति,

ख) लाभ–हानि लेखे से इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में कंपनी का लाभ, और

ग) नकदी प्रवाह विवरण से इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह।

d`r% th,l, ,M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

¼lqjthr pk/kjh½
साझेदार
सदस्य सं.: 85761

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 26 ebZ 2007

ys[kkijh{kdks dh fjiksVZ ds vuqyXud

¼bl h rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds iSjk 3 esa mfYyf[kr½

(1) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और स्थिर आस्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें बताया गया है कि स्थिर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा साल के दौरान भौतिक रूप से जांच कर ली गयी है। हमारी राय में जांच की आवृत्ति युक्तिसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित स्थिर आस्तियों का रिकार्ड बुक से मिलान करने पर कोई बड़ी खामियां नजर नहीं आयीं।

(ग) स्थिर आस्त्यिों के बड़े हिस्से का वर्ष के दौरान निपटारा नहीं किया गया है। तदनुसार इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया है।

(2) (क) भंडार सामग्री, हिस्से पुर्जों, इस्पात और सीमेंट (ठेकेदारों के पास पड़े और परिवहन किये जा रहे को छोड़कर) की वस्तुसूचियों की वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से जांच कर ली गयी है। हमारी राय में भौतिक जांच की आवृत्ति युक्तिसंगत है।

(ख) हमारी राय में वस्तु सूचियों की भौतिक जांच की जो प्रक्रिया प्रबंधन ने अपनायी है वह कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति क अनुसार युक्तिसंगत तथा पर्याप्त है।

(ग) हमारी राय में कंपनी वस्तुसूचियों का समुचित रखरखाव कर रही है और भौतिक जांच के दौरान वस्तु सूचियों के साथ मिलान करने पर कोई बड़ी कमी नहीं पायी गयी।

(3) (क) हमारे द्वारा इस्तेमाल की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर तथा हमें दी गयी जानकारी और सफाई के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखी जाने वाली पंजिका में सूचीबद्ध किसी सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों या फर्मों से न तो कोई कर्ज लिया है और न उन्हें किसी प्रकार का कर्ज दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए धारा (3) की उप–धारा (ड.), (च) और (छ) लागू नहीं होतीं।

(4) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं सफाई के अनुसार कंपनी की अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है जो कंपनी के आकार और सामग्री व स्थिर आस्तियां की खरीद, तथा बिजली व सेवाओं की बिक्री के इसके कारोबार के प्रकार के अनुरूप है।

(5) (क) सूचनाओं और सफाई के अनुसार इस तरह का कोई अनुबंध या लेनदेन नहीं है जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि कराना अनिवार्य हो।

(ख) उपर्युक्त उप धारा (क) के मद्दे नजर उप योजना लागू नहीं होती है।

(6) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अनुच्छेद 58–क और 58–कक तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के किसी भी अन्य प्रावधान और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों की परिभाषा के दायरे में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

हमें प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि कंपनी कानून बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अन्य अदालत या कोई अन्य न्यायाधिकरण ने कंपनी अधिनियम, 1956 कह धारा 58क और 58 कक के अंतर्गत कोई आदेश नहीं दिया है।

(7) हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड के अनुसार कंपनी की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके आकार और कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है। मगर इसके प्रभाव क्षेत्र और दायरे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत संबंधी रिकार्ड रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा रखी जा रही लेखा पुस्तकों की हमने मोटे तौर पर समीक्षा की। हमारा विचार है कि सरसरी तौर पर निर्धारित लेखे और अभिलेख तैयार किये गये हैं और उनका रखरखाव किया जा रहा है। लेकिन हमने इन अभिलेखों के सही या पूर्ण हाने का पता लगाने के लिए इनकी विस्तार से जांच नहीं की।

(9) (क) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित सभी निर्विवाद सांविधिक करों को आम तौर पर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमिति रूप से जमा कराया गया है। हमें बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती। हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त सांविधिक देयताओं से संबंधित कोई भी राशि 31 मार्च, 2007 को देय होने की तिथि से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड के अनुसार बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और उपकर की 2055.53 करोड़ रुपये की देय राशि किसी विवाद के कारण जमा नहीं करायी गयी है।

lafof/k	n;rk dh izd`fr	fookn dgk ij yfcr gS	djksM #i;s esa
विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	1931.19
	बिक्री कर	अपीलीय प्राधिकरण जम्मू	10.75
	बिक्री कर	बिक्री कर विभाग (सोपोर) जम्मू–कश्मीर	109.84
	बिक्री कर	मध्यस्थ के पास	1.91
	बिक्री कर	एसीसीटी डब्ल्यूबी बिक्री कर	0.06
	बिक्री कर	टीटीओ खटीमा	0.84
	बिक्री कर	सहायक व्यापार कर आयुक्त	0.45
	बिक्री कर	कर अधीक्षक	0.49
		dqy	2055.53

(10) वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की हानि संबंधी कोई संचित हानियाँ नहीं है। हमारी लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष तथा इससे ठीक पहले के वर्ष के दौरान कंपनी को नकदी संबंधी कोई नुकसान नहीं हुआ।

(11) अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं/बैंकों या डिबेंचर धारियों की देयताओं के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की।

(12) हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने प्रतिभूति आधार पर शेयरों को जमानत रखकर और डिबेंचर तथा अन्य प्रतिभूतियों के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिये।

(13) कंपनी चिट फंड या निधि या म्यूचुअल बेनिफिट निधि/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनियां (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की धारा 4 (12) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(14) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का व्यापार या लेन–देन नहीं कर रही है। तदनुसार इस धारा के प्रावधान उसपर लागू नहीं होते।

(15) कंपनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(16) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के आधार पर आवधिक ऋण जिस उदेद्श्य के लिए गए उन्हीं के लिए उनका इस्तेमाल किया गया।

(17) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच, हमें उपलब्ध करायी गयी संबद्ध सूचना और प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई राशि एकत्र नहीं की गयी।

(18) लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी ने अपने शेयर प्राथमिकता के आधार पर किसी पक्ष और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी को नहीं दिये।

(19) कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया। तदनुसार इस धारा के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते।

(20) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने किभी तरह की प्रतिभूतियों का कोई पब्लिक इश्यू जारी नहीं किया।

(21) हमें सूचित किया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में या इसके द्वारा गबन का कोई भी मामला सामने नहीं आया।

d`rs th,l, ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

¼lathoo pk/kjh½
साझेदार
सदस्य सं.: 85761

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 26 ebZ 2007

वार्षिक लेखे

31 ekp] 2007 dh fLFkfr d vu|lkj r|yu i=

(करोड़ रुपये)

	vu|lph		31 ekp] 2007			31 ekp] 2006	
fuf/k;k dk lkr							
d- vi'k/kkjdk dh fuf/k							
i) हिस्सा पूंजी	1		11198.21			10215.28	
ii) हिस्सा पूंजी जमा राशि			-			20.38	
iii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			8.83			340.43	
iv) आरक्षित एवं अधिशेष	2		5367.05	16574.09		4709.89	15285.98
[k- _.k fuf/k;k							
i) प्रतिभूत ऋण	3		4622.79			3973.50	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		2909.16	7531.95		3193.19	7166.69
x- eY; gkl d ifr vfxe d dkj.k vfxe :i e iklr vk;				1245.98			1030.18
?k- vkLFkfxr dj n;rk,i ¼'k)½							
आस्थगित कर देयताएं			1768.93			1601.38	
घटाएं : वसूली योग्य आस्थगित कर			1768.93	-		1601.38	-
tkM				25352.02			23482.85
fuf/k;k dk vuii;kx							
d- fu;r ifjlaifRr;k							
i) नियत परिसंपत्तियां	5						
ए) सकल ब्लॉक		12943.64			12755.52		
घटाएं : मूल्य ह्रास		2850.92			2527.83		
बी) शुद्ध ब्लॉक			10092.72			10227.69	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		11399.92			8844.19	
iii) निर्माण भंडार एवं अग्रिम	7		856.43	22349.07		778.95	19850.83
[k- fuo'k	8			3322.75			3579.19
x- pkyw ifjlaifRr;k _.k ,o vfxe	9						
i) निवेश पर उपार्जित ब्याज		103.54			113.85		
ii) माल सूची		44.95			51.80		
iii) चालू संविदा कार्य		279.98			93.17		
iv) विविध देनदार		291.22			161.56		
v) नकद एवं बैंक शेष		466.90			542.20		
vi) अन्य चालू परिसंपत्तियां		154.30			142.77		
vii) ऋण एवं अग्रिम		776.00	2116.89		602.78	1708.13	
?kVk,i % pkyw n;rk,i rFkk iko/kku	10						
i) देयताएं		1071.68			700.79		
ii) प्रावधान		1390.81	2462.49		979.06	1679.85	
'k) pkyw ifjlaifRr;k				(345.60)			28.28
?k- fofo/k 0;; (बट्टे खाते न डाला गया अथवा समायोजित न किया गया)	11			25.80			24.55
tkM				25352.02			23482.85

y[kkdj.k uhfr;k 23
y[kk fVIif.k;k 24
vuq lph 1 l 24 rd y[kk dk vfHkUu vx g

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपार्ट के अनुसार
dr th-,l-,- ,M ,lkfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼lathoh pk/kjh½
भागीदार
सदस्यता संख्या 85761

fot; xlrk
कंपनी सचिव

,l-ih- lu
निदेशक (तकनीकी)

,l-d- xx
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku % ubl fnYyh
rkjh[k % 26 ebl 2007

31 ekpZ 2007 dks lekIr o"kZ ds fy, YkkHk ,oa gkfu ys[kk

(करोड़ रुपये)

	vuqlwph		31 ekpZ 2007			31 ekpZ 2006	
vk;							
i) बिक्री	12		1962.76			1713.79	
घटाएं : टैरिफ समायोजन			(7.17)			51.80	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी	12A		215.81	1754.12		47.88	1614.11
ii) संविदाएं व परामर्शी आय	13			128.81			48.81
iii) अन्य आय	14			304.57			310.74
dqy tksM+				2187.50			1973.66
O;;							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय	15			183.78			240.00
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	16			235.97			214.02
iii) मूल्यह्रास	17			290.55			269.57
iv) ब्याज व वित्त प्रभार	18			231.75			291.82
v) प्रावधान	19			23.74			8.45
vi) संविदा व परामर्शी व्यय	20			126.43			50.09
vii) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				-			81.16
dqy tksM+				1092.22			1155.11
dj iwoZ ykHk vkSj iwoZvof/k lek;kstu				1095.28			818.55
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	21			7.54			6.39
dj iwoZ ykHk				1087.74			812.16
करा धान के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			125.78			47.52	
ii) अनुसंघी हित लाभ कर			8.90			5.75	
iii) पूर्व वर्षों से संबद्ध समायोजन			28.26			16.14	
iv) आस्थगित कर		167.55			187.90		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		167.55	-	162.94	187.90	-	69.41
dj i'pkr ykHk				924.80			742.75
पिछले वर्ष के लेखों से आगे लाया गया शेष				2829.74			2,369.02
आरक्षित बॉड्स शोधन से वापस ली गई राशि				83.75			-
fofu;kstu ds fy, miyC/k 'ks"k				3838.29			3111.77
i) बांड शोधन आरक्षित निधि को हस्तांतरण				-			27.75
ii) सामान्य आरक्षित को हस्तांतरण				2800.00			-
iii) लाभांश							
अंतरिम				72.00			64.00
– प्रस्तावित				206.00			159.00
iv) लाभांश पर कर							
– अंतरिम				10.10			8.98
– प्रस्तावित				35.01			22.30
rqyu i= esa vkxs ys tk;k x;k 'ks"k				715.18			2829.74

izfr 'ks;j vk; ¼bfDoVh 'ks;j] vafdr ewY; #-10@& izR;sd] fiNys o"kZ #-1000@& izR;sd½

		31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
	ewy	0.88	75.05
	ifjofrZr	0.85	72.53
fuekZ.k dh nkSjku vkdfLed [kpZ	22		
ys[kk uhfr;k	23		
ys[kk ij fVIif.k;k	24		
vuqlwph 1 ls 24 rd ys[kksa dk vfHkUu vax gSA			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपार्ट के अनुसार
drs th-,l-,- ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼,l-tho pkS/kjh½
भागीदार
सदस्यता संख्या 85761

fot; xqIrk
कंपनी सचिव

,l-ih- lqu
निदेशक (तकनीकी)

,l-d- xxZ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku ¼ ubZ fnYyh
rkjh[k ¼ 26 ebZ 2007

vulph&1 'k;j ith

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
d- ikf/kdr		
प्राधिकृत पूंजीः 10/– रुपये प्रत्येक के 15,000,000,000 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष 1000/– रुपये प्रत्येक के 150,0000,000 इक्विटी शेयर)	15000.00	15000.00
[k- fuxfer		
निर्गमित पूंजीः 10/– रुपये प्रत्येक के 11,198,212,500 इक्विटी शेयर		
(पिछले वर्ष 1000*/– रुपये प्रत्येक के 102,152,820, इक्विटी शेयर)	11198.21	10215.28
x- vfHknÙk o inÙk		
अभिदत्त पूंजीः 10/– रुपये प्रत्येक के 11,198,212,500 इक्विटी शेयर	11198.21	10215.28
(पिछले वर्ष 1000*/– रुपये प्रत्येक के 102,152,820, इक्विटी शेयर)		
पूर्ण प्रदत्त (उक्त में से 10 रुपये प्रत्येक के 62,952,960 शेयर भारत सरकार के साथ करार के अनुसरण में नकद से अन्यथा प्रतिफल हेतु आवंटित कर दिए गए हैं)		
tkM	**11,198.21**	**10,215.28**

* 13.03.2007 से 10/– रु. अंकित मूल्य के शेयर में विभाजित।

vulph&2 vkjf{kr o vf/k'k"k

(करोड़ रुपये)

	01-04-2006 dk vFk'k"k	of)	dVkrh@ lek;ktu	31-03-2007 dk vfre 'k"k	01-04-2005 dk vfre 'k"k	of)	dVkrh lek;ktu	31-03-2006 dk vfre 'k"k
पूंजी आरक्षित	0.06	-	-	**0.06**	0.06	-	-	**0.06**
बॉण्ड शोधन आरक्षित	202.50	-	83.75	**118.75**	174.75	27.75	-	**202.50**
सामान्य आरक्षित	1,320.00	2,800.00	-	**4,120.00**	1,320.00	-	-	**1,320.00**
लाभ एवं हानि लेखा	2,829.74	924.80	3,039.36	**715.18**	2,369.02	742.75	282.03	**2,829.74**
स्वबीमा आरक्षित	357.98	57.34	0.89	414.43	304.88	53.19	0.09	357.98
घटाएं : स्व बीमा आरक्षित से प्रतिपूर्ति योग्य हानियां	0.39 357.59	0.98 56.36	- 0.89	1.37 **413.06**	0.22 304.66	0.17 53.02	- 0.09	0.39 **357.59**
tkM	**4,709.89**	**3,781.16**	**3,124.00**	**5,367.05**	**4,168.49**	**823.52**	**282.12**	**4,709.89**

vulph&3 _.k fuf/k& ljf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
d- ck.M	570.00	1000.00
बॉण्ड डिबेंचर–संरक्षित		
[k- eh;knh _.k		
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मीयादी ऋण–भारतीय मुद्रा–संरक्षित	4052.79	2973.50
dy ¼ifjf'k"V n[k½	**4,622.79**	**3,973.50**

_.k fuf/k;k& lqjf{kr

¼djkM #i;½

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
1- ckW.M ¼vifjorZuh; vkj vlqjf{kr ¼		
ckW.M&,e lhjht *4 vkj 7		
¼futh LFkkiu½		
(9.55 प्रतिशत की दर से 1,00000/– रुपये प्रत्येक के 5 वर्षीय बॉण्ड)	-	430.00
(7.01.2007 को मोचित)		
ckW.M&vk lhjht *2		
(7.7 प्रतिशत की दर से 1,00,000,000/– रुपये प्रत्येक के 15 वर्षीय बॉण्ड के साथ 10 पृथक हस्तांतरणीय प्रति देय प्रमुख हिस्से और प्रत्येक पृथक हस्तांतरणीय प्रति देय प्रमुख हिस्से का मूल्य बांड के अंकित मूल्य का 1/10 भाग	570.00	570.00
(प्रारंभिक प्रतिदान 31.03.2009)		
(1 वर्ष के भीतर प्रतिदान के लिए देय रुपये शून्य)		
dqy ckW.Ml ¼d½	570.00	1000.00
2- eh;knh _.k		
cSd vkQ egkjk"V *1	-	50.00
(24.05.2006 को चुकता)		
dsujk cSd *1	85.00	85.00
(1 वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(31.01.2009 से पांच समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
bfM;u vkojlht cSd *1	50.00	50.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(06.12.2008 से चार समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
iatkc u'kuy cSd *1	-	100.00
(24.05.2006 को चुकता)		
LVsV cSd vkQ ifV;kyk *1	40.00	40.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 4 करोड़ रुपये)		
(09.07.07 से 20 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
LVsV cSd vkQ bfM;k *2	-	200.00
(23.05.2006 को चुकता)		
cSd vkQ bfM;k *3	95.00	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपये)		
24.12.06 से 40 समान तिमाही किस्तों में 10 वर्षों में प्रतिदेय)		
lsVy cSd vkQ bfM;k *3	70.00	80.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपये)		
(02.05.04 से 5 करोड़ रुपये की 20 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड *3	92.86	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 14.29 करोड़ रुपये)		
(13.02.07 से 14 समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
iatkc ,.M fla/k cSd *3	95.00	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपये)		
24.10.06 से 40 समान तिमाही किस्तों में 10 वर्षों में प्रतिदेय)		

vu|lph&3 dk ifjf'k"V

_.k fuf/k;k& lqjf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
iatkc u'kuy cSad *3	112.50	127.50
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 15 करोड़ रुपये)		
26.10.04 से 20 छमाही किस्तों में 10 वर्षों में प्रतिदेय)		
LVsV cSad vkWQ ifV;kyk *3	46.43	50.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 7.14 करोड़ रुपये)		
30.01.2007 से 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
LVsV cSad vkWQ gSnjkckn *3	46.43	50.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 7.14 करोड़ रुपये)		
07.01.2007 से 14 छमाही किस्तों में 7 वर्षों में प्रतिदेय)		
LVsV cSad vkWQ bfM;k*3	128.57	150.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 21.43 करोड़ रुपये)		
18.09.06 से 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
dujk cSad *5	50.00	50.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
28.06.09 से 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
Hkkjrh; thou chek fuxe *6 vkSj 9	2062.00	862.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
15.04.09 से 24 छमाही किस्तों में 12 वर्षों में प्रतिदेय)		
dujk cSad *2	200.00	200.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 20 करोड़ रुपये)		
09.11.07 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
fliMhdV cSad *2	183.00	183.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 18.30 करोड़ रुपये)		
23.02.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
vkfj;UVy cSad vkWQ dkWelZ *2	200.00	200.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
01.04.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
vkfj;UVy cSad vkWQ dkWelZ *2	100.00	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
27.12.2011 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
Hkkjrh; thou chek fuxe *8	296.00	96.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
30.04.2012 से 24 छमाही किस्तों में 12 वर्षों में प्रतिदेय)		
bfM;u cSad *1	100.00	-
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
28.02.2012 से 3 समान किस्तों में प्रतिदेय)		
(04.10.06 को संरक्षित ऋण में परिवर्तित)		
dqy lqjf{kr _.k ¼[k½	4052.79	2973.50
dqy tksM+ ¼d$[k½	4622.79	3973.50

_.k fuf/k;k& lqjf{kr

fVIi.kh&

*1. कार्पोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन–I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

*2. कार्पोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

*3. कार्पोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन–II के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*4. कम्पनी की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंकरों के पूर्व प्रभारों के अधीन बही ऋण और भंडारों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*5. कम्पनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित ।

*6. कम्पनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में पार्बती जल विद्युत परियोजना–II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*7. कम्पनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*8. कम्पनी के अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लोडैम–III जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर तथा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लोडैम–III जल विद्युत परियोजना की चल परिसंपत्तियों को बंधक रखकर संरक्षित।

*9. कम्पनी की उत्तरांचल राज्य में अवस्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

vu|lph&4 _.k fuf/k;k& vukjf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
eh;knh _.k		
क) बैंकों–वित्तीय संस्थानों से मीयादी ऋण–भारतीय मुद्रा–अनारक्षित	-	100.00
ख) बैंकों–वित्तीय संस्थानों से मीयादी ऋण–विदेशी मुद्रा–अनारक्षित		
(अ) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत	2710.04	2888.40
(ब) अन्य	199.12	204.79
dqy ¼ifjf'k"V n[k½	**2,909.16**	**3,193.19**

vu|lph&4 dk ifjf'k"V

_.k fuf/k;k & vukjf{kr

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
d½	cSdk&foÙkh; laLFkkuks ls eh;knh _.k&Hkkjrh; eqnzk&vukjf{kr				
i)	bfM;u cSd		-		100.00
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
	(04.10.06 को संरक्षित ऋण में परिवर्तित)				
[k½	cSdk&foÙkh; laLFkkuks ls eh;knh _.k&fons'kh eqnzk&vukjf{kr				
¼v½	Hkkjr ljdkj }kjk xkjUVhd`r				
i)	ukWfMZd bUoLVesV cSd	88.20		113.00	
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 22.05 करोड़ रुपये)				
ii)	ØsfMV dkef'k;y Mhbl Ýkal	346.38		416.36	
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 98.97 करोड़ रुपये)				
iii)	,DLiksVZ fMoyiesV dukMk	439.60		503.89	
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 52.64 करोड़ रुपये)				
iv)	tkiku cSd vkQ bVjus'kuy dksvkijs'ku V'k&1	171.61		185.79	
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 9.03 करोड़ रुपये)				
v)	tkiku cSd vkQ bVjus'kuy dksvkijs'ku V'k&2	607.43		624.72	
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 14.82 करोड़ रुपये)				
vi)	tkiku cSd vkQ bVjus'kuy dksvkijs'ku V'k&3	422.95		402.59	
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
vii)	M;VLps cSd vkj vU;	633.87	2,710.04	642.05	2,888.40
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
¼c½	vU;				
i)	bZlhch&ckdyst ,aM ,llhch		199.12		204.79
	(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
	tksM+		2,909.16		3,193.19

vuqlwph&5 fu;r ifjlEifÙk;k

(करोड़ रुपये)

	I dy Cykd 1-04-2006	of)@ lek;ktu	dVkrh@ lek;ktu	31-03-2007	eY; gkl 01-04-2006 rd	o"k dk fy,	lek& ;ktu	31-03-2007 rd	'k) Cykd 31-03-2007	31-03-2006
भूमि–फ्रीहोल्ड	184.62	7.39	5.18	186.83	-	-	-	-	186.83	184.62
भूमि–लीजहोल्ड	37.68	8.46	1.17	44.97	2.41	0.48	0.05	2.94	42.03	35.27
भूमि–अवर्गीकृत–इस्तेमाल के अधिकार वाली	458.99	53.78	-	512.77	8.58	0.87	-	9.45	503.32	450.41
भवन	1,195.74	111.23	11.21	1,295.76	260.60	38.68	1.69	300.97	994.79	935.14
सड़कें और पुल	261.80	44.33	0.91	305.22	36.26	5.84	0.63	42.73	262.49	225.54
रेलवे साइडिंग	14.53	2.62	3.82	13.33	0.31	0.24	(0.07)	0.48	12.85	14.22
हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक प्रणाली, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंगें)	7,025.14	30.17	54.52	7,000.79	1,230.25	157.48	(0.38)	1,387.35	5,613.44	5,794.89
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	3,133.33	46.68	61.72	3,118.29	795.04	93.81	(1.98)	886.87	2,231.42	2,338.29
संयंत्र एवं मशीनरी–सब स्टेशन	80.10	4.19	0.64	83.65	31.12	2.56	(0.16)	33.52	50.13	48.98
संयंत्र एवं मशीनरी–पारेषण लाइनें	39.93	4.29	1.64	42.58	15.24	1.54	(0.36)	16.42	26.16	24.69
संयंत्र व मशीनरी–अन्य	20.31	2.16	0.30	22.17	6.70	0.99	0.04	7.73	14.44	13.61
निर्माण उपकरण	74.85	1.85	3.32	73.38	36.11	6.69	(2.67)	40.13	33.25	38.74
जल आपूर्ति सिस्टम जल निकास एवं मल निकासी	15.17	7.03	0.03	22.17	1.47	0.45	0.02	1.94	20.23	13.70
विद्युत संस्थापन	2.36	0.86	0.13	3.09	0.33	0.15	(0.03)	0.45	2.64	2.03
वाहन	32.43	0.47	0.91	31.99	23.72	2.35	(0.83)	25.24	6.75	8.71
एयरक्रॉफ्ट–नौकाएं	1.20	0.02	0.11	1.11	0.78	0.11	(0.08)	0.81	0.30	0.42
फर्नीचर व फिक्सचर	28.91	4.04	0.38	32.57	8.87	2.20	(0.09)	10.98	21.59	20.04
कम्प्यूटर	32.34	4.88	1.36	35.86	23.27	4.25	(0.79)	26.73	9.13	9.07
संचार उपकरण	20.71	2.67	0.64	22.74	10.23	1.78	(0.20)	11.81	10.93	10.48
कार्यालय उपस्कर	27.36	4.18	0.46	31.08	7.08	2.12	0.03	9.23	21.85	20.28
अनुसंधान एवं विकास	0.81	0.02	0.67	0.16	0.22	0.01	(0.20)	0.03	0.13	0.59
अगोचर परिसंपत्तियां (सॉफ्टवेयर)	6.73	0.59	0.01	7.31	4.12	1.70	0.05	5.87	1.44	2.61
अन्य परिसंपत्तियां	34.71	2.77	0.35	37.13	11.54	1.90	(0.15)	13.29	23.84	23.17
उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं	11.35	1.75	11.35	1.75	-	0.35	-	0.35	1.40	11.35
मामूली कीमत की नियत परिसंपत्तियां > 750 और < 5000 रुपये	13.59	2.20	0.18	15.61	13.58	2.02	-	15.60	0.01	0.01
अप्रचलित–अधिशेष परिसंपत्तियां	0.83	0.76	0.26	1.33	-	-	-	-	1.33	0.83
dqy	**12,755.52**	**349.39**	**161.27**	**12,943.64**	**2,527.83**	**328.57**	**(5.48)**	**2,850.92**	**10,092.72**	**10,227.69**
fiNys o"k	**10,876.28**	**2,285.72**	**406.48**	**12,755.52**	**2,148.20**	**305.43**	**74.20**	**2,527.83**	**10,227.69**	**8,728.08**

vuqlwph&6 pkyw iwathxr dk;Z

(करोड़ रुपये)

	01-04-2006	lo/ku	lek;ktu	iathdr	31-03-2007
भवन	732.96	303.25	(1.40)	87.52	947.29
सड़कें और पुल	75.61	33.32	(1.05)	39.10	68.78
रेलवे साइडिंग	10.37	-	-	5.87	4.50
हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक प्रणाली, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंगें)	2,869.48	1,071.25	280.23	4.31	4,216.65
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	1,278.54	341.95	217.83	6.12	1,832.20
संयंत्र एवं मशीनरी–सब स्टेशन	18.37	1.20	(16.78)	1.98	0.81
संयंत्र एवं मशीनरी–पारेषण लाइनें	23.69	2.50	(0.06)	3.17	22.96
संयंत्र व मशीनरी–अन्य	1.04	1.94	(0.76)	1.04	1.18
जल आपूर्ति सिस्टम जल निकासी और मल निकासी	5.01	1.39	0.07	4.75	1.72
उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं	6.93	1.65	5.18	1.82	11.94
सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी व पर्यवेक्षण प्रभार	104.45	17.59	(0.80)	-	121.24
प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण पर खर्च	0.51	-	(0.07)	-	0.44
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	3,717.23	961.28*	(508.30)	-	4,170.21
dqy	**8,844.19**	**2,737.32**	**(25.91)**	**155.68**	**11,399.92**
fiNys o"k	**8787.19**	**2928.85**	**(1089.74)**	**1782.11**	**8844.19**

*** vuqlwph&22 n[ks& o"k ds fy, fuek.k ds nkSjku iklafxd [kpZ**

vu|lph&7 fuek.k HkMkj ,o vfxe

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
d- fuek.k HkMkj				
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे	79.68		64.91	
ii) खुले औजार	0.07		0.13	
iii) कबाड़ माल सूची	0.05		-	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	0.86		2.43	
v) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	79.19		57.01	
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	16.20	143.65	13.28	111.20
[k- iathxr 0;; d fy, vfxe				
i) संरक्षित (शोध्य माना जाने वाला)	389.12		152.94	
ii) असंरक्षित (शोध्य माने जाने वाला)				
– बैंक गारंटी पर	253.19		407.38	
– अन्य	70.47		107.43	
iii) असंरक्षित (संदेहास्पद माना जाने वाला)	2.28		0.02	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	2.28	712.78	0.02	667.75
tkM		**856.43**		**778.95**
fuek.k HkMkj d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	13.28		13.18	
वर्ष के दौरान संवर्धन	2.98		0.18	
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	0.06		0.08	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		16.20		13.28
lfnX/k vfxe d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.02		0.02	
वर्ष के दौरान संवर्धन	2.26		-	
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		2.28		0.02

vu|lph&8 fuo'k

(करोड़ रुपये)

	'k;j@ck.M l@ ifrHkfr dh l[;k pky o"k@ ¼fiNy o"k½	ifr 'k;j@ck.M l@ ifrHkfr d vu|lkj vfdr eY; ¼#- e½	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
nh/kkof/kd ¼VM&tc rd vU;Fkk fufn"V u gk½				
d- m)r				
bfDoVh 'k;j $				
ihVhlh bfM;k fy-	12000000 (12000000)	10	12.00	12.00
bfM;u vkojlht cd (uku&VM)	360800 (360800)	10	0.36	0.36
mi tkM (d)			**12.36**	**12.36**
[k- vu)r				
a) **lgk;d difu;k e bfDoVh 'k;j**				
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	10024200 (10024200)	1,000	1,002.42	1,002.42

vu| l ph&8 fuo’k

(करोड़ रुपये)

	'k;j@ck.M l@ ifrHkkfr dh l[;k pkyw o"k@ ¼fiNys o"k½	ifr 'k;j@ck.M l@ ifrHkkfr dk vafdr eY; ¼#- e½	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
b) ckM $				
fuEukfdr I jdkjk d 8-50% dj eDr fo'k"k ck.M l				
अरूणाचल प्रदेश	8748 (9720)	1,000	0.87	0.97
बिहार	171630 (190700)	1,000	17.16	19.07
हरियाणा	5085000 (5650000)	1,000	508.50	565.00
हिमाचल प्रदेश	160812 (178680)	1,000	16.08	17.86
जम्मू एवं कश्मीर	6936264 (7706960)	1,000	693.63	770.70
झारखंड	128790 (143100)	1,000	12.88	14.31
मेघालय	4788 (5320)	1,000	0.48	0.53
मिजोरम	28890 (32100)	1,000	2.89	3.21
नागालैंड	62280 (69200)	1,000	6.23	6.92
पंजाब	2005290 (2228100)	1,000	200.53	222.81
राजस्थान	512838 (569820)	1,000	51.28	56.98
सिकिक्म	21024 (23360)	1,000	2.10	2.34
त्रिपुरा	24012 (26680)	1,000	2.40	2.67
उत्तर प्रदेश	7082010 (7868900)	1,000	708.20	786.89
उत्तरांचल	786870 (874300)	1,000	78.69	87.43
पश्चिमी बंगाल	60498 (67220)	1,000	6.05	6.72
mi tkM ¼[k½			3,310.39	3,566.83
dy tkM ¼d+[k½			3,322.75	3,579.19

$ डीमेट रूप में

mn~/r fuo'k

		31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
(i)	समेकित लागत	12.36	12.36
(ii)	समेकित बाजार मूल्य		
	- एनएसई उद्धृत	75.17	74.41
	- बीएसई उद्धृत	75.18	74.36
	vun~/r fuo'k		
	समेकित लागत	3,310.39	3,566.83

vu|lph&9 orZeku ifjlaifÙk;k _.k ,oa vfxze

(करोड़ रुपये)

			31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
d·	**fuo'k ij mikftr C;kt**		103.54		113.85
[k·	**eky lwph;k ¼ic/ku }kjk ;FkkeY;kfdr rFkk iekf.kr ykxr ij½**				
i)	भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	45.73		51.37	
ii)	खुले औजार	0.55		0.54	
iii)	कबाड़ माल सूची	0.91		0.64	
iv)	मार्गस्थ/बकाया भंडार, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	0.19		1.03	
v)	निर्माण स्थल पर सामान	7.72		6.50	
vi)	ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	3.03		1.39	
	घटाएं : अप्रचलित भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान *1	13.18		9.67	
	tkM		44.95		51.80
x·	**pkyw dk;Z**				
i)	चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	279.98		93.06	
ii)	चालू परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	279.98	0.11	93.17
?k·	**fofo/k nunkj ¼vlqjf{kr½**				
i)	छः माह से अधिक समय से देय ऋण				
	- शोध्य समझे गए	125.07		134.57	
	- संदिग्ध समझे गए	75.94		77.07	
ii)	अन्य ऋण				
	- शोध्य समझे गए	166.15		26.99	
	[(नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 द्वारा देय 0.10 करोड़ रुपये सहित (पिछले वर्ष के 0.13 करोड़ रुपये)]				
	- संदिग्ध समझे गए और प्रावधान युक्त	-		-	
		367.16		238.63	
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान *2	75.94		77.07	
	tkM		291.22		161.56
³	**udn ,oa cSd 'k"k**				
i)	हाथ में नकदी (53.81 करोड़ रुपये के चैक, ड्राफ्ट्स, स्टैम्प्स सहित, पिछले वर्ष 20.40 करोड़ रुपये)	54.24		20.82	
ii)	बैंकों में शेष				
	• अनुसूचित बैंक				
	- चालू खाते में	176.46		117.09	
	- जमा खाते में	236.00		404.04	
	• अन्य बैंकों के पास				
	- चालू खाते में				
	बैंक ऑफ भूटान, फ्यूंटसहोलिंग	0.07		0.14	
	डूयूश बैंक, टोकियो शाखा	0.13		0.11	
	tkM		466.90		542.20
p·	**vU; pkyw ifjlaifÙk;k**				
i)	जमा राशियां पर उपार्जित ब्याज				
	- उपभोक्ताओं की देयता से निपटारे हेतु राज्यों को ऋण	43.75		32.97	
	- जमा	3.55		1.60	
ii)	अन्य	63.51		58.70	
iii)	अन्य एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	61.50		68.37	
	घटाएं: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *3	18.01		18.87	
	tkM		154.30		142.77

vu|lph&9 orleku ifjlifÙk;k _.k ,o vfxze

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007			31 ekp] 2006		
N- _.k ,o vfxze						
a) **_.k**						
कर्मचारी (जमा पर उपार्जित ब्याज सहित)						
संरक्षित	97.51			93.12		
असंरक्षित – शोध्य समझे गए	28.02			29.12		
उपभोक्ता की देयताओं से निपटारे हेतु राज्यों को ऋण						
असंरक्षित– शोध्य समझे गए	253.62			253.62		
b) **i'kfx;k** (वसूल की जाने वाली कीमत के लिए नकद या वस्तु रूप में प्राप्त किए जाने योग्य)						
i) सहायक कंपनियां						
असंरक्षित – शोध्य समझे गए	2.31			2.92		
ii) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता						
संरक्षित	35.14			0.30		
असंरक्षित–शोध्य समझे गए						
- बैंक गारंटी से सुरक्षित	16.85			7.87		
- अन्य	8.85			6.89		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	0.46			0.44		
iii) कर्मचारी						
असंरक्षित (शोध्य समझे गए)	1.99			2.67		
iv) अन्य अग्रिम						
असंरक्षित (शोध्य समझ गए)	0.63			0.30		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान) *4	0.46	444.92		0.44	396.81	
v) अन्य वसूली योग्य		-			0.03	
c) **tek**						
अग्रिम आय कर		331.08			205.94	
dqy tkM			776.00			602.78
dqy (, l th)			2116.89			1708.13

xj&vuqlfpr cSdk eas o"k ds nkSjku vf/kdre 'ks"k dk C;kjk

	2006-07	2005-06
बैंक ऑफ भूटान		
i) चालू खाता	0.19	0.54
डियूशचे बैंक, टोक्यो शाखा		
i) चालू खाता	0.99	100.52
funs'kdks ls ns; _.k ,o vfxze dk C;kjk		
i) वर्ष के अन्त में देय राशि	0.02	0.03
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.06	0.06

उन कंपनियों द्वारा देय अग्रिम, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, उस कंपनी का निदेशक या सदस्य है, शून्य रुपये हैं (विगत वर्ष शून्य रुपये)

lgk;d dEiuh ds ikl o"k ds nkSjku vf/kdre 'ks"k dk C;kjk

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड		4.07				2.99
ikko/kkuks dk C;kjk						
vipfyr HkMkj ,o vfrfjDr dy iqtks ds fy, ikko/kku *1						
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार		9.67			4.00	
वर्ष के दौरान संवर्धन		8.70			5.67	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		5.06			-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.13			-	
अंतिम शेष				13.18		9.67

vu|lph&9 orleku ifj lifÙk;k _.k ,o vfxe

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
lngkLikn _.kk dh fy, iko/kku *2				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	77.07		77.56	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		3.60	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		2.92	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.13		1.17	
अंतिम शेष		**75.94**		**77.07**
v'kk/; ,o lfnX/k nkoka dh fy, ikoVkku *3				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	18.87		16.54	
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.21		2.33	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.07		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**18.01**		**18.87**
lfnX/k _.k ,o vfxeka dh fy, ikoVkku *4				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.44		0.19	
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.02		0.25	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**0.46**		**0.44**

vu|lph&10 orleku n;rk,i ,o ikoVkku

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
d- n;rk,i				
i) विविध ऋणदाता				
क) लघु औद्योगिक उपक्रमों की कुल बकाया देयताएं (30 दिन से अधिक बकाया शुन्य रुपये)	-		-	
ख) अन्य	459.91		292.08	
ii) जमा/एजेंसी की व्यय न की गई राशि	-		0.78	
iii) जमाराशि/प्रतिधारण धनराशि	50.43		47.89	
iv) डिपाजिट वर्क्स पर अग्रिम	81.67		8.22	
घटाएं : डिपाजिट वर्क्स पर वसूली योग्य राशि	(0.05)		(7.02)	
v) ऋणों पर उपार्जित किन्तु देय नहीं ब्याज	128.85		73.47	
vi) परियोजना/कांट्रेक्टीज की लागत के प्रति अग्रिम	273.47		146.17	
vii) अन्य देयताएं	77.40		139.20	
dqy tkM ¼d½		**1071.68**		**700.79**
[k- ikoVkku				
i) **djk/kku grq ikoVkku**				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	197.59		197.32	
वर्ष के दौरान संवर्धन	162.94		69.41	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	29.85		69.14	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		330.68		197.59
ii) **iLrkfor ykHkka'k dk ikoVkku**				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	159.00		80.00	
वर्ष के दौरान संवर्धन	206.00		159.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	159.00		80.00	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		206.00		159.00
iii) **iLrkfor ykHkka'k ij dj**				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	22.30		11.22	
वर्ष के दौरान संवर्धन	35.01		22.30	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	22.30		11.22	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		35.01		22.30

vu|lph&10 orleku n;rk,: ,o ikso/kku

(करोड़ रुपये)

		31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006	
iv)	**oru la'kks/ku ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	73.11		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	39.95		73.11	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	45.19		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	27.92		-	
	अंतिम शेष		39.95		73.11
v)	**vuqxg jkf'k ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	28.59		7.36	
	वर्ष के दौरान वर्धन	29.33		28.49	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	16.42		6.81	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	11.85		0.45	
	अंतिम शेष		29.65		28.59
vi)	**deZpkjh ykHk dk izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	420.08		339.49	
	वर्ष के दौरान वर्धन	112.67		101.42	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	26.13		20.83	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		506.62		420.08
vii)	**vU; [kpksZ ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	0.28		0.27	
	वर्ष के दौरान वर्धन	3.51		6.49	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.07		6.39	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		0.09	
	अंतिम शेष		3.72		0.28
viii)	**ifj;kstuk [kpZ dk izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	8.87		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		8.87		-
ix)	**vkdfLedrkvksa gsrq izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.77		1.80	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.04		0.03	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		1.73		1.77
x)	**VfjQ lek;kstu ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	69.89		86.54	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		51.80	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	62.72		68.45	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	7.17		-	
	अंतिम शेष		-		69.89
xi)	**fctyh dh LomiHkksx dk izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	6.45		6.45	
	वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		6.45		6.45
xii)	**opuc)rk iwath 0;; dk izko/kku**				
	पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान वर्धन	222.13		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		222.13		-
	dqy izko/kku ¼[k½		1390.81		979.06
	dqy tksM+ ¼d+[k½		2462.49		1679.85

vu|lph&11 fofo/k [kp

¼cVV [kkr u Mkyk x;k ;k lek;kftr u fd;k x;k dh lhek rd½

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
i) शेयर इश्यू खर्च (आईपीओ)		1.25		-
ii) समायोजन किए जाने वाले खर्च		24.55		24.55
iii) बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	2.60		3.71	
iv) घटाएं : लंबित अन्वेषण से हानियों के लिए प्रावधान	2.60	-	3.71	-
tkM		25.80		24.55

vu|lph&12 fcØh

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
विद्युत की बिक्री	1963.10	1718.83
घटाएं : संचालन से पूर्व विद्युत उत्पादन		
– से प्राप्त आय		
¼vu|lph&22 ¼i½ e vrfjr½	0.34	5.04
ykHk vkj gkfu [kkr e fy;k x;k dy tkM	1962.76	1713.79

vu|lph&12d eY;gkl ij vfxe

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
वर्ष के दौरान	223.45	70.68
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्च लिखित	7.64	22.80
ykHk o gkfu [kkr e fy;k x;k dy tkM	215.81	47.88

vu|lph&13 lfonk ,o ijke'kh vk;

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
संविदा आय	125.46	43.47
परामर्शी आय	3.35	5.34
ykHk o gkfu [kkr e fy;k x;k dy tkM	128.81	48.81

vuqlwph&14 vU; vk;

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
i) **nh?kkof/k fuos'k ls vk;**		
d) 0;kikj		
– सहायक कम्पनियों से लाभांश	10.82	3.47
– अन्य से लाभांश	1.20	0.96
– ब्याज		
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकार द्वारा जारी 8.5 प्रतिशत की दर के कर–मुक्त बांड)	212.53	227.91
[k) xSj&0;kikj		
– लाभांश आय–अन्य	0.09	0.04
ii) **vU; vk;**		
d) ब्याज		
– ग्राहकों की ओर बकाया का निबटारा करने में राज्य सरकारों को ऋण	21.56	21.56
– भारतीय बैंक (सकल)		
(स्रोत पर कर–कटौती 4519/– रुपये पिछले वर्ष शून्य रुपये)	29.83	19.32
– कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	43.09	51.77
– लाभार्थी राज्यों से ब्याज	1.46	-
ख) देरी से भुगतान प्रभार	7.92	24.43
ग) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.68	1.17
घ) पश्च लेखन अपेक्षित नहीं देयताएं/प्रावधान #	42.64	2.75
ङ) विनिमय दर अन्तर	43.43	28.31
च) अन्य	22.36	16.51
tksM+	**437.61**	**398.20**
?kVk,a % vkbZbZMlh esa varfjr vk; ¼vuqlwph 22 ³ (ii), 22 > (ii) ls vkSj 22 tS (i) (vi) ns[ksa½	130.77	86.78
?kVk,a % lafonk vkSj ijke'kZ [kpZ esa varfjr vk; ¼ns[ksa vuqlwph 20½	2.27	0.68
ykHk o gkfu [kkrs esa yh xbZ dqy jkf'k	**304.57**	**310.74**
# ns;rkvksa@izko/kkuksa dk fooj.k ftudk Hkqxrku vis{kr ugha gS		
क) अशोध्य व संदिग्ध ऋण	0.88	1.17
ख) अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम/जमा	(0.03)	-
ग) भंडार व कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0.12	-
घ) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	27.92	-
ङ) अनुग्रह राशि/पीएलआई के लिए प्रावधान	3.87	0.45
च) लम्बित अन्वेषण हानियों के लिए प्रावधान	0.01	-
छ) उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	7.98	-
ज) देयताएं पश्च लेखन अपेक्षित नहीं	1.89	1.13
tksM+	**42.64**	**2.75**

vuqlwph&15 mRiknu] iz'kklu ,oa vU; 0;;

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
i) भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		6.56		12.02
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण				
– भवन	13.63		14.94	
– मशीनरी	31.36		45.2	
– अन्य	33.29	78.28	30.45	90.59
iii) किराया		12.12		14.39
iv) दरें और कर		1.01		1.20
v) बीमा		2.84		2.72
vi) स्वः बीमा आरक्षित		57.34		53.19

vu|lph&15 mRiknu] i:'kklu ,o vU; 0;;

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
vii)	सुरक्षा व्यय	46.08	41.20
viii)	विद्युत प्रभार	21.17	19.74
ix)	यात्रा एवं वाहन	18.27	15.61
x)	स्टाफ कार पर व्यय	19.93	18.67
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	7.06	7.62
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार	7.20	4.32
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.46	0.45
xiv)	दान	0.03	0.01
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.71	5.42
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.51	0.55
xvii)	परामर्शी प्रभार – स्वदेशी	3.65	3.02
xviii)	परामर्शी प्रभार – विदेशी	0.46	0.38
xix)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र सुधार पर खर्च	47.39	12.75
xx)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	19.31	13.67
xxi)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	-	53.76
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.67	0.27
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय	-	0.02
xxiv)	अशोध्य ऋण/अग्रिम/दावे पश्च लेखन	0.01	0.09
xxv)	बट्टे खाते में डाले गए भंडार	0.33	0.15
xxvi)	अचल परिसंपत्तियां–बट्टे खाते डाली गयी	0.06	0.31
xxvii)	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	3.09	0.95
xxviii)	अन्य सामान्य खर्च	20.40	17.77
xxix)	विनिमय दर अंतर	18.32	0.66
xxx)	लेखा परीक्षा खर्च	0.59	0.63
xxxi)	अनुसंधान व विकास व्यय	0.02	0.37
	tkM	397.87	392.50
	?kVk,¡ % vkbZMhlh esa varfjr 0;;		
	¼vuqlwph 22 [k] 22 x] 22³ (i) vkj 22´¼iii½ ns[ks½	208.46	147.55
	?kVk,¡ % lsfonk vkj ijke'kh [kps esa varfjr [kpZ ¼ns[ks vuqlwph 20½	5.63	4.95
	ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k	183.78	240.00

vu|lph&16 deZpkjh ikfjJfed ,oa ykHk

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	458.43	454.45
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि व पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	65.55	76.90
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	86.04	54.92
iv)	अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान	0.10	-
	tkM	610.12	586.27
	?kVk,¡ % vkbZMhlh esa varfjr deZpkjh ykxr ¼vuqlwph 22 d] vkj 22´ ¼iii½ ns[ks½	358.04	358.22
	?kVk,¡ % lsfonk vkj ijke'kh [kps esa varfjr deZpkjh ykxr ¼ns[ks vuqlwph 20½	16.11	14.03
	ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k	235.97	214.02

vu|lph&17 eY;gkl

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	328.58	305.43
?kVk,a % vkbbMhlh esa vrfjr ¼vu|lph 22 N vkj 22 ´(iv) ls n[ks½	37.74	35.65
?kVk,a % lfonk vkj ijke'kh esa vrfjr ¼n[ks vu|lph 20½	0.29	0.21
ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k	290.55	269.57

vu|lph&18 C;kt ,oa foÙk iHkkj

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
i) निम्नांकित पर ब्याज				
क) बांड	75.41		92.44	
ख) विदेशी ऋण	112.80		108.47	
ग) सावधि ऋण	270.13		227.34	
घ) नक़द ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0.04	458.38	0.02	428.27
ii) बांड निर्गम/सेवा व्यय		1.25		1.06
iii) ग्राहकों को छूट		24.16		31.26
iv) वचनबद्धता शुल्क		0.47		3.28
v) ऋण पर गारंटी शुल्क		34.66		32.38
vi) लाभार्थी राज्यों को ब्याज		2.25		-
vii) बैंक प्रभार		0.89		0.82
viii) अन्य वित्त प्रभार		4.67		4.58
tksM		526.73		501.65
?kVk,a % vkbbMhlh esa vrfjr ifj;kstuk C;kt vkj foRr iHkkj ¼vu|lph 22 ?k vkj 22 ´ ¼v½ n[ks½		293.42		208.27
?kVk,a % lfonk vkj ijke'kh [kpZ esa vrfjr 0;; ¼n[ks vu|lph 20½		1.56		1.56
ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k		231.75		291.82

vu|lph&19 iko/kku

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
i) अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण–प्रावधान किया गया	-	3.60
ii) अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम/जमा–प्रावधान किया गया	2.29	0.25
iii) अशोध्य एवं संदिग्ध दावे–प्रावधान किया गया	3.95	2.33
iv) भंडार व कल पुर्जों के मूल्य में कमी	8.40	5.77
v) भंडार व कल पुर्जों में कमी–प्रावधान किया गया	-	0.08
vi) सीएटी योजनाओं/पर्यावरण खर्च के लिए प्रावधान	184.94	-
vii) परियोजना खर्च के लिए प्रावधान	8.87	-
viii) अचल परिसंपत्तियों/भंडार के लिए प्रावधान	0.35	0.06
ix) अन्य	0.46	-
tksM	209.26	12.09
?kVk,a % vkbbMhlh esa vrfjr [kpZ ¼vu|lph 22 p vkj 22 ´ ¼vi½ n[ks½	185.52	0.67
?kVk,a % lfonk vkj ijke'kh [kpZ esa vrfjr 0;; ¼n[ks vu|lph 20½	-	2.97
ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k	23.74	8.45

vu lph&20 lfonk ,o ijke'kh 0;;

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
i) iR;{k 0;;		166.45		32.38
ii) depkjh ikfjJfed ,o ykHk				
– वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	10.97		10.26	
– उपदान तथा भविष्य निधि तथा पेंशन योजना में अंशदान	1.22		1.09	
– कर्मचारी कल्याण व्यय	1.50	13.69	0.86	12.21
iii) ejEer rFkk vuj{k.k				
– भवन	0.15		0.09	
– मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	0.03		0.04	
– अन्य	0.79	0.97	1.05	1.18
iv) i'kklu rFkk vU; 0;;				
– किराया	1.21		1.00	
– यात्रा एवं वाहन	0.80		0.83	
– स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.32		0.17	
– बीमा	0.02		0.01	
– टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	0.23		0.13	
– विज्ञापन और प्रचार	0.09		0.22	
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.19			0.14
– अन्य खर्च	0.89			0.59
– दरें और कर	0.01		-	
– सुरक्षा	0.21		0.16	
– बिजली	0.08		0.08	
– परामर्शी प्रभार	0.01	4.06	0.06	3.39
v) eY;gkl		0.20		0.15
vi) C;kt o foRrh; iHkkj		1.56		1.56
vii) iko/kku		-		2.97
viii) orekku fuek.k dk;l				
– निर्माण संविदा	(61.46)		(6.72)	
– परामर्शी	-	(61.46)	(0.11)	(6.83)
ix) dkjikjV@{k=h; dk;ky; [kp		2.99		2.23
dy [kp		**128.46**		**49.24**
x) ?kVk,¡ % ikflr;k o olfy;k		2.15		0.65
o"k dk nkjku 'k) [kp		**126.31**		**48.59**
xi) fiNyh vof/k dk lek;ktu		0.12		1.50
ykHk o gkfu y[k e yh x;h dy jkf'k		**126.43**		**50.09**

vu lph&21 iokof/k lek;ktu ¼'k)½

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
vk;				
i) विद्युत की बिक्री	-		0.50	
ii) मूल्यह्रास पश्च लेखन पर अग्रिम	-		88.85	
iii) अन्य	(3.48)		2.00	
mi tkM		**(3.48)**		**91.35**
0;;				
i) वेतन तथा मजदूरी	0.19		0.73	
ii) मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.35		0.38	
iii) ब्याज	0.74		0.71	
iv) अन्य	9.42		77.26	
v) मूल्यह्रास	2.69		98.49	
mi tkM		13.39		177.57
dy tkM		**16.87**		**86.22**
?kVk,¡ % vkbbMhlh e vrfjr [kp ¼vulph 22 t vkj 22 ´ ¼vii½ n[k½				
पूर्व अवधि खर्च	9.26		78.72	
?kVk,¡ % iol vof/k vk;	0.05		0.39	
dy tkM		**9.21**		**78.33**
?kVk,¡ % lfonk vkj ijke'kh [kp e vrfjr 0;; ¼n[k vulph 20½		0.12		1.50
ykHk o gkfu [kkr e yh x;h dy jkf'k		**7.54**		**6.39**

vu|lph&22 o"k e| fuek.k d| nkjku vkdfLed [kp

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
d· deipkjh ikfjJfed vkj yHk					
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	185.23		194.58	
ii)	उपदान और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	26.31		32.29	
iii)	स्टाफ कल्याण खर्च	36.23		22.58	
iv)	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.10		-	
	mi tkM		247.87		249.45
[k· ejEer rFkk vuj{k.k					
i)	भवन	4.23		2.90	
ii)	मशीनरी	4.89		4.66	
iii)	अन्य	10.76		11.40	
	mi tkM		19.88		18.96
x· i'kklu vkj vU; [kp					
i)	किराया	13.31		12.51	
ii)	दरें व कर	0.34		0.40	
iii)	बीमा	0.68		0.84	
iv)	सुरक्षा व्यय	22.96		20.68	
v)	विद्युत प्रभार	10.75		9.86	
vi)	यात्रा एवं वाहन	8.47		6.14	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	6.79		5.88	
viii)	टेलीफोन, टेलेक्स व डाक टिकट	2.54		2.36	
ix)	विज्ञापन और प्रचार	2.15		0.80	
x)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार पर खर्च	0.15		0.13	
xi)	मुद्रण और लेखन सामग्री	1.67		1.78	
xii)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.01		0.03	
xiii)	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार				
	– स्वदेशी	1.10		0.40	
	– विदेशी	0.18		0.37	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर खर्च	46.69		11.98	
xv)	उस भूमि पर खर्च जो निगम की नहीं है।	18.72		13.41	
xvi)	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-		0.14	
xvii)	परिसंपत्तियों पर नुकसान/बट्टे खाते डाला गया सामान	0.27		0.27	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		0.01	
xix)	अन्य सामान्य खर्च	4.86		5.43	
	mi tkM		141.64		93.42
?k· C;kt vkj foRr iHkkj					
i)	निम्नांकित पर ब्याज				
	क) बांड	24.64		24.64	
	ख) विदेशी ऋण	53.09		59.40	
	ग) सावधि ऋण	197.01		98.51	
ii)	बांड निर्गमित/सेवा प्रभार	0.91		0.30	
iii)	वचनबद्धता शुल्क	0.12		3.20	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	12.70		17.22	
v)	अन्य वित्त प्रभार	4.89		4.86	
	mi tkM		293.36		208.13

vu|l|ph&22 o"k| e| fuek|.k d| nk|jku vkdfLed [kp|

(करोड़ रुपये)

		31 ekp| 2007		31 ekp| 2006
³½ fofue; nj vUrj ¼'k)½				
i) विनिमय दर अन्तर (नामे शेष)	16.71		0.51	
ii) *घटाएं :* विनिमय दर अन्तर (जमा शेष)	40.10		25.06	
mi tkM		(23.39)		(24.55)
च) प्रावधान	185.46		0.61	
mi tkM		185.46		0.61
N½ eY;gk l	30.87		28.85	
mi tkM		30.87		28.85
t· iol vof/k lek;ktu ¼'k)½				
i) पूर्व अवधि व्यय	8.97		77.97	
ii) घटाएं : पूर्व अवधि आय	0.05		0.39	
mi tkM		8.92		77.58
> ?kVk,¡ ½ ikflr;k vkj olfy;k				
i) विद्युत उत्पादन–संचालन पूर्व से आय		0.34		5.04
ii) ऋण व अग्रिम पर ब्याज	38.66		45.46	
iii) विविध प्राप्तियां	14.46		10.00	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.06		0.46	
v) देयता/प्रावधान जिसे वापस लिखना अपेक्षित न हो।	29.65		0.74	
vi) संयंत्र व मशीनरी पर किराया प्रभार	0.28	83.11	0.46	57.12
mi tkM		**83.45**		**62.16**
ञ dkjikjV dk;ky; iC/ku 0;;				
i) अन्य आय	(7.56)		(4.60)	
ii) उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	30.23		34.66	
iii) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	110.17		108.77	
iv) मूल्यह्रास	6.87		6.80	
v) ब्याज और वित्त प्रभार	0.06		0.14	
vi) प्रावधान	0.06		0.06	
vii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	0.29		0.75	
mi tkM		140.12		146.58
;kx ¼d l t½& >½ ¼vu|lph 6 dk vrfjr½		**961.28**		**736.87**

vu|lph&23 egRoi.k y[kkdu uhfr;ka

1- y[kkdu lc/kh ijEijk,

निगम के लेखे लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2- vpy vkfLr;k

2.1 अचल आस्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बतायी गयी हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन आस्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 ऐसी भूमि पर सृजित ऐसी अचल आस्तियां जो कार्पोरेशन की नहीं हैं अचल आस्तियों के अंतर्गत शामिल की गयी हैं।

2.3 जहां न तो भूमि और न आस्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहां आस्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल आस्तियों में दिखाया गया है।

2.4 मुआवजे और जमीन से संबंधित अन्य खर्चों के तौर पर पहले किये गये भुगतान को जमीन की कीमत मान लिया गया है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गयी भूमि (पट्टे के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किये गये लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहां इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट शर्त हो वहां इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है। इसे परियोजना की उपयोगी जीवन–अवधि यानी इसके वाणिज्यिक रूप से चालू होने की अवधि से 35 वर्ष माना जाता है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत हासिल की जाने वाली/बनायी जाने वाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 फालतू घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर है और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3- e'khuk d fgLl iqt

3.1(क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गये या बाद में हासिल किये गये मशीनों के हिस्से पुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के हिस्से पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है, और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। यदि कल पुर्जों की कीमत पता नहीं होती विशेषकर जब इन्हें मूल प्लांट के साथ खरीदा गया हो तो ऐसी स्थिति में इनका पूंजीकरण और मूल्यह्रास मूल प्लांट के साथ किया जाता है।

3.1(ख) हिस्से पुर्जों की डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है जिसमें ये हिस्से पुर्जे इस्तेमाल में लाये जाते हैं। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और उपयोग किये गये हिस्से पुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है।

3.1(ग) जब संबंधित स्थिर आस्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे हिस्से पुर्जों की लागत शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही आस्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित हिस्से पुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य हिस्से पुर्जों को ''भंडार एवं हिस्से पुर्जे'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4- fuek.kk/khu iwthxr dk;

4.1 चालू की जा रही परियोजनाओं और अन्य निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को लागत आधार पर माना जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में ब्याज और निर्माण के दौरान उपयोग में लाई जा रही स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास सहित सभी आनुषंगिक और नैमित्तिक खर्चों को निर्माण के दौरान आनुषंगिक खर्च में शामिल किया जाता है और परियाजना के पूरा होने तक इसे भूमि और अवसंरचना सुविधाओं के अलावा प्रमुख अचल परियोजना आस्तियों में डाल दिया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरक्षण, उच्चीकरण आदि के खर्च को 'निर्माण के दौरान आनुषंगिक खर्च' में डाल दिया जाता है।

5- eY;gkl vkj _.k 'kk/ku

5.1 मूल्यह्रास को सरल रेखा विधि के आधार पर परिसम्पत्ति की 90% लागत तक केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए हिसाब में लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी दरों की अधिसूचना सीईआरसी के विनियमों के अंतर्गत जारी नहीं की गयी हैं, मूल्यह्रास का आकलन सरल रेखा विधि के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों से किया जाता है। लेकिन यह नियम कम्प्यूटरों और उनसे संबंधित सामग्री पर लागू नहीं होता और कंपनी द्वारा आकलित दरों को ही माना जाता है।

5.2 कोई वस्तु जिस वर्ष उपयोग हेतु उपलब्ध करायी जाती है मूल्यह्रास उसी साल के यथानुपात में आंका जाता है।

5.3 5000 रुपये या इससे कम मूल्य की लेकिन 750 रुपये से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़ कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000 रुपये या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्तियों के रूप में हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750 रुपये तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्ति' माना जाता है और तीन साल से अधिक में इसका ऋण शोधन किया जाता है।

5.6 जहां वर्ष के दौरान मुद्रा में उतार–चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही समान घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी होने से मूल्यह्रास वाली परिसम्पत्तियों की लागत में कमी आती है तो ऐसी परिसम्पत्तियों की शेष राशि पर संभावित मूल्यह्रास की दर के आधार पर शेष अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना की जाती है ।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत खर्च का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से पांच साल की अवधि में और इसके के बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

6- fuos'k

निवेश लम्बी अविधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किये जाते हैं। निवेश के मूल्य पर अस्थाई कमी को छोड़कर अन्य कमियों के लिए प्रावधान रखा जाता है।

7- oLrq lwph

7.1(क) फालतू निर्माण उपकरणों के हिस्से पुर्जे और कबाड़ को छोड़कर भंडार सामग्री और हिस्से–पुर्जों का आकलन भार आधारित औसत लागत के अनुसार किया जाता है।

(ख) कबाड़ की लागत का आकलन उससे प्राप्त होने वाली शुद्ध लागत के आधार पर किया जाता है।

(ग) फालतू निर्माण उपकरणों के हिस्से–पुर्जों की लागत का आकलन मूल्य के निम्न स्तर पर और प्राप्त होने वाले शद्ध मूल्य पर किया जाता है।

7.2 समीक्षा के दौरान पहचान की गयी बेकार और पुरानी भंडार वस्तुओं तथा हिस्से–पुर्जों से होने वाले नुकसान को हिसाब में लिया गया है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किये गये जिन छुटपुट औजारों की लागत 5,000 रुपये या इससे कम है उन्हें खपत खाते में डाल दिया गया है और अन्य अन्य औजारों को पांच बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते में डाला गया है।

7.4 बिजलीघरों के लिए संचालन और अनुरक्षण के लिए जारी की गयी भंडार वस्तुएं वर्ष के अंत में कार्य स्थल पर बेकार पड़ी हैं उनका मूल्यांकन इंजीनियरी अनुमानों में किया गया है और उन्हें भंडार वस्तुओं में शामिल किया गया है।

8- fons'kh eqnzk esa mrkj&p<ko

8.1 विदेशी मुद्रा के लेनदेनों को सौदे की तारीख की मुद्रा विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक वस्तुओं को लेखांकन वर्ष के आखिरी दिन की विनिमय दर के आधार पर आंका गया है।

8.2 1.4.2004 से पहले हुए सौदों के सिलसिले में स्थिर आस्तियों/पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित देयताओं में मुद्रा संबंधी अंतरों को संबंधित स्थिर आस्तियों/पूंजीगत चालू कार्य की रखाव लागत के साथ समायोजित कर दिया गया है।

8.3 1.4.2004 से पहले भारत से बाहर हुए सौदों के सिलसिले में हासिल स्थिर आस्तियों/पूंजीगत साज–सामान से संबंधित मुद्रा विनिमय अंतर को संबंधित स्थिर आस्तियों/चालू पूंजीगत कार्य के साथ समायोजित कर दिया गया है।

8.4 चालू हो चुके स्टशनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के आईईडीसी के संबंध में मुद्रा विनिमय संबंधी अन्य अंतरों को उस अवधि की आमदनी और खर्च मान लिया गया है जिसमें वे लाभ–हानि लेखा में लिये गये थे।

9- deZpkjh ykHk

9.1 कर्मचारी लाभ संबंधी लेखा मानक–संख्या 15 (2005) में परिभाषित रोजगार परवर्ती लाभों के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

9.2 यात्रा अवकाश रियायत, अवकाश नकदीकरण और सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य सामान भत्ते के लिए लेखों में प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

9.3 अनुदान राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतगर्त नोटिस वेतन पर खर्च को उसी वर्ष राजस्व पर प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष वे किए गए हों।

10- jktLo

10.1(क) बिजली की बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क के अनुसार किया गया है। बिजली घर के मामले में, जहां शुल्क अधिसूचित नहीं किया गया है बिक्री का हिसाब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों और विधि के अनुसार अनंतिम दरों के आधार पर किया गया है। विदेशी मुद्रा में लिए गये ऋणों के संबंध में मुद्रा विनिमय संबंधी उतार–चढ़ाव के लिए वसूली/भुगतान और आय कर की वसूली को वार्षिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों का आकलन शुल्क अधिसूचनाओं के आधार पर किया गया है। बिजली घरों के संदर्भ में, जहां शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, प्रोत्साहनों का आकलन इनके स्वीकृत होने की संभावना के आधार पर अनंतिम रूप से किया गया है।

(ग) वैश्विक खातों को अंतिम रूप दिये जाने से उत्पन्न समायोजन, हालांकि वास्तविक नहीं हैं, लेकिन उन्हें अंतिम रूप दिये जाने वाले वर्ष में शामिल किया गया है।

(घ) ऋणों के भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षों में शुल्क के घटक के रूप में दिये जाने वाले अग्रिम को बिक्री में से कम कर लिया गया है और अगले वर्षों की बिक्री में आस्थगित आय के रूप में शामिल कर लिया गया है।

10.2(क) निर्माण ठेके के काम से होने वाली आमदनी का नीचे दिये अनुसार पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर आकलन किया गया है:

	dk;Z esa izxfr vkdfyr lafonk ykxr ds :i esa	vkenuh dk vkdyu
(क)	66.67 प्रतिशत तक	लागत की संभावित वसूली तक
(ख)	66.67 प्रतिशत से अधिक	कार्य पूरा होने के चरण के अनुसार

ठेकों में पूर्वानुमानित हानियों सहित सभी नुकसानों का तत्काल आकलन किया जाता है। ऐसे मामलों में आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है और यह उस सीमा तक होता है जहां तक वास्तविक देयता अवधि के दौरान किये जाने वाले दावों को निपटाने के लिए जरूरी होता है।

10.2(ख) अन्य परियोजना प्रबंधन/परामर्श अनुबंधों में आमदनी का आकलन अनुबंध के अंतर्गत किये गये कार्य की मात्रा और समझौते की शर्तों के आनुसार किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

10.4 ग्राहकों से लिये जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्तियों पर आमदनी माना जाता है बशर्ते उनकी वसूली की पर्याप्त संभावना हो।

11- dkiksZjsV dk;kZy; ds [kpksZa dk vkcaVu

कार्पोरेट कार्यालय के खर्चों का आबंटन इस प्रकार किया जाता है :

(क) बिजली घरों पर करों और शुल्कों को छोड़कर साल में उनकी ऊर्जा की बिक्री के एक प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को मिले और उसके द्वारा कराये जाने वाले निर्माण संबंधी अनुबंधित कार्यों के लिए वर्ष के दौरान हुए परियोजना खर्च के 5 प्रतिशत की दर से। लेकिन इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले शामिल नहीं हैं जिनमें उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के आधार पर खर्च का अलग से आबंटन किया जाता है।

(ग) बकाया खर्च का आबंटन निर्माण परियोजनाओं में वर्ष के दौरान हुए शुद्ध पूंजी खर्च के अनुपात में किया जाता है।

12- Lo chek

तुलन पत्र की तारीख को बिजली घरों के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक 'स्वयं बीमा निधि' में वार्षिक आधार पर अंतरित कर दिया जाता है। इसे लाभ और हानि लेखे के हिसाब में लिया जाता है और विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

13- fofo/k

13.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किये जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत निर्माण कार्य संबंधी देयताओं को निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

13.2 बिजली घरों द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

13.3 50,000 रुपये और इससे कम के पहले से भुगतान शुदा खर्चों और अवधि पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

13.4 बीमा दावों को वसूली की पक्की संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14- m/kkj lac/kh ykxr

निर्माण/आधुनिकीकरण और मरम्मत के दौरान आने वाली स्थिर आस्तियों की उधार लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये उधार लिये गये थे।

15- vkenuh ij dj

चालू अवधि के लिए आमदनी पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। निगम की मुख्य गतिविधि अर्थात बिजली के उत्पादन से संबंधित आयकर लाभभोक्ताओं से आता है। वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल के आधार पर आस्थगित कर का आकलन किया जाता है और इसका आकलन तुलन पत्र की तिथि को लागू या लागू कर की दरों के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को उसी सीमा तक हिसाब में लिया तथा अग्रानीत किया जाता है जहां तक इस बात की युक्ति संगत निश्चितता हो कि आस्थगित कर आस्तियों के संदर्भ में पर्याप्त भावी करयोग्य आय होगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाता में उसी सीमा तक क्रेडिट या डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर खर्च आने वाले वर्षों में लाभार्थियों से कर संबंधी व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर हिसाब में लेने योग्य हो।

vu|lph&24 y[kk ij fVIif.k;k

1 क) निम्नांकित के अनुसार आकस्मिक देयताएं :– (करोड़ रुपये में)

fooj.k	01-04-2006 dk vFk 'k"k	31-03-2007 dk vfre 'k"k
कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें निम्नांकित के संबंध में ऋण नहीं स्वीकार किया गया है–		
–पूंजीगत कार्य	1257.56	1819.78
–भूमि मुआवजा मामले	69.72	125.55
–अन्य	125.98	183.30
विवादित आयकर मांग	14.79	–
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	0.15	–
विवादित बिक्री कर मांग	2075.25	2055.53
अन्य (इसमें 30.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 30.21 करोड़ रुपये) के बांड शामिल हैं, जिन्हें निगम द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था।)	54.59	97.26
dy	3598-04	4281-42

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों तथा अन्य के संबंध में लंबित मामलों के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं, जहां राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में निगम को 0.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.79 करोड़ रुपये) की अदायगी होने की संभावना है।

2. पूंजी लेखे पर निष्पादित होने वाली संविदा संबंधी शेष अनुमानित राशि तथा जिसकी व्यवस्था नहीं की गयी है, 8588.86 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8216.34 करोड़ रुपये) बनती है।

3.क) भारत सरकार से स्वीकृति लंबित होने के कारण निर्माण के दौरान भारत सरकार ऋण पर 8.83 करोड रुपये (पिछले वर्ष 8.83 करोड़ रुपये) की राशि के प्रोद्भूत ब्याज के प्रथम 50 प्रतिशत हिस्से को टनकपुर पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया है, जिसे भारत सरकार की इक्विटी के तौर पर समंजनीय दर्शाया गया है। आगामी समायोजन, यदि कोई होंगे, भारत सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति पर किए जायेंगे।

ख. विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार कोयलकारो परियोजना पर हुए खर्च को 24.55 करोड़ रुपये की सीमा तक, परियोजना की इक्विटि पूंजी के बराबर होने के कारण इसे भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। तद्नुसार दिनांक 28.07.2006 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयर धारकों ने इक्विटि पूंजी से हुई कमी लिए अनुमोदन दे दिया है। इक्विटि में हुई इस कमी की बुक में प्रविष्टि नहीं की गई है क्योंकि कंपनी मामले संबंधी मंत्रालय के दिनांक 09.04.2007 के आदेश सं. 40/4/2006–सीएल–III द्वारा शेयर पूंजी में हुई कमी की पुष्टी की गई है और दिनांक 20.04.2007 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा इसका पंजीकरण किया गया है।

4.क) 2,103 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2,049 हेक्टेयर) क्षेत्र में 59.51 करोड़ रुपये की राशि की (विगत वर्ष 60.37 करोड़ रुपये) की कुछ परियोजनाओं/यूनिटों की भूमि के संबंध में टाइटल डीड/टाइटल को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टॉम्प डयूटी आदि पर व्यय को, जब वह जैसे खर्च होगा, लेखे में दर्ज किया जाएगा।

ख) जम्मू–कश्मीर की कुछ यूनिटों में लीज़ डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गयी है, सिवाय कुछ मामलों के, जहां यह 30 अथवा 40 वर्ष रखी गयी है, जैसा भी मामला हो, और तदनुसार भूमि की लागत परिशोधित की गयी है।

ग) भूमि में एसएसबी से 1/–रुपये प्रति वर्ष के कल्पित किराये पर 99 वर्ष की अवधि हेतु ली गयी भूमि शामिल नहीं है।

5. सक्षम अधिकारी की मंजूरी के लंबित रहते कुछ वस्तुओं की स्वीकृत मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए किए गए अस्थायी भुगतान को चालू पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।

6.क) बिक्री में 18.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (–) 8.09 करोड़ रुपये) का ऐसा प्रभार शामिल है, जिसको अभी आयकर हेतु लाभार्थियों के बिल में डाला जाना है, जो कि वर्ष की समाप्ति पर डाला जाएगा।

ख) धोलीगंगा पावर स्टेशन के संबंध में बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम टैरिफ के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

7.क) संविदाकर्त्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गयी शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्त्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं और संविदाकर्त्ताओं को जमा/पेशगी राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

ख) बिक्री के लिए देनदारी के अंतर्गत 120.81 करोड़ रुपये (शुद्ध) की राशि शमिल है, जो मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जानी है, जो वित्त वर्ष 1996–97 से पहले की अवधि से संबंधित है। प्रबंधन की राय में इस बारे में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वसूली का मामला विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू आस्तियो, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाये गये उनके मूल्य से कम नहीं होगा। किंतु अभ्यर्पण मूल्य के अभाव में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित मूल्य पर उपदान कोश जारी है।

घ) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए. ''अन्य चालू आस्तियों'' (अनुसूची–9) और ''अन्य देयताओं'' (अनुसूची–10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रुपये का दर्शाया जाना जारी है।

ङ) वसूली योग्य दावों में जम्मू कश्मीर पीडीसी की ओर बकाया 16.65 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो बगलिहार परियोजना से संबद्ध है। यह परियोजना भारत सरकार के ओदशों के अनुसार उन्हें सौंप दी गयी थी। सावलकोट परियोजना के बारे में परियोजना के अंतिम रूप से सौंपे जाने के लंबित रहते 10.33 करोड़ रुपये का कुल पूंजी खर्च निगम की परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में जारी है, लेकिन इस परियोजना के संदर्भ में जेएंडकेपीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रुपये की तदर्थ अग्रिम राशि को ''चालू देयताओं'' के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अंतिम हिसाब–किताब के समय समायोजित किया जाएगा।

8. क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा सियांग (13,600 मेगावाट), सुबानसिरी (5600 मेगावाट) और दिबांग बहु–उद्दशीय परियोजनाएं निगम को हस्तांतरित की गयीं। इन परियोजनाओं को अंतिम रूप से सौंपे जाने की प्रक्रिया और दिबांग बहु–उद्दशीय परियोजना तथा तवांग बेसिन परियोजनाओं को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश राज्य में सभी योजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और अंतिम हिसाब–किताब का मामला ब्रहमपुत्र बोर्ड के साथ लंबित रहते इन परियोजनाओं के संदर्भ में आस्तियों और देयताओं को निगम द्वारा खर्च की गयी राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है।

ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में निगम ने जेएंडकेपीडीसी से उड़ी–II, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा–II, बरसर, निम्मो–बाजगो, चुटक परियोजनाएं अधिगृहीत कर ली हैं, जिनके लिए जेएंडकेपीडीसी ने 84.89 करोड़ रुपये की मांग रखी है। परियोजनाओं को अधिगृहीत करने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त कार्पोरेशन ने सेवा–II परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरित की गयी परिसंपत्तियों की जांच और जेएंडकेपीडीसी के खातों के समाधान के आधार पर 33.66 करोड़ रुपये का कुल व्यय दर्ज किया है, जबकि उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रुपये का दावा किया गया था। 33.66 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये चुकता कर दिए गए हैं। जेएंडकेपीडीसी द्वारा मांगे गए शेष खर्च को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखों के अंतिम समाधान पर दर्ज किया जाएगा।

ग) 1 नवंबर, 2003 को एनएचपीसी और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में लखवार व्यासी परियोजना एनएचपीसी को सौंपी गयी थीं। इस परियोजना के एनएचपीसी को सौंपे जाने से पहले उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खर्च की गयी 246.86 करोड़ रुपये की राशि लेखा बहियों में शामिल नहीं की गयी है, क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार के साथ इस परियोजना के निर्माण के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

9. क) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या आईएएस 966 और 1012 के कारण सुबानसिरी अपर और सुबानसिरी मिडिल परियोजनाओं का काम लंबित है। इन आदशों में सुबानसिरी नदी के ऊपरी भाग (अपस्ट्रीम) में बांध के निर्माण पर रोक लगायी गयी थी। किंतु इसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण के लिए आईए संख्या 1362–63 दाखिल की, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21.07.2006 को सुनवाई की गयी और यह मामला राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति को सौंप दिया गया। इस बारे में निर्णय के लंबित रहते उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 35.73 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 33.03 करोड़ रुपये) और 32.79 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 31.05 करोड़ रुपये) का पूंजी खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं।

ख) अरुणाचल प्रदेशसरकार ने सिओम (सियांग मिडिल) और सियांग लोअर परियोजना प्राइवेट विकासकर्ताओं को आवंटित कर दी हैं और कारपोरेशन से उचित खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। कारपोरेशन ने यह मामला भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया है, क्योंकि कारपोरेशन ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड से परियोजनाएं अपने हाथ में लेने के बाद उनके लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किए हैं। ये परियोजनाएं उपरोक्त नोट 7 (क) में वर्णित भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कारपोरेशन को सौंपी गयी थी। भारत सरकार का निर्णय लंबित रहने के कारण उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 45.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.07 करोड़ रुपये) और 37.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 33.54 करोड़ रुपये) का पूंजी खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं।

ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लंबित होने के कारण सियांग अपर परियोजना के संबंध में 29.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 27.79 करोड़ रुपये) का खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं। यह परियोजना सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एनएचपीसी को सौंपी गयी थी।

घ) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के निष्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के बारे में एनएचपीसी और मणिपुर सरकार के बीच करार पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण 29.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 28.69 करोड़ रुपये) का खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं।

10. कारपोरेशन ने 1, 676,049,945 इक्विटी शेयर के पब्लिक इश्यू के लिए एसईबीआई में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया है। इनमें से 558,683,315 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा कारपोरेशन में अपनी भागीदारी कम करने के लिए बेचे जायेंगे। विक्रेता शेयर धारक के नाते इस इश्यू का खर्च एनएचपीसी और भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एनएचपीसी के हिस्से का खर्च इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि से समायोजित किया जाएगा।

11. बोर्ड ने बाव–2 और दिवाडे एचई परियोजनाएं बंद करने का निर्णय किया है। इस संबंध में भारत सरकार की औपचारिक मंजूरी लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं पर बटटे खाते डालने संबंधी खर्च की देखरेख के लिए क्रमशः 8.25 करोड़ रुपये और 0.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था लेखों के अंतर्गत की गयी है।

12. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं। वेतन संशोधन के बारे में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का निर्णय लंबित होने के कारण बहियों में 37.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 01 जनवरी, 1997 से कार्यपालकों के संबंध में संशोधित वेतन ढांचे के लागू होने से उत्पन्न विसंगतियां दूर करने के लिए 2.73 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

13. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास कारपोरेशन की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 5 (अनुसूची–23) के अनुसार प्रभारित किया जाता है। मूल्य ह्रास प्रभारित करने का मुद्दा नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा विद्युत मंत्रालय, (एमओपी) भारत सरकार को सौंपा गया है। विद्युत मंत्रालय पहले ही टैरिफ नीति अधिसूचित कर चुका है, जिसमें प्रावधान है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित मूल्य ह्रास की दरें ही टैरिफ और लेखाकरण के संबंध में लागू होंगी। टैरिफ नीति के अनुसार सीईआरसी द्वारा मानदंड तैयार किए जाने का मामला लंबित होने के कारण मौजूदा टैरिफ नियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरें वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभारित करने के लिए उचित समझी गयी हैं।

14. कंपनी ने 534.70 करोड़ जेपीवाई के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में देय तिथियों को अर्थात् 9 जनवरी और 9 जुलाई को ब्याज भुगतान और साथ ही पांच वर्षों के अंत में मूलधन की संभावित अदायगी के लिए भी सुरक्षात्मक करार किए हैं। भारत में किसी विशिष्ट लेखाकरण मानक के अभाव में तथा 'तुलन पत्र से परे मद' होने के कारण तुलन पत्र की तिथि के अनुसार किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। करार से प्रत्युत्पन्न लाभ या हानि का लेखाकरण देय तिथियों को निपटान पर किया जाएगा।

15.क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय में हुए उतार–चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपये)

	o"kZ 2006&07 dk fy,	o"kZ 2005&06 dk fy,
(i) मूल्य ह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि पर प्रभारित राशि	(–) 1.72	(–) 3.10
(ii) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय पर प्रभारित राशि	(–) 23.39	(–) 24.56
(iii) चालू पूंजी कार्य पर प्रभारित राशि	28.43	(–) 102.31
(iv) अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि में बढ़ोतरी करके समायोजित की गयी राशि	(–) 44.41	(–) 29.42
(v) मौद्रिक परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी करके समायोजित की गयी राशि	–	0.05

ख) उधार लागत की धनराशि का पूंजीकरण 'निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च' में हस्तांतरित कर दिया गया है। इस वर्ष के दौरान यह राशि 287.56 करोड़ रुपये (202.97 करोड़ रुपये पिछले वर्ष) रही है।

16. क) वर्ष के दौरान निम्नांकित लेखांकन नीतियां प्रारंभ/संशोधित/निरस्त की गयीं :–

uhfr l[;k	fooj.k	o"kZ dk ykHk ij iHkko
नीति संख्या 1	''कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर किए गए व्यय को छोडकर, जिसे उपयोग किए गए वर्ष में माना जाता है'' 'kCn fujLr djuk A	प्रभाव नीचे पोलिसी संख्या 9 के सामने प्रकट किया गया है।
नीति संख्या 4.1	प्रासंगिक तथा आरोप्य व्यय के बाद **¼'kq) iklfxd vk;½** 'kCn tksMk tkuk	कोई प्रभाव नहीं।
नीति संख्या 5.1	''सीधी पद्धति के आधार पर'' के बाद **ifjlEifRr dh ykxr dk 90 ifr'kr rd** 'kCn tksMk tkukA	कोई प्रभाव नहीं।
नीति संख्या 5.4	''विनिमय उतार–चढ़ाव,'' के बाद **eY; lek;ktu] 'kYdk ;k ,sl gh vU; ?kVdk** es ifjorZu 'kCn tksMk tkukA	कोई भौतिक प्रभाव नहीं
नीति संख्या 7	'',sls fuos'k dk eY; es vLFkk;h ls fHkUu gkl dk fy, iko/kku gkrk g'' शब्द जोड़ा जाना ।	कोई प्रभाव नहीं।
नीति संख्या 9	सेवा निवृत्ति लाभ नीति में लेखाकरण मानक 15 (2005) के अनुसार कर्मचारी लाभ संबंधी प्रावधान में संशोधन	(–) 11.17 करोड़ रुपये
नीति संख्या 13.5	इस नीति का कर्मचारी लाभ नीति (नीति संख्या 9) में विलय	कोई प्रभाव नहीं

ख). लेखाकरण मानक (एएस) 15 (2005) के संदर्भ में ''कर्मचारी लाभ'' के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर 84.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष लेखाकरण मानक 15 (1995) के संदर्भ में 78.45 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया। चालू वर्ष के प्रावधान के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर अवकाश यात्रा रियायत और बैगेज भत्ते के लिए क्रमशः 16.12 करोड़ रुपये और 3.13 करोड़ रुपये के प्रावधान शामिल हैं। एएस–15 (2005) के जारी होने से पहले इन प्रावधानों को खर्च के वास्तविक वर्ष के हिसाब में शामिल किया जाता था। नतीजतन वर्ष के लिए लाभ में 11.17 करोड़ रुपये की कमी दर्शायी गयी है।

17.क) विद्युत उत्पादन करना कारपोरेशन का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक–17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

18 इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक–18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :–

d½ i.kdkfyd funs'kd ¼&

श्री एस.के. गर्ग	23.01.2007 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार। इससे पहले निदेशक (वित्त) और 01.10.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री एस.के. चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक)
श्री एस.पी. सेन	निदेशक (तकनीकी)
श्री एस.के. डोडेज़ा	02.09.2006 से निदेशक (परियोजनाएं)

[k½ lc/k

संयुक्त उद्यम कंपनी	शून्य

x½ 0;olk; dh lkekU; ifØ;k esa lcf/kr ikfVZ;ksa dks lkFk fd, x, dkjksckj dk C;kjk

(i)	उपरोक्त मद (क) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	शून्य
(ii)	उपरोक्त मद (ख) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	लागू नहीं

19. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और ट्रैंजिट कैम्प्स के लिए परिचालन पट्टों (ऑपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो ऐसी नहीं हैं, जिन्हें रद्द न किया जा सके, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 11.43 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 13.26 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान, शुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रैंजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत किराया के रूप में दर्शाया गया है।

20. प्रति शेयर आय :–

प्रति शेयर आय (मूल और अवमिश्रित) की गणना के लिए विचार किए गए तत्त्व निम्नानुसार हैं :–

		o"k 2006&07 d fy,	o"k 2005&06 d fy,
गणक के तौर पर उपयोग किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये)		924.80	742.75
इक्विटी शेयरों की धारित औसत संख्या	– मूल	10502319459	98972844
डिनॉमीनेटर के रूप में उपयोग की गयी	– अवमिश्रित	10822615290	102411137
प्रति शेयर आय (रुपये)	– मूल	0.88	75.05
	– अवमिश्रित	0.85	72.53
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)		10	1000*

**13.03.2007 से इन शेयरों को 10/– रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य में विभाजित किया गया।*

21. इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इण्डिया द्वारा ''आय पर कर का लेखाकरण'' संबंधी लेखा मानक 22 के अनुपालन में चालू वर्ष के दौरान 167.55 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 187.90 करोड़ रुपये) की आस्थगित कर देयता के लिए प्रावधान किया गया है। संचयी आस्थगित कर देयता का मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है –

(करोड़ रुपये)

		31-03-2006	31-03-2007
	vkLFkfxr dj n;rk		
i)	मूल्यह्रास	2082.77	2147.11
	?kVk,a ¼vkLFkfxr dj ifjlaifRr;k½		
ii)	संचित असमाहित मूल्यह्रास	145.38	–
iii)	कर की गणना में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम।	129.95	131.23
iv)	संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिक खर्च और प्रोत्साहन (बॉण्डस) हेतु प्रावधान	150.05	179.84
v)	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	56.01	67.11
	vkLFkfxr dj n;rk ¼fuoy½	**1601-38**	**1768-93**

22. प्रबंधन का यह मत है कि लेखांकन मानक (एएस)–28 के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को परित्यक्त परियोजनाओं के संदर्भ में किए गए प्रावधान को छोड़कर आस्तियों की हानि का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

23. ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' संबंधी लेखांकन मानक 29 के प्रावधानों के अनुपालन में 222.13 करोड़ रुपये का प्रावधान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा राहत एवं पुनर्वास आदि दायित्वों के लिए किया गया है। नतीजतन नियत परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी की राशि में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

24. क) निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक

(करोड़ रुपये)

		o"kZ 2006&07 dk fy,	o"kZ 2005&06 dk fy,
¼i½	वेतन एवं भत्ते	0.28	0.42
¼ii½	भविष्य निधि में अंशदान	0.03	0.04
¼iii½	रिहायशी आवास के लिए किराया	0.08	0.08
¼iv½	अन्य लाभ	0.03	0.03
¼v½	सिटिंग शुल्क	–	–

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यालय संबंधी यात्रा के लिए और वित्त वर्ष में भुगतान पर 12,000 किलोमी0 तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

	xSj okrkuqdwfyr dkj	okrkuqdwfyr dkj
16 एचपी तक	325 रु. प्रति महीना	520 रु. प्रति महीना
16 एचपी से अधिक	490 रु. प्रति महीना	780 रु. प्रति महीना

25- lkfof/kd ys[kkdkjksa dks ikfjJfed

(करोड़ रुपये)

	o"kZ 2006&07 ds fy,	o"kZ 2005&06 ds fy,
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.22	0.20
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.04	0.04
लेखापरीक्षा व्यय	0.24	0.32
अन्य मामले	0.02	0.01
ykxr ys[kkijh{kd		
– लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.05
– लेखापरीक्षा खर्च	0.02	0.01

26- mRiknu dh x;h vkSj cph x;h ÅtkZ ls lacaf/kr ifjek.kkRed C;kSjs

		o"kZ 2006&07 ds fy,	o"kZ 2005&06 ds fy,
(i)	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट) ***	3104.20	2729.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट में) *	13048.76	12567.15
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट में) **	11286.80	10787.46

* अस्थिर विद्युत सहित।

** गृह राज्यों को निशुल्क विद्युत को छोड़कर

*** लोकतक पावर स्टेशन की क्षमता 04.04.2006 से 105 मेगावाट से घटाकर 90 मेगावाट की गयी।

(करोड़ रुपये)

		o"kZ 2006&07 ds fy,	o"kZ 2005&06 ds fy,
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
	i) पूंजीगत सामान	83.77	
	ii) हिस्से पुर्जे	1.18	2.27
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	2.36	1.19
	ii) ब्याज	112.38	108.47
	iii) अन्य विविध मामले	162.36	335.24
ग)*	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपयोग में आए कलपुर्जों एवं घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	3.52 (40-70%)	5.12(35%)
	ii) स्वदेशी	5.13 (59-30%)	9.54(65%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज	–	–
	ii) अन्य	–	–

28. अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के खंड 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी वस्तुओं के संदर्भ में प्रकटीकरण शून्य है।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों/इतिशेष को आवश्यकतानुसार यथासंभव नये लेखा वर्गीकरण करने सहित पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया हैं।

fot; xqIrk	**,l-ih- lsu**	**,l-d- xxZ**
dEiuh lfpo	**funs'kd ¼rduhdh½**	**v/;{k ,oa izca/k funs'kd**

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 26 ebZ 2007

ryu i= dk lkj ,o diuh d lkekU; 0;olk; dh :ij[kk

¼i½ iathdj.k fooj.k

पंजीकरण संख्या: 3 2 5 6 4

राज्य कोड: 0 5

तुलन पत्र की तिथि: 3 1 | 0 3 | 2 0 0 7

¼ii½ वर्ष के दौरान जुटाई गयी पूंजी **¼djkM #i;s e½**

पब्लिक इश्यू: 'kU;

राइट इश्यू: 'kU;

बांड इश्यू: 'kU;

निजी नियोजन*: 6 3 0 . 9 5

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी जमा राशि शामिल है।

¼iii½ निधियों के संग्रहण और नियोजन की स्थिति **¼djkM #i;s e½**

कुल देयतायें: 2 7 8 1 4 . 5 1

कुल परिसंपत्तियां: 2 7 8 1 4 . 5 1

fuf/k;ksa d lkr

प्रदत्त पूंजी#: 1 1 2 0 7 . 0 4

आरक्षित तथा अधिशेष $: 5 3 6 7 . 0 5

संरक्षित ऋण: 4 6 2 2 . 7 9

असंरक्षित ऋण: 2 9 0 9 . 1 6

\# इसमें इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि के 8.83 करोड़ रुपये शामिल हैं।

fuf/k;ksa dk i;ksx

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां: 2 2 3 4 9 . 0 7 @

निवेश: 3 3 2 2 . 7 5

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: ¼&½ 3 4 5 . 6 0

विविध व्यय: 2 5 . 8 0

lfpr gkfu

'kU;

@ blesa 11399-92 djkM+ #i;s d pkyw iathxr dk;Z vkj 856-43 djkM+ :i;s d fuek.k HkMkj o vfxze 'kkfey gSA

¼iv½ diuh dk dk;l fu"iknu ¼djkM #i;s e½

कारोबार

1	8	8	2	.	9	3

**

कुल व्यय

1	0	9	9	.	7	6

कर–पूर्व लाभ

1	0	8	7	.	7	4

कर–उपरान्त लाभ

9	2	4	.	8	0

प्रति शेयर मूल आय

0	0	.	8	8

लाभांश राशि(करोड़ रुपये में)

2	7	8	.	0	0

**इसमें 304.57 करोड़ रुपये की अन्य आय शामिल नहीं है।

¼v½ diuh d rhu i/kku mRiknk@lokvk d lkekU; uke

i) उत्पाद विवरण

fo			r		dk			m	R	ik	n	u									

en dkM l[;k

&	&	&

ii) उत्पाद विवरण

fu	ek	.k		l	fo	nk	,														

en dkM l[;k

&	&	&

iii) उत्पाद विवरण

i	jk	e	'kh		l	ok	,														

en dkM l[;k

&	&	&

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
dr th-,l-,- ,M ,lkfl,Vl
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼lthO pk/kjh½
भागीदार
सदस्यता संख्या 85761

fot; xlrk
कंपनी सचिव

,l-ih- lu
निदेशक (तकनीकी)

,l-d- xxl
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku % ubl fnYyh
fnukd % 26 eb] 2007

31 ekp] 2007 dk lekIr o"k d fy, rqyui= d IkFk IyXu d'k ¶yk fooj.k

(करोड़ रुपये)

	fooj.k		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
d½	**ipkyu dk;dykiksa ls d'k ¶yk**				
	कर पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		1087.74		812.16
	tksM+				
	पूर्व अवधि समायोजन सहित मूल्यह्रास	292.01		366.55	
	टैरिफ समायोजन/मूल्यह्रास के बदले अग्रिम	208.64		10.83	
	छूट को छोड़ कर ब्याज	209.13		260.55	
	स्व–बीमा	55.47		52.93	
	अन्य प्रावधान/समायोजन	9.84		64.58	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	0.05		-0.45	
	विनिमय दर अन्तर	-1.71		-3.10	
	लाभांश आय	-12.12	761.31	-4.46	747.43
	dk;Z'khy iwath lek;kstu ls igys ipkyu				
	xfrfof/k;ksa ls d'k ¶yk		1849.05		1559.59
	dk;Z'khy iwath ifjorZu				
	सामान सूची में (वृद्धि)/कमी	(1.66)		(7.66)	
	चालू कार्य अनुबंध में (वृद्धि)/कमी	(186.81)		(50.30)	
	प्राप्य राशियों में (वृद्धि)/कमी	(247.75)		(257.96)	
	अन्य भुगतान योग्य राशियों और व्यापार में (वृद्धि)/कमी	616.84	180.62	224.54	424.54
	dj&iwoZ ipkyu xfrfof/k;ksa ls d'k ¶yk		2029.67		1984.13
	घटाएं : कर		154.99		84.89
	ipkyu xfrfof/k;ksa ls fo'kq) d'k ¶yk ¼d½		**1874.68**		**1899.24**
[k½	**fuos'kxr dk;dykiksa ls d'k ¶yk**				
	अचल आस्तियों के निपटान पर खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय				
	(निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च सहित)		(2697.80)		(1948.27)
	अचल आस्तियों के निपटान पर बिक्री से प्राप्तियां		153.13		48.64
	अनुषंगी कम्पनियों और अन्य कम्पनियों के शेयरों में निवेश		256.44		-30.00
	प्राप्त लाभांश		12.12		4.46
	fuos'kxr dk;dykiksa ls 'kq) d'k ¶yk ¼[k½		**(2276.11)**		**(1925.17)**
x½	**foÙkh; dk;dykiksa ls d'k ¶yk**				
	शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त आय		630.95		622.44
	शेयर पूंजी जमा				20.38
	लाभांश और लाभांशकर भुगतान		(263.40)		(164.20)
	उधार से प्राप्तियां		1442.80		1363.99
	उधार की अदायगी		-1037.04		-1118.05
	ब्याज और वित्तीय प्रभार		-447.18		-468.11
	foÙkh; dk;dykiksa ls fo'kq) d'k ¶yk ¼x½		**326.13**		**256.45**
	udnh vkSj udnh led{k esa 'kq) of)@deh ¼d$[k$x½		**(75.30)**		**230.52**
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष		542.20		311.68
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष		466.90		542.20

d'k ¶yk fooj.k ls lacf/kr Li"Vhdj.k fVIi.kh

1. नकदी और नकदी समकक्ष के अंतर्गत हाथ में नकदी और हाथ में चैक/ड्राफ्ट सहित बैंक जमा शामिल हैं
2. कर्ज चुकता करने के लिए कंपनी को जारी बांड्स और उन पर अर्जित ब्याज मुख्य उत्पादन गतिविधि से संबद्ध होने के कारण प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी का हिस्सा समझा गया है
3. अचल आस्तियों और चालू निर्माण कार्यों में निवेश के अंतर्गत 293.43 करोड रुपये के पूंजीकृत ब्याज एवं वित्तीय प्रभार शामिल नहीं हैं
4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

dr% ts ,l , ,.M ,lksfl,VI

चार्टर्ड एकाउंटेंटस

funs'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼lh tho pkS/kjh½	fot; xksLokeh	,l-ih- lqu	,l-d- xxZ
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 85761			

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 26 ebZ 2007

diuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619¼4½ d vrxr 31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy, u'kuy gkbMkbyfDVd ikoj dkjikj'ku] Qjhnkckn d y[kk d ckj e Hkkjr d fu;=d vkj egk y[kkijh{kd dh fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन के प्रारूप के अनुसार नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय लेखे तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अनुसार चार्टटिड लेखाकारों की व्याससायिक संस्था इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और सुनिश्चयन मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा करके इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तररदायी हैं। उनकी दिनांक 26.05.2007 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कर लिया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च,2007 को समाप्त हुए साल के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा कर ली है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से कर ली गयी है और इसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों को नहीं देखा गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों की जांच पड़ताल तथा कुछ चुनिंदा लेखांकन अभिलेखों की जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत पड़े।

Hkkjr d fu;=d vkj egk y[kkijh{kd
के लिए और की ओर से

gLrk-@&
¼ehjk Lo:i½
i/kku funs'kd okf.kT;d y[kkijh{kk vkj
inu lnL;] y[kkijh{kk ckM&rrh;
ubZ fnYyh

LFkku ½ ubZ fnYyh
fnukd ½ 2 tykb]2007

diuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 212 ds vuqlj.k esa lgk;d diuh ls lacaf/kr fooj.k

1.	कंपनी का नाम और पता	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डिवेलॅपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, होटल लेक व्यू अशोका के पास, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन :	31 मार्च, 2007
3.	नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित सहायक कंपनी का अंश	
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	1000/– रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,00,24,200 इक्विटी शेयर।
	(ख) धारण की सीमा	1,96,25,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास हैं।
4.	सहायक कंपनी का शुद्ध सकल लाभ/हानि की राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी के लेखे में **ugh n'kk;k x;k** है	
	(i) सहायक कंपनी के लिए 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष	(क) तुलन पत्र में अग्रेनीत 334.72 करोड़ रुपये का 51 प्रतिशत अर्थात 170.70 करोड़ रुपये लाभ के रूप में (ख) 52.13 करोड़ रुपये का लाभांश जो 102.22 करोड़ रुपये की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	तुलन पत्र में अग्रेनीत 117.83 करोड़ रुपये का 51% अर्थात 60.09 करोड़ रुपये लाभ के रूप में।
5.	सहायक कंपनी का शुद्ध सकल लाभ/हानि की राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी के लेखे में **n'kk;k x;k** हो।	शून्य
	(i) सहायक कंपनी के लिए 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष	तुलन पत्र में अग्रेनीत 30.42 करोड़ रुपये का 51% अर्थात 15.51 करोड़ रुपये लाभ के रूप में ।
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	शून्य
6.	सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन।	शून्य
7.	वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए सहायक कंपनी की नियत परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण लेने और देने के लिए सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच महत्त्वपूर्ण परिवर्तन।	

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

fot; xqIrk कंपनी सचिव	**,l-ih- lqu** निदेशक (तकनीकी)	**,l-d- xxZ** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन एच डी सी

NHDC

तमसो मा ज्योतिर्गमय

fun'kdk dh fjikVZ

I ok e: InL;x.k]

ue'nk gkbMªksbysfDVªd MoyieV dkjiksj'ku fyfeVM

आपके निदेशकों को कंपनी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट जो कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित है, को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन एवं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणी भी संलग्न है।

foRrh; miyfC/;k

(लाख रुपये)

fooj.k	2006&07	2005&06*
विद्युत की बिक्री	74854	33598
मूल्यह्रास, ब्याज (वित्तीय प्रभार सहित) तथा कर से पूर्व लाभ	71201	29864
मूल्यह्रास	6617	6021
मूल्यह्रास के पश्चात और ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	64584	23843
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	12977	12021
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	51607	11822
कर	6176	1212
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	45431	10610
पहले के वर्षो के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	11783	3592
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**57214**	**14202**

*पुनः समूह

fofu;kTku		
प्रस्तावित लाभांश	10222	2122
आय कर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	1737	297
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित बकाया लाभ	45255	11783

लाभ वर्ष 2006–2007 के दौरान निगम का टर्नओवर 748.54 करोड़ (रुपये सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित टेरिफ निष्पादन के कारण बकाया बिक्री 205.58 करोड़ रुपये सहित) एवं शुद्ध लाभ (कर उपरांत) 454.31 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष का टर्न ओवर व शुद्ध लाभ क्रमशः 335.98 करोड़ रुपये एवं 106.10 करोड़ रुपये था। निगम का कर पश्चात शुद्ध लाभ बकाया बिक्री को छोड़कर गत वर्ष से 134% तक बढ़ा है। उगाही के संबंध में एन.एच.डी.सी. को अभी तक 284.91 करोड़ रुपये लाभग्राही से वर्ष 2006–07 के दौरान विद्युत विक्रय के बदले में भुगतान प्राप्त हुआ। अप्रैल, 2007 में विद्युत क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित होने के साथ म0 प्र0 पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि. से देय वसूली में चालू वर्ष 2007–08 के दौरान सुधार होने की संभावना है। बकाया देय को यथा शीघ्र न्यूनीकृत करने के प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2006–07 के दौरान इंदिरा सागर परियोजना से गत वर्ष के 2573.36 मिलियन यूनिट की तुलना में 2605.58 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ।

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री के साथ (बांये से दायें) श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, श्री आर.वी. शाही, सचिव (विद्युत), भारत सरकार, श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी. व एनएचडीसी और श्री बाबू लाल गौर, माननीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री, मध्य प्रदेश दिनांक 02.06.2006 को 1000 मेगावाट के इंदिरा सागर पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर

31 मार्च, 2007 को बैंक शेष 349.40 करोड़ रुपये (गत वर्ष 350.39 करोड़ रुपये), जैसा कि अनुसूचित–9 चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम में दर्शाया गया है, जिसमें रुपये 9 करोड़ (गत वर्ष रुपये 34.96 करोड़) एल/सी प्रचालन के लिए सीमान्त राशि के रूप में, 74.66 करोड़ रुपये (गत वर्ष 32.42 करोड़ रुपये) एस्क्रो खाते में लीड बैंकर के साथ अनुरक्षित एवं रुपये 52.76 करोड़ (गत वर्ष 32.55 करोड़) स्व बीमा आरक्षित, समेकित रुप से रुपये 136.42 करोड़ (गत वर्ष रुपये 99.93 करोड़) सहित, निगम के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी व एनएचडीसी तथा एनएचडीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर परियोजनाओं के लिए विद्युत क्रय करार एवं तीन नई परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के समय

ykHkka'k

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2006–2007 के दौरान 748.54 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। कंपनी के 454.31 करोड़ रुपये के लाभप्रद रूप को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के शेयर पूंजी में लाभ के 22.50% की दर से लाभांश की अनुशंसा की है, जिसे एन.एच.पी.सी. एवं मध्य प्रदश शासन को भुगतान किया जायेगा, बर्शते कि आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

dk;k dh ixfr

bfnjk lkxj ifj;kstuk ¼vkb,lih½

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की 260 मीटर तक अनुमति देने के पश्चात 259.46 मीटर तक भर दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल 2605.58 मिलियन यूनिट विद्युत एवं परियोजना संचालन की तिथि से समेकित 6707.30 मिलियन यूनिट विद्यतु का उत्पादन किया गया एवं एकल हितग्राही म0 प्र0 पावर ट्रेडिंग कंपनी/म0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड को दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में विक्रय किया गया। इंदिरा सागर परियोजना के लिए त्रिपक्षीय विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए.) पर 27 अप्रैल, 2007 को एनएचडीसी, एमपीपीटीसी एवं म.प्र. शासन के बीच हस्ताक्षरित हुआ।

1000 मेगावाट इंदिरा सागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश) – पावर हाउस

iuokl ,o iuLFkkiuk dk; ¼vkb,lih½

इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलाशय स्तर तक डूब में आने वाले कुल 40026 परियोजना प्रभावित परिवारों जिन्हें पुनर्स्थापित किया जाना है, में से केवल 12 परियोजना प्रभावित परिवार ही वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत तक शेष हैं। मई, 2007 तक 34 पूर्ण विकसित पुनर्वास स्थलों में प्रस्तावित कुल 10153 भूखंडों में से 9332 भू–खंडों को विकसित कर लिया गया है एवं 4548 भू–खंडों को परियोजना प्रभावित परिवारों को आवंटित कर दिया गया है। एफआरएल एवं बीडब्ल्यूएल के मध्य की संपत्तियों एवं द्वीप के रूप में वर्णित हुए गॉवों में एवं पुर्नसर्वे के उपरान्त शिनाख्त हुए अतिरिक्त क्षेत्रों में आर. एण्ड आर. गतिविधियां प्रगति पर हैं।

J"B dk;Z fu"iknu djus fy, jk"Vªh; iqjLdkjksa ls lEekfur ½

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दिनांक 21 मार्च, 2007 को एक भव्य समारोह में एन.एच.डी.सी. को 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के लिए स्वर्ण एवं रजत राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। ये पुरस्कार वर्ष 2004–05 के लिए इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना की यूनिट–7 व युनिट–5 (प्रत्येक 125 मेगावाट) को समय से पहले पूरा करने के लिए दिया गया हैं। इंदिरा सागर परियोजना की यूनिट–7 को निर्धारित कार्यक्रम से 05 महीने और 04 दिन पहले तथा यूनिट–5 को निर्धारित कार्यक्रम से 04 महीने और 07 दिन पहले ही पूरा कर लिया गया था।

vksadkjs'oj ifj;kstuk ¼vks-,l-ih-½

ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना के डाउन स्ट्रीम में 40 कि.मी. की दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। यह ओंकारेश्वर मंदिर के पास म.प्र. के खण्डवा जिले में है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देदशीय परियोजना है, जिसकी संस्थापित विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है। यह प्रारंभिक चरण में 1166 मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली का उत्पादन करेगी एवं 1.47 लाख हैक्टेयर की कृषि योग्य भूमि पर 2.83 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता के लिए अभिकल्पित है। बॉध स्थल पर कुल जल ग्राहय क्षेत्र 64880 वर्ग कि.मी. है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्य बॉध के समस्त मुख्य सिविल कार्य, पावर हाउस, पावर डैम, स्विचयार्ड, टी.आर.सी., एवं एच.आर.सी. के साथ–साथ 23 रेडियल गेट के परीक्षण एवं संचालन का कार्य भी निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण कर लिया गया है। इनटेक फिक्स्ड व्हील गेट्स, बल्क हेड गेट्स, इनटेक जेन्ट्री क्रेन, ड्राफ्ट ट्यूब जेन्ट्री क्रेन एवं ट्रेशरेक क्लीनिंग मशीन की संस्थापना का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। 220 के.वी. स्विचयार्ड की कमीशनिंग एवं बैंक चार्जिंग को सफलतापूर्वक किया गया एवं यूनिट सं.1 की ड्राई कमीशनिंग को 25 मार्च, 2007 को पूर्ण कर लिया गया। इसके अतिरिक्त उत्पादन यूनिट–2 से यूनिट–6 की ड्राई कमीशनिंग भी पूरी हो गई है। 11 जून, 2007 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त 18 जून, 2007 को जलाशय स्तर 189 ई एल तक भर लिया गया। जुलाई, 2007 के अंत तक पावर हाउस की प्रथम यूनिट के शुरू होने की संभावना है। ओंकारेश्वर परियोजना के लिए त्रिपक्षीय विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए.) 27 अप्रैल, 2007 को एनएचडीसी, एमपीपीटीसी एवं म.प्र. शासन के बीच हस्ताक्षरित हो गया है।

520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजना (मध्य प्रदेश) – बांध

iquokZl ,oa iquLFkkiu dk;Z ¼vks,lih½

ओंकारेश्वर परियोजना के जलाशय के कारण कुल 30 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से केवल 03 गांवों में शासकीय भूमि प्रभावित हो रही है। पुर्नःस्थापन के लिए आवश्यक सभी 27 गांवों का सेक्शन IV एवं VI के तहत नोटिस जारी किया गया है। सभी 27 गांवों के लिए अवार्ड राज्य सरकार के सहयोग एवं उनके दिशा निर्देश से पास किया जा चुका है। पुर्नःस्थापित किये जाने वाले कुल 4531 परियोजना प्रभावित परिवारों में से मई, 2007 तक 3062 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुर्नःस्थापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सात पूर्ण विकसित एवं 3 विकासशील पुर्नःस्थापन स्थलों में कुल प्रस्तावित 1877 भू–खंडों में से 1688 भू–खंडों को विकसित कर लिया गया है एवं अब तक 1390 भू–खंडो को परियोजना प्रभावित परिवारों को आवंटित किया जा चुका है। एफआरएल एवं बीडब्ल्यूएल के मध्य की संपत्तियों एवं द्वीप के रूप में वर्णित हुए गॉवों में एवं पुर्नसर्वे के उपरान्त शिनाख्त हुए अतिरिक्त क्षेत्रों में आर. एण्ड आर. गतिविधियां प्रगति पर हैं।

ubZ ifj;kstuk,a

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एनएचडीसी को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर तीन नई परियोजनाएं नामतः बाउरस (55 मेगावाट), होशंगाबाद (60 मेगावाट) एवं हांडिया (51 मेगावाट) जो इंदिरा सागर परियोजना के अपस्ट्रीम मे है, की डी.पी.आर.

तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। समस्त तीनों परियोजनाओं की ड्राफ्ट डी.पी.आर. म0प्र0 शासन/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है एवं दिनांक 27.04.2007 को एनएचडीसी एवं म0प्र0 शासन के मध्य समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित कर लिया गया है।

i;kZoj.k ,oa ou

पर्यावरण संबंधी निगम के उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय के सभी अनुबंधों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। बाकी 100 हेक्टेयर को छोड़कर 81456.753 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र का क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार, 61352 हेक्टेयर से अधिक लक्ष्य वाले क्षेत्र के वन एवं गैर वन क्षेत्र में जल ग्राहय क्षेत्र का उपचार कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना के पुरातात्विक महत्व वाले स्मारकों के पुर्नःस्थापन का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। समस्त स्मारकों को विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पुर्नःस्थापित/संरक्षित किया जा रहा है। संत 'सिंगाजी' समाधि के पुनरूद्वार का कार्य प्रगति पर है। शिव मंदिर, पुनघट की प्रतिकृति तैयार की गई है। पुरातात्विक महत्व के टीलों नामतः नवलखेड़ा, बीजलपुर खुर्द, गन्नोर इत्यादि के उत्खनन एवं समवेषण का कार्य राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया है। 'जोगा दुर्ग' की सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, वन्यजीव संपदा की क्षतिपूर्ति के लिए एक राष्ट्रीय पार्क तथा दो वन्यजीव अभ्यारण्य को भी म0 प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

lrdZrk lc/kh xfrfof/k;k

एन.एच.डी.सी. सतर्कता विभाग सुचारू रूप से कार्य करते हुए सामान्य अनियमितताओं एवं त्रुटियों को रोकने हेतु समय समय पर परियोजनाओं एवं निगम मुख्यालय के कार्यों एवं अभिलेखों का नियमित/आकस्मिक निरीक्षण आयोजित करता है। सतर्कता कार्य योजना के तहत कारपोरेट आफिस एवं प्रोजेक्ट की सतर्कता अधिकारियों की टीम द्वारा सी.टी.ई. टाईप निरीक्षण किए जा रहे हैं।प्रतिरोधात्मक सतर्कता के भाग के रूप में एवं कर्मचारियों में जागरूकता लाने के प्रयोजन से निगम मुख्यालय एवं परियोजनाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान एन.एच.डी.सी. सतर्कता विभाग की पत्रिका ''जागृति'' का भी प्रकाशन किया गया।

jktHkk"kk dk;kZUo;u fjiksVZ

राजभाषा विभाग से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रमानुसार एन.एच.डी.सी. राजभाषा अनुभाग द्वारा वर्ष 2005–06 हेतु वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कारगर प्रयास किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु निगम को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए है–

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) , भोपाल से वर्ष 2005–06 का राजभाषा का सर्वश्रेष्ठ (विशिष्ट) पुरस्कार।
- अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास सम्मेलन, गाजियाबाद द्वारा निगम को राजभाषा के उल्लेखनीय योगदान पर 2006–07 का ''सर्वश्रेष्ठ संस्थान'' पुरस्कार।
- महत्वपूर्ण राजभाषा पत्रिका ''आरोहण'' का प्रतिवर्ष प्रकाशन राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु समय–समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें मुख्य कार्यपालक निदेशक महोदय की उपस्थिति में आयोजित की गई और लिए गए निर्णयों पर तद्नुसार कार्रवाईयां की गई। हिंदी दिवस/पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा नेत्रहीन व विकलांग बालकों हेतु विशिष्ट प्रतियोगिताएं प्रश्नमंच, काव्यपाठ (गायन) इत्यादि आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त समय–समय पर, अन्य संबंधित गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

ekuo lalk/ku fodkl

कर्मचारी निगम की मुख्य परिसम्पत्ति है एवं तदनुसार संगठनात्मक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में निरंतर विकास के लिए वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सक्रिय प्रयास किए गए है। कर्मचारियों के निष्पादन स्तर को सुधारने हेतु वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 'के आर ए' आधारित मूल्यांकन प्रणाली सहित सभी स्तरों पर प्रगामी कार्यान्वयन की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में मानव संसाधनात्मक पहल की गई है साथ ही, विविध कौशल प्रशिक्षण एवं पुर्न–तैनाती के लिए भी प्रयास किए गए है। निगम की बेहतर कार्य शैली, विश्वास एवं खुलेपन पर आधारित

है। संगठन प्रत्येक कर्मचारी को एक उपलब्धिकर्ता मानता है जो अनूठे कार्य के लिए संकल्पित है। विकास को सुगम बनाने एवं दृष्टिकोण को विस्तृत करने के लिए सावधि कार्य चक्रानुक्रम एवं आंतरिक स्थिति अनुसार स्थानान्तरण किए गए है। मानव संसाधन अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए संगठित दृष्टिकोण का अनुकरण करता है। एक शैक्षणिक संगठन के रूप में नए भर्ती हुए कार्मिकों को एक व्यवस्थित एवं औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत उन्हें कंपनी की संस्कृति से जोड़ने के प्रयोजन से वरिष्ठ कार्यपालकों से संबद्ध किया गया है। प्रशिक्षण गतिविधियों का अभिकल्पन कर्मचारियों को उच्च उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने के योग्य बनाने के प्रयोजन से किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं की श्रंखला के द्वारा कंपनी नेतृत्व निर्माण क्षमता एवं रणनीतिक अभिविन्यास पर भी ध्यान बनाए हुए हैं। लोगों के लिए व्यवस्थित देखभाल के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता के साथ हमने कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास किया है। कर्मचारी की कम होती दर उद्योग में निम्नतर रही है। हमने कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए उत्तम गुणवत्तायुक्त आधुनिक कॉलोनी का विकास किया है जिसमें शैक्षणिक, चिकित्सकीय एवं मनोरंजनात्मक सुविधाएं उपलब्ध है। निगम ने कर्मचारियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है। दुर्घटना मुक्त मानव घंटों के लिए उद्योग में हमारा उत्तम रिकार्ड रहा है। निगम ने वर्तमान एवं भावी व्यावसायिक चुनौतियों के साथ लोगों की क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ाये जाने पर जोर दिया है। व्यापार की अनवरत वचनबद्धता है कि वह अपने कार्यबल के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ–साथ उनके परिवार व स्थानीय समुदाय व पूरे समाज में भी व्यापक स्तर पर सुधार करें एवं इस प्रकार नीतिगत व्यवहार कर आर्थिक विकास में योगदान दें। इसी प्रयोजन से कंपनी ने एक उत्तरदायित्व पूर्ण निगम नागरिक के रूप में कार्यान्वयन के लिए संसाधन आवंटन सहित एक विस्तृत निगम सामाजिक उत्तरदायित्व योजना तैयार की है।

श्री एस.के. गर्ग, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी व एनएचडीसी, श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश को एनएचडीसी. दिवस समारोह के अवसर पर स्मृति–चिह्न भेंट करते हुए

vk|kfxd lac/k

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध वातावरण निरंतर सौहार्द पूर्ण रहे हैं। कंपनी ने सकारात्मक उपाय अपनाएं एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए खुलेपन की नीति का अनुकरण किया। इस मैत्रीपूर्ण वातावरण के कारण वर्ष के दौरान किसी श्रम दिन की क्षति नहीं हुई।

vu|lfpr tkfr@vu|lfpr tutkfr@vU; fiNMk oxZ d fy, vkj{k.k

निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के पदों की भर्ती एवं कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए समय समय पर जारी आरक्षण से संबंधित दिशा– निर्देशों का अनुकरण किया है। अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. के कर्मचारियों की शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए संपर्क अधिकारी नामित किए गए है।

Åtkl lj{k.k] ik|kfxdh lekos'ku rFkk fon'kh eqnk vtZu ,o 0;;

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना को कंपनी नियमावली 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

y[kk ijh{kd

मैसर्स ओ. पी. टोटला एवं कंपनी, सनदी लेखाकार, इंदौर को वर्ष 2006–2007 के लिए लेखा–परीक्षा संचालित करने हेतु 'सांविधिक लेखा परीक्षक' नियुक्त किया गया।

y[kk ijh{kd fjikVZ

लेखा परीक्षक के रिपोर्ट में अनुसूची–24 में शामिल निगम की विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है, जो स्वयं में स्पष्ट है। लेखा परीक्षक की टिप्पणियों एवं प्रबंधन द्वारा दिये गये उनके जबाब (अगर कोई हो) अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा उनके जबाब अनुलग्नक 'ग' पर हैं।

fun'kdk dh ftEenkfj;k dk fooj.k

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के विषय में कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 217 (2ए.ए.) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार एतद् द्वारा यह पुष्टि की जाती है : – कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे की तैयारी में, प्रयोज्य लेखा मानदंड का सामग्री प्रेषण संबंधी उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है। कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाएं हैं जो इतने युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कार्यस्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं। कंपनी ने परिसंपत्तियों की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रख–रखाव के लिए उचित उपाय किए है। 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'अनवरत संबंध' आधार पर लेखे तैयार किये गए हैं।

y[kk ijh{kk lfefr

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में श्री आई. सी. जैन, सदस्य (पावर) एन.वी.डी.ए., श्री डी. पी. भार्गव मुख्य कार्यपालक निदेशक तथा श्री राजेश डोंगरे, निदेशक उपस्थित थे। यथा आवश्यक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए के तहत बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व कथित लेखा परीक्षा समिति ने वार्षिक वित्तीय व्यौरे की समीक्षा कर ली है।

depkfj;k dk fooj.k

कंपनी नियमावली, 1975 (कर्मचारियों के ब्यौरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाएं।

fun'kdk dk fooj.k

बोर्ड के संरचना में श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा छः अन्य निदेशक शामिल हैं। एन.एच.पी.सी. ने वर्तमान में श्री डी. पी. भार्गव को एन.एच.डी.सी. बोर्ड में दिनांक 28 फरवरी, 2007 से, श्री टी. मंडल के स्थान पर जो अब कंपनी के निदेशक नहीं हैं मनोनीत किया है। कंपनी के बहिर्गामी निदेशक द्वारा दिये गये योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए बोर्ड आभार प्रकट करता है।

vkHkkj

विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार एवं अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्तर पर दिये गये सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए निदेशक मंडल कृतज्ञापूर्वक आभार व्यक्त करता है।बोर्ड सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक कार्यालय, बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है। इसके साथ ही, बोर्ड एन.एच.डी.सी. के परिवार के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देता है, जिनके साहस, समर्पण व योगदान से निगम को संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त हो सकी है। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में अधिकाधिक योगदान देते रहेंगे।

fun'kd e.My के लिए तथा की ओर से
vè;{k ,o icèk fun'kd

fnukd % 23-07-2007
LFkku % fnYyh

Åtk dh cpr gr

Ø-l-	ekxh xbZ lwpuk	tokc
(क)	ऊर्जा की बचत के लिए उपाय किए गए ।	(क) नये ऑफिस परिसर में सी.एफ.एल लगाये गये है। (ख) एनएचडीसी. ऑफिस कॉम्पलेक्स में स्पिलिट ए.सी. लगाये गये है जिनको आवश्यकतानुसार चालू और बंद किया जा सकता है। (ग) प्रयोग में लाने के निर्देश सहित सभी विद्युत उपकरणों को कार्य पूरा होने के उपरान्त बंद करने का अनुरोध विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है। (घ) इंदिरा सागर परियोजना/ओंकारेश्वर परियोजना के विभिन्न गेटों से और अन्य स्थानों से पानी के रिसाव को कम से कम करने के आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं।
(ख)	अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।	वर्तमान में एन.एच.डी.सी. द्वारा सीधे निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।
(ग)	उपरोक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यून करने के लिए किए गए।	उपरोक्त उपायों के कारण विद्युत खपत में कमी आई हैं।
(घ)	प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस परिशिष्ट के फार्म ए में संलग्न है।	एनएचडीसी. इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

Qke&^[k*

Ø-l-	ekxh xbZ lwpuk	tokc
(1)	कंपनी द्वारा वे विशेष क्षेत्र जिसमें अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड.डी.) के कार्य किए गए।	इंदिरा सागर/ओंकारेश्वर परियोजना के पावर हाऊस में सहायक प्रणाली के साथ स्केडा सिस्टम को समाकलित किया गया है।
(2)	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त लाभ।	पावर हाऊस का सुगम संचालन एवं रख रखाव।
(3)	भावी कार्य योजना।	इंदिरा सागर/ओंकारेश्वर परियोजना के लगातार चलने के उपरान्त और उसके बाद विशिष्ट समस्याओं की पहचान करने के बाद विभिन्न सप्लायारों की सलाह द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य निगम में उपलब्ध विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा।
(4)	आर.एण्ड डी. पर व्यय । (क) पूँजी (ख) आवर्ती (ग) कुल (घ) कुल आर. एण्ड डी. खर्च जो कि कुल कारोबार का प्रतिशत है।	वर्तमान में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों में कोई विशिष्ट खर्च नहीं किया गया और ऐसा अनुमान है कि अनुसंधान एवं विकास में आगामी वर्षों में खर्च किया जाएगा।

ik|kfxdh; lekos'ku] xzg;rk vkj uohdj.k

Ø-l-	ekxh xbZ lwpuk	tokc
(1)	प्रौद्योगिकीय समावेशन, ग्राह्यता और नवीकरण के लिए किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण ।	तीन नई परियोजनाओं के लिए आरएंडआर योजना को पूरा करने के लिए परिरेखा मैप पर राजस्व मैप और सुपर इम्पोजिशन का डिजिटिजेशन।
(2)	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ जैसे उत्पादन में सुधार, लागत में कमी, प्रतिस्थापन आदि।	पुनर्वास एवं पुनः स्थापन और उसके खर्चे का त्वरित निरस्तीकरण।
(3)	पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी	कोई नहीं

fon'kh fofue; vk; ,o 0;;

Ø-l-	ekxh xbZ lwpuk	tokc
(1)	निर्यात संबंधी गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने हेतु किए गए पहल; उत्पादों एवं सेवाओं हेतु नई निर्यात बाजारों के विकास; और निर्यात योजनाएं।	लागू नहीं
(2)	कुल विदेशी विनिमय आय कुल विदेशी विनिमय व्यय	काई नहीं 19770 लाख रुपये

अनुलग्नक – ख

ueZnk gkbMªkbysfDVªd Moyiesa V dkjiksjs'ku fy- Hkksiky ¼e-iz-½ ds lnL;ksa ds fy, ys[kk ijh{kdksa dh fjiksVZ

हमने नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च, 2007 के संलग्न लाभ–हानि लेखे तथा इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षण किया। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबधंन का दायित्व है। हमारा दायित्व है कि लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

हमने लेखा परीक्षण भारत में आम तौर पर मान्य लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार किया। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गयी है। लेखापरीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गयी राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग किये गये लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ–साथ प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा से हमारी धारणा के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध होता है।

जैसा कि भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के उपखंड (4क) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 और कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2004 के अंतर्गत इसमें किये गये संशोधन में अपेक्षित है और ऐसी जांच से जिसे हमने उचित समझा तथा हमें जो सूचनाएं और सफाइयां दी गयी उनके अनुसार हम उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण परिशिष्ट रूप में संलग्न कर रहे है।

इसके अलावा ऊपर बताये गये अनुलग्नक में दी गयी हमारी टिप्पणियों के संबंध में हमारा कहना है कि :

1) हमने ऐसी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।

2) हमारी राय में लेखों की जांच से ऐसा लगता है कि कानून के अनुसार जिस तरह के लेखे रखे जाने है वे कंपनी द्वारा समुचित तरीके से रखे जा रहे है।

3) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों में दिये गये विवरणों अनुसार है।

4) हमारी राय में इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप–धारा (3सी) में उल्लिखित लेखांकन मानकों के अनुसार है।

5) कंपनी कार्य विभाग के सामान्य परिपत्र सं. 829 (ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के जरिए अधिसूचित किया है कि उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) क्लॉज(जी) में वर्णित निदेशकों को अयोग्य करार देने संबंधी प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते है इसलिए हमारी राय में यह अनुच्छेद इस कम्पनी पर भी लागू नहीं होता है।

6) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गयी सफाई के अनुसार उक्त लेखे और उनके साथ दी गयी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा उनके बारे में संलग्न टिप्पणियों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत वांछित सूचनाएं निर्धारित तरीके से दी गयी हैं और इनमें भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बार में सत्य और सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है:

   क) तुलनपत्र से 31 मार्च, 2007 को कंपनी के मामलों की स्थिति,

   ख) लाभ–हानि लेखे से उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष में कंपनी का लाभ, और

   ग) नकदी प्रवाह विवरण से उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह

dr`s vk-ih- VkVyk ,.M daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
¼lh, ,l-vkj- VkVyk½
साझेदार
सदस्य सं. : 71774

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 22 eb] 2007

y[kkijh{kdk dh fjiksVZ dk vuqyXud

31 ekp] 2007 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,

¼bl rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds iSjk 3 esa mfYyf[kr½

(1) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और स्थिर आस्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने वाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें बताया गया है कि स्थिर आस्तियों की प्रबंधन द्वारा साल के दौरान भौतिक रूप से जांच कर ली गयी है। हमारी राय में जांच की आवृत्ति युक्तिसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और उनके स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित स्थिर आस्थियों का रिकार्ड बुक से मिलान करने पर, हमारी राय में, कोई ऐसी बड़ी खामी नजर नहीं आयी जो महत्वपूर्ण हो और जिसका लेखा बहितों में उचित तरीके से उल्लेख न किया गया हो।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान स्थित आस्तियों के बड़े हिस्से का निपटारा नहीं किया गया है। इसलिए चालू प्रक्रिया के रूप में वित्तीय विवरण तैयार करने में इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

(2) (क) भंडार सामग्री (परिवहन किये जा रहे सामान को छोड़कर) की वस्तुसूचियों की वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से जांच कर ली गयी है। हमारी राय में भौतिक जांच की आवृत्ति युक्तिसंगत है।

(ख) हमारी राय में वस्तु सूचियों की भौतिक जांच की जो प्रक्रिया प्रबंधन ने अपनायी है वह कंपनी के आकार और उसके कारोबार की प्रकृति के अनुसार युक्तिसंगत तथा पर्याप्त है।

(ग) वस्तुसूचियों के रिकार्ड की जांच के आधार पर हमारी राय है कि कंपनी के आकार और कारोबार के प्रकार को ध्यान में रखते हुए कंपनी को वस्तुसूचियों के रिकार्ड की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और उनके स्पष्टीकरण तथा हमारे सामने प्रस्तुत रिकार्ड के अनुस ार भौतिक रूप से सत्यापन करने पर जो खामियां नजर आयीं वह हमारी दृष्टि से कोई ऐसी खास महत्वपूर्ण नहीं थीं उनका लेखा पुस्तकों में उचित उल्लेख करने की आवश्यकता पड़े।

(3) हमारे द्वारा उपयोग में लायी गयी लेखांकन प्रक्रिया, हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास तथा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार :

(अ) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखी जाने वाली पूंजी में सूचीबद्ध किसी सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों या फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई कर्ज नहीं दिया गया। और

(आ) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखी जाने वाली पूंजी में सूचीबद्ध किसी सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनी, फर्म या किसी पार्टी से कोई कर्ज नहीं लिया।

इसलिए निम्नलिखित का कोई सवाल ही नही है:

(क) पार्टियों की संख्या और लेनदेन में शामिल राशि

(ख) ब्याज दर और ऋण की अन्य शर्तों का सरसरी तौर पर कंपनी के हितों के प्रतिकूल होना

(ग) मूलधन और ब्याज की अदायगी की नियमितता

(घ) दिये गये ऋण की वसूली के लिए युक्तिसंगत कदम

(ड़) मूलधन और ब्याज की अदायगी में नियमितता

(4) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया है जो कंपनी के आकार और सामग्री व स्थिर आस्तियां की खरीद, तथा बिजली व सेवाओं की बिक्री के इसके कारोबार के प्रकार के अनुरूप है। लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी खामी नहीं देखी गयी। लेकिन जहां तक वस्तु सूची और स्थिर आस्तियों का सवाल है इसे और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

(5) हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अनुसार, हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई अनुबंध या करार नहीं किया गया जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 301 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि कराना अनिवार्य हो। इसलिए वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक के लेन–देन के औचित्य का सवाल ही नहीं है।

(6) हमारी राय में और हमे दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अनुच्छेद 58–क और 58–कक तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के किसी भी अन्य प्रावधान और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों की परिभाषा के दायरे में जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

(7) कंपनी का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसे हमारी राय में और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि यह कंपनी के आकार और इसकी कारोबारी गतिविधियों के अनुरूप हो जाए। इस विभाग को एसआईए–1 के अनुसार इस तरह अपनी लेखा परीक्षा योजना बनानी चाहिए जिससे निगम के प्रत्येक विभाग की लेखा परीक्षा हो सके और कोई विभाग छूटने न पाये।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत संबंधी रिकार्ड रखने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमें के अनुपालन में कंपनी द्वारा रखी जा रही लेखा पुस्तकों की हमने मोटे तौर पर समीक्षा की। सरसरी तौर पर हमार विचार है कि निर्धारित लेखे और अभिलेख तैयार किये गये हैं और उनके रखरखाव की प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। लेकिन हमने इन अभिलेखों के सही या पूर्ण होने का पता लगाने के लिए इनकी विस्तार से जांच नहीं की।

(9) (क) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित सभी निर्विवाद सांविधिक देयताओं को आम तौर पर उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमिति रूप से जमा कराया गया है। हमें बताया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती। हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त सांविधिक देयताओं से संबंधित कोई भी राशि 31 मार्च, 2007 को देय होने की तिथि से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्ड के अनुसार बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और उपकर के उपयुक्त प्राधिकारियों को भुगतान न करने के मामले लगभग शून्य के बराबर है।

(10) हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा के वर्ष में तथा इससे ठीक पहले के वर्ष के दौरान कंपनी के ऊपर न तो कोई संचित हानि उठानी पड़ी और न ही इस दौरान उसे कोई नकद नुकसान उठाना पड़ा।

(11) अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं/बैंकों या डिबेंचर धारियों की देयताओं के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की।

(12) हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखा परीक्षा प्रक्रिया तथा हमें उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरबी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिये।

(13) कंपनी चिट फंड या निधि या म्यूचुअल बेनिफिट निधि/सोसाइटी नहीं हैं। इसलिए आदेश की धारा कंपनी पर लागू नहीं होती।

(14) कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों का व्यापार या लेन–देन नहीं कर रही है।

(15) कंपनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(16) सावधि ऋणों से संबंधित निधियों की समग्र समीक्षा के आधार पर और हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी ने उन्हीं कार्यों के लिए सावधि ऋण लेने के लिए आवेदन किया है जिनके लिए उनका इस्तेमाल किया गया है। 31 मार्च,2007 तक 46.36 करोड़ रुपये के सावधि ऋणों का उपयोग किया जाना बाकी था। इस्तेमाल नहीं हो सकीं इन ऋण निधियों के एक हिस्से को ब्याज वाले अल्पावधि खातों में जमा करा दिया गया।

(17) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों और कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच के अनुसार हमें संबद्ध सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी। प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई राशि एकत्र नहीं की गयी। इसलिए अल्पावधि निधियों के दीर्घकालीन आधार पर निवेश का सवाल ही नहीं उठाता।

(18) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने शेयर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी या पक्ष को प्राथमिकता के आधार पर आबंटित नहीं किये।

(19) कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोई डिबंचर जारी नहीं किया। इसलिए प्रतिभूति बनाने या इस पर होने वाले खर्च का सवाल ही नहीं उठाता।

(20) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी तरह की प्रतिभूतियों का कोई सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया इसलिए सार्वजनिक निर्गम के जरिए उगाही गयी राशि के अंतिम उपयोग का विवरण बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(21) कंपनी द्वारा अपनायी गयी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी में या इसके द्वारा गबन का कोई भी मामला सामने नहीं आया।

d`rs vk-ih- VkVyk ,aM daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

¼lh, ,l-vkj- VkVyk½
साझेदार
सदस्य सं.: 71774

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 22 ebZ 2007

diuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619¼4½ d vrxr 31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"kZ d fy, uenk gkbMkbyfDVd ikoj dkjikj'ku fyfeVM d y[kk d ckj e Hkkjr d fu;=d vkj egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

fVIif.k;k

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., भोपाल के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय द इंस्टिट्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखा परीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के जिम्मेवार है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह लेखा परीक्षा उनके द्वारा किया गया है कृपया उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 22 मई, 2007 देखनें का कष्ट करें।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के आधार पत्रों के पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से निष्पादित किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिक तथा कुछ लेखा रिकार्डों की चयनित जांच की पूछताछ तक मूलतः सीमित है। मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा पर आधारित, मै कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर जोर देना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आया है और जो मेरी दृष्टि में इस वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बेहतर तालमेल बनाने के लिए आवश्यक है।

ic/ku dk tokc

fVIif.k;k	ic/ku dk tokc
I kekU; **d`'k ¶yk fooj.k** **jkdM ,o jkdM led{k ¼vfre 'k"k½** **349-40 djkM #i;s** उपरोक्त के अंतर्गत 9 करोड़ रुपये की वह राशि शामिल है, जो किसी पार्टी के पक्ष में जारी साख–पत्र के लिए मार्जिन धन के वास्ते जमा की गई थी। चूंकि यह राशिकम्पनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं थी, इसलिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक 3 की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए इसका प्रकटीकरण उपयुक्त स्थान पर किया जाना चाहिए था।	अपेक्षित प्रकटीकरण वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

Hkkjr d fu;=d vkj egky[kkijh{kd
के लिए और की ओर से

gLrk-@&
¼ehjk Lo:i½
i/kku fun'kd] okf.kfT;d y[kkijh{kk ,o
inu InL;] y[kkijh{kk ckM&rrh;]
ubl fnYyh

LFkku ½ ubl fnYyh
fnukd ½ 5 tykb] 2007

वार्षिक लेखे

31 ekp] 2007 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i=

(लाख रुपये)

fooj.k	vuqlwph la[;k		31 ekp] 2007 dk			31 ekp] 2006 dk	
fuf/k;ksa ds lzksr							
d. va'k/kkjdksa dh fuf/k							
i) हिस्सा पूंजी	1		196258			196258	
ii) हिस्सा पूंजी जमाराशि	1A		-			-	
iii) आरक्षित तथा अधिशेष	2		163284	359542		125208	321466
[k. _.k fuf/k;ka							
i) आरक्षित ऋण	3		293984			216474	
ii) अनारक्षित ऋण	4		-	293984		15000	231474
x. eY;ákl ij vfxe dk 0;; e i'kxh iklr vk;			-				-
?k. vkLFkfxr dj							
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			26014			7633	
घटाएं–आस्थगित वसूलनीय कर			26014	-		7633	-
tksM				653526			552940
fuf/k;ksa dk vuiz;ksx							
d. vpy iathxr 0;;							
i) अचल परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लॉक		408487			397189		
घटाएं: मूल्यह्रास		22311			13437		
ख) शुद्ध ब्लॉक			386176			383752	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		201506			131061	
iii) निर्माण भंडार तथा अग्रिम	7		524	588206		5811	520624
[k. fuos'k	8			-			-
x. pkyw ifjlaifÙk;ka] _.k ,oa vfxze	9						
i) निवेश पर उपचित ब्याज		-			-		
ii) सामान सूची		217			121		
iii) चालू संविदा कार्य		-			-		
iv) विविध देनदार		62326			15965		
v) नकद एवं बैंक शेष		34940			35059		
vi) अन्य चालू परिसंपत्तियां		937			1605		
vii) ऋण एवं अग्रिम		9823			3767		
			108243			56517	
?kVk,a & pkyw ns;rk,a ,oa izko/kku	10						
i) देयताएं		22480			19757		
ii) प्रावधान		20443			4588		
			42923			24345	
'kq) pkyw ifjlaifÙk;ka				65320			32172
?k. fofo/k 0;; (बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)	11			-			144
tksM				653526			552940

ys[kkdj.k uhfr;ka 23

ys[kk fVIif.k;ka 24

अनुसूची 1 से 24 लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

funs'kd eMy के लिए तथा की ओर से

d`rs vk-ih- VkVyk ,.M daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

vkj-d- rutk
निदेशक

Mh-ih- Hkkxo
मुख्य कार्यपालक निदेशक

,l-d- xx
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

lh, ,l-vkj- VkVyk
भागीदार
सदस्यता संख्या 71774

oh-d- f=ikBh
कंपनी सचिव

,e-MCY;w- [kku
महाप्रबंधक (वित्त)

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 22 ebZ 2007

31 ekp] 2007 dks lekIr o"kZ ds fy, YkkHk ,oa gkfu y[kk

(लाख रुपये)

fooj.k	vuqlwph la[;k		31 ekp] 2007 dks				31 ekp] 2006 dks
vk;							
i) बिक्री	12		74854			33598	
घटाएं: टैरिफ समायोजन			-			-	
घटाएं: मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम			-	74854		-	33598
ii) संविदाएं एवं परामर्श आय	13			-			-
iii) पावर बाँड पर ब्याज				-			-
iv) दीर्घावधि पेशगियों पर ब्याज				-			-
v) अन्य आय	14			1814			718
dqy ;ksx				**76668**			**34316**
O;;							
i) उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	15			3893			3426
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हित लाभ	16			1382			967
iii) मूल्यह्रास	17			6617			6021
iv) ब्याज एवं वित्त प्रभार	18			12977			12021
v) प्रावधान	19			-			41
vi) संविदा एवं परामर्शी खर्च	20			-			-
vii) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				-			-
viii) पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	21			192			18
dqy O;;				**25061**			**22494**
dj iwoZ ykHk				**51607**			**11822**
djk/kku ds fy, izko/kku							
i) वर्तमान कर			6110			1156	
ii) पूर्व वर्षों के संबंध में समायोजन			10			-	
iii) फ्रिंज लाभ कर			56			56	
iv) आस्थगित कर		18381			5971		
घटाएं : आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन		18381	-	6176	5971	-	1212
dj i'pkr ykHk				**45431**			**10610**
पिछले वर्ष के खाते से आगे लाई गई शेष राशि				11783			3592
fuiVku ;ksX; ykHk				**57214**			**14202**
fofu;kstu							
i) अंतरिम लाभांश			-			-	
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश			10222			2122	
iii) कारपोरेट लाभांश कर			1737			297	
iv) लाभ से आरक्षित में विनियोजन			-			-	
v) आरक्षित से पश्चलिखित राशि			-	11959		-	2419
rqyu&i= esa ys tk;k x;k 'ks"k				**45255**			**11783**
प्रति शेयर कमाई (ईक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/– रु. प्रत्येक)							
मूल ई पी एस (प्रति शेयर रु.)				231.48			54.87
डाइलूटिड ई पी एस (प्रति शेयर रु.)				231.48			54.25
ys[kkdj.k uhfr;ka	23						
ys[kk fVIif.k;ka	24						

अनुसूची 1 से 24 लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

funs'kd eMy के लिए तथा की ओर से

dr̀s **vk-ih- VkVyk ,.M daiuh**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

vkj-ds- ruttk
निदेशक

Mh-ih- Hkkxo
मुख्य कार्यपालक निदेशक

,l-ds- xxZ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

lh, ,l-vkj- VkVyk
भागीदार
सदस्यता संख्या 71774

oh-ds- f=ikBh
कंपनी सचिव

,e-MCY;w- [kku
महाप्रबंधक (वित्त)

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 22 ebZ 2007

vu|lph&1 'k;j ith

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk	31 ekp] 2006 dk
ikf/kdr		
प्राधिकृत पूंजीः 1000 रुपये प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर	300000	3000000
(पिछले वर्ष 30000000)	196258	196258
fuxfer] vfHknÙk ,o inÙk		
1000 रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत 1,96,25,800 (विगत वर्ष 1,96,25,800) इक्विटी शेयर। उपरोक्त में से 100,24,200 (विगत वर्ष 100,24,200) शेयर धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को तथा 96,01,600 (विगत वर्ष 96,01,600) शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं।		
fVIi.kh %		
उक्त में से 74,83,528 (विगत वर्ष 74,83,528) इक्विटी शेयर एक समझौता ज्ञापन के अनुसार में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए थे।		
tkM	196258	196258

vu|lph&1d fgLlk ith tek [kkrk

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
1. एनएचपीसी (धारक कंपनी) से	-	-
2. एनवीडीए लेखे से	-	-
tkM	-	-

vu|lph&2 vkjf{kr ,o vf/k'k"k

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk 01-04-06	of)	dVkrh	lek;ktu	31-03-07	31 ekp] 2006 dk 01-04-05	of)	dVkrh	lek;ktu	31-03-06
d vkjf{kr ith										
1. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए अनुदान के रूप में आनुपातिक अंशदान	34218	273	699	-	33792	34025	769	576	-	34218
2. एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के लिए अंतरित आनुपातिक सबवेंशन	43724	348	884	-	43188	43503	957	736	-	43724
3. आई एस पी के आर व आर के लिए मध्य प्रदेश करार का अंशदान	20186	-	367	-	19819	-	20400	214	-	20186
4. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए आनुपातिक अंशदान अनुदान के रूप में	12042	3912	-	-	15954	5440	6602	-	-	12042
ख. लाभ तथा हानि खाता	11783	45431	11959	-	45255	3592	10610	2419	-	11783
ग. स्वबीमा आरक्षित	3255	2021	-	-	5276	1285	1970	-	-	3255
tkM	125208	51985	13909	-	163284	87845	41308	3945	-	125208

vuqlwph&3 _.k fuf/k;k& lqjf{kr

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekpZ 2007 dks	31 ekpZ 2006 dks
सावधिक ऋण		
बैंक से सावधिक ऋण–भारतीय मुद्रा – संरक्षित (कृपया अनुसूची – 3 का अनुलग्नक देखें)	293984	216474
uksV% उपर्युक्त सभी सावधिक ऋण दीर्घ अवधि ऋण के संबंधित भाग के लिए इंदिरा सागर पावर स्टेशन/ओंमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की सभी परिसंपत्तियों वर्तमान और भविष्य दोनों के ऋणदाताओं के पक्ष में प्रथम पारीपासु प्रभार द्वारा संरक्षित है।		
योग	293984	216474

vuqlwph&3 dk vuqyXud

_.k fuf/k;k & lqjf{kr

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekpZ 2007 dks	31 ekpZ 2006 dks
nh?kZ vof/k _.k		
d- bafnjk lkxj ty fo|qr ifj;kstuk		
1 **vkfj,UVy cSad vkQ dkelZ** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1666.66 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	20000	20000
2 **tEew ,.M d'ehj cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 833.33 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
3 **cSad vkQ bafM;k** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 2916.66 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	35000	35000
4 **vkU/kzk cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 833.33 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
5 **dsujk cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 1250.00 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	15000	15000
6 **nsuk cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 833.33 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
7 **;wukbVsM cSad vkQ bafM;k** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 833.33 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
8 **iatkc ,.M fla/k cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 416.66 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	5000	5000
9 **flMch** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 833.33 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
10 **;wfu;u cSad vkQ bafM;k** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 833.33 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
11 **iatkc us'kuy cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 2291.66 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	27500	27500
12 **bafM;u vksojlht cSad** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 416.66 लाख रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	5000	5000
13 **cSad vkQ cM+kSnk** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 125.00 रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	1500	-
tksM+	**169000**	**169000**

vu|lph&3 dk vu|yXud

_.k fuf/k;k & lfjf{kr

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk	31 ekp] 2006 dk
nh?k vof/k _.k		
[k- vkdkj'oj ty fo|r ifj;kstuk		
1 ;fu;u cSad vkQ bfM;k (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	29017	10777
2 bfM;u vkojlht cSad (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	4833	1794
3 dkjiksjs'ku cSad (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	9676	3594
4 dujk cSad (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10057	3734
5 lsUVy cSad vkQ bfM;k (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	13348	4957
6 iatkc uS'kuy cSad (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	16737	5192
7 flMch (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	3384	1256
8 ;wukbVM cSad vkQ bfM;k (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	7447	2697
9 flMhdsV cSad (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	7255	2697
10 vkfj,.Vy cSad vkQ dkelZ (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	14509	5388
11 bykgkckn cSad (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	8721	5388
tksM+	124984	47474

vu|lph&4 _.k fuf/k;k & vlqjf{kr

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk	31 ekp] 2006 dk
vYikof/k _.k		
1. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (10.04.2006 को पुर्नभुगतान)	-	15000
tksM+	-	15000

vuqlwph&5 fu;r ifjlEifÙk;k

(लाख रुपये)

fooj.k	ldy Cykd						eY;gkl				'kq) Cykd	
	01-04-06 dks	vUrj bdkbZ vrj.k dk dkj.k o/ku@ lek;kstu	vU;k dk dkj.k o/u@ lek;ktu	vUrj bdkbZ vrj.k dk dkj.k dVkrh@ lek;ktu	vU;k dk dkj.k dVkrh@ lek;ktu	31-03-07 dks	01-04-06 dks	o"kZ dk fy,	lek;ktu	31-03-07 dks	31-03-07 dks	31-03-06 dks
	1	2क	2ख	3क	3ख	4	5	6	7	8	9	10
फ्री होल्ड भूमि	39	-	31	-	-	70	-	-	-	-	70	39
पट्टेवाली भूमि	161	-	12	-	-	173	6	5	-	11	162	155
भूमि प्रयोग को अधिकार/भूमि–अवर्गीकृत	10	-	-	-	-	10	1	-	-	1	9	9
भवन	43232	-	926	-	(5)	44153	2152	1132	7	3291	40862	41080
सड़कें व पुल	1250	-	167	-	-	1417	174	23	-	197	1220	1076
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक सिस्टम, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग)	276223	-	9718	-	(120)	285821	7279	5365	156	12800	273021	268944
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	73999	-	148	-	(1)	74146	3301	1977	16	5294	68852	70698
संयंत्र व मशीनरी–सब स्टेशन	537	-	4	-	(1)	540	9	19	-	28	512	528
संयंत्र व मशीनरी–पारेषण लाइनें	129	-	57	-	-	186	4	6	-	10	176	125
संयंत्र व मशीनरी–अन्य	239	-	-	-	-	239	20	14	-	34	205	219
निर्माण उपकरण	152	-	62	-	-	214	24	20	(1)	43	171	128
जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकास एव मल निकासी	104	-	63	-	-	167	2	3	-	5	162	102
विद्युत संस्थापन	16	-	-	-	-	16	5	2	-	7	9	11
वाहन	127	-	-	-	-	127	80	14	-	94	33	47
एयरक्राफ्ट/नौकाएं	15	-	-	-	-	15	4	3	-	7	8	11
फर्नीचर एवं फिक्सचर	283	24	77	(24)	(7)	353	61	26	(1)	86	267	222
कम्प्यूटर	163	-	57	-	(2)	218	110	38	-	148	70	53
संचार उपस्कर	43	-	4	-	-	47	5	3	-	8	39	38
कार्यालय उपस्कर	197	-	63	-	(2)	258	30	23	-	53	205	167
अनुसंधान व विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
अन्य परिसम्पत्तियां	115	-	32	-	-	147	16	9	-	25	122	99
उन परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मामूली कीमत की नियत परिसम्पत्तियां >750 और < 5000 रु.	154	-	16	-	(1)	169	154	16	(1)	169	-	-
अप्रचलित/अतिरिक्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dqy tksM+	*397189*	*24*	*11437*	*(2)*	*(139)*	*408487*	*13437*	*8698*	*176*	*2311*	*386176*	*383752*
पिछले वर्ष	332840	2	64391	(5)	(42)	397189	5771	7657	9	13437	383752	327069

fVIi.kh

वर्ष हेतु मूल्यह्रास	8698
पी एंड एल के लिए चार्ज	6617
आई ई डी सी के लिए चार्ज	131
पूंजीगत आरक्षित के लिए चार्ज	1950

dks"Bd dh Hkhrj dh vkdM+ dVkSfr;ksa n'kkZrs gSA

vu|lph&6 pky| ithxr dk;|

(लाख रुपये)

fooj.k		1 vi|y 2006 dk	vof/k d nkjku lo/ku	lek;ktu	vof/k d nkjku ithdr	31 ekp 2007 dk
i)	भवन	15706	2286	(1)	(979)	17012
ii)	सड़कें व पुल	79	99	-	(167)	11
iii)	रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
iv)	हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक सिस्टम, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग)	53683	23979	-	(118)	77544
v)	जनरेटिंग संयंत्र एवं मशीनरी	34356	32572	-	(95)	66833
vi)	संयंत्र एवं मशीनरी–सब स्टेशन	1149	328	-	(1)	1476
vii)	संयंत्र एवं मशीनरी–ट्रांसमिशन लाइनें	9	65	-	(41)	33
viii)	संयंत्र एवं मशीनरी–अन्य	-	-	-	-	-
ix)	निर्माण संयंत्र	-	-	-	-	-
x)	जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकास/मल निकासी	10	52	-	(62)	-
xi)	उन परिस्थितियों पर पूंजीगत व्यय, जो एनएचडीसी की नहीं है	-	78	874	-	952
xii)	सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं परामर्श व पर्यवेक्षण प्रभार	2118	955	-	-	3073
xiii)	आर एंड आर व प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण पर खर्च	11253	12128	-	(8695)	14686
xiv)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी)	12698	8966*	(874)	(904)	19886
	tkM	**131061**	**81508**	**(1)**	**(11062)**	**201506**
	पिछले वर्ष	102139	91547	(263)	(62362)	131061

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियां दर्शाते हैं।

*अनुसूची 22 का संदर्भ ग्रहण करें – वर्ष के लिए निर्माण दौरान प्रासंगिक व्यय

vuqlwph&6 dk vuqca/k&fuek.k dk nkSjku iwathxr O;;

(लाख रुपये)

foj.k			31 ekpZ 2007 dks		31 ekpZ 2006 dks	
d.	**deZpkjh ikfjJfed ,oa YkkHk**					
i)	वेतन, मजदूरी भत्ते		1908		1269	
ii)	उपदान व भविष्य निधि पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)		185		115	
iii)	स्टाफ कल्याण व्यय		229		144	
iv)	छुट्टी वेतन व पेंशन योगदान		26		26	
		mi tksM		2348		1554
[k.	**ejEer o j[kj[kko**					
i)	भवन		26		15	
ii)	मशीनरी		11		-	
iii)	अन्य		268		201	
		mi tksM		305		216
x.	**iz'kklfud ,oa vU; O;;**					
i)	किराया		262		195	
ii)	दरें एवं कर		4		-	
iii)	बीमा		2		1	
iv)	सुरक्षा प्रभार		17		6	
v)	विद्युत प्रभार		111		57	
vi)	यात्रा एवं वाहन		159		105	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय		173		168	
viii)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकट		47		33	
ix)	विज्ञान एवं प्रचार		53		32	
x)	आतिथ्य एवं सत्कार		3		2	
xi)	मुद्रण एवं स्टेशनरी		38		31	
xii)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		-		-	
xiii)	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार					
	- स्वदेशी		838		758	
	- विदेशी		-		-	
xiv)	प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय		-		-	
xv)	उस भूमि पर खर्च, जो निगम की नहीं है		-		874	
xvi)	भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास		-		-	
xvii)	बट्टे खाते डाली गई परसम्पत्तियों/सामग्री संबंधी हानि		-		-	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		-		-	
xix)	अन्य सामान्य खर्च		4952		4938	
		mi tksM		6659		7200
?k.	**C;kt ,oa foÙk izHkkj**					
i)	ब्याज :					
	क) भारत सरकार ऋण		-		-	
	ख) बांडस		-		-	
	ग) विदेशी ऋण		-		-	
	घ) आवधिक ऋण		12714		5933	
	च) नकद उधार सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल		-		-	
ii)	बांड जारी/सेवा व्यय		-		-	
iii)	समिति शुल्क		-		-	
iv)	ऋण पर गारण्टी शुल्क		11		11	
v)	अन्य वित्त प्रभार		534		527	
		mi tksM		13259		6471
p.	विनियम दर भिन्नता (एनईटी)					
i)	विनियम दर भिन्नता (डेबिट शेष)		13		-	
ii)	घटाएं : विनियम दर भिन्नता (क्रेडिट शेष)		248		-	
		mi tksM		(235)		-
N.	प्रावधान		-		-	
		mi tksM		-		-
t.	मूल्यह्रास		314		206	
		mi tksM		314		206
>.	**iwoZ vof/k O;; ¼,ubZVh½**					
i)	पूर्व अवधि व्यय		22		21	
ii)	घटाएं : पूर्व अवधि आय		-		-	
		mi tksM		22		21
r.	**?kVk,a % ikfIr;ka ,oa olwfy;ka**					
i)	संचालन पूर्व बिजली उत्पादन से आय		-		-	
ii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज		442		158	
iii)	विविध प्राप्तियां		3759		3719	
iv)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-		-	
v)	प्रावधान/देयताएं जिनका पश्च लेखन आवश्यक नहीं है		34		2	
vi)	किराया प्रभार/संयंत्र मशीनरी पर आउटर्टन		-		-	
		mi tksM		4235		3879
थ.	**fuxe eq[;ky; iz/kku [kpZ**				1449		909
	iwathxr pkyw dk;Z esa vUrfjr jkf'k ¼d+[k+x+?k+p+N+t+>+Fk&Rk½			19886		12698

vuqlwph&7 & fuekZ.k HkaMkj ,oa vfxze

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekpZ 2007 dks		31 ekpZ 2006 dks	
d½ fuekZ.k HkaMkj				
i) भंडार व कलपुर्जे	-		-	
ii) खुले औजार	-		-	
iii) स्क्रेप मालसूची	-		-	
iv) पारगमन/लंबित निरीक्षण–भण्डार	131		12	
v) ठेकेदार/निर्माता को जारी सामग्री	-		-	
घटाएः निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-		-	
mi tksM		131		12
[k½ iwathxr 0;; ds fy, vfxze				
i) संरक्षित – (कंसीडर्ड गुड)	-		-	
ii) असंरक्षित – बैंक गारंटी पर (कंसीडर्ड गुड)	374		5713	
iii) असंरक्षित – अन्य (कंसीडर्ड गुड)	19		86	
iv) असंरक्षित – संदेहपूर्ण समझा गया	-		-	
घटाएंः संदेहपूर्ण अग्रिम के लिए प्रावधान	-		-	
mi tksM		393		5799
tksM		**524**		**5811**
fuekZ.k HkaMkj ds fy, izko/kku	-		-	
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	-		--	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-
अंतिम शेष				
lafnX/k vfxze ds fy, izko/kku	-		-	
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	-			-
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-

vuqlwph&8 fuos'k

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekpZ 2007 dks	31 ekpZ 2006 dks
nh?kkof/kd		
d- fuos'k&vuq 'kxh dEiuh ¼VsM½		
इक्विटी शेयर (अनुद्धृत)	-	-
[k- fuos'k&vU; ¼VsM½		
इक्विटी शेयर $	-	-
x- fuos'k vU; ¼VsM½		
ckWaM $*	-	-
एसईबी बॉण्डस में निवेश	-	-
?k- fuos'k&vuq'kxh dEiuh ¼uku&VsM½		
इक्विटी शेयर	-	-
³- fuos'k&vU; ¼uku&VsM½		
इक्विटी शेयर	-	-
p- fuos'k&vU; ¼uku&VsM½	-	-
बॉण्डस $		
एसईबी बॉण्डस में निवेश		
N- nh?kkof/k vfxze	-	-
दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड		
vYikof/k vfxze		
d- fuos'k& vuq'kxh dEiuh ¼VsM½	-	-
इक्विटी शेयर	-	-
[k- fuos'k&vU; ¼VsM½		
इक्विटी शेयर	-	-
x- fuos'k vU; ¼VsM½	-	-
?k- fuos'k& vuq'kxh dEiuh ¼uku&VsM½	-	-
इक्विटी शेयर		
³- fuos'k&vU; ¼uku&VsM½	-	-
इक्विटी शेयर		
p- fuos'k&vU; ¼uku&VsM½	-	-
बॉण्डस		
N- fodkl iHkkj vkjf{kr lc/kh fuos'k	-	-
?kVk,a½ निवेश के मूल्य में कमी के संदर्भ में प्रावधान		
tksM	-	-

vu|lph&9 orZeku ifjlifÙk;k] _.k ,o vfxze

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk		31 ekp] 2006 dk	
d-	fuos'k ij iznRr C;kt		-	-	
[k-	oLrq lwfp;k				
i)	भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	162		105	
ii)	खुले औजार	6		10	
iii)	कबाड़ माल सूची	10		10	
iv)	मार्गस्थ/बकाया भंडार जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	49		6	
v)	निर्माण स्थल का सामान	-		-	
vi)	ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	-		-	
	घटाएं : अप्रचलित भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	(10)	217	(10)	121
x-	pkyw dk;Z				
i)	चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	-		-	
ii)	चालू परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-		-	
?k-	fofo/k nsunkj ¼vlqjf{kr½				
i)	छः माह से अधिक समय से देय ऋण				
	– शोध्य समझे गए	3488		4423	
	– संदिग्ध समझे गए	-		-	
ii)	अन्य ऋण	-		-	
–	शोध्य समझे गए	58838		11542	
–	संदिग्ध समझे गए और	-		-	
	प्रावधान युक्त	-		-	
	घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान	-	62326	-	15965
³	udn ,oa cSad 'ks"k				
i)	हाथ में नकदी (मूल्यांकन वर्ष 04–05 के लिए आयकर रिफंड के लिए 43109420/– रुपये के चेक, सहित, पिछले वर्ष शून्य रुपए।)	437		21	
ii)	बैंकों में शेष	-		-	
	अनुसूचित बैंक के साथ	-		-	
	चालू खाते में	12397		10286	
	जमा खाते में (स्वबीमा आकिस्मताओं के लिए निर्धारित जमा राशि सहित)	22106		24752	
	अन्य बैंकों के पास शेष				
	चालू खाते में	-		-	
	जमा खाते में	-	34940	-	35059
p-	vU; pkyw ifjlEifÙk;k				
i)	जमा राशियां पर प्रोद्भूत ब्याज	415		561	
ii)	अन्य	292		318	
iii)	अन्य एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	259		757	
	?kVk,a संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	(29)	937	(31)	1605
N-	_.k ,oa vfxze				
d½	_.k				
	कर्मचारी (जमा पर प्रोद्भूत ब्याज सहित)				
	संरक्षित	366		447	
	असंरक्षित – शोध्य समझे गए	148		64	
	असंरक्षित – संदिग्ध समझे गए	-	514	-	511

vuqlwph&9 orZeku ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007			31 ekp] 2006		
[k½- i'kfx;k						
(नकद या वस्तु रूप में प्राप्त किए जाने वाले कीमत वसूल करने योग्य)						
i) सहायक कंपनियां संरक्षित						
असंरक्षित – शोध्य समझे गए	-			-		
असंरक्षित – संदिग्ध समझे गए	-			-		
ii) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	-			-		
संरक्षित	-			-		
असंरक्षित शोध्य समझे गए						
बैंक गारंटी से सुरक्षित	-			-		
अन्य	263			41		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	-			-		
iii) कर्मचारी						
असंरक्षित (शोध्य समझे गए)	7			12		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	-			-		
iv) अन्य अग्रिम						
असंरक्षित शोध्य योग्य समझे गए	-			-		
असंरक्षित संदिग्ध समझे गए	-			-		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-			-		
v) अन्य वसूली योग्य	-	270		-	53	
x½ tek						
अग्रिम आय कर एवं स्रोत पर कर कटौती		9039	9823		3203	3767
dqy tksM+			108243			56517

dk"Bd ds vanj vkadM+s dVkSrh;k n'kkZrs gSa A

(लाख रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
x|j&vuqlfpr cSadks ds lkFk o"kZ ds nkSjku vf/kdre 'ks"k dk fooj.k	dkbZ ugha	dkbZ ugha
funs'kdksa ls cdk;k _.kksa ,oa iz'kfx;ksa dk fooj.k	dkbZ ugha	dkbZ ugha
o"kZ dh lekfIr ij cdk;k jkf'k		
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.06	dkbZ ugha

कंपनी द्वारा बकाया पेशगी जिसमें निगम का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है उसके लिए राशि कोई नहीं है। (पिछले वर्ष कोई रुपये नहीं)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
vupfyr HkaMkj vkSj fgLls iqtksZa ds fy, izko/kku*				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	10		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		10	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		10		10
lafnX/k _.kksa ds fy, izko/kku*				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
cgs ,oa lafnX/k nkoksa ds fy, izko/kku*				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	31		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		31	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2		-	
अंतिम शेष		29		31
vU; olyh;kX; ds fy, izko/kku*				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-
ihthlhvkbZ,y olyh;kX; ds fy, izko/kku*				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		-		-

vuqlwph&10 orZeku ns;rk,sa ,oa izko/kku

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekpZ 2007 dks			31 ekpZ 2006 dks		
d-	**ns;rk,sa**						
1.	विविध ऋणदाता						
	क) एसएसआई उपक्रम से कुल बकाया शेष (30 दिन से अधिक बकाया शून्य रुपये)		–			–	
	ख) अन्य		8095			14209	
2	जमा/एजेंसी की व्यय न की गई राशि		–			–	
3	जमा राशि/प्रतिधारण धनराशि		5635			2747	
4	डिपॉजिट वर्क्स पर अग्रिम		–			–	
	घटाएं: डिपॉजिट वर्क्स पर वसूली योग्य राशि		–			–	
5.	ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु अदेय ब्याज		1102			–	
6.	परियोजना/कांट्रेक्टीज़ की लागत के प्रति अग्रिम		–			–	
7.	सहायता अनुदान–लंबित इस्तेमाल		6921			1630	
8.	अनुषंगी कंपनियों / होल्डिंग्स का बकाया		242			305	
9.	अन्य देयताएं		485			866	
	dqy ns;rk,sa ¼d½			**22480**			**19757**
[k-	**izko/kku**						
1-	**djk/kku gsrq izko/kku**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1719			504		
	वर्ष के दौरान संवर्धन,	6176			1215		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	122			–		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–			–		
	अंतिम शेष		7773			1719	
2-	**izLrkfor ykHkka'k dk izko/kku**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2122			680		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	10222			2122		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2122			680		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–			–		
	अंतिम शष		10222			2122	
3-	**izLrkfor ykHkka'k ij dj**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	298			89		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	1737			297		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	298			89		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–			–		
	अंतिम शेष		1737			297	
4-	**osru la'kks/ku ds fy, izko/kku**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	160			–		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	206			160		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	159			–		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–			–		
	अंतिम शेष		207			160	
5-	**ih,yvkbZ@vuqxzg jkf'k ds fy, izko/kku**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	122			18		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	181			123		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	83			18		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	39			–		
	अंतिम शेष		181			123	
6-	**Nêh udnhdj.k ds fy, izko/kku**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	69			19		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	65			52		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–			2		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–			–		
	अंतिम शेष	–	134		–	69	
7-	**minku ds fy, izko/kku**						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	41			25		
	वर्ष के दौरान संवर्धन	29			19		
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	7			3		
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–			–		
	अंतिम शेष		63			41	

vu|lph&10 or'eku n;rk,; ,o iko/kku

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk		31 ekp] 2006 dk	
8- vkjbl,p,l d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	57		30	
वर्ष के दौरान संवर्धन	2		27	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष		59		57
9- ,yVhlh d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	41		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष		41		–
10- vftr vodk'k udnhdj.k ij Hkfo"; fuf/k e v'knku d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	16		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष	–	16	–	–
11- VhVh, d fy, iko/kku ¼lokfuofÙk cxt HkRrk½				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	10		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष	–	10	–	–
12- vU; [kp d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	–		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष	–	–	–	–
13- vkdfLedrkvk d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	–		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष	–	–	–	–
14- VfjQ lek;ktu d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	–		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष	–	–	–	–
15- fctyh d Lomi Hkkx d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान संवर्धन	–		–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	–		–	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	–		–	
अंतिम शेष		–		–
dqy iko/kku ¼[k½		20443		4588
dqy tkM ¼d$[k½		42923		24345

vu|lph&11 fofo/k [kpl

¼cVVs [kkrs u Mkyk x;k ;k lek;ksftr u fd;k x;k dh lhek rd½

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk		31 ekp] 2006 dk	
प्रारंभिक खर्च				
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार शेष	144		164	
घटाएं : अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	144	-	20	144
अन्य स्थगित राजस्व व्यय	-		-	
बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा संबंधी परियोजना व्यय	-		-	
बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	-		-	
घटाएं : लंबित अन्वेषण से हानियों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
dqy tksM+		-		144

vu|lph&12 fcØh

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,	31 ekp] 2006 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,
विद्युत बिक्री (रुपये 20558 लाख की बकाया बिक्री शामिल)	68925	32408
विद्युत बिक्री (एफबीटी)	56	56
विद्युत बिक्री (एमएटी)	5873	1134
घटाएं : संचालन पूर्व विद्युत उत्पादन से आय (अनुसूची–22 I(i) को हस्तांतरित)	-	-
ykHk ,oa gkfu [kkrs esa 'kkfey dqy	74854	33598

vu|lph&12d eY;gkl ds cnys vfxze

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,	31 ekp] 2006 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,
वर्ष के दौरान	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्च लिखित	-	-
ykHk ,oa gkfu [kkrs esa 'kkfey dqy	-	-

vu|lph&13 lfonk ,oa ijke'khZ vk;

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,	31 ekp] 2006 dks lekIr gq, o"kZ ds fy,
संविदा आय	-	-
परामर्शी आय	-	-
ykHk ,oa gkfu [kkrs esa 'kkfey dqy	-	-

vu|lph&14 vU; vk;

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
i)	बैंक के अलावा अल्पावधि जमा से आय	-	-
ii)	बांडों पर ब्याज	-	-
iii)	ऋण व अग्रिम पर ब्याज	28	30
iv)	अनुशंगियों से लाभांश आय	-	
v)	अन्य से लाभांश आय	-	-
vi)	विलंबित भुगतान प्रभार	-	-
vii)	परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	-	-
viii)	देयताएं/प्रावधान जिनका पश्च लेखन अपेक्षित नहीं है #	52	-
ix)	स्क्रेप से आय	8	-
x)	मियादी ऋणों और बचत बैंक पर ब्याज	2020	1616
	(इसमें रुपये 5 लाख टीडीएस (पिछले वर्ष रुपये 1 लाख) शामिल हैं)		
xi)	अनुषंगियों से ब्याज स्वरूप आय	-	-
xii)	सार्वजनिक जमा खाते पर ब्याज	-	-
xiii)	अन्य विविध आय		
	(इसमें रुपये 0.35 लाख टीडीएस (पिछले वर्ष रुपये 1 लाख) शामिल हैं)	187	115
xiv)	विनिमय दर अंतर	248	-
xv)	वास्तविक सत्यापन पर अधिक पाया	-	-
	tkM	2543	1761
	घटाएं : आईईडीसी को हस्तांतरित आय		
	(अनुसूची–22ङ (ii) 22झ (ii) से (vi) और 22ञ (i) देखें)	729	1043
	घटाएं : संविदा एवं परामर्शी खर्च में हस्तांतरित आय (अनुसूची–20 देंखे)	-	-
	लाभ एवं हानि खाते में शामिल कुल	1814	718
			(लाख रुपये)
	# देयताएं/प्रावधान जिनका पश्चलेखन अपेक्षित नहीं है, का ब्योरा	-	-
क)	अशोध्य और संदिग्ध ऋण	-	-
ख)	अशोध्य और संदिग्ध अग्रिम/जमा राशि	-	-
ग)	अशोध्य एवं संदिग्ध दावे	2	-
घ)	भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे के मूल्य में कमी	-	-
ङ)	भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे में कमी	.-	-
च)	आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-	-
छ)	निवेश के मूल्य में कमी के बदले प्रावधान	-	-
ज)	वेतन सशोधन के लिए प्रावधान	-	-
झ)	अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	7	-
ञ)	लंबित जांच हानि के लिए प्रावधान	-	-
ट)	उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	33	-
ठ)	देयता जिसका पश्च लेखन अपेक्षित नहीं है	10	-
	tkM	52	-

vu|lph&15 mRiknu] i'kklu ,o vU; 0;;

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
i)	भण्डारों एवं कलपुर्जो की खपत	19	13
ii)	मरमम्त तथा अनुरक्षण		
	– भवन	134	202
	– मशीनरी	61	159
	– अन्य	439	313
iii)	किराया	244	279
iv)	दरें और कर	16	10
v)	बीमा	10	20

vu|lph&15 mRiknu] i’kklu ,o vU; 0;;

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
vi)	स्वःबीमा आरक्षित	2021	1970
vii)	सुरक्षा व्यय	170	72
viii)	विद्युत प्रभार	658	559
ix)	यात्रा एवं वाहन	194	171
x)	स्टॉफ कार पर व्यय	99	67
xi)	टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें	71	68
xii)	विज्ञापन एवं प्रसार	77	105
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	21	10
xiv)	दान	2	4
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	48	61
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं	4	3
xvii)	परामर्शी प्रभार– घरेलू	118	209
xviii)	परामर्शी प्रभार– विदेशी	-	-
xix)	प्रतिपूरक वनरोपण/जल ग्रहण क्षेत्र सुधार पर खर्च	-	-
xx)	निगम के स्वामित्व में न आने वाली भूमि पर व्यय	-	163
xxi)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	-	-
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	2	1
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय	-	-
xxiv)	बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक खर्च	144	21
xxv)	बट्टे खाते डाला गया सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय	-	-
xxvi)	अशोध्य ऋण/अग्रिम/दावे बट्टे खाते डाले गए	-	-
xxvii)	भण्डार बट्टे खाते डाले गए	-	-
xxviii)	अचल परिसंपत्तियां बट्टे खाते डाली गई	-	5
xxix)	अदालत/विवाचन मामलों पर ब्याज भुगतान	-	-
xxx)	अन्य सामान्य व्यय	195	112
xxxi)	विनिमय दर अंतर	13	-
xxxii)	लेखा परीक्षा खर्च (देखें लेखों पर टिप्पणियां क्रमांक–21)	11	6
xxxiii)	निदेशक व्यय	-	-
xxxiv)	अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
	tkM	4771	4603
	?kVk,| % आईइडीसी को हस्तांतरित व्यय (अनुसूची 22–ख, 22–ग, 22–ङ (i) 22–ञ (iii) देखें)	878	1177
	?kVk,| % अनुबंध एवं परामर्शी व्यय को हस्तांतरित (अनुसूची 20 देखें)	-	-
	ykHk ,o gkfu [kkr e yk tk;k x;k dy	3893	3426

vu|lph&16 depkjh ikfjJfed ,o ykHk

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	2542	2334
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	287	257
iii)	स्टॉफ कल्याण व्यय	333	313
iv)	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-	-
	tkM	3162	2904
	?kVk,| % आईइडीसी को हस्तांतरित कर्मचारी लागत (अनुसूची 22–क और 22–ञ (ii) देखें)	1780	1937
	?kVk,| % अनुबंध एवं परामर्शी व्यय को हस्तांतरित कर्मचारी लागत (अनुसूची 20 देखें)	-	-
	ykHk ,o gkfu [kkr e yk tk;k x;k dy	1382	967

vu|lph&17 eY;gklk

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	8698	7657
tkM	8698	7657
?kVk,a आईइडीसी को हस्तांतरित मूल्यह्रास (अनुसूची 22–छ और 22–ञ (iv) देखें)	131	110
?kVk,a अनुबंध एवं परामर्शी व्यय को हस्तांतरित मूल्य ह्रास (अनुसूची 20 देखें)	-	-
?kVk,a पूंजी रिजर्व से हस्तांतरित		
(बट्टे खाते में डाले गए अनुदान) (अनुसूची 2 देखें)	1950	1526
ykHk ,o gkfu [kkr e y tk;k x;k dy	6617	6021

vu|lph&18 C;kt ,o foÙk iHkkj

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
i) निम्नांकित पर ब्याज		
क) भारत सरकार के ऋण	-	-
ख) बॉण्डस	-	-
ग) विदेशी ऋणों	-	-
घ) मियादी ऋणों	19752	14644
ङ) नकद ऋण सुविधाओं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
च) अन्य ब्याज प्रभार	-	-
ii) बांड निर्गम/सेवा व्यय	-	-
iii) ग्राहकों को छूट	-	-
iv) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
v) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
vi) रॉयल्टी	-	-
vii) बैंक प्रभार	5	6
viii) अन्य वित्त प्रभार	8	514
tkM	19765	15164
?kVk,a आईइडीसी को हस्तांतरण से पूंजीकृत खर्च		
(अनुसूची 22–घ और 22–ञ (v) देखें)	6788	3143
?kVk,a अनुबंध एवं परामर्शी व्यय को हस्तांतरित व्यय (अनुसूची 20 देखें)	-	-
ykHk ,o gkfu [kkr e y tk;k x;k dy	12977	12021

vu|lph&19 iko/kku

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,	31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,
i) अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण–प्रावधान युक्त	-	-
ii) अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम जमा–प्रावधान युक्त	-	-
iii) अशोध्य एवं संदेहास्पद दावे– प्रावधान युक्त	-	31
iv) भण्डार व कलपुर्जो के मूल्य में कमी	-	10
v) भण्डार व कलपुर्जो की कमी–प्रावधान युक्त	-	-
vi) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-	-
vii) निवेशमूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
viii) परियोजना खर्च के लिए प्रावधान	-	-
ix) अचल आस्तियों/भण्डारों पर हानि के लिए प्रावधान	-	-
tkM	-	41
?kVk,a आईइडीसी को हस्तांतरित प्रावधान		
(अनुसूची 22–च और 22–ञ (vii) देखें)	-	-
?kVk,a अनुबंध एवं परामर्शी व्यय को हस्तांतरित प्रावधान (अनुसूची 20 देखें)	-	-
ykHk ,o gkfu [kkr e y tk;k x;k dy	-	41

vu|lph&20 lfonk ,o ijke’kh 0;;

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k dk fy,		31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k dk fy,	
i) iR;{k 0;;		-		-
ii) deZpkjh ikfjJfed ,oa ykHk				
– वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	-		-	
– उपदान तथा भविष्यनिधि एवं पेंशन योजना में अंशदान	-		-	
– स्टॉफ कल्याण व्यय	-	-	-	-
iii) ejEer rFkk vuqj{k.k				
– भवन	-		-	
– मशीनरी तथा निर्माण उपकरण	-		-	
– अन्य	-	-	-	-
iv) iz'kklu ,oa vU; [kpZ				
– किराया	-		-	
– यात्रा एवं वाहन	-		-	
– स्टॉफ करों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	-		-	
– बीमा	-		-	
– टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें	-		-	
– विज्ञापन एवं प्रचार				
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-		-	
– लेखा परीक्षकों को पारिश्रमक	-		-	
– अन्य व्यय	-		-	
– दर और कर	-		-	-
– सुरक्षा	-		-	
– विद्युत	-		-	
– अकस्मिकताएं	-		-	
– प्रामर्शी प्रभार	-		-	
– ईआरवी	-	-	-	-
v) eY;gkl		-		-
vi) C;kt vkj foÙk iHkkj		-		-
vii) fuekZ.k lfonk dh gkfu		-		-
viii) ikoZ/kku		-		-
ix) dk;Z ixfr ij				
– निर्माण अनुबंर्ध	-		-	
– परामर्श	-	-	-	-
x) dkikZjsV dk;kZy; 0;; ¼'ks"k½		-		-
dqy 0;;		-		-
?kVk,a प्राप्तियां एवं वसूलियां		-		-
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		-		-
पूर्व अवधि समायोजन		-		-
ykHk ,oa gkfu [kkrs esa ys tk;k x;k		-		-

vu|lph&21 iwoZ vof/k lek;kstu ¼'kq)½

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k dk fy,		31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k dk fy,	
vk;				
i) विद्युत की बिक्री	(2)		-	
ii) देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-		-	
iii) मूल्यह्रास के बदले पश्चलिखित अग्रिम	-		-	
iv) अन्य	(117)	(119)	1	1
0;;				
i) वेतन एवं मजदूरी	-		-	
ii) मरम्मत एवं अनुरक्षण	.		(2)	
iii) ब्याज	-		-	
iv) अन्य	13		309	
v) मूल्यह्रास	178	191	17	324
tksM+		310		323
?kVk,a आईइडीसी को हस्तांतरित व्यय (अनुसूची 22–ज और 22–ञ (vi) देखें) पूर्व अवधि व्यय		1		305
?kVk,a पूर्व अवधि आय		(117)		-
tksM+		118		305
?kVk,a अनुबंध एवं परामर्शी व्यय को हस्तांतरित व्यय (अनुसूची 20 देखें)		-		-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल		192		18

vu|lph&22 o"k e fuek.k d nkjku vkdfLed [kp

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d fy,		31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k d fy,	
d	**depkjh ifjJfed vkj ykHk**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	1133		1124	
ii)	उपदान और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	84		64	
iii)	स्टॉफ कल्याण खर्च	117		120	
iv)	अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	–		–	
	mi&tkM		1334		1308
[k	**ejEer vkj vuj{k.k**				
i)	भवन	47		40	
ii)	मशीनरी	14		2	
iii)	अन्य	86		73	
	mi&tkM		147		115
x	**i'kklu ,o vU; [kp**				
i)	किराया	158		178	
ii)	दरें व कर	6		3	
iii)	बीमा	1		1	
iv)	सुरक्षा व्यय	11		-	
v)	विद्युत प्रभार	64		41	
vi)	यात्रा एवं वाहन	76		80	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	14		16	
viii)	टेलीफोन, टैलेक्स और डाक व्यय	27		21	
ix)	विज्ञापन और प्रचार	43		44	
x)	मनोरंजन और आतिथ्य सत्कार खर्च	6		1	
xi)	मुद्रण और लेखन सामग्री	10		27	
xii)	लेखा परीक्षा खर्च	-		-	
xiii)	डिजाइन और परामर्शी प्रभार				
	– स्वदेशी	112		197	
	– विदेशी	-		-	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षरोपण पर खर्च	-		-	
xv)	भूमि पर खर्च जो निगम की नहीं है	-		140	
xvi)	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-		-	
xvii)	बट्टे पर डाली गई परिसंपतियों/सामान पर हानि	-		-	
xviii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-		-	
xix)	अन्य सामान्य खर्च	16		18	
	mi&tkM		544		767
?k	**C;kt vkj foÙk iHkkj**				
i)	निम्नांकित पर ब्याज				
	क) भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	-		-	
	ख) बांडों पर ब्याज	-		-	
	ग) विदेशी ऋणों पर ब्याज	-			
	घ) मियादी ऋणों पर ब्याज	6781		2635	
	ङ) नकद ऋण सुविधाओं/डब्ल्यूसीडीएल पर ब्याज	-		-	
ii)	बांड निर्गम/सेवा व्यय	-		-	
iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	-		-	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	-		-	
v)	अन्य वित्त प्रभार	7		507	
	mi&tkM		6788		3142

(लाख रुपये)

fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k dk fy,		31 ekp] 2006 dk lekIr g, o"k dk fy,	
³ fofue; nj vUrj ¼'kq)½				
i) विनिमय दर अंतर (नामे शेष)	13		-	
ii) घटाएं : विनिमय दर अंतर (जमा शेष)	(248)		-	
mi&tkM		(235)		-
p ikoj/kku	-		-	
mi&tkM	-		-	
N eY;gkl	113		87	
mi&tkM		113		87
t fiNyh vof/k dk [kpZ ¼'kq)½				
i) पिछली अवधि के खर्च	1		297	
ii) घटाएं : पिछली अवधि की आय	(117)		-	
mi&tkM		118		297
> ?kVk,a ¼ ikfIr;ka vkj olfy;ka			-	
i) विद्युत उत्पादन – संचालन पूर्व से आय	-		-	
ii) ऋण व अग्रिम पर ब्याज	283		696	
iii) विविध प्राप्तियां	144		279	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
v) देयताएं / प्रावधान जिनके लिए पष्च लेखन अपेक्षित नहीं	39		-	
vi) संयंत्र व मशीनरी पर किराया प्रभार / आउट टर्न	-		-	
mi&tkM		466		975
´ dkjikjsV dk;ky; izc/ku [kpZ				
i) अन्य आय	(15)		(68)	
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	446		629	
iii) उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	174		295	
iv) मूल्यह्रास	18		23	
v) ब्याज और वित्त प्रभार	-		1	
vi) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	-		8	
vii) प्रावधान	-		-	
mi&tkM		623		888
pkyw iwath dk;Z esa LFkkukrfjr jkf'k ¼d$[k$x$?k$³pNt´&>½		8966		5629

vu|lph&23 egRoi.k y[kkdu uhfr;k

1- y[kkdu lc/kh ijEijk,

निगम के लेखे लेखांकन की प्रोद्‌भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2- fLFkj vkfLr;k

2.1 स्थिर आस्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताये गये हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन आस्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 भूमि पर सृजित ऐसी स्थिर आस्तियां जो कार्पोरेशन की नहीं हैं स्थिर आस्त्यिों के अंतर्गत शामिल हैं। इसमें वे अस्तियां शामिल नहीं हैं जो पुनर्वास/पुर्नस्थापना के लिए सृजित है।

2.3 जहां न तो भूमि और न आस्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहां आस्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे स्थिर आस्तियों में दिखाया गया है।

2.4 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत हासिल की जाने वाली/बनायी जाने वाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.5 फालतू घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3- e'khuk d fgLl iqt

3.1(क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गये या बाद में हासिल किये गये मशीनों के हिस्से पुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के हिस्से पुर्जों की कीमत पता हो और तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है, और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के हिस्से पुर्जों की कीमत पता न हो विशेषकर जब मुख्य संयंत्र के साथ खरीदा जाता है, तो अधिग्रहण लागत के 90% मुख्य संयंत्र के साथ पूंजीकरण व मूल्यह्रास किया जाता है।

3.1(ख) हिस्से पुर्जो की डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है जिसमें ये हिस्से पुर्जे इस्तेमाल में लाये जाते हैं। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और उपयोग किये गये हिस्से पुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है।

3.1(ग) जब संबंधित स्थिर आस्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे हिस्से पुर्जो की लागत शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही आस्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित हिस्से पुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्‌टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य हिस्से पुर्जों को ''स्टोर्स एंड स्पेयर्स'' माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4- ithxr dk;

4.1 चालू की जा रही परियोजनाओं और अन्य निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को लागत आधार पर किया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में निर्माण के दौरान उपयोग में लाई जा रही स्थिर आस्तियों पर ब्याज और मूल्यह्रास सहित निर्माण, आनुषंगिक और नैमित्तिक खर्चों को आनुषंगिक खर्च में शामिल किया जाता है और परियोजना के पूरा होने तक इसे भूमि और अवसंरचना सुविधाओं के अलावा प्रमुख अचल परियोजना आस्तियों में निर्माण के दौरान आबंटित कर दिया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरक्षण, उच्चीकरण आदि के खर्च को 'निर्माण के दौरान आनुषंगिक खर्च' में डाल दिया जाता है।

5- eY;âkl vkj _.k 'kk/ku

5.1 मूल्यह्रास को सरल रेखा विधि के आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए हिसाब में लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी दरों की अधिसूचना आयोग के विनियमों के अंतर्गत जारी नहीं की गयी है, मूल्यह्रास का आकलन सरल रेखा विधि के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों से किया जाता है। लेकिन यह नियम कम्प्यूटरों और उनसे संबंधित सामग्री पर लागू नहीं होता और कंपनी द्वारा आकलित दरों को ही माना जाता है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उनके मूल्य के 90 प्रतिशत तक हो सकता है।

5.2 कोई वस्तु जिस वर्ष उपलब्ध करायी जाती है मूल्यह्रास उसी साल यथानुपात आंका जाता है।

5.3 5000 रुपये या इससे कम मूल्य की लेकिन 750 रुपये से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल संपत्ति को छोड़ कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000 रुपये या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्तियों के रूप में हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750 रुपये तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्ति' माना जाता है और तीन साल से अधिक में इसका ऋण शोधन किया जाता है।

5.6 जहां वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार–चढ़ाव के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवन काल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत खर्च का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से पांच साल की अवधि में और इसके के बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

6- fuo'k

निवेश लम्बी अविधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किये जाते हैं।

7- oLr lfp;k

7.1(क) फालतू निर्माण उपकरणों के हिस्से पुर्जे और कबाड़ को छोड़कर भंडार सामग्री और हिस्से–पुर्जों का आकलन भार आधारित औसत लागत के अनुसार किया जाता है।

(ख) कबाड़ की लागत का आकलन उससे प्राप्त होने वाली शुद्ध लागत के आधार पर किया जाता है।

(ग) फालतू निर्माण उपकरणों के हिस्से–पुर्जों की लागत का आकलन मूल्य के निम्न स्तर पर और प्राप्त होने वाले शुद्ध मूल्य पर किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गयी बेकार और पुरानी भंडार वस्तुओं तथा हिस्से–पुर्जों से होने वाले नुकसान को हिसाब में लिया गया है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किये गये जिन छुटपुट औजारों की लागत 5,000 रुपये या इससे कम है उन्हें खपत खाते में डाल दिया गया है और अन्य अन्य औजारों को पांच बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते में डाला गया है।

7.4 बिजलीघरों के लिए संचालन और अनुरक्षण के लिए जारी की गयी भंडार वस्तुएं वर्ष के अंत में कार्य स्थल पर बेकार पड़ी हैं उनका मूल्यांकन इंजीनियरी अनुमानों में किया गया है और उन्हें भंडार वस्तुओं में शामिल किया गया है।

8- fon'kh enk e mrkj&p<ko

8.1 विदेशी मुद्रा के लेनदेनों को सौदे की तारीख की मुद्रा विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक वस्तुओं को लेखांकन वर्ष के आखिरी दिन की विनिमय दर के आधार पर आंका गया है।

8.2 1.4.2004 से पहले हुए सौदों के सिलसिले में स्थिर आस्तियों/पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित देयताओं में मुद्रा संबंधी अंतरों को संबंधित स्थिर आस्तियों/पूंजीगत चालू कार्य की रखाव लागत के साथ समायोजित कर दिया गया है।

8.3 1.4.2004 के पश्चात भारत से बाहर हुए सौदों के सिलसिले में हासिल स्थिर आस्तियों/पूंजीगत साज–सामान से संबंधित मुद्रा विनिमय अंतर को संबंधित स्थिर आस्तियों/चालू पूंजीगत कार्य के साथ समायोजित कर दिया गया है।

8.4 चालू हो चुके स्टशनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के आईईडीसी के संबंध में मुद्रा विनिमय संबंधी अन्य अंतरों को उस अवधि की आमदनी और खर्च मान लिया गया है जिसमें वे लाभ–हानि लेखा में लिये गये थे।

9- lokfuo`fRr lc/kh ykHk

ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना, अवकाश यात्रा रियायत और स्थानांतरण यात्रा भत्ते (सामान भत्ता) के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

10- jktLo

10.1(क) बिजली की बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क के अनुसार किया गया है। बिजली घर के मामले में जहां शुल्क अधिसूचित नहीं किया गया है बिक्री का हिसाब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों और विधि के अनुसार अनंतिम दरों के आधार पर किया गया है। विदेशी मुद्रा में लिए गये ऋणों के सिलसिले में मुद्रा विनिमय संबंधी उतार–चढ़ाव के लिए वसूली/भुगतान और आय कर की वसूली को वार्षिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों का आकलन शुल्क अधिसूचनाओं के आधार पर किया गया है। बिजली घरों के संदर्भ में, जहां शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, प्रोत्साहनों का आकलन इनके स्वीकृत होने की संभावना के आधार पर अनंतिम रूप से किया गया है।

(ग) वैश्विक खातों को अंतिम रूप दिये जाने से उत्पन्न समायोजन, हालांकि वास्तविक नहीं हैं, लेकिन उन्हें अंतिम रूप दिये जाने वाले वर्ष में शामिल किया गया है।

(घ) ऋणों के भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षों में शुल्क के घटक के रूप में दिये जाने वाले अग्रिम को बिक्री में से कम कर लिया गया है और अगले वर्षों की बिक्री में शामिल कर लिया गया है।

10.2 टर्न की/डिपोजिट/कॉस्ट प्लस आधार पर कराये जाने वाले ठेके के काम से हाने वाली आमदनी का पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित विधि से आकलन किया गया है:

dk;! e! ixfr	**vkenuh dk vkdyu**
(क) 66.67 प्रतिशत तक	लागत की संभावित वसूली तक
(ख) 66.67 प्रतिशत से अधिक	कार्य पूरा होने के चरण के अनुसार

ठेकों में पूर्वानुमानित हानियों सहित सभी नुकसानों का तत्काल आकलन किया जाता है। ऐसे मामलों में आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है और यह उस सीमा तक होता है जहां तक वास्तविक देयता अवधि के दौरान किये जाने वाले दावों को निपटो के लिए जरूरी होता है।

10.3 परियोजना प्रबंधन/परामर्श अनुबंधों में आमदनी का आकलन अनुबंध के अंतर्गत किये गये कार्य की मात्रा और समझौते की शर्तों के आनुसार किया जाता है।

10.4 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

10.5 ग्राहकों से लिये जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्तियों पर आमदनी माना जाता है बशर्ते उनकी वसूली की पर्याप्त संभावना हो।

11- dkikjsV dk;ky; d [kpk dk vkcVu

कार्पोरेट कार्यालय के खर्चों का आबंटन इस प्रकार किया जाता है :

(क) बिजली घरों पर करों और शुल्कों को छोड़कर साल में उनकी ऊर्जा की बिक्री के एक प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को मिले और उसके द्वारा कराये जाने वाले निर्माण संबंधी अनुबंधित कार्यों के लिए वर्ष के दौरान हुए परियोजना

खर्च के 5 प्रतिशत की दर से। लेकिन इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले शामिल नहीं हैं जिनमें उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के आधार पर खर्च का अलग से आबंटन किया जाता है।

(ग) बकाया खर्च का आबंटन निर्माण परियोजनाओं में वर्ष के दौरान हुए शुद्ध पूंजी खर्च के अनुपात में किया जाता है।

12- viuk chek

तुलन पत्र की तारीख को बिजली घरों के ग्रॉस ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत वार्शिक 'स्वयं बीमा निधि' में वार्षिक आधार पर अंतरित कर दिया जाता है। इसे लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है और विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

13- fofo/k

13.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किये जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत निर्माण कार्य संबंधी देयताओं को निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

13.2 बिजली घरों से बनायी जा रही परियोजनाओं को दी जाने वाल बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

13.3 50,000 रुपये और इससे कम के पहले से भुगतान शुदा खर्चों और अवधि पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

13.4 बीमा दावों को वसूली की पक्की संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

13.5 अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवा निवष्त्ति योजना के अंतर्गत खर्चों को उसी वर्ष हिसाब में लिया जाता है जिस वर्ष में ये व्यय किये गये हैं।

14- m/kkj lc/kh ykxr

निर्माण/आधुनिकीकरण और मरम्मत के दौरान आने वाली स्थिर आस्तियों की उधार लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये उधार लिये गये थे।

15- vkenuh ij dj

15.1 चालू अवधि के लिए आमदनी पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

15.2 वर्ष के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल के आधार पर आस्थगित कर का आकलन किया जाता है और इसका आकलन तुलन पत्र की तिथि को लागू या उसके लागू कर की दरों के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को उसी सीमा तक हिसाब में लिया तथा अग्रानीत किया जाता है जहां तक इस बात की युक्ति संगत निष्चितता हो कि आस्थगित कर आस्तियों के संदर्भ में पर्याप्त भावी करयोग्य आय होगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाता में उसी सीमा तक क्रेडिट या डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर खर्च आने वाले वर्षों में लाभार्थियों से कर संबंधी व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर हिसाब में लेने योग्य हो।

16- iuokl vkj iuLFkkiuk [kp

जो जमीन डूबने वाली हो उससे संबंधित मुआबजे और अन्य खर्चों के लिए किया गया भुगतान को पुनर्वास और पुनर्स्थापना खर्च माना जाता है और इसका बांध की लागत के अंतर्गत पूंजीकरण किया जाता है।

17- vunku lgk;rk

मध्य प्रदेश सरकार से ''सिंचाई और आर एंड आर घटक'' के लिए और गुजरात सरकार से ''सरदार सरोवर घटक'' के लिए प्राप्त अंशदान की राशि जो अलग अलग परिसंपत्तियों से संबंधित न होने के कारण पूंजीगत निधि मान लिया जाता है और बाद में उसी अनुपात में आमदनी के रूप में समायोजित कर दिया जाता है जिसमें इस अंशदान से हासिल संपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला जाता है।

vu|lph&24 y[kk ij fVIif.k;k

1.क) निम्न के सम्बन्ध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है :– (लाख रुपये में)

foj.k	31-03-2007 dk	31-03-2006 dk
क) निगम के विरूद्ध दावे जिन्हें निम्न के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है		
– पूंजीगत कार्य	10,964	9,664
– भूमि मुआवजा मामले	697	8,233
– अन्य	543	554
विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	शून्य	शून्य
विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
अन्य (निर्दिष्ट किए जाएं)–उपकर	शून्य	शून्य
dqy	12204	18451

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों तथा अन्य के संबंध में लंबित मामलों के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं, जहां राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

ग) किसी बाहय प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में निगम को शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की अदायगी होने की संभावना है।

2.क) मैसर्स टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, मास्को, रूस के पक्ष में 31.03.07 को बैंकरों द्वारा खोले गए शून्य रुपये (विगत वर्ष 540 लाख रुपये) के विदेशी साखपत्र (एफ एल सी) ।

ख) मैसर्स वायथ सीमन्स हाइड्रो क्राफ्ट, जर्मनी के पक्ष में बैंकरों द्वारा 31.03.07 तक खोले गए 2,501 लाख रुपये (पिछले वर्ष रुपये 15100 लाख) के विदेशी साख पत्र। वायथ सीमन्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, के पक्ष में 31.03.2007 तक जारी रुपये 4,312 लाख (पिछले वर्ष 14,607 लाख रुपये) के स्वदेशी साख पत्र।

3.क) पूंजी लेखे पर निष्पादित होने वाली संविदा संबंधी शेष अनुमानित राशि तथा जिसकी व्यवस्था नहीं की गयी है, रुपये 12,315 लाख (पिछले वर्ष 48,919 लाख–रेलवे डाइवर्सन वर्क के संदर्भ में रुपये 5052 लाख अधिक)। इसमें रेलवे डाइवर्सन कार्यों के लिए निष्पादित न की गयी रुपये 5,052 लाख की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) 31.03.07 को बकाया भूमि मुआवजे की अनुमानित राशि जिसके लिए अवार्ड कार्यवाही की जानी लंबित है और जिसके लिए 13,280 लाख (पिछले वर्ष रुपये 15,800 लाख) रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है।

4. मध्य प्रदेश सरकार ने, संयुक्त उद्यम भागीदार होने के नाते सीसीइए की मंजूरी के अनुसार इंदिरा सागर बिजली घर और ओंकारेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, दोनों में विभिन्न लेखों में योगदान किया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

d- bfnjk lkxj fctyh ?kj

(लाख रुपये में)

	foj.k	31-03-2006 rd	2006&07 d nkjku	31-03-2007 rd
	fuf/k d lkr			
1.	वस्तु रूप में नकद/व्यय समायोजित	1,20,468	1,355	1,21,823
2.	प्राप्त नकदी	50,875	2,982	53,857
	dqy	**1,71,343**	**4,337**	**1,75,680**
	fuf/k dk bLrseky			
1.	इक्विटी पूंजी	66,000	-	66,000
2.	सिंचाई घटक	35,161	273	35,434
3.	एसएसपी घटक	44,930	348	45,278
4.	अधिक आर एण्ड आर खर्च के लिए आर्थिक सहायता	20,400	-	20,400
5.	विद्युत प्रभार वसूली	279	-	279
6.	सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के संदर्भ में अग्रिम	3,308	-	3308
7.	समायोजन के लिए लंबित राशि	1,265	3,716	4,981
	dqy	**1,71,343**	**4,337**	**1,75,680**

[k- vkdkj'oj ty fo|r ifj;ktuk (लाख रुपये में)

	fooj.k	31-03-2006 rd	2006&07 d nkjku		31-03- 2007 rd
	/ku d lkr				
1.	वस्तु रूप में नकद/व्यय समायोजित		6,520	987	7,507
2.	प्राप्त नकदी		32,595	4,500	37,095
3.	सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के संदर्भ में अग्रिम		3,308	-	3,308
		dqy	**42,423**	**5,487**	**47,910**
	fuf/k dk bLreky				
1.	इक्विटी पूंजी		30,016	-	30,016
2.	सिंचाई घटक		12,042	3,912	15,954
3.	समायोजन के लिए लंबित राशि		365	1,575	1,940
		dqy	**42,423**	**5,487**	**47,910**

5 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर 31.03.2007 तक किए गए व्यय में आप्लावित भूमि की लागत, सड़कों के निर्माण, स्कूल भवन, अस्पताल भवन, कार्यालय भवन, अन्य संरचनात्मक कार्य, विद्युतिकरण, और रेलवे ट्रैकों के विपथन आदि पर किया गया 1,91,783 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,81,798 लाख रुपये) का व्यय पूंजीगत चालू कार्य शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

6(क) मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार से सिंचाई और सरदार सरोवर परियोजना घटक के रूप में प्राप्त अंशदान को पूंजीगत आरक्षित राशि में सहायता अनुदान के रूप में रखा गया है।

(ख) ऐसी सहायता अनुदान राशि में अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित करने की बजाय पूंजीगत आरक्षित में आवंटित किया गया है।

7 अन्य चालू परिसम्पत्तियों में 16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 18 लाख रुपये) शामिल हैं जो टीडीएस पर विभिन्न भूमि बेदखली योग्य हैं जिसे मुआवजे की अदायगी पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एल ए के अंतर्गत नहीं काटा गया। इसके अतिरिक्त 12 लाख (पिछले वर्ष 13 लाख) रुपये की राशि दोबारा भूमि बेदखली को अदा कर दी गयी है। जिसकी वसूली संदेहपूर्ण है और इसलिए इसके लिए प्रावधान किया गया है।

8 y[kkdu uhfr esa ifjorZu d dkj.k o"kZ d y[k ij iHkko fuEukuqlkj g %&

Ø- l-	y[kkdu uhfr	ykHk ,oa gkfu y[kk ij ifjorZu dk iHkko
	ubZ y[kkdu uhfr;k	
1.	**y[kkdu uhfr l[;k 2-3** : ऐसी परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत परिव्यय, जहां न तो भूमि और न ही परिसम्पत्ति पर कंपनी का स्वामित्व है, को परियोजना पूर्ण होने तक चालू पूंजी कार्य के अंतर्गत एक विशिष्ट मद के रूप में और उसके बाद अचल परिसम्पत्तियों में दर्शाया गया हो।	शून्य
2.	**y[kkdu uhfr l[;k 5-7** : उपरोक्त नीति में वर्णित पूंजीगत परिव्यय उस वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया, जिस वर्ष संबद्ध परियोजना की प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ और उसके बाद उस वर्ष से परिशोधित किया गया, जिसमें संबद्ध परिसंपत्ति इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो गयी।	शून्य
3.	**y[kkdu uhfr l[;k 13-5 %** अनुदान राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत नोटिस वेतन संबंधी खर्च को तत्संबंधी वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया गया।	शून्य
4.	**y[kkdu uhfr l[;k 17 %** मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान राशि, अलग परिसंपत्तियों की लागत से संबद्ध न होने के कारण शुरू में पूंजी राजस्व के रूप में समझी गयी और बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित की गयी, क्योंकि परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते संबंधी मूल्यह्रास राशि तत्संबंधी अंशदान से हासिल कर ली गयी।	शून्य
	gVkbZ y[kkdu uhfr;k	
5.	परियोजनाओं का विविध खर्च वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए बट्टे खाते डाला गया।	शून्य
6.	परियोजनाओं का प्रारंभिक खर्च वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने के बाद 10 वर्ष की अवधि के लिए बट्टे खाते डाला गया।	(–) रु0 123 लाख

Ø- l-	y[kkdu uhfr	ykHk ,oa gkfu y[kk ij ifjorZu dk izHkko
	y[kkdu uhfr;ksa esa ifjorZu	
7.	लेखांकन परंपराओं के संदर्भ में लेखांकन नीति संख्या 1 में	शून्य
8.	मशीनरी के हिस्से पुर्जों के संदर्भ में लेखांकन नीति संख्या 3.1 (क) में	शून्य
9.	मूल्य ह्रास के संदर्भ में लेखांकन नीति संख्या 5.1 में	शून्य
10.	सेवा निवृत्ति लाभ के संदर्भ में लेखांकन नीति संख्या 9 में	(–) 67 लाख रु.
11.	राजस्व के संदर्भ में लेखांकन नीति संख्या 10.2 में	शून्य
12.	कंपनी प्रबंधन खर्च के संदर्भ में लेखांकन नीति संख्या 11 (ख) में	शून्य

9 अचल परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास को कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 5 (अनुसूची 23) के अनुसार प्रभारित करना जारी रखा गया है। भारत सरकार दिनांक 6 जनवरी 2006 के संकल्प संख्या 23/2/2005 आर एण्ड आर (खंड III) के पैरा 5.3 के उप पैरा (ग) के तहत पहले ही अधिसूचित कर चुकी है कि सीईआरसी द्वारा यथा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें टैरिफ के साथ–साथ लेखांकन प्रयोजन के लिए भी लागू होंगी। वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों की तुलना में रुपये 7,535 लाख कम (पिछले वर्ष 6,421 लाख रुपये) है।

10 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार रहा :–

(लाख रुपये में)

	fooj.k	o"kZ 2006&07 ds fy,	o"kZ 2005&06 ds fy,
(i)	मूल्य ह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित राशि	शून्य	शून्य
(ii)	निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय पर प्रभारित आकस्मिक खर्च	(235)	शून्य
(iii)	चालू पूंजी कार्य पर प्रभारित राशि	शून्य	शून्य
(iv)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि में बढोतरी करके समायोजित की गयी राशि	2	शून्य
(v)	मौद्रिक परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी करके समायोजित की गयी राशि	शून्य	शून्य

11. एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति कर्मचारी, स्वास्थ्य योजना, अवकाश यात्रा रियायत और स्थानांतरण यात्रा भत्ता (समान भत्ता) जैसे लाभों के संबंध में प्रावधान 31.03.07 को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। एनएचपीसी से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के संबंध में उक्त को एनएचपीसी से प्राप्त सूचना के आधार पर तय किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेखांकन मानक–15 आर के संदर्भ में बीमांकिक मूल्यांकन निम्न प्रकार से है :–

rkfydk 1 %& egRoiw.kZ vfHk/kkj.kk,¡

(लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-2007 dks	31-03-2006 dks
मृत्यु संख्या सारणी	मानक सारणी एलआईसी (1994–96) अंतिम तालिका	'kwU; चूंकि 01.04.2006 से 15 आर लागू है।
सनिघर्षण दर	1 प्रतिशत	
बट्टा दर	8.30 प्रतिशत (सरकारी बांड पर उसी तारीख को बाजार लाभ)	
क्षतिपूर्ति स्तर में वृद्धि की दर	5 प्रतिशत	
योजना आस्तियों पर लाभ की दर ।	लागू नहीं	
कर्मचारियों की काम पर बने रहने की अनुमानित औसत (वर्ष)	26	

rkfydk &2 %& nkf;Rok d orleku eY; e ifjorlu (लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-2007 dk			31-03-2006 dk
	minku	vodk'k udnhdj.k	vkjbl,p,l	
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	41	69	57	'kU; चूंकि 01.04.2006 से 15 आर लागू है।
ब्याज लागत	3	5	4	
चालू सेवा लागत	19	43	16	
अदा किया गया लाभ	(1)	(25)	0	
बीमांकिक लाभ/हानि	1	42	(18)	
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	63	134	59	

तालिका 3 और 4:– लागू नहीं

तालिका 5:– मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/हानि

(लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-2007 dk			31-03-2006 dk
	minku	vo dk'k udnhdj.k	vkjbl,p,l	
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/हानि– दायित्व	1	42	(18)	'kU; चूंकि 01.04.2006 से 15 आर लागू है।
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/हानि–योजना आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल लाभ/हानि	1	42	(18)	
वर्ष के लिए मान्य बीमांकिक लाभ/हानि	1	42	(18)	
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	

तालिका –6 :–तुलन पत्र में मान्य राशि (लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-2007 dk			31-03-2006 dk
	minku	vo dk'k udnhdj.k	vkjbl,p,l	
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	63	134	59	'kU; चूंकि 01.04.2006 से 15 आर लागू है।
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	
वित्त पोषित स्थिति	(63)	(134)	(59)	
अमान्य बीमांकिक लाभ/हानि	शून्य	शून्य	शून्य	
तुलन पत्र में मान्य विशुद्ध देयता	63	134	59	

तालिका –7 :–लाभ एवं हानि खाते में मान्य राशि (लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-2007 dk			31-03-2006 dk
	minku	vo dk'k udnhdj.k	vkjbl,p,l	
चालू सेवा लागत	19	43	16	'kU; चूंकि 01.04.2006 से 15 आर लागू है।
पिछली सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	
ब्याज लागत	3	5	4	
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
वर्ष के लिए मान्य विशुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	1	42	(18)	
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्च	23	90	2	

rkfydk 8%& rqyu i= es ekU; n;rk es mrkj&p<ko

(लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-2007 dks			31-03-2006 dks
	minku	vodk'k udnhdj.k	vkjbl,p,l	
प्रांरभिक शुद्ध देयता	41	69	57	'kU; चूंकि 01.04.2006 से 15 आर लागू है।
उपरोक्त के अनुसार व्यय	23	90	2	
लाभ प्रदत्त	1	25	0	
समाप्त शुद्ध देयता	63	134	59	

एलटीसी के लिए बीमांकिक मूल्यन, सेवा निवृत्ति पर भविष्य निधि में कंपनी अशदान, सेवा निवृत्ति पर बैगेज भत्ता पहली बार अग्रेनीत किये गए हैं और उनकी देयता क्रमशः 41 लाख रूपये, 16 लाख रूपये और 10 लाख रुपये है।

12 कार्यपालकों, सुपरवाइजरों और वर्कमैन के वेतनमान 01.01.2007 से संशोधित किए जाने हैं जिसे देखते हुए वेतन संशोधन के लिए तदर्थ आधार पर प्रावधान किया गया है।

13 (क) ठेकदारों, वसूली योग्य दावों, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध देनदारों, ठेकेदरों को अग्रिम, विविध लेनदारों और ठेकेदारों से जमा/बकाया राशिपर जारी सामग्री के अंतर्गत दिखाई गयी शेष राशि समाधान/पुष्टि और तदनुसार समायोजन के अधीन है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार चालू परिसम्पत्तियों, ऋण व अग्रिम का मूल्य सामान्य कार्य व्यापार में वसूली पर प्राप्त उस मूल्य से कम नहीं होगा जितना तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

14 प्रतिशेयर (इपीएस) आय का परिकलन करने के लिए निम्नांकित आधार अपनाए गए हैं :–

fooj.k	2006&07		2005&06	
	ey bih,l	MkbywVM bih,l	ey bih,l	MkbywVM bih,l
अंश के रूप में प्रयुक्त कर बाद शुद्ध लाभ (रुपये लाख में)	45,431	45,431	10,610	10,610
डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की औसत अधिमानतः	1,96,25,800	1,96,25,800	1,93,37,615	1,95,57,581
प्रति शेयर आय (रुपये)	231.48	231.48	54.87	54.25
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	1000	1000	1000	1000

15. वर्ष के दौरान सी.डब्ल्यूआईपी में हस्तांतरित उधार लागत 6,788 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3,143 लाख रुपये) है।

16. एकमात्र लाभार्थी एम.पी.एस.ई.बी को बेची गयी बिजली का बिल वर्ष के दौरान सीईआरसी के दिनांक 06.02.07 के टैरिफ आदेश संख्या के अनुसार 14.01.2004 से 31.03.2006 की अवधि के लिए संषोधित किया गया। यह बिल पहले अस्थायी आधार पर तैयार किया गया था।

17. मध्य प्रदेश सरकार के 05.09.2005 के अपने पत्र संख्या सीई/एनवीडीए/2005/1575 के अनुसार 27.04.07 को एनएचडीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच नर्मदा नदी पर बाउरस (55 मेगावाट), होसंगाबाद (60 मेगावाट) और हांडिया (51 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद से मध्य प्रदेश सरकार/एनवीडीए को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सौंपी जा चुकी है। अब तक निगम ने निम्नानुसार विभिन्न कार्यकलापों पर 421 लाख रुपये (पिछले वर्ष 62 लाख रुपये) खर्च किए हैं, जिन्हें ''सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार–शीर्ष'' के अंतर्गत चालू पूंजी कार्य के रूप में अनुसूची–6 में शामिल किया गया है :

(लाख रुपये में)

fooj.k	31-03-07 rd	31-03-06 rd
वेतन, भत्ते और लाभ	148	43
सर्वेक्षण कार्य	222	13
भू वैज्ञानिक एवं आधारभूत अन्वेषण	24	शून्य
किराया	2	–
वाहन किराया	21	6
परामर्शी कार्य/रिपोर्ट तैयार करने संबंधी खर्च	4	शून्य
dy	421	62

18. (क) विद्युत उत्पादन निगम की मुख्य गतिविधि है। अन्य प्रचालन अर्थात, ब्याज आय लेखांकन मानक–17 के अनुसार सूचित किए जाने योग्य खंड नहीं है।

(ख) निगम का वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में सागर परियोजना में अवस्थित केवल एक विद्युत स्टेशन है, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते।

19. संबंधित पक्ष प्रकटन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :

क) संबद्ध पक्ष संबंध :–

lc) i{k dk uke	lc/k
नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमि0 (एनएचपीसी)	संयुक्त उद्यम भागीदारी
मध्य प्रदेश सरकार	संयुक्त उद्यम भागीदार

ख) निदेशक

uke	inuke
श्री टी. मंडल (19.09.06 से 28.02.2007 तक)	पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक निदेशक के रूप में निर्दिष्ट
श्री डी पी भार्गव (28.02.07 को और से)	पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक के रूप में निर्दिष्ट

ग) संबद्ध पक्षों/निदेशकों की अवधि में कारोबार। (लाख रुपये में)

lc) i{k dk uke	lc/k	dkjkckj dk fooj.k ¼31-03-07 dk 'ks"k½	2006&07	2005&06
1. एनएचपीसी	संयुक्त उद्यम भागीदार	(i) वर्ष के दौरान निवेश	शून्य	3000
		(ii) संचयी निवेश	1,00,242	1,00,242
		(iii) परामर्श के लिए ऑन अकाउंट किया गया भुगतान।	65	210
		(iv) देय शेष	242	305
2. निदेशक	–	(i) वेतन एवं भत्ते	3	6
		(ii) भविष्य निधि अंशदान	–	1
		(iii) आवासीय परिसर के लिए किराया।	1	–
		(iv) अन्य विविध अदायगी	1	1
		(v) बैठक शुल्क	–	–

20. कंपनी ने कर्मचारियों के आवास, कार्यालयों, अतिथि गृहों और ट्रांजिट कैम्पों के लिए पट्टे पर व्यवस्था की है। ये पट्टे ऐसे नहीं है, जिन्हें रद्द न किया जा सके। इनकी अवधि सामान्यतः एक वर्ष से तीन वर्ष अथवा इससे अधिक है और इन्हें प्रायः आम सहमति से दोनों पक्षों को स्वीकार्य शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ से संबद्ध अनुसूची–16 में कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए आवासीय परिसरों के संदर्भ में पट्टा भुगतान से संबंधित विशुद्ध वसूली के रूप में 84 लाख रुपये (पिछले वर्ष 77 लाख रुपये) अनुसूची–16 में शामिल किए गए हैं। कार्यालयों, अतिथि गृहों और ट्रांजिट कैम्पों के लिए समग्र पट्टा भुगतान से संबंधित 10 लाख रुपये अनुसूची–15 में उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय के रूप में दर्शाए गए हैं।

21. सांविधिक लेखा परीक्षकों/लागत लेखापरीक्षकों को दिया गया पारिश्रमिकः

क) सांविधिक लेखा परीक्षक :– (लाख रुपये)

	fooj.k	2006&07	2005&06
i)	लेखा परीक्षा शुल्क	6*	3
ii)	कर लेखा परीक्षा शुल्क	1	1
iii)	कैशफ्लो विवरण शुल्क	–	–
iv)	विभिन्न प्रमाणन शुल्क	1	–
v)	जेब खर्च	2**	1

* इसमें 30.09.05 और 30.09.06 को समाप्त हुई अवधि के लिए छमाही लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में किया गया 3 लाख रुपये का भुगतान शामिल है।

** इसमें 30.09.05 और 30.09.06 को समाप्त हुई अवधि के लिए छमाही लेखा परीक्षा के लिए किया गया 0.39 लाख रुपये का भुगतान शामिल है।

ख) लागत लेखा परीक्षकः

(लाख रुपये)

i	लेखा परीक्षा शुल्क	1	1
ii	व्यय	–	–

22 (क) कर योग्य आय के अभाव में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के तहत आयकर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) आईसीएआई द्वारा जारी ''आय पर कर के लिए लेखांकन'' संबंधी लेखांकन मानक–22 के अनुपालन में चालू वर्ष के लिए शुद्ध आस्थगित कर देयता के वास्ते 18,381 लाख रुपये (पिछले वर्ष 5,971 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया। संचयी आस्थगित कर देयता का मदवार ब्योरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपये)

	vkLFkfxr dj n;rk@ifjlifRr	31-03-2007 dk	31-03-2006 dk
i	आस्थगित कर देयता :–दर्ज मूल्य ह्रास अंतर और कर मूल्य ह्रास	36,041	29,841
ii	आस्थगित कर परिसंपत्ति : अग्रेनीत किए जाने वाला असमाहित मूल्य ह्रास	10,027	22,208
iii	शुद्ध आस्थगित कर देयता :	26,014	7,633

(ग) इस बात की स्पष्ट निश्चितता को देखते हुए कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति वसूल की जा सकेगी, अग्रेनीत की गयी असमाहित राशि के संदर्भ में आस्थगित कर संपत्ति की पहचान की गयी है।

(घ) चूंकि करों की राशि सीईआरसी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लाभग्राहियों से वसूल की सकने वाली है, इसलिए विशुद्ध आस्थगित कर देयताओं को लाभग्राहियों से वसूली योग्य के रूप में दर्शाया गया है।

23. प्रबंधन की राय है कि परिसंपत्तियों की हानि संबंधी लेखांकन मानक–28 के प्रावधानों के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

24. (क) प्रमात्रात्मक ब्योरे :–

fooj.k	2006&07	2005&06
लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1000	1000
वास्तविक उत्पादन (मि.यू)	2605.58	2573.36
वास्तविक बिक्री मि.यू)	2591.96	2555.75

(ख) निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी :– (लाख रुपये में)

Ø-l	fooj.k	2006&07	2005&06
d½*	**lhvkb,Q d vk/kkj ij vk;kr eY; ¼&**		
	i) पूंजीगत सामान	12,803	6,751
	ii) हिस्से पुर्जे	शून्य	शून्य
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय :–		
	i) जानकारी	शून्य	शून्य
	ii) ब्याज	शून्य	शून्य
	iii) अन्य विविध मामले		
	क) पूंजी कार्य	6,940	7,759
	ख) दौरे	27	शून्य
ग)*	प्रचालन इकाइयों में प्रयुक्त हिस्से पुर्जों और घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	शून्य	शून्य
	ii) घरेलू	19	8
घ)**	विदेशी मुद्रा में आय :–		
	i) ब्याज	शून्य	शून्य
	ii) अन्य	शून्य	शून्य

*बीमांकिक आधार

** नकद आधार

25. पिछले वर्षों के आंकडों को यथावश्यक पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहबद्ध/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

d`r vk-ih- VkVyk ,M daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

vkj-d- rutk
निदेशक

Mh-ih- Hkkxo
मुख्य कार्यकारी निदेशक

,l-d- xx
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

lh, ,l-vkj VkVyk
भागीदार
सदस्यता संख्या 71774

oh-d- f=ikBh
कंपनी सचिव

,e-MCY;- [kku
महाप्रबंधक (वित्त)

LFkku ¼ ubl fnYyh
fnukd ¼ 22 eb] 2007

31 ekp] 2007 dk lekIr o"k d fy, rqyui= d lkFk lyXu d'k ¶yk fooj.k

(लाख रुपये)

	fooj.k	31 ekp] 2007 dk lekIr o"k d fy,		31 ekp] 2006 dk lekIr o"k d fy,	
d½	ipkyu dk;dykik l d'k¶yk				
	कर पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें	51607		11822	
	जोड़ें: मूल्यह्रास	6617		6021	
	बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक खर्च	144		20	
	आकस्मिकताओं के लिए स्वः बीमा	2021		1970	
	ब्याज और वित्तीय प्रभार अलग से समझे गए	12977		12021	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		73366		31854
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	सामान सूची में कमी/(वृद्धि)	(96)		(109)	
	विविध देनदारों में कमी/(वृद्धि)	(46361)		(11243)	
	ऋण एवं अग्रिम में कमी/(वृद्धि)	(220)		495	
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	668		924	
	चालू देयताओं और प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	(2429)	(48438)	(4437)	(14370)
			24928		17484
	घटाएं: अग्रिम कर भुगतान (शुद्ध)		5836		1188
	ipkyuk l iklr udnh ¼d½		**19092**		**16296**
[k½	fuo'kxr dk;dykik l d'k¶yk				
	अचल आस्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण	(60)		(1978)	
	पूंजीगत चालू कार्य	(74588)		(88032)	
	निर्माण भण्डार एवं अग्रिम	5287		7775	
	fuo'kxr dk;dykik e i;Dr 'k) udnh ¼[k½		**(69361)**		**(82235)**
x½	foÙkh; dk;dykik l d'k¶yk				
	शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त आय	-		33023	
	शेयर पूंजी जमा की प्राप्तियां	-		(30023)	
	उधार से प्राप्तियां	62510		19049	
	मध्य प्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक से प्राप्त निधि	9824		28728	
	लाभांशकर सहित प्रदत्त लाभांश	(2419)		(769)	
	प्रदत्त ब्याज और वित्तीय प्रभार	(19765)		(15162)	
	foÙkh; dk;dykik l d'k¶yk ¼x½		**50150**		**34846**
	udnh vkj udnh led{k e 'k) of)@deh ¼d$[k$x½		**(119)**		**(31093)**
	नकदी और नकदी समकक्ष (अथ शेष)		35059		66152
	नकदी और नकदी समकक्ष (इति शेष)		34940		35059

d'k¶yk fooj.k l lcf/kr Li"Vhdj.k fVIi.kh

1. नकदी और नकदी समकक्ष के अंतर्गत हाथ में नकदी और हाथ में चैक/ड्राफ्ट सहित बैंक जमा शामिल हैं ।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है ।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

dr vk-ih- VkVyk ,.M diuh चार्टर्ड एकाउंटेन्ट	**vkj-d- rutk** निदेशक	**Mh-ih- Hkkxo** मुख्य कार्यपालक निदेशक	**,l-d- xx** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
lh, ,l-vkj- VkVyk (भागीदार) सदस्य संख्या 71774		**oh-d- f=ikBh** कंपनी सचिव	**,e-MCY;- [kku** महाप्रबंधक (वित्त)

LFkku ½ ubZ fnYyh
fnukd ½ 22 eb] 2007

rqyu i= dk lkj ,o diuh d lkekU; O;olk; dh :ij[kk

iathdj.k C;kjk

¼i½ iathdj.k fooj.k

पंजीकरण संख्या

1	0		1	4	3	3	7

राज्य कोड

1	0

तुलन पत्र की तिथि

3	1	0	3	2	0	0	7

¼ii½ वर्ष के दौरान जुटाई गयी पूंजी **¼yk[k #i;s e½**

पब्लिक इश्यू

'k	U	;

राइट इश्यू

'k	U	;

बांड इश्यू

'k	U	;

निजी नियोजन*

'k	U	;

* एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी जमा राशि शमिल है।

¼iii½ निधियों के संग्रहण और नियोजन की स्थिति **¼yk[k #i;s e½**

कुल देयतायें

7	2	2	4	6	3

कुल परिसंपत्तियां

7	2	2	4	6	3

fuf/k;ksa dk lkr

प्रदत्त पूंजी

1	9	6	2	5	8

आरक्षित तथा अधिशेष

1	6	3	2	8	4

संरक्षित ऋण

2	9	3	9	8	4

असंरक्षित ऋण

'k	U	;

fuf/k;ksa dk i;ksx

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां

5	8	8	2	0	6

@

निवेश

'k	U	;

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां

6	5	3	2	0

विविध व्यय

'k	U	;

lafpr gkfu

'k	U	;

@ blesa 201506 yk[k #i;s dh pkyw iwathxr dk;Z vkSj 524 yk[k #i;s dh fuekZ.k HkaMkj o vfxze 'kkfey gSA

¼iv½ **dEiuh dk dk;Z fu"iknu ¼yk[k #i;s esa½**

कारोबार

7	4	8	5	4	#

कुल व्यय

2	5	0	6	1

कर–पूर्व लाभ

5	1	6	0	7

कर–उपरान्त लाभ

4	5	4	3	1

प्रति शेयर अर्जन रुपये में

2	3	1	.	8	8

लाभांश राशि

1	0	2	2	2

इसमें 1814 लाख रुपये की अन्य आय शामिल नहीं है।

¼v½ **dEiuh ds rhu iz/kku mRiknksa@lsokvksa ds uke**

i) उत्पाद विवरण

t	y		fo	|q	r		dk			m	R	ik	n	u							

en dksM la[;k

	&	

ii) उत्पाद विवरण

en dksM la[;k

	&	

iii) उत्पाद विवरण

en dksM la[;k

	&	

हमारी संलग्न की गयी समसंख्यक रिर्पोट के अनुसार
dsrs vk-ih- VkVyk ,.M dEiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

funs'kd eaMy के लिए तथा की ओर से

lh, ,l-vkj- VkVyk
भागीदार
सदस्यता संख्या 71774

vkj-ds- rustk
निदेशक

Mh-ih- Hkkxo
मुख्य कार्यपालक निदेशक

,l-ds- xxZ
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

oh-ds- f=ikBh
कंपनी सचिव

,e-MCY;w- [kku
महाप्रबंधक (वित्त)

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 22 ebZ 2007

,u,pih lh vkj bl dh vuq"kaxh ,u,pMh lh leg dk lefdr foRrh; fooj.k dk ckjs esa funs'kd eMy dks fy, ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ

ys[kkijh{kdksa dh fVIif.k;k

izca/ku dk mRrj

1. हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) और इसकी अनुषंगी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएचडीसी) के 31 मार्च, 2007 के संलग्न समेकित तुलनपत्र के साथ–साथ उनके लाभ–हानि लेखे तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए उनके संलग्न समेकित नकदी प्रवाह के विवरण का लेखापरीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का दायित्व हैं और इन्हें अलग वित्तीय विवरण और घटकों के बारे में अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा दायित्व है कि हम लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने लेखा परीक्षण भारत में आम तौर पर मान्य लेखापरीक्षण मानदंडों के अनुसार किया। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ी गलत बयानी नहीं की गयी है। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में दी गयी राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी परीक्षण के तौर पर शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयोग में लाये गये लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन और प्रबंधन के महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ साथ प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारी मान्यता है कि लेखा परीक्षा हमारी धारणा की पुष्टि के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।
3. हमने अनुषंगी कम्पनी एनएचडीसी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की जिसका लेखा परीक्षण मैसर्स ओ. पी. टोटला एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने किया है जिसकी रिपोर्ट हमें उपलब्ध करायी गयी है। हमारी राय में जहां तक अनषंगी कंपनी इसका संबंध अनुषंगी कंपनी से संबंधित राशियों से है, यह पूरी तरह लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है। अनुषंगी कंपनी से संबंधित परिसंपत्तियों, राजस्व और शुद्ध नकदी प्रवाह को समेकित वित्तीय विवरण में उस सीमा तक प्रदर्शित किया गया है जिस तक उन्हें समेकित वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

uke	dqy ifjlEifRr;k	dqy jktLo	'kq) udnh izokg
अनुषंगी एनएचडीसी	6535.26	766.68	–1.19

4. हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन ने समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ''समेकित वित्तीय विवरण'' के लेखांकन मानदंड 21 की आवश्यकताओं के तहत तैयार किया है।

5- vkfVdy vkQ ,lkfl,'ku ds l'kkf/kr vuqPNsn 33 ds vuqlkj Lor= funs'kdksa dh okLrfod la[;k ckMZ dh dqy lnL; la[;k ds 50 izfr'kr ls de ugha gksuh pkfg,A blds vuqikyu gksuk ckdh gSA

निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार करती है और इसकी प्रक्रिया जारी है।

6- Lor≈ chek fuf/k** dh otg ls ykHk&gkfu fofu;kstu y[kk dh ctk; ykHk&gkfu y[kk esa 77-55 djksM #i;s dk MsfcV ,d dfYir izfof"V gksus ls 'k) ykHk esa bruh gh jkf'k dh deh gbZ gSA

कंपनी 1987–98 से लगातार इसी तरह से लेखांकन कर रही है।

7-¼d½ lcuflfMjh ¼e/; vkj Åijh½ rFkk flvkbx ¼fupyh] e/; vkj Åijh½ ifj;kstukvksa esa vnkyr@jkT; ljdkj ds gLr{ksi@tu vkanksyu vkfn dh otg ls fuekZ.k dk;Z LFkfxr djuk iMk gSA rc ls 1 ls 3 lky rd dk yEck vjlk chr pqdk gSA dsiuh dk bu ifj;kstukvksa esa jktLo [kpZ mBkuk iMk jgk gSA o"kZ ds nkSjku ;g [kpZ 13-58 djksM #i;s Fkk vkj 31-03-06 rd bl rjg dk [kpZ 19-77 djksM #i;s gks x;k FkkA vke rkj ij Lohdk;Z y[kkdu fl)karks ds vuqlkj bl rjg ds vlkekU; [kpZ@gkfu;ksa dks jktLo [kkrs esa Mky fn;k tkrk gS vkj bldk iwathdj.k ugha fd;k tkrkA gekjh jk; esa bl rjg ds [kpZ ls ifj;kstuk eSY; esa dksbZ c<ksrjh ugha gksrh blfy, bls jktLo ds vrxZr Mkyk tkuk pkfg,A rnuqlkj gekjh jk; esa pkyw iwathxr dk;Z dks 33-35 djksM #i;s rFkk pkyw o"kZ ds equkQs dks 13-58 djksM #i;s vf/kd vkadk x;k gSA vkjf{kr jkf'k vkj vf/k'ks"k dks Hkh 19-77 djksM #i;s vf/kd vkadk x;k gSA

इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य भारत सरकार द्वारा भारतीय विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू किया गया। यह अधिसूचना अब तक वापस नहीं ली गयी है। कंपनी जब किसी परियोजना को छोड़ने का फैसला करती है तो इस तरह की परियोजनाओं के खर्च को लाभ–हानि लेखे में डालने की परिपाटी को लगातार अपनाती आयी है। चूंकि सक्षम अधिकारी ने इन परियोजनाओं को छोड़ने का फैसला नहीं किया है इसलिए सर्वेक्षण और अन्वेषण सहित आनुषंगिक खर्चों को चालू पूंजी कार्यों में दिखाया जा रहा है। लेकिन कंपनी 2007–08 में इस मुद्दे पर उपयुक्त लेखांकन नीति तैयार करेगी।

¼[k½ pkyw iwathxr dk;Z esa lcuflfMjh ¼e/; vkj Åijh½ rFkk flvkbx ¼fupyh] e/; vkj Åijh½ ifj;kstukvksa esa vnkyr@jkT; ljdkj ds gLr{ksi vkj tu vkanksyu ds dkj.k fuyfcr xfrfof/k;ksa ds nkSjku lo{k.k vkj vUos"k.k dk;Z ij gvk 2-37 djksM #i;s dk [kpZ Hkh 'kkfey gSA blds iHkko dk vkdyu dj ikuk lEHko ugha gSA

8- ,u,pihlh vkj blds vuq"kxh ,u,pMhlh dks foRrh; fooj.k rS;kj djrs le; fuEufyf[kr [kpksa dks jktLo ds vrxZr Mkyus ds fy, ,dleku y[kkdu uhfr@fof/k dk vuqikyu ugha fd;k x;k gSA

अनुषंगी कंपनी को 2007–08 के दौरान उक्त लेखांकन नीति की समीक्षा करने की सलाह दी जाएगी।

	31 ekp]2007		31 ekp]2006	
uhfr@fof/k	,u,pihlh	,u,pMhlh	,u,pihlh	,u,pMhlh
पुनर्वास और पुनर्स्थापना से संबंधित खर्च	अवर्गीकृत भूमि मानी गयी	बांध की लागत मानी गयी	अवर्गीकृत भूमि मानी गयी	बांध की लागत मानी गयी
बांध में इस्तेमाल फ्रीहोल्ड भूमि	फ्रीहोल्ड मान ली गयी भूमि	बांध की लागत मान ली गयी	फ्रीहोल्ड भूमि मानी गयी	बांध की लागत मान ली गयी

vxj ,dleku y[kkdu uhfr@fof/k dk ikyu fd;k x;k gksrk rks o"kZ ds fy, ykHk] vkjf{kr vkj vf/k'k"k ¼lfpr½ vkj ekbukfjVh bVjLV Øe'k% 4-23 djksM+ #i;s] 5-11 djksM+ #i;s vkj 4-91 djksM+ #i;s vf/kd gksrkA

उपर्युक्तानुसार

¼9½ **mi;qDr iSjkxzkQ 6 vkj 7 ¼d½ vkj ¼[k½ rFkk ¼8½ esa mfYyf[kr gekjs i{k.kksa ds v/khu tgka rd iHkko dk v/;;u lqfuf'pr fd;k tk ldk gS] blds lexz iHkko o"kZ ds nkjku ykHk ds 68-20 djksM+ #i;s ds de djds vkdyu vkj 4-91 djksM+ #i;s ekbukfjVh bVjLV ds lkFk lkFk vkj vkjf{kr o vf/k'k"k esa Øe'k% 33-35 vkj 14-66 djksM+ #i;s pkyw iath dk;kas ds :i esa n[kk x;k gSA** हम प्रतिवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गयी सफाई के अनुसार और एनएचपीसी ग्रुप की अलग–अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर अलग लेखा परीक्षा रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए हमारी यह राय है कि उक्त समेकित वित्तीय विवरण से भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सत्य और सही दृष्टिकोण प्राप्त होता है:

क) समेकित तुलनपत्र के बारे में 31 मार्च, 2007 को समूह के मामलों की स्थिति,

ख) समेकित लाभ–हानि लेखे के संबंध में इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में समूह का लाभ, और

ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के बारे में इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह का विवरण दिया गया है।

dsrs th,l, ,M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

¼lathoh pk/kjh½
साझेदार
सदस्य सं. : 85761

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 26 ebZ 2007

31 ekpZ 2007 dh fLFkfr ds vuqlkj lefdr rqyu i=

(करोड़ रुपये)

	vuqlwph	31 ekpZ 2007			31 ekpZ 2006		
fuf/k;ksa ds lzksr							
d vaa'k/kkjdksa dh fuf/k							
i) हिस्सा पूंजी	1		11198.21			10215.28	
ii) हिस्सा पूंजी जमा राशि			-			20.38	
iii) इक्विटी मे समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			8.83			340.43	
iv) आरक्षित एवं अधिशेष	2		6797.09	18004.13		5891.79	16467.88
[k- _.k fuf/k;k							
i) संरक्षित ऋण	3		7562.63			6138.24	
ii) असंरक्षित ऋण	4		2909.16	10471.79		3343.19	9481.43
x- eY; gkl ds ifr vfxze ds							
dkj.k vfxze ds :i esa ikklr vk;				1245.98			1030.18
?k- vkLFkfxr dj ns;rk ¼'kq)½							
आस्थगित कर देयताएं			2029.08			1677.72	
घटाएं : वसूली योग्य आस्थगित कर			2029.08	-		1677.72	-
³ vYi C;kt				1207.94			1034.02
tksM				30929.84			28013.51
fuf/k;ksa dk vuqiz;ksx							
d- fu;r iwath O;;							
i) नियत परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लाक		17027.37			16727.36		
घटाएं : मूल्य ह्रास		3073.97			2662.20		
ख) शुद्ध ब्लाक			13953.40			14065.16	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		13408.92			10147.70	
iii) निर्माण भंडार एवं अग्रिम	7		861.66	28223.98		837.06	25049.92
[k- fuos'k	8			2320.33			2576.77
x- pkyw ifjlaifRr;ka] _.k ,oa vfxze	9						
i) निवेश पर उपार्जित ब्याज		103.54			113.85		
ii) माल सूची		47.12			53.01		
iii) चालू संविदा कार्य		279.97			93.17		
iv) विविध देनदार		914.38			321.09		
v) नकद एवं बैंक शेष		816.29			892.78		
vi) अन्य चालू परिसंपत्तियां		163.67			158.83		
vii) ऋण एवं अग्रिम		871.91	3196.88		637.54	2270.27	
?kVk,a % pkyw ns;rk,a rFkk izko/kku	10						
i) देयताएं		1294.05			895.32		
ii) प्रावधान		1543.10	2837.15		1014.11	1909.43	
'kq) pkyw ifjlaifRr;ka				359.73			360.84
?k- fofo/k O;;							
(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)	11			25.80			25.98
tksM				30929.84			28013.51
ys[kkdj.k uhfr;ka	23						
ys[kk fVIif.k;ka	24						
vuqlwph 1 ls 24 rd ys[kk dk vfHkUu vax gSA							

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
dr s th-,l-,- ,.M ,lksfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

funs'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼lathc pk/kjh½	fot; xqIrk	,l-ih- lsu	,l-d- xxZ
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 85761			

LFkku % ubZ fnYyh
rkjh[k % 26 ebZ 2007

31 ekp 2007 dk lekIr g, o"k d fy, lefdr ykHk ,o gkfu y[kk

(करोड़ रुपये)

	vu|lph			31 ekp] 2007			31 ekp] 2006
vk;							
i) बिक्री	12		2711.30			2049.77	
घटाएं : टैरिफ समायोजन			(7.17)			51.80	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी	12A		215.81	2502.66		47.88	1950.09
ii) संविदाएं व परामर्श आय	13			128.75			48.41
iii) अन्य आय	14			311.89			314.48
dy tkM				**2943.30**			**2312.98**
0;;							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय	15			222.72			274.01
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हित लाभ	16			249.79			223.69
iii) मूल्यह्रास	17			356.70			329.78
iv) ब्याज व वित्त प्रभार	18			361.51			412.04
v) प्रावधान	19			23.74			8.85
vi) संविदा व परामर्शी आय	20			126.43			50.09
vii) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				-			81.16
dy tkM				**1340.89**			**1379.62**
dj l io ykHk vkj io vof/k lek;ktu				**1602.41**			**933.36**
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	21			9.42			6.57
dj io ykHk				**1592.99**			**926.79**
djk/kku d fy, iko/kku							
i) चालू कर			186.89			59.64	
ii) अनुषंगी हित लाभकर			9.46			5.75	
iii) पूर्व वर्षों से संबद्ध समायोजन			28.36			16.14	
iv) आस्थगित कर		351.36			247.62		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		351.36	-	224.71	247.62	-	81.53
dj i'pkr ykHk				**1368.28**			**845.26**
माइनोरिटी ब्याज				**164.01**			40.13
ekbukfjVh C;kt d mijkr YkkHk				**1204.27**			**805.13**
पिछले वर्ष के लेखों से आगे ले जाया गया शेष				2893.34			2383.61
बॉण्डस शोधन आरक्षित निधि से वापस लिखी गयी राशि।				83.75			-
fofu;kstu d fy, miyC/k 'k"k				**4181.36**			**3188.74**
i) बांड् शोधन आरक्षित निधि में हस्तांतरित				-			27.75
ii) आरक्षित निधि से लाभ में				2800.00			-
iii) लाभांश:							
– अंतरिम				72.00			64.00
– प्रस्तावित				256.09			169.40
iv) लाभांश पर कर :							
– अंतरिम				10.10			8.97
– प्रस्तावित				52.38			25.28
rqyu i= e vkx y tk;k x;k 'k"k				**990.79**			**2893.34**

fuek.k d nkSjku vkdfLed [kp	22
y[kk uhfr;k	23
y[kk ij fVIi.k;k	24
vuqlwph 1 l 24 rd y[kk dk vfHkUu vx gA	

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपार्ट के अनुसार
dr th-,l-,- ,.M ,lkfl,V~l
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼lathc pk/kjh½
भागीदार
सदस्यता संख्या 85761

fot; xksrk
कंपनी सचिव

,l-ih- lu
निदेशक (तकनीकी)

,l-d- xx
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku ¼ ubZ fnYyh
rkjh[k ¼ 26 eb] 2007

vulph&1 'k;j ith

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
d- ikf/kdr		
प्राधिकृत पूंजी : 10 रुपये प्रत्येक के 15,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	15000.00	15000.00
(पिछले वर्ष 1000* रुपये प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
[k- fuxfer		
निर्गमित पूंजी : 10 रुपये प्रत्येक के 11,19,82,12,500 इक्विटी शेयर	11198.21	10215.28
(पिछले वर्ष 1000* रुपये प्रत्येक के 10,21,52,820 इक्विटी शेयर)		
x- vfHknÙk o inÙk		
10 रुपये प्रत्येक के 11,19,82,12,500	11198.21	10215.28
(पिछले वर्ष 1000* रुपये प्रत्येक के 10,21,52,820 इक्विटी शेयर)		
पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (इनमें से 10 रु0 प्रत्येक के 6,29,52,960 शेयर भारत सरकार के साथ करार के अनुसरण में नकद से अन्यथा प्रतिफल हेतु आवंटित कर दिए गए हैं)		
tkM	11,198.21	10,215.28

13.03.2007 से 10/– रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य में विभाजित

vulph&2 vkjf{kr ,o vf/k'k"k

(करोड़ रुपये)

	1 vily 2006 dk ikjfHkd 'k"k		lo)u		dVkrh		31-03-2007 bfr 'k"k	
समेकन पर पूंजी आरक्षित		3.37		-		-		3.37
पूंजी आरक्षित–परिसंपत्तियों की बिक्री		0.06		-		-		0.06
मध्य प्रदेश सरकार, एनवीडीए द्वारा इंदिरा सागर, सरदार सरोवर								
परियोजना और ओमकारेश्वर के लिए पूंजी अनुदान		1,101.70		45.32		19.50		1,127.52
बॉंड शोधन आरक्षित		202.50		-		83.75		118.75
सामान्य आरक्षित		1,320.00		2,800.00		-		4,120.00
लाभ व हानि खाता के अनुसार अधिशेष		2,889.97		1,288.02		3,190.57		987.42
आकस्मिक खर्च के लिए स्व बीमा	374.58		67.65		0.89		441.34	
घटाएं : स्व बीमा आरक्षित से हानि प्रतिपूर्ति।	0.39	374.19	0.98	66.67	-	0.89	1.37	439.97
tkM		5,891.79		4,200.01		3,294.71		6,797.09

vulph&3 _.k fuf/k;k lqjf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
d- ckM		
बांड /डिबेंचर– संरक्षित	570.00	1,000.00
[k- lkof/k _.k		
बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–भारतीय मुद्रा–संरक्षित	6992.63	5138.24
dqy ¼ifjf'k"V n[k½	7,562.63	6,138.24

_.k fuf/k;k& l|jf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
I ckM ¼vifjorluh; ,o vlp;h½		
ckM ,e lhjht *4&7		
¼ikboV IylseV½		
(1,00,000/–रुपये प्रत्येक के 9.55 % 5 वर्षीय बांड)	-	430.00
(07.01.2007 को सममूल्य पर रिडम्पशन)		
ckM vk lhjht *2		
(7.7 प्रतिशत की दर से 100,000,000/– रुपये प्रत्येक के 15 वर्षीय बांड के साथ 10 पृथक हस्तांतरणीय प्रतिदेय प्रमुख हिस्से और प्रत्येक पृथक हस्तांतरणीय प्रतिदेय प्रमुख हिस्से का मूल्य बांड के अंकित मूल्य का 1/10 भाग)	570.00	570.00
(प्रारंभिक प्रतिदान 31.03.2009)		
dly ckM ¼d½	570.00	1000.00
II. eh;knh .k		
cd vkQ egkjk"Vk *1	-	50.00
(24.05.2006 को चुकता)		
dujk cd *1	85.00	85.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(31.01.2009 से पांच समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
bfM;u vkojlht cd *1	50.00	50.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(06.12.2008 से चार समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
itkc u'kuy cd *1	-	100.00
(24.05.2006 को चुकता)		
LVV cd vkQ ifV;kyk *1	40.00	40.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 4 करोड़ रुपये)		
(09.07.07 से 20 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
LVV cd vkQ bfM;k *2	-	200.00
(23.05.2006 को चुकता)		
cd vkQ bfM;k *3	95.00	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपये)		
24.12.06 से 40 समान तिमाही किस्तों में 10 वर्षों प्रतिदेय)		
lVy cd vkQ bfM;k *3	70.00	80.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपये)		
(02.05.04 से 5 करोड़ रुए की 20 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
vkokl fodkl foÙk fuxe fyfeVM *3	92.86	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 14.29 करोड़ रुपये)		
(13.02.07 से 14 समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
itkc ,M fl/k cd *3	95.00	100.00
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपये)		
24.12.06 से 40 समान तिमाही किस्तों में 10 वर्षों प्रतिदेय)		
itkc u'kuy cd *3	112.50	127.50
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 15 करोड़ रुपये)		
26.10.04 से 20 छमाही किस्तों में 10 वर्षों में प्रतिदेय)		
LVV cd vkQ ifV;kyk *3	46.43	50.00
(1वर्ष में अदायगी के लिए देय 7.14 करोड़ रुपये)		
30.01.2007 से 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		

vu|lph&3 dk ifjf'k"V

_.k fuf/k;k& l jf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
LVsV cSad vkQ gSnjkckn *3 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 7.14 करोड़ रुपये) 07.01.2007 से 14 छमाही किस्तों में 7 वर्षों में प्रतिदेय)	46.43	50.00
LVsV cSad vkQ bafM;k *3 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 21.43 करोड़ रुपये) 18.09.06 से 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)	128.57	150.00
dsujk cSad *5 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) 28.06.09 से 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
Hkkjrh; thou chek fuxe *6 vkSj 9 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपए) 15.04.09 से 24 छमाही किस्तों में 12 वर्षों में प्रतिदेय)	2062.00	862.00
dsujk cSad *2 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 20 करोड़ रुपये) 09.11.07 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	200.00	200.00
flafMdsV cSad *2 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 18.30 करोड़ रुपये) 23.02.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	183.00	183.00
vksfj;Vy cSad vkQ dkelZ *2 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपए) 01.04.08 से 10 समान किस्तों में प्रतिदेय)	200.00	200.00
vksfj;Vy cSad vkQ dkelZ *2 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) 27.12.2011 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
Hkkjrh; thou chek fuxe *8 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) 30.04.2012 से 24 छमाही किस्तों में 12 वर्षों में प्रतिदेय)	296.00	96.00
bafM;u cSad *1 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपए) 28.02.2012 से 3 समान किस्तों में प्रतिदेय) 04.10.06 को संरक्षित ऋण में परिवर्तित)	100.00	
vksfj;Vy cSad vkQ dkelZ *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 16.67 करोड़ रुपये) 31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	200.00	200.00
tEew ,aM d'ehj cSad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 8.33 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
cSad vkQ bafM;k *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 29.17 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	350.00	350.00
vka/kzk cSad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 8.33 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
dsujk cSad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 12.50 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	150.00	150.00

_.k fuf/k;k& l|jf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
nuk cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 8.33 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
;wukbfVM cad vkQ bfM;k *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 8.33 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
iatkc ,.M fla/k cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 4.17 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
flMch *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 8.33 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
;wfu;u cad vkQ bfM;k *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 8.33 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
iatkc u'kuy cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 22.92 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	275.00	275.00
bfM;u vkojlht cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 4.17 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
cad vkQ cMkSnk *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय 1.25 करोड़ रुपये) (31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	15.00	15.00
;wfu;u cad vkQ bfM;k *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	290.17	107.77
bfM;u vkojlht cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	48.33	17.94
dkjiksjs'ku cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	96.76	35.94
dujk cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.57	37.34
lsUVªy cad vkQ bfM;k *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	133.48	49.57
iatkc u'kuy cad *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	167.37	51.92
flMch *10 (1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	33.84	12.56

vu|lph&3 dk ifjf'k"V

_.k fuf/k;k& lijf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
;ukbfVM cld vkQ bfM;k *10	74.47	26.97
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
flfMdV cld *10	72.55	26.97
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
vkfj;Vy cld vkQ dkelZ *10	145.09	53.88
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
bykgckn cld *10	87.21	53.88
(1 वर्ष में अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
dqy lqjf{kr _.k fuf/k;k ¼[k½	6992.63	5138.24
dqy tkM ¼d$[k½	7562.63	6138.24

fVIi.kh &

*(1) कार्पोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन–I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(2) कार्पोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन की बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामायिक रहेन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(3) कार्पोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन –II के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(4) कम्पनी की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंकरों के पूर्व प्रभारों के अधीन बही ऋण और भंडारों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(5) कम्पनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*(6) कम्पनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में पार्बती जल विद्युत परियोजना–II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(8) कम्पनी के अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लौडैम–III जल विद्युत परियोजना की अचल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर तथा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित तीस्ता लौडैम–III जल विद्युत परियोजना की चल परिसंपत्तियों को बंधक रखकर संरक्षित।

*(9) कम्पनी की उत्तरांचल राज्य में अवस्थित धौली गंगा जल विद्युत परियोजना की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*(10) इंदिरा सागर पावर स्टेशन/ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की सभी वर्तमान और भावी परिसंपत्तियों पर ऋणदाताओं के पक्ष में दीर्घावधि ऋण के संबद्ध हिस्से के लिए प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

vu|lph&4 _.k fuf/k;k vl|jf{kr

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
lkof/k _.k		
i) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–भारतीय मुद्रा–असंक्षित	-	250.00
ii) बैंक/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण–विदेशी मुद्रा–असंक्षित		
(क) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत	2710.04	2888.40
(ख) अन्य	199.12	204.79
dy ¼ifjf'k"V n[k½	**2,909.16**	**3,343.19**

vu|lph&4 dk ifjf'k"V

_.k fuf/k;k&vl|jf{kr

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
¼d½ cSd@foRrh; lLFkkuk ls lkof/k _.k&Hkkjrh; eqnk&vlqjf{kr				
i½ **bfM;u cSd**		-		100.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
(4.10.06 को संरक्षित ऋण में परिवर्तित)				
ii½ **LVsV cSd vkQ bfM;k**		-		150.00
(10.04.06 को चुकता)				
¼[k½ cSd@foRrh; lLFkkuk ls lkof/k _.k&fons'kh eqnk&vlqjf{kr				
¼d½ Hkkjr ljdkj }kjk xkjUVhd`r				
i½ **ukfMZd bUosLVesUV cSd**	88.20		113.00	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 22.05 करोड़ रुपये)				
ii½ **ØfMV def'k;y Mhbl ÝkUl**	346.38		416.36	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 98.97 करोड़ रुपये)				
iii½ **,DliksVZ fMoyiesUV dukMk**	439.60		503.89	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 52.64 करोड़ रुपये)				
iv½ **tkiku cSd vkQ bUVju'kuy dkvkijs'ku Vkp&1**	171.61		185.79	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 9.03 करोड़ रुपये)				
v½ **tkiku cSd vkQ bUVju'kuy dkvkijs'ku Vkp&2**	607.43		624.72	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 14.82 करोड़ रुपये)				
vi½ **tkiku cSd vkQ bUVju'kuy dkvkijs'ku Vkp&3**	422.95		402.59	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
vii½ **M;'k cSd vkj vU;**	633.87	2,710.04	642.05	2,888.40
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
¼[k½ vU;				
¼i½ **bZlhch & ckjdystl ,M ,llhch**		199.12		204.79
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये)				
tksM		**2,909.16**		**3,343.19**

vuqlwph&5 fu;r ifjlaifÙk;ka

(करोड़ रुपये में)

	ldy Cykd				eY; gkl				'kq) Cykd	
	01.04.2006	o/kU& lek;ktu	dVkSrh& lek;ktu	31.03.2007	01.04.2006	o"kZ dh fy,	lek;ktu	31.03.2007	31.03.2007	31.03.2006
भूमि–फ्रीहोल्ड	185.01	7.70	5.18	187.53	-	-	-	-	187.53	185.01
भूमि–लीजहोल्ड	39.30	8.58	1.18	46.70	2.47	0.54	0.04	3.05	43.65	36.83
भूमि–अवर्गीकृत–इस्तेमाल अधिकार वाली	459.08	53.79	-	512.87	8.59	0.87	-	9.46	503.41	450.49
भवन	1,628.06	120.34	11.26	1,737.14	282.13	49.99	1.76	333.88	1,403.26	1,345.93
सड़कें और पुल	274.30	46.00	0.91	319.39	37.99	6.07	0.64	44.70	274.69	236.31
रेलवे साइडिंग	14.53	2.63	3.82	13.34	0.31	0.24	(0.07)	0.48	12.86	14.22
हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक प्रणाली, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग)	9,787.33	126.66	55.72	9,858.27	1,303.04	211.12	1.15	1,515.31	8,342.96	8,484.29
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	3,873.31	47.92	61.73	3,859.50	828.06	113.58	(1.83)	939.81	2,919.69	3,045.25
संयंत्र एवं मशीनरी–सब स्टेशन	85.47	4.22	0.65	89.04	31.20	2.75	(0.16)	33.79	55.25	54.27
संयंत्र एवं मशीनरी–पारेशण लाइनें	41.22	4.87	1.64	44.45	15.29	1.60	(0.36)	16.53	27.92	25.93
संयंत्र व मशीनरी–अन्य	22.70	2.16	0.30	24.56	6.90	1.13	0.04	8.07	16.49	15.80
निर्माण उपकरण	76.37	2.47	3.32	75.52	36.36	6.88	(2.68)	40.56	34.96	40.01
जल आपूर्ति सिस्टम जल निकास एवं मल निकासी	16.21	7.66	0.03	23.84	1.49	0.48	0.02	1.99	21.85	14.72
विद्युत संस्थापन	2.52	0.86	0.13	3.25	0.39	0.16	(0.03)	0.52	2.73	2.13
वाहन	33.70	0.47	0.91	33.26	24.51	2.50	(0.83)	26.18	7.08	9.19
एयरक्रॉफ्ट–नौकाएं	1.35	0.02	0.11	1.26	0.81	0.14	(0.08)	0.87	0.39	0.54
फर्नीचर, फिक्सचर	31.74	5.04	0.69	36.09	9.48	2.46	(0.11)	11.83	24.26	22.26
कम्प्यूटर	33.97	5.45	1.39	38.03	24.36	4.63	(0.79)	28.20	9.83	9.61
संचार उपकरण	21.14	2.71	0.65	23.20	10.29	1.80	(0.20)	11.89	11.31	10.85
कार्यालय उपस्कर	29.33	4.81	0.48	33.66	7.39	2.35	0.03	9.77	23.89	21.94
अनुसंधान एवं विकास	0.81	0.02	0.67	0.16	0.22	0.01	(0.20)	0.03	0.13	0.59
अगोचर परिसंपत्तियां (सॉफ्टवेयर)	6.73	0.60	0.01	7.32	4.12	1.70	0.05	5.87	1.45	2.61
अन्य परिसंपत्तियां	35.86	3.09	0.36	38.59	11.69	1.99	(0.15)	13.53	25.06	24.17
उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं	11.35	1.75	11.35	1.75	-	0.35	-	0.35	1.40	11.35
मामूली कीमत की नियत परिसंपत्तियां > 750 और < 5000 रुपये	15.13	2.37	0.19	17.31	15.11	2.19	-	17.30	0.01	0.02
अप्रचलित /अधिशेष परिसंपत्तियां	0.84	0.76	0.26	1.34	-	-	-	-	1.34	0.84
dqy	**16,727.36**	**462.95**	**162.94**	**17,027.37**	**2,662.20**	**415.53**	**(3.76)**	**3,073.97**	**13,953.40**	**14,065.16**
fiNys o"kZ	**14,204.64**	**2,929.65**	**406.93**	**16,727.36**	**2,205.90**	**382.00**	**74.30**	**2,662.20**	**14,065.16**	**11,998.74**

vuqlwph&6 pkyw iwathxr dk;Z

(करोड़ रुपये)

	01.04.2006	o/kU	lek;ktu	iwathd`r	31.03.2007
भवन	890.01	326.12	(1.41)	97.31	1,117.41
सड़कें और पुल	76.40	34.31	(1.05)	40.77	68.89
रेलवे साइडिंग	10.36	-	-	5.87	4.49
हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक प्रणाली, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग)	3,406.31	1,311.04	280.23	5.49	4,992.09
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	1,622.10	667.66	217.83	7.06	2,500.53
संयंत्र एवं मशीनरी–सब स्टेशन	29.88	4.47	(16.78)	1.99	15.58
संयंत्र एवं मशीनरी–पारेषण लाइने	23.78	3.15	(0.06)	3.58	23.29
संयंत्र व मशीनरी–अन्य	1.04	1.94	(0.76)	1.04	1.18
जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकासी और मल निकासी	5.13	1.91	0.07	5.37	1.74
उन परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं है	6.93	2.43	13.92	1.82	21.46
सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं परामर्श व प्रयवेक्षण प्रभार	125.62	27.15	(0.80)	-	151.97
प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण पर खर्च	113.03	121.28	(0.07)	86.95	147.29
निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	3,837.11	1,050.89*	(517.04)	7.96	4,363.00
dqy	**10,147.70**	**3,552.35**	**(25.92)**	**265.21**	**13,408.92**
fiNys o"kZ	**9801.61**	**3844.19**	**(1092.38)**	**2405.72**	**10147.70**

* अनुसूची–22 देखें– वर्ष के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

vuqlph&7 fuekZ.k HkaMkj ,oa vfxze

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
d- fuekZ.k HkaMkj				
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) भंडार व कलपुर्जे	79.68		64.91	
ii) खुले यंत्र	0.07		0.13	
iii) कबाड़ माल सूची	0.05		-	
iv) पारगमन में निर्माण सामग्री / लंबित निरीक्षण	2.16		2.55	
v) ठेकेदार / निर्माता को जारी सामान	79.19		57.01	
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	16.20	144.95	13.28	111.32
[k- iwathxr O;; dk fy, vfxze				
i) संरक्षित (शोध्य माना जाने वाला)	389.12		152.94	
ii) असंरक्षित (शोध्य माने जाने वाला)				
– बैंक गारंटियों पर	256.93		464.50	
– अन्य	70.66		108.30	
iii) असंरक्षित (संदेहास्पद माना जाने वाला)	2.28		0.02	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	2.28	716.71	0.02	725.74
tksM		**861.66**		**837.06**
fuekZ.k HkaMkj dk fy, izko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	13.28		13.18	
वर्ष के दौरान संवर्धन	2.98		0.18	
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	0.06		0.08	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**16.20**		**13.28**
lafnX/k vfxze dk fy, izko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.02		0.02	
वर्ष के दौरान संवर्धन	2.26		-	
वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		**2.28**		**0.02**

vuqlph&8 fuos'k

(करोड़ रुपये)

	'ks;j@ckaM@ ifrHkwfr dh la[;k pkyw o"kZ ¼fiNys o"kZ½	'ks;j@ckaM@ ifrHkwfr dk vafdr ewY; ¼#i;s ea½	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
nh?kkZof/k ¼VªsM&tc rd vU;Fkk fufnZ"V u gks½				
d- m)r				
bfDoVh 'ks;j %				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड	12000000 (12000000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक ¼uksu VªsM½	360800 (360800)	10	0.36	0.36
mi tksM ¼d½			**12.36**	**12.36**

vuqlph&8 fuos'k

(करोड़ रुपये)

	'k;j@ckM@ ifrHkfr dh l[;k pkyw o"k@ ¼fiNys o"k½	'k;j@ckM@ ifrHkfr dk vuqlkj vafdr eY; ¼#i;s eas½	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
ckM $				
fuEufdr ljdkjks dks 8-50 ifr'kr dj eDr jkT; ljdkj fo'ks"k ckM				
अरुणाचल प्रदेश	8748 (9720)	1,000	0.87	0.97
बिहार	171630 (190700)	1,000	17.16	19.07
हरियाणा	5085000 (5650000)	1,000	508.50	565.00
हिमाचल प्रदेश	160812 (178680)	1,000	16.08	17.86
जम्मू–कश्मीर	6936264 (7706960)	1,000	693.63	770.70
झारखंड	128790 (143100)	1,000	12.88	14.31
मेघालय	4788 (5320)	1,000	0.48	0.53
मिजोरम	28890 (32100)	1,000	2.89	3.21
नागालैंड	62280 (69200)	1,000	6.23	6.92
पंजाब	2005290 (2228100)	1,000	200.53	222.81
राजस्थान	512838 (569820)	1,000	51.28	56.98
सिक्किम	21024 (23360)	1,000	2.10	2.34
त्रिपुरा	24012 (26680)	1,000	2.40	2.67
उत्तर प्रदेश	7082010 (7868900)	1,000	708.20	786.89
उत्तराखंड	786870 (874300)	1,000	78.69	87.43
पश्चिम बंगाल	60498 (67220)	1,000	6.05	6.72
mi tksM ¼[k½			**2,307.97**	**2,564.41**
tksM ¼d $ [k½			**2,320.33**	**2,576.77**

$ डीमेट फॉर्म में

m)r fuos'k		
(i) समेकित लागत	12.36	12.36
(ii) समेकित बाजार मूल्य		
– एनएसई उद्धत	75.17	74.41
– बीएसई उद्धत	75.18	74.36
vu)r fuos'k		
समेकित लागत	2,307.97	2,564.41

vuqlwph&9 orZeku ifjlEifÙk;k] _.k ,oa vfxze

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006	
d- fuos'k ij iznÙk C;kt		103.54		113.85
[k- oLrq lwfp;k				
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	47.36		52.42	
ii) खुले औजार	0.60		0.64	
iii) कबाड़ माल सूची	1.00		0.74	
iv) मार्गस्थ/बकाया भंडार जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	0.68		1.09	
v) निर्माण स्थल का सामान	7.72		6.50	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	3.03		1.39	
घटाएं : अप्रचलित भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान *1	13.27		9.77	
dqy tksM		47.12		53.01
x- pkyw dk;Z				
i) चालू निर्माण कार्य (ग्राहक की ओर से)	279.97		93.06	
ii) चालू परामर्शी कार्य (ग्राहक की ओर से)	-	279.97	0.11	93.17
?k- fofo/k nsunkj ¼vlqjf{kr½				
i) छः माह से अधिक समय से देय ऋण				
– शोध्य समझे गए	159.95		178.81	
– संदिग्ध समझे गए और प्रावधान युक्त	75.94		77.07	
ii) अन्य ऋण				
– शोध्य समझे गए	754.43		142.28	
	-		-	
– संदिग्ध समझे गए और प्रावधान युक्त	990.32		398.16	
घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान *2	75.94		77.07	
dqy tksM		914.38		321.09
³ udn ,oa cSad 'ks"k				
i) हाथ में नकदी (58.12 करोड़ रुपये के चेक, ड्राफ्ट, स्टैम्प्स सहित विगत वर्ष 20.45 करोड़)	58.61		21.02	
ii) बैंकों में शेष				
• अनुसूचित बैंक				
– चालू खाते में	300.42		179.93	
– जमा खाते में	457.06		691.58	
• अन्य बैंकों के पास शेष				
– चालू खाते में				
भूटान बैंक, फुन्टाशेलिंग के पास	0.07		0.14	
डियूश बैंक, टोक्यों शाखा	0.13		0.11	
– जमा खाता में	-		-	
dqy tksM		816.29		892.78
p- vU; pkyw ifjlEifÙk;k				
i) निम्नांकित पर उपचित ब्याज				
– ग्राहकों की ओर देय राशि के निपटारे के लिए राज्य सरकारो को ऋण।	43.75		32.97	
– जमा राशि	7.71		7.21	
ii) अन्य	66.42		61.88	
iii) अलग–अलग एजेंसियों से वसूलने योग्य दावें	64.09		75.95	
घटाएं: सदिग्ध दावों लिए प्रावधान *3	18.30		19.18	
dqy tksM		163.67		158.83
N _.k ,oa iz'kfxze				
d¼ _.k				
कर्मचारी (जमा पर प्रोदभूत ब्याज सहित)	101.17		97.59	
संरक्षित	29.50		29.76	
असंरक्षित वसूली योग्य	-		-	
असंरक्षित (नहीं वसूली योग्य)				
ग्राहको से बकायों के निपटान में राज्य सरकार के लिए ऋण				
असंरक्षित वसूली योग्य	253.62		253.62	

vu lph&9 or eku ifj lifÙk;k] _.k ,o vfxze

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007			31 ekp] 2006		
[k½ i'kfx;k						
(नक़द या वस्तु रूप में प्राप्त किए जाने वाले कीमत वसूल करने योग्य)						
i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता						
संरक्षित	35.14			0.30		
असंरक्षित (वसूली योग्य) :						
– बैंक गारंटी से सुरक्षित	16.85			8.28		
– अन्य	11.48			7.04		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	0.46			0.29		
ii) कर्मचारी						
असंरक्षित (वसूली योग्य समझे गए) :	2.05			2.79		
iii) अन्य अग्रिम						
असंरक्षित (वसूली योग्य समझे गए)	0.63			0.30		
घटाएं: संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान *4	0.46	450.44		0.44	399.53	
iv) अन्य वसूली योग्य		-			0.03	
x½ tek						
अग्रिम आय कर		421.47			237.98	
dqy tkM			871.91			637.54
dqy tkM ¼d l N½			3196.88			2270.27

xj vuqlwfpr cSadks esa o"kZ ds nkSjku vf/kdre 'ks"k dh C;kSjs

	2006-07	2005-06
बैंक ऑफ भूटान		
i) चालू खाता	0.19	0.54
ड्यिूश बैंक, टोक्यो शाखा		
ii) चालू खाता	0.99	100.52

funs'kdks ls ns; _.k ,oa vfxze dk C;kSjk

	2006-07	2005-06
i) वर्षान्त में देय राशि	0.02	0.03
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.06	0.06

उन कंपनियों द्वारा दिए गए अग्रिम जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, उस कंपनी निदेशक या सदस्य है, शून्य रुपये है। (विगत वर्ष शून्य रुपये)

izko/kkuksa dk C;kSjk

	2006-07		2005-06	
vizpfyr HkaMkj ,oa dyiqtksa ds fy, izko/kku *1				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	9.77		4.00	
वर्ष के दौरान संवर्धन	8.70		5.77	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	5.07		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.13		-	
अंतिम शेष		13.27		9.77
lansgkLin _.kksa ds fy, izko/kku *2				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	77.07		77.56	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		3.60	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		2.92	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.13		1.17	
अंतिम शेष		75.94		77.07
v'kks/; ,oa lafnX/k nkoksa ds fy, izko/kku *3				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	19.18		16.54	
वर्ष के दौरान संवर्धन	1.21		2.65	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.07		0.01	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.02		-	
अंतिम शेष		18.30		19.18
lafnX/k _.kksa ,oa vfxzeksa ds fy, izko/kku *4				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.44		0.20	
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.02		0.24	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		0.46		0.44

vu|lph&10 orleku n;rk,| ,o| iko/kku

(करोड़ रुपये)

	31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
d- n;rk,				
i) विविध ऋणदाता				
क) लघु औद्योगिक उपक्रमों की कुल बकाया देयताएं (30 दिन से अधिक बकाया शून्य रुपये)	-		-	
ख) अन्य	540.86		434.17	
ii) जमा/एजेंसी की व्यय न की गई राशि	-		0.79	
iii) जमा राशि/प्रतिधारण धन राशि	106.78		75.36	
iv) डिपॉजिट वर्क्स पर अग्रिम	81.67		8.22	
घटाएं: डिपॉजिट वर्क्स पर वसूली योग्य राशि	(0.05)		(7.02)	
v) ऋणों पर प्रोद्भूत किन्तु अदेय ब्याज	139.86		73.47	
vi) परियोजना/कांट्रेक्टीज़ की लागत के प्रति अग्रिम	273.47		146.17	
vii) सहायता राशि – लंबित उपयोगिता	69.21		16.30	
viii) अन्य देयताएं	82.25		147.86	
dqy n;rk,| ¼d½		**1294.05**		**895.32**
[k- iko/kku				
i) djk/kku grq iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	214.78		202.36	
वर्ष के दौरान संवर्धन	224.70		81.57	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	31.06		69.15	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		408.42		214.78
ii) iLrkfor ykHkk'k dk iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	169.40		83.33	
वर्ष के दौरान संवर्धन	256.09		169.40	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	169.40		83.33	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		256.09		169.40
iii) iLrkfor ykHkk'k ij dj				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	25.28		12.11	
वर्ष के दौरान संवर्धन	52.38		25.28	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	25.28		12.11	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		52.38		25.28
iv) oru l'kks/ku d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	74.70		-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	42.01		74.70	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	46.79		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	27.92		-	
अंतिम शेष		42.00		74.70
v) vuxg jkf'k d fy, iko/kku				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	29.82		7.54	
वर्ष के दौरान संवर्धन	31.14		29.72	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	17.25		6.99	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	12.24		0.45	
अंतिम शेष		31.47		29.82

vuqlwph&10 orZeku ns;rk,a ,oa izko/kku

(करोड़ रुपये)

		31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006	
vi)	**deZpkjh ykHk ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	421.74		340.23	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	114.30		102.35	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	26.20		20.84	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		509.84		421.74
vii)	**vU; [kpZ ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.28		6.72	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	3.51		0.04	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.07		6.39	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		0.09	
	अंतिम शेष		3.72		0.28
viii)	**ifj;kstuk [kpZ ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	8.87		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		8.87		-
ix)	**vkdfLedrkvksa ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1.77		1.80	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.04		0.03	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		1.73		1.77
x)	**VfjQ lek;kstu ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	69.89		86.54	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-		51.80	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	62.72		68.45	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	7.17		-	
	अंतिम शेष		-		69.89
xi)	**fctyh ds LomiHkksx ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.45		-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	-		6.45	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		6.45		6.45
xii)	**ifrc) iwath [kpZ ds fy, izko/kku**				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-		-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन	222.13		-	
	वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
	अंतिम शेष		222.13		-
	dqy izko/kku ¼[k½		**1543.10**		**1014.11**
	dqy tksM+ ¼d $ [k½		**2837.15**		**1909.43**

vuqlwph&11 fofo/k [kpZ

¼cê [kkrs u Mkys x;s ;k lek;ksftr u fd;s x;s½

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006	
i) प्रारंभिक खर्च		-		1.43
ii) शेयर इश्यू खर्च (आईपीओ)		1.25		-
iii) समायोजन किए जाने वाले खर्च		24.55		24.55
iv) बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	2.60		3.71	
iv) घटाएं : लंबित अन्वेषण से हानियों के लिए प्रावधान	2.60	-	3.71	-
tksM		25.80		25.98

vuqlwph&12 fcØh

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
विद्युत बिक्री	2711.64	2054.81
घटाएं: संचालन से पूर्व उत्पादन या बिजली से प्राप्त आय		
¼vuqlwph&221 ¼i½ esa varfjr½	0.34	5.04
dqy ykHk vkSj gkfu [kkrs esa fy;k x;k	2711.30	2049.77

vuqlwph&12d eY;gkl ij vfxze

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
वर्ष के दौरान आस्थगित	223.45	47.88
घटाएं: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	7.64	-
ykHk vkSj gkfu [kkrs esa fy;k x;k dqy tksM	215.81	47.88

vuqlwph&13 lafonk ,oa ijke'khZ vk;

(करोड़ रुपये)

	31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
संविदा आय	125.46	43.47
परामर्शी आय	3.29	4.94
ykHk vkSj gkfu [kkrs esa fy;k x;k dqy tksM	128.75	48.41

vuqlwph&14 vU; vk;

(करोड़ रुपये)

		31 ekpZ 2007	31 ekpZ 2006
i)	nh?kkZof/k fuos'k ls vk;		
क)	व्यापार		
	–सहायक कम्पनियों से लाभांश आय		
	–अन्य से लाभांश	1.20	0.96
	ब्याज		
	सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकार द्वारा जारी 8.5 प्रतिशत दर के कर–मुक्त बांड)	212.53	227.91
ख)	गैर–व्यापार		
	लाभांश आय–अन्य	0.09	0.04
ii)	vU; vk;		
क)	ब्याज		
	ग्राहकों से बकाया का निबटारा करने में राज्य सरकारों को ऋण	21.56	21.56
	–भारतीय बैंक (सकल) (स्रोत पर कर–कटौती रुपये 4519/–पिछले वर्ष रु. शून्य)	50.03	35.49
ख)	कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	43.37	52.07
ग)	अन्य		
घ)	देरी से भुगतान प्रभार	7.92	24.43
ड)	लाभानुभोगियों से प्राप्त ब्याज	1.46	-
च)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.68	1.17
छ)	पश्च लेखन अपेक्षित नहीं देयताएं/प्रावधान #	43.16	2.75
ज)	विनिमय दर अन्तर	45.91	28.32
झ)	अन्य	24.30	17.66
	dqy tksM+	452.21	412.36
	?kVk,a % vkbZbZMhlh esa vfrfjr vk;		
	¼vuqlwph 22 M ¼ii½ 22 > ¼ii½ ls ¼vi½ n[ksa ,oa 22¥¼i½½	138.05	97.20
	?kVk,a % lafonk vkj ijke'khZ [kpZ esa		
	vfrfjr vk; ¼n[ksa vuqlwph 20½	2.27	0.68
	ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k	311.89	314.48
	# n;rkvksa@izko/kkuksa dk fooj.k ftudk Ik'p ys[ku viSf{kr ugha gSA		
क)	अशोध्य व संदिग्ध ऋण	0.88	1.17
ख)	अशोध्य व संदिग्ध पेशगी/जमा	(0.03)	-
ग)	अशोध्य व संदिग्ध दावे	0.02	-
घ)	भंडार व कलपुर्जों के मूल्य में कमी	0.12	-
ड.)	वेतन संशोधन के प्रावधान	27.92	-
च)	अनुग्रह राशि/ पीएलआई के लिए प्रावधान	3.93	0.45
छ)	लम्बित अन्वेषण हानियों के लिए प्रावधान	0.01	-
ज)	उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	8.31	-
झ)	देयताएं पश्च लेखन अपेक्षित नहीं	2.00	1.13
	dqy tksM+	43.16	2.75

vuqlwph&15 mRiknu] iz'kklu ,oa vU; O;;

(करोड़ रुपये)

		31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006	
i)	भंडार एवं कलपुर्जों की खपत		6.75		12.15
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण :				
	–भवन	14.98		16.97	
	–मशीनरी	31.97		46.53	
	–अन्य	37.67	84.62	33.58	97.08
iii)	किराया		14.56		17.18
iv)	दरें और कर		1.17		1.30

vu|lph & 15 mRiknu] i’kklu ,o vU; 0;;

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
v)	बीमा	2.94	2.92
vi)	स्वः बीमा आरक्षित	77.55	72.88
vii)	सुरक्षा व्यय	47.78	41.92
viii)	विद्युत प्रभार	27.75	25.33
ix)	यात्रा एवं वाहन	20.20	17.32
x)	स्टाफ कार पर व्यय	20.93	19.35
xi)	टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	7.77	8.30
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार	7.97	5.37
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.67	0.54
xiv)	दान	0.05	0.06
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.19	6.02
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.55	0.59
xvii)	परामर्शी प्रभार –स्वदेशी	4.78	4.98
xviii)	परामर्शी प्रभार –विदेशी	0.46	0.38
xix)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र सुधार पर खर्च	47.39	12.75
xx)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	19.31	15.30
xxi)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	-	53.76
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.68	0.28
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय	-	0.02
xxiv)	बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय	1.44	0.21
xxv)	अशोध्य ऋण/अग्रिम/दावे पश्च लेखन	0.01	0.09
xxvi)	भंडार पश्च लेखन	0.33	0.15
xxvii)	अचल परिसंपत्तियां–पश्च लेखन	0.06	0.36
xxviii)	पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	3.09	0.95
xxix)	अन्य सामान्य खर्च	22.35	18.88
xxx)	विनिमय दर अंतर	18.45	0.66
xxxi)	लेखा परीक्षा खर्च	0.70	0.69
xxxii)	अनुसंधान व विकास व्यय	0.03	0.37
	tkM	**445.53**	**438.14**
	?kVk,¡ % vkbbMhlh esa vUrfjr O;; (vuqlwph 22 [k] 22 x] 22³ (i) vkSj 22´ ¼iii½ ns[ks½	217.18	159.18
	?kVk,¡ % lsfonk vkSj ijke’kZ [kpZ esa vUrfjr [kpZ ¼ns[ksa vuqlwph 20½	5.63	4.95
	ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf’k	**222.72**	**274.01**

vu|lph&16 depkjh ikfjJfed ,o ykHk

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	483.84	477.79
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि व पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	68.42	79.48
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	89.36	58.05
iv)	अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान	0.10	-
	tkM	**641.72**	**615.32**
	?kVk,¡ % vkbbMhlh esa vUrfjr depkjh ykxr ¼vuqlwph 22 d] vkSj 22´ ¼iii½ ns[ksa½	375.82	377.60
	?kVk,¡ % lsfonk vkSj ijke’kZ [kpZ esa vUrfjr depkjh ykxr ¼ns[ksa vuqlwph 20½	16.11	14.03
	ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf’k	**249.79**	**223.69**

vu lph&17 eY;gkl

(करोड़ रुपये में)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	415.54	382.00
?kVk,¡ % vkbbMhlh e¡ vrfjr ¼vulph 22 N vkj 22 ´ ¼iv½ ls n[k½	39.05	36.75
?kVk,¡ % lfonk vkj ijke'kh e¡ vrfjr ¼n[k vulph 20½	0.29	0.21
?kVk,¡ : iwth vkjf{kr ls VfjQ	19.50	15.26
ykHk o gkfu [kkrs e¡ yh x;h dqy jkf'k	356.70	329.78

vulph&18 C;kt ,oa foRr iHkkj

(करोड़ रुपये में)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
i) निम्नांकित पर ब्याज :				
क) बांड	75.41		92.44	
ख) विदेशी ऋण	112.80		108.47	
ग) सावधि ऋण	467.65		373.78	
घ) नक़द ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	0.04	655.90	0.02	574.71
ii) बांड निर्गम/सेवा व्यय		1.25		1.06
iii) ग्राहकों को छूट		24.16		31.26
iv) वचनबद्धता शुल्क		0.47		3.28
v) ऋण पर गारंटी शुल्क		34.66		32.38
vi) लाभार्थी राज्यों को ब्याज		2.25		-
vii) बैंक प्रभार		0.94		0.88
viii) अन्य वित्त प्रभार		4.75		9.73
tksM		724.38		653.30
?kVk,¡ % vkbbMhlh e¡ vrfjr iwthd`r C;kt vkj foRr iHkkj ¼vulph 22 ?k vkj 22 ´ ¼v½ n[k½		361.31		239.70
?kVk,¡ % lfonk vkj ijke'kh [kp e¡ vrfjr 0;; ¼n[k vulph 20½		1.56		1.56
ykHk o gkfu [kkrs e¡ yh x;h dqy jkf'k		361.51		412.04

vulph&19 iko/kku

(करोड़ रुपये में)

	31 ekp] 2007	31 ekp] 2006
i) अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण–प्रावधान मुक्त	-	3.60
ii) अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम/जमा–प्रावधान किया गया	2.29	0.25
iii) अशोध्य एवं संदिग्ध दावे–प्रावधान किया गया	3.95	2.64
iv) भंडार व कल पुर्जों के मूल्य में कमी	8.40	5.86
v) भंडार व कल पुर्जों में कमी–प्रावधान किया गया	-	0.08
vi) सीएटी योजनाओं/पर्यावरण खर्च के लिए प्रावधान	184.94	-
vii) परियोजना खर्च के लिए प्रावधान	8.87	-
viii) अचल परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बट्टे खाते डाले गए	0.35	0.06
ix) अन्य	0.46	-
tksM	209.26	12.49
?kVk,¡ % vkbbMhlh e¡ vrfjr [kp ¼vulph 22 p vkj 22 ´ ¼vi½ n[k½	185.52	0.67
?kVk,¡ % lfonk vkj ijke'kh [kp e¡ vrfjr 0;; ¼n[k vulph 20½	-	2.97
ykHk o gkfu [kkrs e¡ yh x;h dqy jkf'k	23.74	8.85

vuqlwph&20 lafonk ,oa ijke'khZ O;;

(करोड़ रुपये)

			31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006
i)	iR;{k O;;		166.45		32.38
ii)	deZpkjh ikfjJfed ,oa ykHk				
	– वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	10.97		10.26	
	– उपदान तथा भविष्य निधि व पेंशन योजना में अंशदान	1.22		1.09	
	– कर्मचारी कल्याण व्यय	1.50	13.69	0.86	12.21
iii)	ejEer rFkk vuqj{k.k				
	– भवन	0.15		0.09	
	– मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	0.03		0.04	
	– अन्य	0.79	0.97	1.05	1.18
iv)	iz'kklu rFkk vU; O;;				
	– किराया	1.21		1.00	
	– यात्रा एवं वाहन	0.80		0.83	
	– स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.32		0.17	
	– बीमा	0.02		0.01	
	– टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	0.23		0.13	
	– विज्ञापन और प्रचार	0.09		0.22	
	– मुंद्रण एवं लेखन सामग्री	0.19		0.14	
	– अन्य खर्च	0.89		0.59	
	– दरें और कर	0.01		0.00	
	– सुरक्षा	0.21		0.16	
	– बिजली	0.08		0.08	
	– परामर्शी प्रभार	0.01	4.06	0.06	3.39
v)	eYY; gkl		0.20		0.15
vi)	C;kt o foRrh; iHkkj		1.56		1.56
vii)	ikzo/kku		-		2.97
viii)	orZeku fueZk.k dk;Z				
	– निर्माण संविदा	(61.46)		(6.72)	
	– परामर्शी	-	(61.46)	(0.11)	(6.83)
ix)	dkjikjsV@{ks=h; dk;kZy; [kpZ		2.99		2.23
	dqy [kpZ		128.46		49.24
	?kVk,a % ikfIr;ka o olfy;ka		2.15		0.65
	o"kZ dk nkSjku dqy [kpZ		126.31		48.59
	fiNyh vof/k dk lek;kstu		0.12		1.50
	ykHk o gkfu ys[kk esa yh x;h dqy jkf'k		126.43		50.09

vuqlwph&21 iwokZof/k lek;kstu ¼'kq)½

(करोड़ रुपये)

			31 ekpZ 2007		31 ekpZ 2006
vk;					
i)	विद्युत की बिक्री	(0.02)		0.50	
ii)	मूल्यह्रास पश्च लेखन पर अग्रिम	-		88.85	
iii)	अन्य	(4.66)		2.01	
	mi tksM		(4.68)		91.36
O;;					
i)	वेतन तथा मजदूरी	0.19		0.73	
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.35		0.36	
iii)	ब्याज	0.74		0.71	
iv)	अन्य	9.55		80.35	
v)	मूल्य ह्रास	4.43		98.65	
	mi tksM		15.26		180.80
	dqy tksM		19.94		89.44
	?kVk,a % vkbZbZMhlh esa varfjr [kpZ ¼vuqlwph 22 t vkj 22 ´ ¼vii½ nsa[ks½				
	पूर्व अवधि व्यय	9.27		81.76	
	?kVk,a % *पूर्व अवधि आय*	(1.13)		0.39	
	dqy tksM		10.40		81.37
	?kVk,a % lafonk vkSj ijke'khZ [kpZ esa varfjr O;; ¼nsa[ks vuqlwph 20½		0.12		1.50
	ykHk o gkfu [kkrs esa yh x;h dqy jkf'k		9.42		6.57

vu|lph&22 o"k e fuek.k d nkjku vkdfLed [kp

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
d. depkjh ikfjJfed vkj ykHk					
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते		196.55		205.81	
ii) उपदान और भविष्य निधि में अंशदान					
(प्रशासनिक शुल्क सहित)		27.15		32.94	
iii) स्टाफ कल्याण खर्च		37.40		23.78	
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान		0.10		0.01	
	mi tkM		261.20		262.54
[k. ejEer vkj j[kj[kko					
i) भवन		4.69		3.29	
ii) मशीनरी		5.04		4.68	
iii) अन्य		11.62		12.13	
	mi tkM		21.35		20.10
x. i'kklu vkj vU; [kp					
i) किराया		14.89		14.29	
ii) दरें व कर		0.40		0.44	
iii) बीमा		0.69		0.84	
iv) सुरक्षा खर्च		23.07		20.68	
v) विद्युत प्रभार		11.38		10.27	
vi) यात्रा एवं वाहन		9.23		6.94	
vii) स्टाफ कार पर व्यय		6.93		6.04	
viii) टेलीफोन, टैलेक्स व डाक टिकट		2.82		2.57	
ix) विज्ञापन और प्रचार		2.58		1.24	
x) मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार पर खर्च		0.21		0.14	
xi) मुद्रण और लेखन–सामग्री		1.77		2.04	
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		0.01		0.03	
xiii) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार					
- स्वदेशी		2.16		2.24	
- विदेशी		0.18		0.37	
xiv) प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर खर्च		46.69		11.98	
xv) भूमि पर खर्च जो निगम की नहीं है		18.72		14.82	
xvi) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास		-		0.14	
xvii) बट्टे खाते डाले गए परिसम्पत्तियों/सामग्रियों पर हानि		0.27		0.27	
xviii) परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		-		0.01	
xix) अन्य सामान्य खर्च		5.02		5.61	
	mi tkM		147.02		100.96
?k. C;kt vkj foÙk iHkkj					
i) निम्नांकित पर ब्याज :					
क) बांड		24.64		24.64	
ख) विदेशी ऋण		53.09		59.40	
ग) सावधि ऋण		264.83		124.86	
ii) बांड निर्गमित/सेवा व्यय		0.91		0.30	
iii) वचनबद्धता शुल्क		0.12		3.20	
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क		12.70		17.22	
v) अन्य वित्त प्रभार		4.96		9.93	
	mi tkM		361.25		239.55

vu| lph&22 o"k e| fuek.k d| nkjku vkdfLed [kp|

(करोड़ रुपये)

		31 ekp] 2007		31 ekp] 2006	
M- fofu;e nj vUrj ¼'k)½					
i) fofu;e nj vUrj ¼ukes| 'k"k½ ?kVk,| ½		16.84		0.51	
ii) fofu;e nj vUrj ¼tek 'k"k½		42.58		25.06	
	mi tkM		(25.74)		(24.55)
p. iko/kku		85.46		0.61	
	mi tkM		185.46		0.61
N. eY;gkl		32.00		29.72	
	mi tkM		32.00		29.72
t. fiNyh vof/k d| [kp| ¼'k)½					
i) पिछली अवधि के खर्च		8.98		80.93	
ii) घटाएं : पिछली अवधि की आय		(1.13)		0.39	
	mi tkM		10.11		80.54
>. ?kVk,| ½ ikfIr;k vkj olfy;k					
i) विद्युत उत्पादन – संचालन पूर्व से आय			0.34		5.04
ii) ऋण व अग्रिम पर ब्याज		41.49		52.43	
iii) विविध प्राप्तियां		15.89		12.79	
iv) परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ		0.06		0.46	
v) पश्च लेखन अपेक्षित नहीं – देयताएं/प्रावधान		30.04		0.74	
vi) संयंत्र व मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न		0.28	87.76	0.46	66.88
	mi tkM		88.10		71.92
r. निगम मुख्यालय प्रबंधन व्यय					
i) अन्य आय		(7.71)		(5.26)	
ii) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय		31.97		37.61	
iii) कर्मचारी मेहनताना एवं लाभ		114.62		115.06	
iv) मूल्यह्रास		7.05		7.03	
v) ब्याज एवं वित्त प्रभार		0.06		0.15	
vi) प्रावधान		0.06		0.06	
vii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		0.29		0.83	
	mi tkM		146.34		155.48
tkM [¼d l| t½ >+r] ¼vu|lph 6 dk vrfjr½			**1050.89**		**793.03**

vuqlwph&23
lefdr egRoiw.kZ ys[kkdau uhfr;ka

1. ys[kkdau lacaa/kh ijEijk,a

निगम के लेखे लेखांकन की प्रोद्भवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए जाते हैं।

2. vpy vkfLr;ka

2.1 अचल आस्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताये गये हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है लेकिन आस्ति पूरी और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया जाता है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।

2.2 भूमि पर सृजित ऐसी अचल आस्तियां जो कारपोरेशन की नहीं हैं अचल आस्त्यिों के अंतर्गत शामिल हैं।

2.3 जहां न तो भूमि और न आस्तियों पर ही कंपनी का स्वामित्व है वहां आस्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल आस्तियों में दिखाया गया है।

2.4 मुआबजे और जमीन से संबंधित अन्य खर्चों के तौर पर पहले किये गये भुगतान को जमीन की कीमत मान लिया गया है।

2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गयी भूमि (पट्टे के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किये गये लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहां इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट शर्त हो वहां इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है। इसे परियोजना की उपयोगी जीवन–अवधि यानी इसके वाणिज्यिक रूप से चालू होने की अवधि से 35 वर्ष माना जाता है। लेकिन एनएचडीसी जलमग्न होने वाली भूमि से संबंधित खर्चो को पुनर्वास और पुनर्स्थापना खर्च मानता है जिसे बांध की लागत के रूप में वसूल किया जाना है।

2.6 अनुदान सहायता/एजेंसी या जमा आधार पर परियोजना के तहत हासिल की जाने वाली/बनायी जाने वाली परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में नहीं गिना जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.7 फालतू घोषित निर्माण उपकरणों को खाता मूल्य से कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. e'khuksa dk fgLlk iqtkZ

3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गये या बाद में हासिल किये गये मशीनों के हिस्से पुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के हिस्से पुर्जो की कीमत पता हो और तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है, और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के हिस्से पुर्जे की कीमत पता न हो विशेषकर जब मुख्य संयंत्र के साथ खरीदा जाता है, तो इसका मुख्य संयंत्र के साथ पूंजीकरण एवं मूल्यह्रास को किया जाता है।

3.1 (ख) हिस्से पुर्जो की डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है जिसमें ये हिस्से पुर्जे इस्तेमाल में लाये जाते हैं। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और उपयोग किये गये हिस्से पुर्जो के मूल्य को उसी वर्ष के राजस्व में भारित किया जाता है।

3.1 (ग) जब संबंधित अचल आस्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं तो ऐसे हिस्से पुर्जो की लागत शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही आस्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित हिस्से पुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3.2 अन्य हिस्से पुर्जों को "स्टोर्स एंड स्पेयर्स" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. fuekZ.kk/khu iwathxr dk;Z

4.1 चालू की जा रही परियोजनाओं और अन्य निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को लागत आधार पर किया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में निर्माण के दौरान उपयोग में लाई जा रही अचल आस्तियों पर ब्याज और मूल्यह्रास सहित सभी आनुशंगिक और नैमित्तिक खर्चों को आनुशंगिक खर्च में शामिल किया जाता है और परियोजना के पूरा होने तक इसे भूमि और अवसंरचना सुविधाओं के अलावा प्रमुख अचल परियोजना आस्तियों में डाल दिया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरक्षण, उच्चीकरण आदि के खर्च को 'निर्माण के दौरान आनुशंगिक खर्च' में डाल दिया जाता है।

5. ewY;gzkl vkSj _.k 'kks/ku

5.1 मूल्यह्रास को सरल रेखा विधि के आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए हिसाब में लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी दरों की अधिसूचना आयोग के विनियमों

के अंतर्गत जारी नहीं की गयी है, मूल्यह्रास का आकलन सरल रेखा विधि के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित दरों से किया जाता है। लेकिन यह नियम कम्प्यूटरों और उनसे संबंधित सामग्री पर लागू नहीं होता और कंपनी द्वारा आकलित दरों को ही माना जाता है। परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उनके मूल्य के 90 प्रतिशत तक हो सकता है।

5.2 कोई वस्तु जिस वर्ष उपलब्ध करायी जाती है मूल्यह्रास उसी साल यथानुपात आंका जाता है।

5.3 5000 रुपये या इससे कम मूल्य की लेकिन 750 रुपये से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल संपत्ति को छोड़ कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000 रुपये या इससे कम है उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रुपया लगाया जाता है।

5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्तियों के रूप में हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750 रुपये तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।

5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्ति' माना जाता है और तीन साल से अधिक में इसका ऋण शोधन किया जाता है।

5.6 जहां वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार–चढ़ाव के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहां ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अतिशेष का भविष्य में शेष जीवन काल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना मूल्यह्रास की दर के आधार पर की जाती है।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत खर्च का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से पांच साल की अवधि में और इसके के बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।

6- fuos'k

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किये जाते हैं। ऐसे निवेश के कीमत अस्थाई के अतिरिक्त में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है।

7- oLrq lwfp;k

7.1 (क) फालतू निर्माण उपकरणों के हिस्से पुर्जे और कबाड़ को छोड़कर भंडार सामग्री और हिस्से–पुर्जों का आकलन भार आधारित औसत लागत के अनुसार किया जाता है।

(ख) कबाड़ की लागत का आकलन उससे प्राप्त होने वाली शुद्ध लागत के आधार पर किया जाता है।

(ग) फालतू निर्माण उपकरणों के हिस्से–पुर्जों की लागत का आकलन मूल्य के निम्न स्तर पर और प्राप्त होने वाले शुद्ध मूल्य पर किया जाता है।

7.2 निरीक्षण के दौरान पहचान की गयी बेकार और पुरानी भंडार वस्तुओं तथा हिस्से–पुर्जों से होने वाले नुकसान को हिसाब में लिया गया है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किये गये जिन छुटपुट औजारों की लागत 5,000 रुपये या इससे कम है उन्हें खपत खाते में डाल दिया गया है और अन्य औजारों को पांच बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते में डाला गया है।

7.4 बिजलीघरों के लिए संचालन और अनुरक्षण के लिए जारी की गयी भंडार वस्तुएं वर्ष के अंत में कार्य स्थल पर बेकार पड़ी हैं उनका मूल्यांकन इंजीनियरी अनुमानों में किया गया है और उन्हें भंडार वस्तुओं में शामिल किया गया है।

8- fons'kh eqnzk esa mrkj&p<ko

8.1 विदेशी मुद्रा के लेनदेनों को सौदे की तारीख की मुद्रा विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया गया है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक वस्तुओं को लेखांकन वर्ष के आखिरी दिन की विनिमय दर के आधार पर आंका गया है।

8.2 1.4.2004 से पहले हुए सौदों के सिलसिले में अचल आस्तियों/पूंजीगत चालू कार्यों से संबंधित देयताओं में मुद्रा संबंधी अंतरों को संबंधित अचल आस्तियों/पूंजीगत चालू कार्य की रखाव लागत के साथ समायोजित कर दिया गया है।

8.3 1.4.2004 से पहले भारत से बाहर हुए सौदों के सिलसिले में हासिल अचल आस्तियों/पूंजीगत साज–सामान से संबंधित मुद्रा विनिमय अंतर को संबंधित अचल आस्तियों/चालू पूंजीगत कार्य के साथ समायोजित कर दिया गया है।

8.4 चालू हो चुके स्टेशनों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के आईईडीसी के संबंध में मुद्रा विनिमय संबंधी अन्य अंतरों को उस अवधि की आमदनी और खर्च मान लिया गया है जिसमें वे लाभ–हानि लेखा में लिये गये थे।

9- deZpkjh ykHk

9.1 कर्मचारी लाभ संबंधी लेखा मानक–संख्या 15 (2005) में परिभाषित रोजगार परवर्ती लाभों के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

9.2 यात्रा अवकाश रियायत, अवकाश नकदीकरण और सेवा निवृत्ति पर स्वीकार्य सामान भत्ते के लिए लेखों में प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं।

9.3 अनुदान राशि भुगतान और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतगर्त नोटिस वेतन पर खर्च को उसी वर्ष राजस्व पर प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष वे किए गए हों।

10- jktLo

10.1 (क) बिजली की बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित शुल्क के अनुसार किया गया है। बिजली घर के मामले में जहां शुल्क अधिसूचित नहीं किया गया है बिक्री का हिसाब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मानदंडों और विधि के अनुसार अनंतिम दरों के आधार पर किया गया है। विदेशी मुद्रा में लिए गये ऋणों के सिलसिले में मुद्रा विनिमय संबंधी उतार–चढ़ाव के लिए वसूली/भुगतान और आय कर की वसूली को वार्षिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों का आकलन शुल्क अधिसूचनाओं के आधार पर किया गया है। बिजली घरों के संदर्भ में, जहां शुल्क की अधिसूचना जारी नहीं की गयी है, प्रोत्साहनों का आकलन इनके स्वीकृत होने की संभावना के आधार पर अनंतिम रूप से किया गया है।

(ग) वैश्विक खातों को अंतिम रूप दिये जाने से उत्पन्न समायोजन, हालांकि वास्तविक नहीं हैं, लेकिन उन्हें अंतिम रूप दिये जाने वाले वर्ष में शामिल किया गया है।

(घ) ऋणों के भुगतान को आसान बनाने के लिए प्रारंभिक वर्षों में शुल्क के घटक के रूप में दिये जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम को बिक्री में से कम कर लिया गया है और अगले वर्षों की बिक्री में शामिल कर लिया गया है।

10.2(क) निर्माण ठेके के काम से हाने वाली आमदनी का पूरा करने की विधि के प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित विधि से आकलन किया गया है:

	vuekfur Bdk ykxr d vu|lkjdk;| e| ixfr	vkenuh dk vkdyu
(क)	66.67 प्रतिशत तक	लागत की संभावित वसूली तक
(ख)	66.67 प्रतिशत से अधिक	कार्य पूरा होने के चरण के अनुसार

ठेकों में पूर्वानुमानित हानियों सहित सभी नुकसानों का तत्काल आकलन किया जाता है। ऐसे मामलों में आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है और यह उस सीमा तक होता है जहां तक वास्तविक देयता अवधि के दौरान किये जाने वाले दावों को निपटाने के लिए जरूरी होता है।

10.2(ख) परियोजना प्रबंधन/परामर्श ठेकों में आमदनी का आकलन अनुबंध के अंतर्गत किये गये कार्य की मात्रा और समझौते की शर्तों के आनुसार किया जाता है।

10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्‌भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

10.4 ग्राहकों से लिये जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्तियों पर आमदनी माना जाता है बशर्ते उनकी वसूली की पर्याप्त संभावना हो।

11- dkiksjsV dk;ky; d [kpks dk vkcaVu

कार्पोरेट कार्यालय के खर्चों का आबंटन इस प्रकार किया जाता है :

(क) बिजली घरों पर करों और शुल्कों को छोड़कर साल में उनकी ऊर्जा की बिक्री के एक प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को मिले और उसके द्वारा कराये जाने वाले निर्माण संबंधी अनुबंधित कार्यों के लिए वर्ष के दौरान हुए परियोजना खर्च के 5 प्रतिशत की दर से। लेकिन इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले शामिल नहीं हैं जिनमें उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के आधार पर खर्च का अलग से आबंटन किया जाता है।

(ग) बकाया खर्च का आबंटन निर्माण परियोजनाओं में वर्ष के दौरान हुए शुद्ध पूंजी खर्च के अनुपात में किया जाता है।

12- Lo chek

तुलन पत्र की तारीख को बिजली घरों के ग्रॉस ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत वार्षिक 'स्वयं बीमा निधि' में वार्षिक आधार पर अंतरित कर दिया जाता है। इसे लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया जाता है और विशिष्ट आकस्मिकताओं में परिसंपत्तियों की हानि के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।

13- fofo/k

13.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किये जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत निर्माण कार्य संबंधी देयताओं को निगम लंबित निरीक्षण और स्वीकृति तक हिसाब में नहीं लिया जाता।

13.2 बिजली घरों से बनायी जा रही निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली के लिए सामान्य दरों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

13.3 50,000 रुपये और इससे कम के पहले से भुगतान शुदा खर्चों और अवधि पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।

13.4 बीमा दावों को वसूली की पक्की संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14- m/kkj lc/kh ykxr

निर्माण/आधुनिकीकरण और मरम्मत के दौरान आने वाली अचल आस्तियों की उधार लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य उधार लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये उधार लिये गये थे।

15- vkenuh ij dj

चालू अवधि के लिए आमदनी पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आयकर कोर गतिविधि यानी बिजली का उत्पादन से संबंधित सीमा तक लाभानुभोगियों के लिए निकाल ली गई है।

वर्ष के दौरान लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल के आधार पर आस्थगित कर का आकलन किया जाता है और इसका आकलन तुलन पत्र की तिथि को लागू या उसके लागू कर की दरों के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को उसी सीमा तक हिसाब में लिया तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक इस बात की युक्ति संगत निश्चितता हो कि आस्थगित कर आस्तियों के संदर्भ में पर्याप्त भावी करयोग्य आय होगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाता में उसी सीमा तक क्रेडिट या डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर खर्च आने वाले वर्षों में लाभार्थियों से कर संबंधी व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर हिसाब में लेने योग्य हो।

vu|lph&24 y[kk ij lefdr fVIif.k;k

1. समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के अंतर्गत नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) और उसकी सहायक कंपनी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी) के वित्तीय ब्यौरे शामिल हैं।

2. (क) लेखांकन का आधार :

   i) समेकन में सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी के एक समान रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए दिये गए हैं।

   ii) समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानक–21, इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी समेकित विवरणों और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

   (ख) समेकन के सिद्धांत :

   कंपनी और इसकी सहायक कंपनी का वित्तीय विवरण पंक्ति दर पंक्ति संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके लिए इन्ट्रा–ग्रुप शेष राशियों, इन्ट्रा–ग्रुप कारोबार और अप्राप्य लाभ या हानि को निरस्त करने के बाद समान मदों जैसे परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय के अंकित मूल्य को एक साथ जोड़ा गया है।

3. समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गयी सहायक कंपनी का ब्योरा इस प्रकार है :–

dEiuh dk uke	dEiuh dk xBu	LokfeRo dk fgr dk vuqikr
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	भारत	51 प्रतिशत

4. समान कारोबार और समान परिस्थितियों में अन्य गतिविधियों के लिए एक समान लेखांकन नीतियां अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। परंतु, स्वयं बीमा आरक्षित के लिए धन की व्यवस्था, भूमि से जोड़े जाने वाले मुआवजे और अन्य व्यय के उपचार संबंधी नीतियां तथा अनुदान नीतियां भिन्न रही हैं।

5- क) निम्नांकित के अनुसार आकस्मिक देयताएं :– (करोड़ रुपये में)

fooj.k	01-04-2006 dk vFk 'ks"k	31-03-2007 dk vfre 'ks"k
कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें निम्नांकित के संबंध में ऋण नहीं स्वीकार किया गया है–		
–पूंजीगत कार्य	1354.20	1929.42
–भूमि मुवाअजा मामलें	152.05	132.52
–अन्य	131.52	188.73
विवादित आयकर मांग	14.79	-
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	0.15	-
विवादित बिक्री कर मांग	2075.25	2055.53
अन्य (इसमें 30.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 30.21 करोड़) के बांड शामिल हैं, जिन्हें निगम द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था।)	54.59	97.26
dqy	**3782.55**	**4403.46**

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों तथा अन्य के संबंध में लंबित मामलों के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं, जहां राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

घ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में निगम को 0.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.79 करोड़ रुपये) की अदायगी होने की संभावना है।

6. (क) मैसर्स टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, मास्को, रूस के पक्ष में बैंकरों द्वारा खोले गए विदेशी साखपत्र–शून्य (विगत वर्ष 540 लाख रुपये)।

(ख) मैसर्स वॉयथ सीमंस हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बैंकरों द्वारा खोले गए 68.13 करोड़ रुपये के विदेशी साखपत्र (पिछले वर्ष 297.07 करोड़ रुपये)

7. (क) प्रावधान न किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 8712.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 8705.53 करोड़ रुपये) बनती है।

(ख) 31.03.2007 को भूमि मुआवजे की अनुमानित राशि जिसके लिए अवार्ड कार्यवाही की जानी लंबित है, और जिसके लिए 32.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 158.00 करोड़ रुपये) का प्रावधान नहीं किया गया है।

8. क) विद्युत मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार, कोयल कारो परियोजना पर 24.55 करोड़ रुपये का खर्च, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो परियोजना की इक्विटी पूंजी के समान है। तदनुरूप शेयर धारकों ने 28.07.2006 को वार्षिक आम बैठक में इक्विटी पूंजी में कमी करने की अनुमति प्रदान की। इक्विटी में कमी के लिए बही में प्रविष्टि नहीं की गयी है क्योंकि शेयर पूंजी में कमी की पुष्टि कंपनी कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 40/4/2006–सीएल–III दिनांक 09.04. 2007 के जरिए की जा चुकी है और इसे कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 20.04.2007 को पंजीकृत किया जा चुका है।

ख) भारत सरकार से स्वीकृति लंबित होने के कारण निर्माण के दौरान भारत सरकार ऋण पर 8.83 करोड रुपये (पिछले वर्ष 8.83 करोड़ रुपये) की राशि के प्रोद्भूत ब्याज के प्रथम 50 प्रतिशत हिस्से को टनकपुर पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया है, जिसे भारत सरकार की इक्विटी के तौर पर समंजनीय दर्शाया गया है। आगामी समायोजन, यदि कोई होंगे, भारत सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति पर किए जायेंगे।

9. क) 2,103 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2,049 हेक्टेयर) क्षेत्र में 59.51 करोड़ रु0 की राशि की (विगत वर्ष 60.37 करोड़ रुपये) की कुछ परियोजनाओं/यूनिटों की भूमि के संबंध में टाइटल डीड/टाइटल को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टॉम्प डयूटी आदि पर व्यय को, जब वह जैसे खर्च होगा, लेखे में दर्ज किया जाएगा।

ख) जम्मू–कश्मीर की कुछ यूनिटों में लीज डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज की अवधि 99 वर्ष रखी गयी है, सिवाय कुछ मामलों के, जहां यह 30 अथवा 40 वर्ष रखी गयी है, जैसा भी मामला हो, और तदनुसार भूमि की लागत परिशोधित की गयी है।

ग) अरूणाचल प्रदेश में भूमि में एसएसबी से 1/–रुपये प्रति वर्ष के कल्पित किराये पर 99 वर्ष की अवधि हेतु ली गयी भूमि शामिल नहीं है।

10. सक्षम अधिकारी की मंजूरी के लंबित रहते कुछ वस्तुओं की स्वीकृत मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा और अतिरिक्त वस्तुओं के लिए किए गए अस्थायी भुगतान को चालू पूंजीगत कार्य में शामिल किया गया है।

11. क) बिक्री में 18.98 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (–) 8.09 करोड़ रुपये) का ऐसा प्रभार शामिल है, जिसको अभी आयकर व एफईआरवी हेतु लाभार्थियों के बिल में डाला जाना है, जो कि वर्ष की समाप्ति पर डाला जाएगा।

ख) धोलीगंगा पावर स्टशन के संबंध में बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंनतिम टैरिफ के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

12. क) संविदाकर्त्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गयी शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्त्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं और संविदाकर्त्ताओं को जमा/पेशगी राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

ख) बिक्री के लिए देनदारी के अंतर्गत 120.81 करोड़ रुपये (शुद्ध) की राशि शामिल है, जो मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (पूर्व डेसू) से वसूल की जानी है, जो वित्त वर्ष 1996–97 से पहले की अवधि से संबंधित है। प्रबंधन की राय में इस बारे में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वसूली का मामला विद्युत मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू आस्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाये गये उनके मूल्य से कम नहीं होगा। किंतु अभ्यर्पण मूल्य के अभाव में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित मूल्य पर उपदान कोश जारी है।

घ) चूंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को इन्सेंटिव के भुगतान के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए ''अन्य चालू आस्तियों'' (अनुसूची–9) और ''अन्य देयताओं'' (अनुसूची–10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रुपये का दर्शाया जाना जारी है।

ङ) वसूली योग्य दावों में जम्मू कश्मीर पीडीसी की ओर बकाया 16.65 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो बगलिहार परियोजना से संबद्ध है। यह परियोजना भारत सरकार के ओदशों के अनुसार उन्हें सौंप दी गयी थी। सावलकोट परियोजना के बारे में परियोजना के अंतिम रूप से सौंपे जाने के लंबित रहते रुपये 10.33 करोड़ का कुल पूंजी खर्च निगम की परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में जारी है, लेकिन इस परियोजना के संदर्भ में जेएंडकेपीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रुपये की तदर्थ अग्रिम राशि को ''चालू देयताओं'' के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अंतिम हिसाब–किताब के समय समायोजित किया जाएगा।

13. क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा सियांग (13,600 मेगावाट), सुबानसिरी (5600 मेगावाट) और दिबांग बहु–उद्देशीय परियोजनाएं निगम को हस्तांतरित की गयीं। इन परियोजनाओं को अंतिम रूप से सौंपे जाने की प्रक्रिया और दिबांग बहु–उद्देशीय परियोजना तथा तवांग बेसिन परियोजनाओं को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश राज्य में सभी योजनाओं के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और अंतिम हिसाब–किताब का मामला ब्रहमपुत्र बोर्ड के साथ लंबित रहते इन परियोजनाओं के संदर्भ में आस्तियों और देयताओं को निगम द्वारा खर्च की गयी राशि की सीमा तक दर्ज किया गया है।

ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में निगम ने जेएंडकेपीडीसी से उड़ी–द्वितीय, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा–2, बरसर, निम्मो–बाजगो, चुटक परियोजनाएं अधिगृहीत कर ली हैं, जिनके लिए जेएंडकेपीडीसी ने 84.89 करोड़ रुपये की मांग रखी है।

परियोजनाओं को अधिगृहीत करने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त कारपोरेशन ने सेवा–2 परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरित की गयी परिसंपत्तियों की जांच और जेएंडकेपीडीसी के खातों के समाधान के आधार पर 33.66 करोड़ रुपये का कुल व्यय दर्ज किया है, जबकि उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रुपये का दावा किया गया था। 33.66 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये चुकता कर दिए गए हैं। जेएंडकेपीडीसी द्वारा मांगे गए शेष खर्च को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखों के अंतिम समाधान पर दर्ज किया जाएगा।

ग) 1 नवंबर, 2003 को एनएचपीसी और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में लखवार व्यासी परियोजना एनएचपीसी को सौंपी गयी थीं। इस परियोजना के एनएचपीसी को सौंपे जाने से पहले उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खर्च की गयी 246.86 करोड़ रुपये की राशि लेखा बहियों में शामिल नहीं की गयी है, क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार के साथ इस परियोजना के निर्माण के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

14. क) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या आईएएस 966 और 1012 के कारण सुबानसिरी अपर और सुबानसिरी मिडल परियोजनाओं का काम लंबित है। इन आदेशों में सुबानसिरी नदी के ऊपरी भाग (अपस्ट्रीम) में बांध के निर्माण पर रोक लगायी गयी थी। किंतु इसके बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण के लिए आईए संख्या 1362–63 दाखिल की, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 21.07.2006 को सुनवाई की गयी और यह मामला राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति को सौंप दिया गया। इस बारे में निर्णय के लंबित रहते उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः रुपये 35. 73 करोड़ (पिछले वर्ष 33.03 करोड़ रुपये) और रुपये 32.79 करोड़ (पिछले वर्ष 31.05 करोड़ रुपये) का पूंजी खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं।

ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सियोम (सियांग मिडल) और सियांग लोवर परियोजना प्राइवेट डेवलपरों को आवंटित कर दी हैं और कारपोरेशन से उचित खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। कारपोरेशन ने यह मामला भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया है, क्योंकि कारपोरेशन ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड से परियोजनाएं अपने हाथ में लेने के बाद उनके लिए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किए हैं। ये परियोजनाएं उपरोक्त नोट 7 (क) में वर्णित भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कारपोरेशन को सौंपी गयी थी। भारत सरकार का निर्णय लंबित रहने के कारण उक्त दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 45.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43.07 करोड़ रुपये) और 37.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 33.54 करोड़ रुपये) का पूंजी खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं।

ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लंबित होने के कारण सियांग अपर परियोजना के संबंध में 29.94 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 27.79 करोड़ रुपये) का खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं। यह परियोजना सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एनएचपीसी को सौंपी गयी थी।

घ) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के निष्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के बारे में एनएचपीसी और मणिपुर सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण 29.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 28.69 करोड़ रुपये) का खर्च 'चालू पूंजी कार्य' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं।

15. कारपोरेशन ने 1,67,60,49,945 इक्विटी शेयर के पब्लिक इश्यू के लिए सेबी में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया है। इनमें से 55,86,83,315 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा कारपोरेशन में अपनी भागीदारी कम करने के लिए बेचे जायेंगे। विक्रेता शेयरधारक के नाते इस इश्यू का खर्च एनएचपीसी और भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। एनएचपीसी के हिस्से का खर्च इश्यू से प्राप्त होने वाली राशि से समायोजित किया जाएगा।

16. बोर्ड ने बाव–2 और दिवाडे एचई परियोजनाएं बंद करने का निर्णय किया है। इस संबंध में भारत सरकार की औपचारिक मंजूरी लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं पर बटटे खाते डालने संबंधी खर्च की देखरेख के लिए क्रमशः 8.25 करोड़ रुपये और 0.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था लेखों के अंतर्गत की गयी है।

17. कारपोरेशन के कर्मचारियों के वेतन संशोधन 01.01.2007 से लंबित हैं। वेतन संशोधन के बारे में भारत सरकार द्वारा गठित समिति का निर्णय लंबित होने के कारण बहियों में 39.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 01 जनवरी, 1997 से कार्यपालकों के संबंध में संशोधित वेतन ढांचे के लागू होने से उत्पन्न विसंगतियां दूर करने के लिए 2.73 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

18. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कारपोरशन की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 5 (अनुसूची–23) के अनुसार प्रभारित किया जाता है। मूल्यह्रास प्रभारित करने का मुद्दा नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपा गया है। विद्युत मंत्रालय पहले ही टैरिफ नीति अधिसूचित कर चुका है, जिसमें प्रावधान है कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित मूल्य ह्रास की दरें ही टैरिफ और लेखाकरण के संबंध में लागू होंगी। टैरिफ नीति के अनुसार सीईआरसी द्वारा मानदंड तैयार किए जाने का मामला लंबित होने के कारण मौजूदा टैरिफ नियमों के अंतर्गत अधिसूचित दरें वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए उचित समझी गयी हैं।

19. क) मध्य प्रदेश सरकार से सिंचाई और गुजरात सरकार से सरदार सरोवर परियोजना घटकों के लिए प्राप्त योगदान सहायता अनुदान समझकर पूंजी रिजर्व के अंतर्गत क्रेडिट किया गया है।

ख) इस तरह के सहायता अनुदान द्वारा प्रस्तुत नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित करने की बजाय पूंजी रिजर्व मद में आवंटित किया गया है।

20. कंपनी ने 534.70 करोड़ जेपीवाई के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में देय तिथियों को अर्थात् 9 जनवरी और 9 जुलाई को ब्याज भुगतान और साथ ही 5 वर्षों के अंत में मूलधन की संभावित अदायगी के लिए भी सुरक्षात्मक करार किए हैं। भारत में किसी

विशिष्ट लेखाकरण मानक के अभाव में तथा 'तुलन पत्र से परे मद' होने के कारण तुलन पत्र की तिथि के अनुसार किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। करार से उत्पन्न लाभ या हानि का लेखाकरण देय तिथियों को निपटान पर किया जाएगा।

21. एनएचडीसी के संदर्भ में विविध खर्च की पूर्व लेखा नीति निरस्त कर दी गयी है।, नतीजतन 1.23 करोड़ रुपये के प्रारंभिक खर्च को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित कर दिया गया है।

22. क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा विनिमय में हुए उतार–चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपये में)

		2006-07	2005-06
(i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि पर प्रभारित राशि	(-)1.72	(-)3.10
(ii)	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय पर प्रभारित राशि	(-)25.74	(-)24.56
(iii)	चालू पूंजी कार्य पर प्रभारित राशि	28.43	(-) 102.31
(iv)	अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि में बढ़ोतरी करके समायोजित की गयी राशि	(-)44.39	29.42
(v)	मौद्रिक परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी करके समायोजित की गयी राशि	-	0.05

ख) वर्ष के दौरान 'निर्माण में आकस्मिक व्यय' में पूंजीकृत ऋण लागत की राशि रुपये 355.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 234.40) है।

23. क) वर्ष के दौरान निम्नांकित लेखांकन नीतियां प्रारंभ/संशोधित/निरस्त की गयीं :–

uhfr l[;k	fooj.k	o"k dk ykHk ij iHkko
नीति संख्या 1	'kCn fujLr ''कर्मचारियों के अवकाशयात्रा रियायत पर किए गए व्यय को छोड़कर, जिसे उपयोग किए गए वर्ष में माना जाता है।''	प्रभाव नीचे पोलिसी संख्या 9 के सामने प्रकट किया गया है।
नीति संख्या 4.1	प्रासंगिक तथा आरोप्य व्यय के बाद **¼fo'k) ik lfxd vk;½** 'kCn tkMk tkuk	कोई प्रभाव नहीं।
नीति संख्या 5.1	''सीधी पद्धति के आधार पर'' के बाद **ifjlifRr dh ykxr d 90 ifr'kr rd** 'kCn tkMk tkukA	कोई प्रभाव नहीं।
नीति संख्या 5.4	''विनिमय उतारचढ़ाव,'' के बाद **eY; lek;ktu] 'kYdk e ifjoru ;k ,l gh vU; ?kVdk** 'kCn tkMk tkukA	कोई भौतिक प्रभाव नहीं
नीति संख्या 7	शब्द जोड़ा जाना '',l fuo'kd eY; e vLFkk;h l fHkUu gk l d fy, ikO/kku gkrk gA ''	कोई प्रभाव नहीं।
नीति संख्या 9	सेवा निवृत्ति लाभ नीति में लेखाकरण मानक 15 (2005) के अनुसार कर्मचारी लाभ संबंधी प्रावधान में संशोधन	रुपये (–) 11.17 करोड़
नीतिसंख्या 13.5	इस नीति का कर्मचारी लाभ (नीति संख्या 9) में विलय	कोई प्रभाव नहीं

ख). लेखाकरण मानक (एएस) 15 (2005) के संदर्भ में ''कर्मचारी लाभ'' के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर 87.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष लेखाकरण मानक 15 (1995) के संदर्भ में 81.28 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया। चालू वर्ष के प्रावधान के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर अवकाश यात्रा रियायत और बैगेज भत्ते के लिए क्रमशः 17.19 करोड़ रुपये और 3.35 करोड़ रुपये के प्रावधान शामिल है। एएस–15 (2005) के जारी होने से पहले इन प्रावधानों को खर्च के वास्तविक वर्ष के हिसाब में शामिल किया जाता था।

24. क) विद्युत उत्पादन करना कारपोरेशन का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक–17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

25 इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक–18 इस ग्रुप पर लागू नहीं होते क्योंकि दोनों कार्पोरेशन राज्य के नियंत्रण वाले उद्यम हैं। किन्तु ग्रुप के महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक इस प्रकार हैं :

,u,pihlh

श्री एस.के. गर्ग	23.01.2007 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार। इससे पहले निदेशक (वित्त) और 01.10.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री एस.के. चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक)
श्री एस.पी. सेन	निदेशक (तकनीकी)
श्री एस.के. डोडेज़ा	02.09.2006 से निदेशक (परियोजनाएं)

,u,pMhlh

श्री टी.मंडल	पूर्णकालिक निदेशक और नामजद मुख्य कार्यकारी निदेशक (19.09.2006 से 28.02.2007) तक
श्री डी.पी. भार्गव	पूर्णकालिक निदेशक और नामजद मुख्य कार्यकारी निदेशक (28.02.2007 से)

26. कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग (पट्टे पर परिसंपत्ति लेना) व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग, कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रैंजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (ऑपरेटिंग लीजिज) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो ऐसी नहीं हैं, जिन्हें रद्द न किया जा सके, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ की अनुसूची के अंतर्गत 12.27 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.03 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान, विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रैंजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान को उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय अनुसूची के अंतर्गत *किराया* के रूप में दर्शाया गया है।

27. क) ,u,pihlh की प्रति शेयर आय :–

प्रति शेयर आय (मूल और अवमिश्रित) की गणना के लिए विचार किए गए तत्त्व निम्नानुसार हैं :–

	o"k 2006&07 d fy,	o"k 2005&06 d fy,
(i) गणक के तौर पर उपयोग किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ	924.80	742.75
इक्विटी शेयरों की धारित औसत संख्याडिनॉमीनेटर के रूप में उपयोग की गयी – मूल – अवमिश्रित	10502319459 10822615290	98972844 102411137
प्रति शेयर आय (रुपये) – मूल – अवमिश्रित	0.88 0.85	75.05 72.53
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये))	10	1000*

** 13.03.2007 से इन शेयरों को 10/–रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य में विभाजित किया गया।*

ख.) ,u,pMhlh की प्रति शेयर आय :–

प्रति शेयर आय (मूल और अवमिश्रित) की गणना के लिए विचार किए गए तत्त्व निम्नानुसार हैं :–

	o"k 2006&07 d fy,	o"k 2005&06 d fy,
(i) गणक के तौर पर उपयोग किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ	454.31	106.10
डिनॉमीनेटर के रूप में उपयोग की गयी इक्विटी शेयरों की धारित औसत संख्या – मूल – अवमिश्रित	19625800 19625800	19337615 19557581
प्रति शेयर आय (रुपये) – मूल – अवमिश्रित	231.48 231.48	54.87 54.25
7 प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)	1000	1000

28. इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इण्डिया द्वारा जारी ''आय पर कर का लेखाकरण'' संबंधी लेखा मानक 22 के अनुपालन संचयी आस्थगित कर देयता का ब्योरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये)

		31.03.2006	31.03.2007
	vkLFkfxr dj n;rk		
i)	मूल्य ह्रास	2381.18	2507.52
	?kVk,a ¼vkLFkfxr dj ifjlaifRr;k		
ii)	संचित असमाहित मूल्य ह्रास	367.46	100.27
iii)	कर की गणना में आय समझे जाने वाले मूल्य ह्रास के लिए अग्रिम।	129.95	131.23
iv)	संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिक खर्च और प्रोत्साहन (बांड्स) हेतु प्रावधान	150.05	179.84
v)	कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	56.01	67.11
	vkLFkfxr dj n;rk ¼fuoy½	**1677.71**	**2029.07**

29. प्रबंधन का यह मत हैं कि लेखांकन मानक (एएस–28) के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2007 को परित्यक्त परियोजनाओं के संदर्भ में किए गए प्रावधान को छोड़कर आस्तियों की हानि का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

30. ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' संबंधी लेखांकन मानक 29 के प्रावधानों के अनुपालन में 222.13 करोड़ रुपये का प्रावधान पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा राहत एवं पुनर्वास आदि दायित्वों के लिए किया गया है। नतीजतन नियत परिसंपत्तियां और सीडब्ल्यूआईपी की राशि में मामूली बढ़ोतरी हुई है।

31. क) निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक

(करोड़ रुपये)

		o"k 2006&07 ds fy,	o"k 2005&06 ds fy,
(i)	वेतन एवं भत्ते	0.31	0.48
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	0.03	0.05
(iii)	रिहायशी आवास के लिए किराया	0.09	0.08
(iv)	अन्य लाभ	0.04	0.04
(v)	सीटिंग शुल्क	-	-

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यालय संबंधी यात्रा के लिए और वित्त वर्ष में भुगतान पर 12,000 किलोमी0 तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिसका ब्योरा इस प्रकार है :–

	xSj okrkuqdwfyr dkj	okrkuqdwfyr dkj
16 एचपी तक	325 रु. प्रति महीना	520 रु. प्रति महीना
16 एचपी से अधिक	490 रु. प्रति महीना	780 रु. प्रति महीना

32. सांविधिक लेखाकारों को पारिश्रमिक

(करोड़ रुपये)

	o"k 2006&07 ds fy,	o"k 2005&06 ds fy,
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.28	0.23
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.05	0.05
लेखा परीक्षा व्यय	0.26	0.33
अन्य मामले	0.03	0.01
ykxr ijh{kd		
–लेखा परीक्षा शुल्क	0.06	0.06
–लेखा परीक्षा खर्च	0.02	0.01

33. उत्पादन की गयी और बेची गयी ऊर्जा से संबंधित परिमाणात्मक ब्योरे :

		o"k 2006&07 d: fy,	o"k 2005&06 d: fy,
(i)	लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)***	4104.20	3729.20
(iii)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट में) *	15654.34	15140.51
(iv)	वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट में) **	13878.76	13343.21

* अस्थिर विद्युत सहित।

** गृह राज्यों को निःशुल्क विद्युत को छोड़कर

*** लोकतक पावर स्टेशन की क्षमता 04.04.2006 से 105 मेगावाट से घटाकर 90 मेगावाट की गयी।

34. (करोड़ रुपये)

		o"k 2006&07 d: fy,	o"k 2005&06 d: fy,
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
	i) पूंजीगत सामान	211.80	67.51
	ii) हिस्से पुर्जे	1.18	2.27
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	2.36	1.19
	ii) ब्याज	112.38	108.47
	iii) अन्य विविध मामले	232.30	413.10
ग)*	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपयोग में आए कलपुर्जों एवं घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	3.52 (39.82%)	5.12(34.74%)
	ii) स्वदेशी	5.32 (60.18%)	9.62(65.26%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज	—	—
	ii) अन्य	—	—

* संभूति आधार

** नकद आधार

35. अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के खंड 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी वस्तुओं के संदर्भ में प्रकटीकरण शून्य है।

36. पिछले वर्ष के आंकड़ों/इतिशेष को आवश्यकतानुसार यथासंभव नये लेखा वर्गीकरण करने सहित पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया हैं

fot; xlrk	, l-ih- lu	, l-d- xx
कंपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku % ubZ fnYyh
rkjh[k % 26 ebZ 2007

31 ekp] 2007 dk lekIr g, o"k d rjyu k= I: Ic) lefdr d'k¶yk fooj.k

(करोड़ रुपये)

			31 ekp] 2007		31 ekp] 2006
d½	ipkyu dk;dykik I: d'k¶yk				
	कर पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		1592.99		926.79
	tkM+s				
	पूर्व अवधि सहित मूल्यह्रास	361.42		428.65	
	टैरिफ समायोजन/मूल्यह्रास के बदले अग्रिम	208.64		10.83	
	छूट को छोड़ कर ब्याज	338.90		380.76	
	स्व–बीमा आरक्षित	75.68		72.62	
	अन्य प्रावधान/समायोजन	11.14		40.57	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	0.06		(0.44)	
	विनिमय दर अन्तर	(1.71)		(3.10)	
	लाभांश आय	(1.29)	992.84	(1.00)	928.89
	dk;'khy iwth lek;ktu I: igy: ipkyu xfrfof/k;k I: d'k¶yk		2585.83		1855.68
	dk;'khy iwth ifjorZu				
	सामान सूची में कमी/(वृद्धि)	(2.61)		(9.94)	
	चालू कार्य अनुबंध में कमी/(वृद्धि)	(186.81)		(50.30)	
	प्राप्य राशियों में कमी/(वृद्धि)	(707.51)		72.24	
	अन्य भुगतान योग्य राशियों और व्यापार में कमी/(वृद्धि)	636.43	(260.50)	178.27	190.27
	dj&iwoZ ipkyu xfrfof/k;k I: d'k¶yk		**2325.33**		**2045.95**
	घटाएं : कर		214.56		96.77
	ipkyu xfrfof/k;k I: fo'k) d'k¶yk ¼d½		**2110.77**		**1949.18**
[k½	fuos'kr dk;dykik I: d'k¶yk				
	अचल आस्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च सहित)		(3396.27)		(2658.19)
	अचल आस्तियों की बिक्री से प्राप्तियां		154.73		49.01
	निवेश		256.44		
	प्राप्त लाभांश		1.29		1.00
	fuos'kr dk;dykik e: i;Dr 'k) udnh ¼[k½		**(2983.81)**		**(2608.18)**
x½	foÙkh; dk;dykik I: d'k¶yk				
	शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त आय		630.95		622.44
	शेयर पूंजी जमा				20.38
	लाभांश और लाभांशकर भुगतान		(276.77)		(168.42)
	उधार से प्राप्तियां		2217.90		2178.74
	उधार की अदायगी		(1187.04)		(1742.30)
	ब्याज और वित्तीय प्रभार		(633.82)		(619.89)
	मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त धन		45.33		287.28
	foÙkh; dk;dykik I: d'k¶yk ¼x½		**796.55**		**578.23**
	नकदी और नकदी समकक्ष (क+ख+ग) में शुद्ध वृद्धि/कमी		(76.49)		(80.77)
	o"k d: ikjHk e: udnh vkj udnh led{k		892.78		973.55
	o"k d: vr e: udnh vkj udnh led{k		816.29		892.78

d'k¶yk fooj.k I: lcf/kr Li"Vhdj.k fVIi.kh

1. नकदी और नकदी समकक्ष के अंतर्गत हाथ में नकदी और हाथ में चैक/ड्राफ्ट सहित बैंक जमा शामिल हैं।
2. कर्ज चुकता करने के लिए कंपनी को जारी बांड्स और उन पर अर्जित ब्याज मुख्य उत्पादन गतिविधि से संबद्ध होने के कारण प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी का हिस्सा समझा गया है।
3 पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
dr: th-,I-,- ,.M ,IkfI,V:I
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

fun'kd eMy के लिए तथा की ओर से

¼I:tho pk/kjh½	**fot; xIrk**	**,I-ih- IIu**	**,I-d- xxI**
भागीदार	कंपनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 85761			

LFkku ¼ ubZ fnYyh
rkjh[k ¼ 26 eb] 2007

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121 003 (हरियाणा)

वेबसाईट : http://www.nhpcindia.com

करट एडवरटाइजिंग प्रा० लि० द्वारा डिजाइन तथा मेहता ऑफसेट प्रा० लि० द्वारा मुद्रित